(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 18वां दिवस [संख्या 13

मंगलवार,
दिनांक 19 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता, खनिज, पंचायत स्वास्थ्य, देवस्थान, खाद्य, स्वायत्त शासन, आबकारी एवं नागरिक रसद—विभाग]

प्रश्न संख्या 276।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द सामरिया !

कृषि उपज मंडी समिति दौसा

277. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि उपज मंडी समिति, दौसा में कृषक क्षेत्र से कितने सदस्य हैं ? क्या एक स्थान श्री कन्हैयालाल कुन्डल के निधन से रिक्त हुआ ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उस स्थान पर श्री मूलचन्द चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुए ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या श्री चौधरी उक्त कृषि उपज मंडी समिति की मीटिंग्स आदि में बतौर सदस्य भाग ले सकते हैं या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या वे भाग ले रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा के कृषक क्षेत्र से सात सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें से एक सदस्य श्री कन्हैयालाल कुण्डल का दिनांक 16-8-72 को निधन हो जाने से एक स्थान रिक्त हो गया।

(2) जी नहीं। मूलचन्द चौधरी निर्वाचित नहीं हुए वरन् श्री मूलचन्द मीणा का निर्विरोध निर्वाचन दिनांक 13-7-73 को हुआ।

(3) चूंकि राज-पत्र में श्री मूलचन्द मीणा का नाम प्रकाशित नहीं हुआ है अतः नियमानुसार यह मण्डी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये सक्षम नहीं है। श्री मीणा का नाम अविलम्ब राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

Page No 2

(2)

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि 10-5-72 को यह स्थान रिक्त हुआ। एक साल तक चुनाव नहीं हुए और 13-7-73 तक काम करने का मौका नहीं मिला। चूंकि राज-पत्र में छापा नहीं हुआ नाम। कितने दिन में आप इसको छापा कर देंगे जिससे उनको काम करने का मौका मिलेगा।

श्री शिवचरण माथुर : कल भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था। यह सवाल था कि चुनाव के बाद वास्तविक रूप से काम करने में थोड़ा समय लग जाता है। जब तक नाम गजट में नोटिफाई न हो तो कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते। गजट नोटिफिकेशन में थोड़ा समय लग जाता है। इसलिये गवर्नमेन्ट प्रेस को लिख रहे हैं कि ऐसे सारे मामलों को जल्दी नोटिफाई कर दें ताकि जहां जहां चुनाव हो चुके हैं और कमेटियां काम नहीं कर रही हैं वहां वे काम कर सकें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अन्य निर्वाचित संस्थाओं के काम में तो विलम्ब नहीं होता है और चुनाव होने के बाद वे तुरन्त काम करने में सक्षम हो जाती हैं। क्या यहां पर भी इसमें आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते कि चुनाव होने के बाद नवनिर्वाचित सदस्य काम करने में सक्षम हो जाय। गजट नोटिफिकेशन वाली बात ऐसी है कि जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करने दिया जाय। क्या यह आपकी व्यवस्था जनतन्त्र विरोधी नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक हमारे विभाग का सवाल है चुनाव होते ही तुरन्त गजट नोटिफिकेशन के लिये भेज देते हैं। वहां पर विलम्ब हो जाता है। अब कोशिश यह कर रहे हैं कि विलम्ब न हो और जितनी मंडी कमेटियों के नाम प्रकाशित नहीं हुए हैं वे एक साथ हो जायं।

श्री मूलचन्द सामरिया : म्यूनिसिपैलिटी और पंचायतों के चुनाव होते हैं वहां पर निर्वाचित सदस्य तुरन्त काम करना शुरू कर देते हैं तो क्या कृषि उपज मंडियों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था नहीं लागू की जा सकती है ? क्या दिक्कत है ?

श्री शिवचरण माथुर : गजट नोटिफिकेशन होना जरूरी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जरूरी क्यों है? इसको हटा देते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है ?

श्री शिवचरण माथुर : यदि किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था नहीं बैठ सके तो उस पर विचार किया जा सकता है

श्री लक्ष्मणसिंह : नोटिफिकेशन की क्यों नहीं तुरन्त व्यवस्था करते हैं ताकि चुनाव होते ही नोटिफिकेशन हो जाय और चुनी हुई संस्था काम करने लग जाय। यह ढिलाई है इसको दूर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री लूणाराम !

सोनियासर रीजनल स्कीम

278. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रीजनल स्कीम सोनियासर, तहसील डूंगरगढ़, जिला चूरू

(श्री लूणाराम)
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शुदा है ? अगर हां, तो किस दिनांक से एवं कितनी धनराशि उक्त योजना के लिये स्वीकृत की गई है तथा इस योजना का कार्य कब आरम्भ किया गया एवं कितनी धन राशि अब तक योजना पर व्यय की जा चुकी है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद): जी हां। योजना दिनांक 23-10-73 को 12. 30 लाख रु. के लिये स्वीकृत की गई व उस पर कार्य आरम्भ किया गया। अब तक इस योजना पर 3.35 लाख रु. खर्च किया जा चुका है।

श्री लूणाराम : 3.35 लाख रुपये किस जगह किस काम में आये ?

श्री चन्दनमल वैद : पाइप के लिये।

श्री लूणाराम : अब तक काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : जिस सोर्स से पानी देना है बीदासर कस्बे को भी उसी सोर्स से देना है। 2½ लाख गैलन प्रति दिन चाहिये। बीदासर से 1¼ लाख गैलन का ही होगा। इसलिये अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को कहा कि और सोर्स डेवलप करे ताकि 2½ लाख गैलन प्रति दिन का सोर्स मिल सके तो यह योजना शुरू कर दी जाय वरना और कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा।

श्री लूणाराम : इसी योजना के कारण बानसूर आदि चार गांवों को पूरा पानी मिलने की संभावना है। पंचायत समिति ने लिख कर दिया तो कहा कि सर्वे करवा लेंगे परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। तो क्या इन का सर्वे करवा कर पानी की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : अन्डर वाटर ग्राउन्ड बोर्ड को कह दिया है कि वह ट्यूब वैल खोदेगा। जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम के लिये पूरा पानी नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह पानी ढूंढने के लिये व्यवस्था की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 279।

श्री रामरघुनाथ !

सूखे मेवे का वितरण

279. श्री रामरघुनाथ (डेगाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो तीन वर्षों में कन्ट्रोलर इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट नई दिल्ली द्वारा राज्य की विभिन्न सहकारी समितियों को सूखा मेवा (काजू, किशमिश, बादाम, पिश्ता) जनता के वितरण हेतु दिया गया था ? अगर हां, तो जिलावार किस-किस वर्ष में कितना कितना सूखा मेवा दिया गया ? सन् 1970 से अब तक का वितरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वितरण योजना के अन्तर्गत नागौर जिले की कौन-कौनसी सहकारी समितियां थीं ? इनको कितना कितना सूखा मेवा किस-किस तारीख को कितनी बार में दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन सहकारी समितियों के चयन का क्या आधार था ?

Page No 4

(4)

(श्री रामरघुनाथ)

(4) नागौर जिले की इन सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्र लेने में प्रमाणित करने व सम्बन्धित कार्यालय दिल्ली को भेजने आदि की व्यवस्था किसके जिम्मे थी ? जिले के सम्बन्धित अधिकारी ने किस आधार पर यह वितरण व्यवस्था की व अधिकारी का नाम क्या था ?

(5) क्या नागौर जिले में उक्त मेवे के सम्बन्ध में तत्कालीन जिलाधीश, नागौर या सहकारी विभाग को कोई शिकायत प्रस्तुत हुई थी ?

(6) क्या यह सही है कि इस सूखे मेवे में हजारों रुपयों का घोटाला हुआ और सूखा मेवा राजस्थान में व सहकारी समितियों के पास आने से पहले ही ब्लैक में बेच दिया गया ? अगर हां, तो इस मामले के सम्बन्ध में अब तक क्या जांच व कार्यवाही करके सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर जांच नहीं हुई तो क्यों ?

(7) क्या नागौर जिले के उक्त मेवे के सम्बन्ध में किसी एक सहकारी समिति द्वारा भ्रष्टाचार विभाग को भी शिकायत दर्ज करवाई है यदि हां, तो किसने व कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

सहकारिता मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग 1 में ऐसी सूचना है कि जो सब ही रजिस्ट्रार से सम्बन्धित है और सूचना सहकारी समितियां से चाही गई है। जो समय इसके उपलब्ध कराने में दिया गया है वह कम है इसलिये समय की और मांग की गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भाग 1 के अलावा तो उत्तर दिया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती उषा प्रकाश !

ग्रामीण आवासीय समस्या

280. श्रीमती उषाप्रकाश (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्रामीण आवासीय समस्या के समाधान हेतु गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा जमीन आवंटन का कार्यक्रम बनाया गया था ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति वैर, जिला भरतपुर द्वारा कितनी भूमि कितने ग्रामीण आर्टिजन आदि को जिनके पास निजी आवासीय मकान नहीं थे, दी गई ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : पंचायत समिति, वैर की किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन कार्यक्रम के तहत कोई भी भूमि आवंटित नहीं की गई।

श्रीमती उषाप्रकाश : मंत्री महोदय, इसमें एक सीरियस प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष भी यह तय किया था कि जो मजदूर हैं उनको मकानों के लिए भूमि देंगे। पूरा वर्ष निकल गया और पंचायत समिति में कुछ भी काम नहीं लिया तो क्या सरकार इनको संरक्षण देगी ? यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको अच्छी तरह से सरकार क्रियान्वयन करेगी ? वरना होता यह है कि कार्यक्रम होता नहीं पूरा और योजना, योजना रह जाती है ?

Page No 5

5

श्री रामनारायण चौधरी : सामुदायिक एवं पंचायत विभाग के परिपत्र के अनुसार निःशुल्क ग्रामीण आर्टिजनों को भू-खंड दिये जा सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को भू-खण्ड नहीं दिये गये, आवंटित किये गये हैं। किसी ग्राम पंचायत के तहत कोई व्यक्ति भूमिहीन हो और आवश्यक भू-खण्ड की मांग करता ...ी माननीय सदस्या ध्यान में लायेंगी ... मांग की जायगी तो सरकार उन परि- ... का पालन करायेगी।

श्रीमती उषाप्रकाश : उन लोगों ने आवेदन-पत्र भी दिये हैं थे लेकिन किसी लेवल पर भी कार्यवाही नहीं की। सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले ताकि पंचायत समितियां सक्रिय हों।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस ग्राम पंचायत ने, किस पंचायत समिति ने भूमि के लिए मांग नहीं की? जांच तो करायी जाय। हजारों की तादाद में एप्लीकेशनें हैं। आप के कानून केवल कागजों पर बन कर रह ... नहीं किये जाते। हो ते लागू और पत्र

एक माननीय सदस्य : ... लागू करने का क्या प्रावधान करेंगे?

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या सरकारी भूमि इनको आवंटन करना मेन्डेटरी बनावेंगे? और इफेक्टिव तौर से इसे मनवाने का प्रबन्ध करेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग की तरफ से आदेश स्पष्ट हैं। इसके अनुसार यह लाजिमी है कि इस प्रकार के आवेदन-पत्रों के प्राप्त होते ही कार्यवाही करें। यदि कहीं नहीं की जाती है तो सरकार इस बारे में सक्षम है कि उनके विरुद्ध तुरन्त उचित कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूमि अवाप्ति की कार्यवाही

281. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने सहकारी गृह निर्माण समितियों तथा अन्य के पास की कृषि भूमि को जो आवास के लिये सदस्यों तथा विभिन्न परिवारों का क्रय की जा चुकी है तथा अवाप्त करने के नोटिस निर्णय के अनुसार वापिस ले चुकी है? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखा जावे? यदि नहीं तो क्यों?

(2) सहकारी गृह निर्माण समितियों के पास की भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही से मुक्त करने के निर्णय के उपरान्त भी नगर विकास न्यास द्वारा अवप्ति की कार्यवाही करने का आशय क्या यह माना जाय कि सरकारी निर्णयों का पालन करना न करना उनके न्यास अधिकारी की बात है? यदि नहीं तो बताया जाये कि किन आधारों पर न्यास आज तक भी अवाप्ति की कार्यवाही कर रहा है?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द): यह प्रश्न नगर आयोजना विभाग से सम्बन्धित है अतः इसे उस विभाग को ट्रान्सफर किया जाय।

Page No 6

(6)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह रेवेन्यू से ही सम्बन्धित है।

श्री राजेन्द्रसिंह : कार्य संचालन के नियमों के अनुसार जो प्रश्न रखे जाते हैं वे यहां के कार्यालय में सम्बन्धित विभाग को भेजने के लिये संशोधित कर दिये जाते हैं

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

नेक्सट।

करापवंचन के मामले

282. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वाणिज्य कर विभाग के एन्टी इवेजन (करापवंचन) विभाग ने राज्य में वर्ष 1973-74 में कुल कितने केस बनाये ?

(2) उक्त विभाग ने जयपुर में वर्ष 1973-74 में कुल कितने केस बनाये और उनमें कितने केस जयपुर के जौहरियों के थे ?

(3) उक्त विभाग ने करापवंचन के बारे में कुल कितनी मांग बनाई उनमें वह मांग शामिल न हो जो व्यापारियों की बहियों में दर्ज थी अर्थात् उन कागजों या बही खातों से जो रेगुलर नहीं थीं उनमें से कितनी टेक्स की चोरी पकड़ी गई ?

(4) करापवंचन के मामलों से निर्धारित मांग में से कुल कितनी वसूली हुई ? उसमें वह वसूली शामिल न हो जो व्यापारी कि नियमित वही खातों में दर्ज थी ?

(5) उक्त विभाग को चलाने में राज्य सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि असेस्ड टेक्स ऑन इवेडेड टर्न ओवर ऑनली ... विभाग द्वारा खर्च की गई रकम ... हैं ?

श्री जुझारसिंह : (1) वाणिज्यिक कर विभाग के एण्टी इवेजन शाखा द्वारा अप्रेल, 73 से फरवरी, 74 तक कुल 842 केसेज बनाये गये।

(2) जयपुर शहर में अप्रेल, 73 से फरवरी, 74 तक एण्टी इवेजन शाखा के अधिकारियों ने कुल 71 केस बनाये हैं, लेकिन इस वर्ष एण्टी इवेजन शाखा द्वारा जयपुर के जौहरियों के केस नहीं बने हैं।

(3) करापवंचन शाखा द्वारा अप्रेल, से फरवरी, 74 तक अपवंचित बिक्री राशि पर कर की मांग कुल 18,87447.27 बनाई गई।

(4) इस वर्ष ऐसे मामलों से अभी तक वसूली 7,10,83561 रुपया की हुई है।

(5) इस शाखा पर वार्षिक खर्चा 4.75 लाख के लगभग आता है।

(6) जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या तीन के उत्तर में जो 18 लाख के करीबन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
डिमाण्ड बताई उसमें रेगुलर की रकम भी शामिल है या केवल टेक्स चोरी की।

श्री जुझारसिंह : केवल टेक्स चोरी की और उस पर की गई पेनल्टी की।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ये आंकड़े गलत हैं अध्यक्ष महोदय। व्यापारियों के बहीखातों में दर्ज जो रकम है वह भी इसमें सम्मिलित है।

श्री जुझारसिंह : मैं बताऊं आपको कि लगभग 9 लाख रुपया इवेडेड टैक्स का है और बाकी 9 लाख के लगभग पेनल्टी का इसमें है। इस तरह से जोड़ कर यह रकम 81,87,447.27 पैसा है। पूरे बहीखातों वाली रकम तो बहुत ज्यादा है। वह इससे अलग है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वसूली इसमें से केवल 7 लाख दस हजार के लगभग हुई। बाकी 11 लाख के लगभग रकम की क्यों नहीं की गई ?

श्री जुझारसिंह : बहुत सी रकम पर स्टे आ गया है कोर्टों से। बाकी की रिकवरी चालू है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तीन के प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया कि जौह-रियों में इवेजन का केस नहीं बना ? तो मैं मान कर चलूं कि उनका कारोबार ठीक है।

श्री जुझारसिंह : जब नहीं बने तो ठीक ही है। वैसे इनके सात केस बने थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उन सात में कितनी डिमान्ड थी ?

श्री चन्दनमल बैद : आपका प्रश्न केवल एन्टी इवेजन के बारे में है। हम सब मिलाकर लगभग 42 करोड़ का कलेक्शन इसमें करते हैं। अब इस के लिये आप अलग से नोटिस दीजिये। आपने एन्टी इवेजन के बारे में पूछा। वह इतना ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दिगम्बर जैन मन्दिर बगरूवालान

283. **श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर)** : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक दिगम्बर जैन मन्दिर बगरू वालान स्टेशन रोड, जयपुर का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धाराओं के तहत किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस के रजिस्ट्रेशन में विलम्ब क्यों किया जा रहा है जब कि इस मन्दिर व इसके धर्मस्व का मूल्यांकन लगभग पचास लाख रुपये से भी ज्यादा का है ?

(2) क्या सरकार उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा के लिये तुरन्त अन्तरिम व्यवस्था अमल में लाने की इच्छा रखती है जिससे इस सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा सके ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्यमन्त्री के विधान सभा के गत सत्र में दिये गये इस स्पष्ट आश्वासन के बावजूद भी कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनकी जांच कर ली जावेगी और कानून की व्यवस्था के अन्तर्गत जो कुछ भी कार्यवाही सम्भव है की जावेगी अभी तक कुछ भी प्रभावी कार्य-वाही अमल में नहीं लाई गई है ?

उप मंत्री, देवस्थान विभाग (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं । राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निरन्तर कार्यवाही जारी है। जिसमें मूल्यांकन का प्रश्न भी सम्बन्धित है।

(2) राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत या सक्षम न्यायालय द्वारा ही ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

(3) इस मन्दिर के पंजीयन का मामला सहायक आयुक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, जयपुर के न्यायालय में जांच व अग्रिम कार्यवाही हेतु तारीख 7/2/74 को भेज दिया गया है व अन्य आरोपों की जांच देवस्थान आयुक्त द्वारा की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा पिछली बार भी इस बारे में प्रश्न था। तब भी यही कहा गया था कि शीघ्र कार्यवाही की जावेगी। असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है और वह कार्यवाही जल्दी होने देगा नहीं। आपके आश्वासन पूरे होंगे नहीं। इसलिये आप अगर कुछ आश्वासन देना चाहते हैं तो यह दीजिये कि अमुक समय तक यह कार्यवाही पूरी कर दी जावेगी। आप निश्चित तारीख मुझे बता दीजिये। यह बड़ा भारी मसला है।

श्री परसराम मदेरणा : मसला तो बड़ा है। पर अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है और यह हो भी नहीं सकता जब तक असिस्टेन्ट कमिश्नर या किसी भी राज्याधिकारी द्वारा, जो असिस्टेन्ट कलेक्टर से कम हैसियत का नहीं हो, जांच कराना आवश्यक है। जांच असिस्टेट कमिश्नर कर सकता था पर पार्टी ने ऐतराज किया कि इनसे उनको इन्साफ मिलने की आशा नहीं है। इसलिये राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत धारा 45 के अनुसार दूसरा मजिस्टेट नियुक्त न कर दिया जाय। अब इस को केस ट्रान्सफर कर दिया गया है। उस अधिकारी द्वारा जांच करके उसकी रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी। पब्लिक ट्रस्ट में सिविल प्रोसिजर लम्बा होता है। इसमें गवाहियों आदि की भी जरूरत पड़ेगी। अब इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा हम कुछ नहीं कह सकते। और न हम मजिस्ट्रेट को टाइम बाउन्ड कर सकते हैं। जस्टिस में हम इन्टरफीयर नहीं कर सकते इसलिये टाइम की बात हम मजिस्ट्रेट से भी नहीं कह सकते। न कहने वाले हैं। मुकदमा अदालत में पैंडिंग है। आप हर समय क्वेचशन रेज करते रहते हैं इन्फोर्मेशन गैदर करते रहते हैं। जस्टिस को अपना समय आप लेने दीजिये। उसकी जांच की रिपोर्ट जबतक नहीं आवेगी असिस्टेन्ट कमिश्नर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। वहां से फैसला होने के बाद आगे की कार्यवाही हम कर सकेंगे। इसमें हम अधिक समय नहीं लगावेंगे यह आश्वासन दे सकता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब तक जांच न हो तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो और जब तक रजिस्ट्रेशन न हो तब तक एक व्यक्ति किराया लेता रहे वहां की सम्पत्ति को हड़पता चला जाय। क्या आप यह नहीं कर सकते तब तक के लिये कि वह सम्पत्ति सरकार के खजाने में जमा हो।

श्री परसराम मदेरणा : इस तरह के पावर इस एक्ट के अन्तर्गत हमको नहीं है। अब इन्डिविजुअल आदमी किराया ले रहा

(श्री परसराम मदेरणा)
है यही तो शिकायत है और इसी की जांच होने की आवश्यता है जो हो रही है। वह कह रहा है कि मैं इन्डिविजुअल नहीं हूं। आप कह रहे हैं इन्डिविजुअल है। अब यह जांच के बाद ही पता लगेगा कि ट्रस्ट है कि नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप कम से कम इस प्रोपर्टी को बरबाद होने से बचाने के लिये इतना तो करिये कि अन्तरिम आदेश लेकर वह रकम खजाने में जमा हो सके।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है कि जांच में भी कोई दो चार साल लगने का प्रश्न नहीं है। महीना दो महीना लग सकता है। सब डाकूमेन्ट्स दे दिये गये हैं। जो ट्रस्ट रिकवर करना चाहता है उस बारे में जो जानकारी मिली है वे सारे कागज कोर्ट में पेश कर दिये हैं। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है।

करौली उप-खण्डों की खानों को लीज

284. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली उप-खंड में कितनी पत्थर की खानें हैं तथा इन खानों को गत तीन वर्षों में किस किस को लीज पर दिया गया है ? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त खानों से राज्य सरकार को गत तीन वर्षों में किस मद से कितनी राशि प्राप्त होती रही है ?

(3) उपरोक्त खानों के किस-किस ठेकेदार के जुम्मे किस-किस मद की कितनी-कितनी राशि बकाया है ? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त बकाया की वसूली नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा राज्य सरकार इस वसूली के लिये क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : करौली उप खंड में 60 पत्थर की खानें खनन पट्टों पर हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वसूली का हर सम्भव कानूनी प्रयत्न किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 2,21,509 रुपये की राशि बकाया है। इसके बावजूद भी उन लोगों के लाइसेन्सेज कैन्सिल क्यों नहीं किये जा रहे हैं ? इनकी वर्ष दर वर्ष हजारों रुपये की राशि बकाया चली आ रही है। एक के प्रति 88,000 रुपये की राशि बकाया है। इनका लाइसेन्स क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है ? किसी के प्रति 77 हजार हैं और किसी के प्रति 78 हजार हैं।

श्रीमती उषाप्रकाश (वैर) : एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूं

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कृपया पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दें।

श्री **जुझारसिंह** : जहां तक लीजेज का सवाल है, यह अमूमन 5 साल के लिये दी जाती हैं इसलिये सन् 1977 या 1978 में जाकर वह खत्म होंगी, इसलिये उनको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। दो लाख की जो राशि बकाया है, वह जो डेड रेन्ट एडवांस में ली जाती है, उसकी बकाया है यह डेड रेन्ट तीन माह एडवांस में जमा करानी पड़ती है 31 मार्च को वह तीन महीने खत्म हो जायेंगे, उसके लिये उनको नोटिस दिया गया है और अगर जमा नहीं करायेंगे तो उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : रंगीलाल ठेकेदार का केस ले लीजिये। उसकी 88 हजार की राशि बकाया है।

श्री **जुझारसिंह** : कौन से नम्बर पर है ?

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : सात नम्बर पर है। एडवान्स के बावजूद इतनी बकाया है। तीन नम्बर पर जनार्दनसिंह गहलोत है।

श्री **जुझारसिंह** : श्री जनार्दनसिंह की जो बकाया है वह एडवांस राशि की है, यदि 31 मार्च तक वह जमा नहीं हुई, तो एक्शन लेंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह लिस्ट तो 1972 की है और अब सन् 1974 चल रहा है। दो बरस की बकाया है।

श्री **जुझारसिंह** : आप गलत समझ रहे हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप कहते हैं कि 31 मार्च तक क्लीअर हो जाना चाहिये, लेकिन एरियर चल रहे हैं।

श्री **जुझारसिंह** : डेड रेन्ट जो होता है वह एन्युअल होता है। तीन महीने का जो हम एडवांस लेते हैं, वह बकाया है। उसके पहले की राशि क्लीयर है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है। मैंने आज तक की बकाया पूछी है। आप प्रश्न पर गौर फरमाइये। किस-किस पर कितनी-कितनी राशि बकाया है।

श्रीमती **उषाप्रकाश** : मेरा भी प्रश्न है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं आपकी मदद लेने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : जनार्दनसिंह गलहोत जो हमारे माननीय सदस्य हैं, वह ही हैं क्या इस सूची में ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : जी हां।

श्री **जुझारसिंह** : एन्युअल डेड रेन्ट साल में देनी पड़ती है, वह 28 हजार है, और उसका वन फोर्थ, यानी 7 हजार एडवांस देनी पड़ती है, वह 31 मार्च तक क्लीयर हो जायगी। यदि नहीं हुई तो एक्शन लिया जायेगा।

श्रीमती **उषाप्रकाश** : क्या यह सही है कि जब लीज का रिन्युअल होता है तो पहले की बकाया देखी जाती है ? क्या यह सही है कि पहले की बकाया बाकी है, फिर भी रिन्युअल किया गया है ?

Page No 11

(11)

श्री जुझारसिंह : लीज पांच साल का होता है और पांच साल के बाद जब रिन्युअल किया जाता है तब देखा जाता है कि पहले की बकाया है क्या, अगर बकाया होती है तो नोटिस दिया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह जवाब सैटिसफिक्टरी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सेल्स टैक्स भी एडवान्स में पे होता है ? यह आप लिस्ट देखिये, राम नारायण व्यास, झूमर लाल, रंगीलाल ठेकेदार, बिजोरिया एण्ड कम्पनी, जनार्दनसिंह गहलोत। इन लोगों में कम से कम पंद्रह-पंद्रह हजार की बकाया है, और रंगीलाल ठेकेदार में तो 88 हजार बकाया है। इनके खिलाफ सेल्स टैक्स भी बहुत बकाया है। आप कहते हैं कि 31 मार्च को डेड रेन्ट क्लीयर होता है तो क्या सेल्स टैक्स भी एडवान्स में दिया जाता है ?

श्री जुझारसिंह : जो बकाया की राशि बताते हैं, आप अगर इनका एन्युअल डेड रेण्ट देखलें, तो यह बकाया राशि वन फोर्थ आती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रंगीलल में कितना बकाया है ?

श्रीमती उषाप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सरकार को कम से कम····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, कमाल की बात है, 88 हजार रुपये डेड रेण्ट, रॉयलटी और 22 हजार सेल्स टैक्स के बकाया हैं और इतनी बकाया के बावजूद भी आप रिन्युअल करते हैं। डेड रेन्ट की बकाया हो सकती है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन रॉयल्टी और सेल्स टैक्स की भी बकाया है और फोर्थ बकाया है। मैंने जो प्रश्न पूछा है एरियर्स के बारे में और आपने जो उत्तर दिया कि 2,25,000 के एरियर्स स्टेण्ड करते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि आप इनके लाइसेन्स कैन्सिल करदें। क्यों नहीं आप इनके लाइसेन्स कैन्सिल करते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संकट के समय इतनी बकाया रखना उचित नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार इस बात का तो उत्तर दे कि जिनके प्रति ड्यूज हैं उनका रिन्युअल नहीं किया जायेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : 88 हजार की बकाया है और आप कहते हैं कि डेड रेण्ट है। तो आप क्या डेड रेन्ट वसूल नहीं कर सकते ? क्या आपने कुछ बकाया माफ भी की है ?

श्री जुझारसिंह : कोई बकाया माफ करने का प्रश्न नहीं आता। एक्शन लेने का प्रश्न भी 31 मार्च के बाद ही आयेगा। आप यह मान रहे हैं कि सारी की सारी बकाया वसूल नहीं होगी, वह सही नहीं है। रॉयल्टी तो जितना माल निकलता है उस पर असेस की जाती है। जब वह असेस हो जायेगी तब ही वसूली का प्रश्न आयेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मनोहर लाल !

Page No 12

(12)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : नो मोर गाऊ। क्लोज्ड।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनार्दनसिंह गहलोत तो एम. एल. ए. हैं, उनकी तो बकाया आप उनकी तनख्वाह में से भी काट सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एम. एल. ए. की तो तनख्वाह से कट सकती है। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश

285. श्री मनोहरलाल गुप्ता (कामा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 1 अप्रेल, 1971 से लेकर अब तक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा किस-किस प्रकार के आदेश, कब-कब और क्यों-क्यों प्रसारित किये गये ? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) यह आदेश राज-पत्र में कब-कब प्रकाशित हुए हैं ? कृपया इनकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

खाद्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : (1) वांछित तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) प्रश्न के भाग एक के लिये प्रस्तुत तालिका के कालम 3 में वांछित सूचना अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री मनोहरलाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूची मुझे मिली है। इस सूची में चने के ले जाने पर राजस्थान से बाहर कोई पाबन्दी नहीं बतायी गयी है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 20 अप्रेल, 1973 को प्यारासिंह सरदार बामनबाड़ी का निवासी था, वह अपने खलिहान से गांव को चना ले जा रहा था। चने की उस तारीख में कोई पाबन्दी नहीं थी राजस्थान से ले जाने की, लेकिन इसके बावजूद भी थानेदार ने उससे 500 रुपये मांगे और यह 500 रुपये नहीं देने से वह खलिहान से अपने गांव को ले जा रहा था राजस्थान से राजस्थान में ही और उसको गोली मार दी गयी। आज तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। दर्ज बाद में हुआ तो उसकी तफतीश दबा दी गयी और इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर और अलवर जिले में प्रगतिशीलता के नाम पर लोगों के खिलाफ चने ले जाने पर झूठे मुकदमे बनाये गये हैं और वह आज तक पैन्डिंग है।

एक बात मैंने मंत्री महोदय से और निवेदन किया था·······

श्री अध्यक्ष : You ask your supplementary.

श्री मनोरहलाल गुप्ता : चने पर कोई पाबन्दी नहीं थी इसके बावजूद भी आदमी को गोली मार दी गयी। मुकदमा चल रहा है। इसके साथ ही एक बात और निवेदन कर दूं कि गेहूं को लाने ले जाने पर राजस्थान की राजस्थान में कोई पाबन्दी नहीं है, काश्तकार ला सकता है और इसके बावजूद भी काश्तकारों का डीग और कामां में उनका गेहूं सड़क पर सड़ रहा है। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में ला चुका हूं। इस तरह की गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि वह दिन आयेगा कि उस गोली का सामना आपको भी करना पड़ेगा।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सीधा आशय यह था कि 1 अप्रेल, 1973 से अब तक कितने आदेश गवर्नमेन्ट ने निकाले। वह सूची मैंने आपके सामने रखी है। यह आपने अलग से कहा इसकी जानकारी तो इस समय इस सम्बन्ध में देना बहुत मुश्किल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि आपने सूची रखी है इसमें बताया है कि 30 अक्टूबर, 1973 को दूध की कमी के कारण से मावा बनाने पर पाबन्दी लगा दी और यह भी बताया है कि 1-11-73 को आपने संशोधन कर दिया और 7-12-73 को मावा बनाने के इस आदेश को आपने वापिस ले लिया। तो क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गयी 3 महीनों के अन्दर दूध के मामले को लेकर जिसके कारण से आपने दिनांक 30-10-73 को मावे पर रोक लगाई थी और वह 7-12-73 को वापिस ले लिए ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का का जवाब मुश्किल है। आपने सूची मांगी थी और वह मैंने प्रस्तुत कर दी है। अब अलग-अलग कैस के बारे में रेफरेन्स करेंगे तो उसकी सूचना इस समय देना कठिन होगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह माना जाये कि आपके पास में कोई कारण नहीं थे और मावे की पाबन्दी को वापिस लेने के कारण ऐसे हैं जो सदन में आप नहीं बता सकते ?

श्री शिवचरण माथुर : यह बिलकुल गलत है। इस प्रश्न का आशय केवल कौन-कौन से आदेश 1 अप्रेल, 1973 से निकाले थे यह था और वह मैंने निवेदन किया था। अब हर एक अलग-अलग केस में तो जवाब बिना नोटिस के नहीं दिया जा सकता। मेरा निवेदन केवल यह है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मावे का प्रश्न तो ऐसा है कि दूध की शॉर्टेज के कारण से मावा बनाने पर पाबन्दी लगाई और वह शॉर्टेज आज भी चल रही है और उस समय भी चल रही थी। क्या मावे के स्थान पर माया का जाल बिछ गया या क्या है ? आप जवाब नहीं दे सकते तो क्या यह सही माना जाये कि आपके पास वैध कारण नहीं थे और दबाव के कारण से आपने यह पाबन्दी हटा दी और आज भी दूध के भाव 2 रुपये से 3 रुपये तक हो गए हैं और जनता ग्रसित है और पीड़ित है और राज्य सरकार ने अपने आदेशों से खुली छूट दे दी। एक बात और है....

श्री अध्यक्ष : The supplementary should arise from the original question.

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बतायें कि यह आदेश इस तारीख को निकाले और इस तारीख को वापिस ले लिये तो क्या अध्यक्ष महोदय उनको जानने के लिए माइक्रोस्कोप निकालना पड़ेगा या रिसर्च करना पड़ेगा कि यह आदेश क्यों लगाये और क्यों वापिस लिये ?

श्री अध्यक्ष : You ask a seperate question.

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय खाद्य मंत्री जी क्या फिर कम्प्युटर का काम करेंगे कि यह-यह आदेश निकले । आखिर हम उनसे इन्टेलीजेन्ट आन्सर चाहते हैं ताकि जनता को पता लग सके कि क्यों प्रतिबंध हटाया और क्यों लगाया ?

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि आपने लिखा है अधिसूचना 28-5-73 सरप्लस जोन के उत्पादक निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं संग्रह करने पर छूट है और फिर आपने अमेन्ड किया और 15-6-73 को फिर संशोधन किया और इसके बाद फिर संशोधन किया और 10-7-73 को और संशोधन किया तो यह संशोधन का जो बहुत बड़ा प्रभाव आया है मैं जानना चाहूंगा कि यह सरप्लस जोन के उत्पादक निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं संग्रह करने पर छूट की तिथि आपने जो रखी थी उसको लेकर 28-5-73 से बढ़ाते बढ़ाते 31-7-73 तक ले गए तो क्या इसका कारण मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का आशय मैंने निवेदन किया और कोई स्पेसिफिक केस के लिए आप प्रश्न करते हैं तो उसका विस्तार से उत्तर देने वाली बात सामने आती थी लेकिन माननीय सदस्य ने अभी मावे पर पाबन्दी लगाने वाली बात कही तो जब मावे पर पाबन्दी लगाई गयी थी तो उस समय स्थिति यह थी कि दूध की कमी थी और दूध के भाव काफी ऊंचे थे । तो आवश्यकता को देखते हुए पाबन्दी लगाई और उसके बाद दो तीन महीने के बाद में सब जिलों के जिलाधीशों से जानकारी चाही गयी तो उसके अन्दर यह मालूम पड़ा कि उसके बाद में स्थिति ईज हो गयी इसलिए उस पाबन्दी को हटा ली गयी । और जहां तक आदेशों का सवाल है तो आदेश कई जगह बदले भी और दुबारा भी लगाये हैं लेकिन जो भी आवश्यकता समझी गयी उसमें परिवर्तन किये गये । हर एक के सामने सूची के अन्दर कारण भी बताये गये हैं और इसमें छिपाने वाली बात कौनसी है और सदन में नहीं कहने वाली बात कौनसी है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : 27-12-73 को जो भाव थे वह कम नहीं हुए । आज भी दूध का भाव 2 रुपये और 2½ रुपये तक है और 30-10-73 को इससे ज्यादा ही भाव थे कम नहीं थे । तो यह कहना कि दूध के भाव सस्ते हो गए यह सदन को गुमराह करने का प्रश्न नहीं है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : इस समय तो जानकारी नहीं है । आपके पास जानकारी है यदि आप मुझे मौका दें तो मैं भी जानकारी कर लूंगा ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने विभिन्न समय में विभिन्न निर्णय लिये। एक तो राज्य सरकार ने निर्णय लिये और इसके बावजूद विभिन्न जिलों के जिलाधीशों ने राज्य सरकार के निर्णयों के विपरित दूसरे निर्णय ले लिए तो क्या उनको अधिकार था कि वह अलग अलग नीति अपना सकें ?

दूसरी बात यह है कि कई कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में पार्टीज गयीं और उनके खिलाफ में नियमों के विरुद्ध फैसले हुए और उन पार्टीज ने राजस्थान के बाहर चाहे जो हो या चना हो बाहर भेजते रहे वह चाहे कोटा की पार्टी हो या और दूसरी जगह की हो। फूड मिनिस्टर ने दूसरे दिये और तत्कालीन मंत्री ने अलग दिये और ऐसे कानून के विरुद्ध हाईकोर्ट में पार्टीज जाती हैं वह पार्टीज तो बाहर ले जा सकती हैं लेकिन सीधे नहीं ले जा सकते। तो क्या राज्य सरकार ऐसे मामलों को लेकर भी नीति निर्धारित नहीं करती जो कि सब के साथ एक सा व्यवहार हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो भाषण हो गया, मेरा तो एक छोटा सा प्रश्न है उसका मंत्री महोदय उत्तर दे दें। क्या राजस्थान विधान सभा में जो दूध दिया जाता है उसकी बोतल की कीमत 25 पैसे नहीं बढ़ गई है। मैं तो यह सीधा सा प्रश्न पूछता हूं। मावे पर रोक लगाने का प्रश्न क्यों नहीं पैदा होता है।

श्री शिवचरण माथुर : कीमत बढ़ गढ़ गई है इसमें कोई दो राय नहीं है···

श्री मनोहरलाल : माननीय अध्यक्ष, मंत्री महोदय यह बतावें कि जो मावे पर प्रतिबन्ध लगाया और फिर हटा दिया तो क्या उनको मालूम है कि भारत के अन्य राज्यों में अप्रेल से लेकर जुलाई-अगस्त तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। यहां पर जो आपने प्रतिबन्ध लगाया और हटा दिया तो इस सम्बन्ध में जो माननीय लोढ़ा साहब का आरोप है कि मावे वालों से मिल कर उनसे पैस लेकर यह सब किया गया है। पैसा मिल जाय तो आदेश उठा लें और पैसा नहीं मिले तो लगा दें क्या यह आरोप सही नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : जिस समय आवश्यकता समझी गई पाबन्दी लगाई गई और जब आवश्यकता नहीं समझी ता पाबन्दी हटा ली····

(शोरगुल-अश्रव्य)

सरकार पर जो यह आरोप लगाया जाता है कि पैसा लेकर यह सब कुछ किया गया, यह गलत आरोप है, इसका कोई आधार नहीं है। दूसरे माननीय मीठालालजी ने यह कहा कि अलग 2 जिलाधीशों ने कानून का अलग 2 तरीके से इण्टरप्रिटेशन किया है अलग 2 जिलों में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई स्पेसिफिक केस बतायेंगे तो उसके अनुसार उसकी जानकारी की जा सकती है लेकिन इस प्रकार जनरल स्टेटमेंट दे देने से मालूम नहीं हो सकता ······

श्री मीठालाल : मैं तो यह पूछता हूं कि सरकार के आदेश को बदलने का उनको अधिकार है क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : कानून बदलने का अधिकार नहीं है लेकिन....

श्री मोठालाल : राज्य सरकार के नियमों को बदलने का अधिकार है क्या, यह बताइये।

श्री शिवचरण माथुर : जो कुछ भी कानून के अन्दर उनको अधिकार है उसके अन्तर्गत उनको कार्यवाही करने का अधिकार है लेकिन नियमों को बदलने का अधिकार नहीं है। अब कौन से स्पेसिफिक मामलों में कहां क्या किया है यह तो देख कर ही कहा जा सकता है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नो फरदर क्वश्चन। नेक्स्ट, श्री सुरेशचन्द !

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री भगराज चौधरी !

जालौर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

286. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973-74 में कुछ जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ? यदि हां, तो वे कौन कौनसी हैं और उन्हें स्वीकृत करने के क्या आधार हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर जिले की भीनमाल तहसील के खारे पानी के गांव कोटड़ा, मोरवातरा, सेवाड़ा, सोतरू, कूड़ा, करवाड़ा, दांतवाडा में मीठे पानी की व्यवस्था हेतु करीब दो वर्ष पूर्व क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बना ली गई थी ? यदि हां, तो इसे अब तक स्वीकृत क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार अब इसे शीघ्र स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। योजनाओं की स्वीकृति ग्राम की समस्या व धन की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

(2) सिर्फ क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दांतवाडा, कोटड़ा, करवाडा जिसकी लागत 4.71 लाख रु. है, बनाई गई है। योजना की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो वित्तीय वर्ष 73-74 में जल प्रदाय योजनाएं स्वीकार की वे किस आधार पर की ? किस प्रायोरिटि पर स्वीकृत की है जबकि दूसरी योजनाएं काफी लम्बे समय से विचाराधीन हैं, उनको स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि जहां तक जालौर जिले का सवाल है चौथी पंचवर्षीय योजना में जालौर जिले

(श्री चन्दनमल बैद)
में कुल 24 जल प्रदाय योजनाएं 145 गांवों के लिए थीं जिनकी कीमत 1 करोड़ 82 लाख 85 हजार रुपये की। इसी तरह से 72-73 में जालौर जिले में 17 जल प्रदाय योजनाएं थी 116 गांवों की 1 करोड़ 55 लाख 53 हजार रुपये की जो स्वीकृत की गई थी। इस साल जालौर जिले के लिए अधिक प्रावधान नहीं होने के कारण माननीय सदस्य यह मान कर चल रहे हैं कि जालौर जिले की समस्या को नजरन्दाज कर रहे हैं। बल्कि स्थिति यह है कि हमारे पास धन की कमी है और इसी कारण अधिक प्रावधान नहीं रखा जा सका है। जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसके पहले 1 करोड़ 55 लाख 53 हजार की योजना 72-73 में रखी जा चुकी हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल मिला कर 1 करोड़ 82 लाख 85 हजार की योजनाएं स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए जालौर जिले को इग्नोर करने का सवाल नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : मेरा प्रश्न केवल यह है कि जो जल प्रदाय योजनाएं राजस्थान के लिए स्वीकृत की जाती हैं उसको स्वीकृत करने का क्या कोई आधार बना हुआ है जिसके आधार पर सरकार उनमें से योजनाएं स्वीकार करना ठीक समझती है। यह निहायत जरूरी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री महोदय यह बतावें कि जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत करने की प्रायोरिटि के लिए क्या कोई आधार बना हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जल समस्या सारे राजस्थान में विषम है और इस वास्ते यह कहना कि चूंकि आपके यहां की योजना स्वीकार कर ली इसलिए तो वहां स्थिति विषम है और जहां की योजना स्वीकार नहीं हुई वहां स्थिति विषम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी रीजनल बैलेंसेज, इम्बैलेंसेज और जितने वित्तीय साधन उपलब्ध हैं उनको देखते हुए योजनाएं स्वीकार करते हैं। जालौर जिले के लिए जैसा मैं कह चुका हूं कि करीब दो करोड़ की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार की गई और 72-73 में एक करोड़ 55 लाख के करीब की योजना स्वीकार की गई। इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि वहां कोई पक्षपात किया है। इस वर्ष तो केवल एक करोड़ भी नहीं बल्कि 70 लाख की ही योजना स्वीकार की गई है और उस 70 लाख में से एक जिले में ही नहीं, आठ दस जिलों में कहीं दो लाख, कहीं पांच लाख, कहीं कुछ स्वीकार किया गया है। वह लिस्ट मैंने आपको दे दी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपके यहां चूरू जिले में सबसे ज्यादा है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : चूरू जिले में सिर्फ दो योजनाएं, एक 27 हजार की और दूसरी 64 हजार की स्वीकृत हुई हैं...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मीठालाल : मैं चैलेंज करता हूं कि चूरू जिले में सबसे ज्यादा खर्च किया है।

श्री चन्दनमल बैद : चैलेंज करते हैं यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है और जो दूसरे चैलेंज कर चुके हैं उनसे भी सलाह कर लिजिए पहले। 74-75 की योजना में बता रहा हूं…

श्री मीठालाल : मैं 73-74 की बात कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : इसका आप प्रश्न पूछेंगे तो फिर जवाब दूंगा।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुरेशचन्द्र !

नगरपालिका कोटपूतली द्वारा अवाप्त भूमि

287. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका कोटपूतली द्वारा राष्ट्रीय मार्ग पर आबादी हेतु जमीन अवाप्त कराई गई है, यदि हां, तो यह कितनी जमीन है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त जमीन का फैसला पालिका के पक्ष में दिया गया था तथा जमीन के मालिक को मुआवजा भी दिया जा चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर पालिका ने कब्जा भी ले लिया है तथा कुछ जमीन को नीलाम भी कर दिया है ?

(4) क्या यह सही है कि इस जमीन में से कुछ जमीन छात्रावास के लिए देने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो छात्रावास की वित्तीय व्यवस्था तथा निर्माण हेतु क्या प्लान पेश किया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) चाह पीथावाली की भूमि खसरा नं. 260, 261, 263, 266, 267, 268 व 343 की 16 बीघा 19 बिस्वा भूमि टैलीग्राफ ऑफिस एवं आबादी विस्तार के लिए अवाप्त की गई थी।

(2) जी हां। मुआवजे की राशि पालिका ने दिनांक 3-9-70 को भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटपूतली के पास जमा करवाई थी।

(3) जी हां।

(4) जी हां। छात्रावास की वित्तीय व्यवस्था तथा निर्माण हेतु कोई प्लान पेश नहीं किया गया।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब छात्रावास का कोई प्लान नहीं है और कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है, फिर भूमि किस प्रकार दी गई है जबकि हाई कोर्ट में नगरपालिका के पक्ष में निर्णय हुआ है कि यह जमीन नगरपालिका को दी जानी चाहिए और फिर भी इसके उपरान्त भी किस आधार पर जमीन नगरपालिका से लेकर दूसरे लोगों को दी जा रही है। क्या राज्य सरकार जिस आदेश के अन्तर्गत नगरपालिका ने मुआवजे की राशि नगरपालिका में जमा कराई है उसके तहत दुबारा नगरपालिका को जमीन संभलाने का विचार रखती है ?

Page No 19

(19)

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं। यह जमीन जो अवाप्त की गई है उसमें से कुछ भूमि छात्रावास निर्माण के लिए 3 बीघा 19 बिस्वा जो जमीन के मालिक ने पहले ही दान में छात्रावास को दे दी है, सरकार ने यह मान कर कि यह समझा जाय कि भूमि अवाप्त ही नहीं की गई है यह जमीन छात्रावास को दे दी जावे और बाकी भूमि का आवंटन नियमानुसार कर दिया जावे जिसके लिए प्लान मुख्य नगर नियोजक की अनुमति प्राप्त करके भूमि का सार्वजनिक रूप से नीलामी द्वारा विक्रय करने का निर्णय सरकार ने लिया था और 20-7-70 को नीलामी की कार्यवाही की गई थी।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : बड़ा अजीब जवाब दे रहे हैं। यहां पर नीलामी की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं है....

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात सुनिए। वह जमीन....

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : पहले आप मेरे प्रश्न को समझिए। मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सही है कि गजट नोटिफिकेशन हो जाने के बाद, अखबारों की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद, यह दान पत्र दिया गया है जो अवैध है, कानून की निगाह में जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। तो क्या यह सही है कि छात्रावास का कोई प्लान भी नहीं है, जैसा कि आपने स्वयं ने माना है, फिर भी उसको जमीन दे दी गई है, जबकि अगर यह जमीन नगरपालिका के पास रहे तो इससे नगरपालिका को लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जमीन जिसके बारे में प्रश्न है तीन बीघा 19 बिस्वा जमीन सरकारी सूचना के आधार पर, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि 3 बीघा 19 बिस्वा जमीन, यह मान कर कि इस संस्था को उस भूमिधर खातेदार द्वारा दान-पत्र द्वारा दे दी गई है, दान में दी हुई मानी जाकर, जो भूमि अवाप्त की गई है उस कार्यवाही में इसको न मान कर यह जमीन छात्रावास को दे दी जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : छात्रावास का कोई प्लान नहीं है, वित्तीय व्यवस्था नहीं हैं तो फिर काहे के लिए यह जमीन दे रहे हैं।

(विराम)

जब छात्रावास का कोई प्लान नहीं है और वित्तीय व्यवस्था भी नहीं है तो फिर छात्रावास का नाम लेकर उस जमीन का ...

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : केवल अधिकारियों ने जो लिख कर दिया है उसको ही आप बार-बार पढ़ रहे हैं। मैं सवाल यह पूछ रहा हूं कि दान-पत्र द्वारा जमीन का कब्जा देने की कार्यवाही की गई है वह लीगली अवैध है, कानूनी हो नहीं सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक बार और समझाइये।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझा हुआ हूं अच्छी तरह से। जो सूचना मेरे पास है उसके आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जमीन 3 बीघा और 19 बिस्वा खातेदार द्वारा छात्रावास के निर्माण हेतु दान में दी गई है....

(व्यवधान–शोरगुल--अश्रव्य)

बात तो सुनिए, बिना मतलब बोल रहे हैं। उसके बाद में इसकी कार्यवाही हुई है। सरकार के पास यह मामला आया तो सरकार ने यह मान कर कि 3 बीघा 19 बिस्वा जमीन खातेदार द्वारा इस संस्था को दान में दी हुई है, यह मान कर छोड़ दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत नोटिस कब निकला और दान-पत्र कब एक्जीक्यूट किया गया। इन दोनों की तारीखें आप बतला दीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए कि स्थिति क्या है ?

श्री रामनाराण चौधरी : सरकार जो बता रही है वह गलत साबित नहीं हो सकता है। आप टेक्नीकली फंसाने की बात कह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लैण्ड एक्वीजीशन का नोटिस कब निकला और उसके बाद या पहले दान-पत्र कब एक्जीक्यूट हुआ उनकी तारीखें बतला दीजिए दान-पत्र पहले किया गया है तो ही वह वैध है। तारीखें आपके पास नहीं हैं और विभाग आपको गुमराह कर रहा है और आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी: दान-पत्र कभी भी हुआ हो। आप यह मान लीजिए कि दान-पत्र बाद में हुआ है और सरकार ने यह माना है कि यह पब्लिक इन्टरेस्ट में है। यह छात्रावास के हित में है और भूमि एक्वायर हो गई तो सरकार को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मीठालाल !

(शोरगुल)

श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर सरकार कोई पब्लिक इन्टरेस्ट में यह समझती है कि वहां पर छात्रावास बनेगा तो कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। पब्लिक इन्टरेस्ट का वाइड स्कोप है और सरकार कई तरीके से रास्ता निकाल सकती है और जिम्मेदारी से अलग हो सकती है। लेकिन प्रश्नकर्त्ता ने यह कहा है कि एक तो हाईकोर्ट का फैसला है और उस फैसले के अनुसार म्युनिसिपैलिटी को यह जमीन सुपुर्द कर दी गई है। क्या यह ठीक है। ठीक है तो हाईकोर्ट के फैसले के अन्दर सरकार ने क्यों इन्टरफीयर किया है। यदि यह इन्टरफीयर पब्लिक इन्टेरस्ट में किया है तो ठीक है नहीं तो फिर भू-स्वामी ने छात्रावास के हितमें इसका दान-पत्र किया है तो उसकी वेलीडिटी की जांच करने के लिए माननीय जनसंघ दल के नेता और प्रश्नकर्त्ता ने जो आपके सामने प्रश्न रखा है, क्या इन परिस्थितियों में मंत्री महोदय इस

(श्री लक्ष्मणसिंह)
सम्बन्ध में छात्रावास को जमीन देने के सम्बन्ध में पुनः जांच कराएंगे। जो जानकारी अब यहां सदन में प्राप्त हुई है उसके आधार पर जांच की जाएगी और पब्लिक इन्टरेस्ट में कह कर इस प्रश्न को डिस्पोज आफ नहीं करेंगे ?

श्री **रामनारायण चौधरी** : यह जमीन 3 बीघा और 19 बिस्वा है और भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने 24-9-71 को यह आदेश दिया था कि दान की गई भूमि पर छात्रा-बनाया जा रहा है इसलिए इसको अवाप्ति की कार्यवाही से मुक्त किया जाए। स्वतन्त्र पार्टी के नेता महोदय ने इस प्रश्न को छात्रावास के हित में उठाया। छात्रावास की इस मांग को:, यदि छात्रावास बाकायदा नियमानुसार रजिस्टर्ड संस्था है, उसकी फाइनेन्शियल स्थिति ऐसी है कि वह छात्रावास वहां पर बना सकेगी और छात्रावास के बनने में और उसके बाद आवास करने में किसी जात-पांत का, कोई भेदभाव न होगा। सरकार इन सब बातों को देखेगी और यदि इनकी पूर्ति न होगी तो सरकार यह निर्णय कर सकती है कि इसको अवाप्त किया जाय। इस निर्णय पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है। सरकार द्वारा संस्था को पाबंद किया जायगा कि वह नियमों का पालन करे, अपने साधन जुटाए और उसके बाद ही इस जमीन को नियमानुसार उसको हैण्ड ओवर किया जाएगा।

श्री **सुरेशचन्द्र शर्मा**: सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा यह जो आदेश दिया गया है वह तीन साल पहले का है और आज तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। संस्था के पास कोई पैसा नहीं है। पास ही 60 बीघा और जमीन है जिस पर कि छात्रावास बन सकता है। दानदाता इस जमीन को नगर पालिका को देना नहीं चाहता था इसलिए यह कार्यवाही की गयी है।

श्री **रामनारायण चौधरी** : अब यह जमीन दानदाता के पास नहीं रहेगी। संस्था के जो रूल्स और बाईलॉज हैं वे लिए जाएंगे और उसके बाद ही अग्रिम कार्यवाही होगी।

श्री **सुरेशचन्द्र शर्मा** : यह कार्यवाही कब तक होगी। तीन साल तो हो गये हैं। संस्था के पास न तो पैसा है, न संस्था के द्वारा अब तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। कृपया बतावें कि कब तक करवा देंगे।

श्री **रामनारायण चौधरी**: मैं इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कराने की कोशिश करूंगा।

श्री **सुरेशचन्द्र शर्मा** : यह तो गोलमाल जवाब है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मीठा लाल !

शराब की अवैध दुकानें

288. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य भर में शराब की अवैध दूकानों को हटाने के आदेश जारी किये थे ? यदि हां तो अब तक कितनी दूकानें हटाई गई हैं ?

(श्री मीठालाल)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए आबकारी विभाग के अधिकारियों ने वर्जित स्थानों पर शराब की दूकानें कायम रखने तथा नई दूकानें खोलने हेतु लाइसेन्स जारी किये हैं ? यदि हां तो क्या सरकार आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उक्त दूकानों को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री आबकारी (श्री जुझारसिंह): (1) जी नहीं। कानूनी तौर पर बिना लाइसेन्स के कोई शराब की दूकान नहीं चलती है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अवैध दूकानों के बारे में चर्चा होती है। धार्मिक स्थानों, मन्दिरों और स्कूलों के पास ये दूकानें चल रही हैं। आपने इस बारे में निर्णय लिया है लेकिन आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है और ये दूकानें अधिकारियों की मिलीभगत से वहां पर चल रही हैं। उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जुझारसिंह : अवैध दूकानें तो वे होती हैं जो बिना लाइसेन्स के चल रही हों उन पर कार्यवाही की जाती है। आप दूसरी तरीके का प्रश्न पूछते तो जवाब देते ?

श्री फूलचन्द जैन : प्रश्न के भाग 2 में यह स्पष्ट रूप से पूछा गया है। आपने यह कहा है कि पब्लिक प्लेसेज में, पब्लिक इन्टेरस्ट में जहां पर भी ऐसी दूकानें होंगी उनको वहा से हटा लिया जाएगा। अगर ऐसे स्थानों पर शराब की दूकानें हैं तो उनको हटाने के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : जहां-जहां के लिए लाइसेन्स दिए हुए है वहीं पर ये दूकानें खुली हुई है दूसरी जगहों पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री निरंजननाथ आचार्य !

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहनराज : इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री निरंजननाथ आचार्य !

स्थगित प्रश्न
(5-3-74)

ग्राम पंचायत मावली के अधिकार क्षेत्र की भूमि

42. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, मावली के अधिकार क्षेत्र में स्थिति भूमि को हलके आबादी में देने हेतु पचायत को सुपुर्द करने की कार्यवाही मावली

Page No 23

23

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
तहसील के माध्यम से आरम्भ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि जिस जमीन को हलके आबादी में देने हेतु कार्यवाही की जा रही है उस पर कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है ? यदि हां तो किन किनने और कब कब और कितनी जमीन पर ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) ग्राम पंचायत मावली के अधिकार क्षेत्र में स्थित रकबा 42 बीघा 17 बिस्वा जमीन है उसको आबादी में देने की स्वीकृति लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट द्वारा दी जा चुकी है। आराजी नं. 637 जिलाधीश के आदेश से आबादी में दी गई है।

(2) यह सही है कि इस जमीन को आबादी में देने से पहले तीन व्यक्तियों का संलग्न सूची के अनुसार अनधिकृत आधिपत्य इस पर था, जिन पर कार्यवाही चल रही है। आबादी में विस्तार हेतु देने के पश्चात् 7 और व्यक्तियों ने और अनधिकृत आधिपत्य किया जिसकी सूची संलग्न है इनके खिलाफ पंचायत स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सूची मुझे नहीं मिली है। कृपया आप इनके नाम बता दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : नाम बताने से व्यर्थ ही सदन का समय जाया होगा। मैंने यह सूची सदन की मेज पर रख दी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास नहीं पहुंची है।

श्री परसराम मदेरणा : तो बता देता हूं।

तीन आदमियों के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं सेक्शन 91 के तहत वे हैं:—

अम्बालाल महाजन, ख्यालीलाल खारवड़ और मीठालाल वजोड़। पंचायत के स्तर पर जो कार्यवाही हो रही है, वह सात व्यक्ति ये हैं:—

(1) ओंकार

(2) गिरवर राजपूत

(3) किशनसिंह

(4) रामलाल धोबी

(5) जगन्नाथ धोबी

(6) लालूराम सुनार और

(7) वरधीसिंह राजपूत

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चांदमारी क्षेत्र

276. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रस्तावित फौजी चांदमारी क्षेत्र तहसील लूणकरणसर के सम्बन्ध में सम्बन्धित पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद् एवं समस्त राजनैतिक दलों ने एक स्वर से विरोध व्यक्त किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित क्षेत्र दुधारु राठी नस्ल की उत्तम गायों तथा अच्छी ऊन पैदा करने वाली भेड़ों का क्षेत्र है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में उपरोक्त राष्ट्रीय महत्व की पैदावार से भी सरकार को वंचित रहना पड़ सकता है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र को चांदमारी क्षेत्र घोषित न करने हेतु पुनर्विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यदि क्षेत्र चांदमारी हेतु सुरक्षित कर खाला करवा लिया जाता है तो उस क्षेत्र में फसलें पैदा नहीं हो सकेंगी।

(4) यह मामला केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र का है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम बांधनूं (नोखा) की वाटर सप्लाई स्कीम

215 श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील नोखा, जिला बीकानेर के ग्राम बांधनूं की वाटर सप्लाई स्कीम चालू है ? यदि हां, तो कब से ? तथा इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

)2) क्या यह सही है कि ग्राम बांधनूं में पाइप लाइन बिछा दी गई है ? यदि हां, तो आज तक घरों में कितने कनेक्शन दिये गये ? यदि नहीं दिये गये, तो कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 16-12-72 से योजना आंशिक रूप से चालू है। यह योजना दिनांक 24-11-71 को 87 हजार रु. के लिये स्वीकृत की गई थी व दिनांक 2-11-73 को 1,71,400 रु. के लिये रिवाइज स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) जी हां घरों में अभी कनेक्शन नहीं हुए हैं। नियमानुसार आवेदन प्राप्त होने पर व फिटिंग इत्यादि होने के उपरान्त कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

शराब के ठेकेदारों में बकाया

216. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले पांच वर्षों से राज्य के शराब के ठेकेदारों में कितनी रकम बकाया है ? वर्षवार बकाया रकम के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सरकार ने बकाया रकम की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(3) क्या यह सही है कि कई ठेकेदारों के खिलाफ बकाया राशि के बावजूद भी उनके ठेकों का नवीनीकरण किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम मय पते के प्रस्तुत करने की कृपा करें । ठेकों के नवीनीकरण किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में राज्य में शराब के ठेकेदारों में वर्षवार बकाया के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	बकाया रकम
1968–69	52,54,296.52
1969–70	29,72,985.31
1970-71	25,87,340.58
1971–72	1,55,553.95
1972–73	3,72,811.65
योग:—	1,13,42,988.01

(2) सरकार द्वारा बकाया रकम की वसूली हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 10 के अधीन वसूली सम्बन्धी शक्तियां प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी को अधिसूचना राजस्व (ख) विभाग क्रमांक 6 (45) राज (ख) 71, दिनांक 13-7-1971 द्वारा दी गई थी, उसके अनुसार जो वसूली के मामले जिलाधीशों के पास चलते थे उनको आबकारी अधिकारियों के अधीनस्थ लिए गए । इस विभाग द्वारा जिला आबकारी अधिकारियों को शीघ्र वसूली के निर्देश बाकीदारों या उनके मृत्यु होने पर वारिसों तथा जमीनों व्यक्तियों से वसूली करने हेतु भेजे गए थे । परन्तु दिनांक 25-10-72 को सरकार विरुद्ध बालमुकुन्द व अन्य के केस में उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थगन आदेश प्राप्त होने पर 1962-63 से 1971-72 तक के वर्षों की बकाया की वसूली रुकी हुई है ।

(3) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आबकारी बकाया निकलती हो उसे शराब का ठेका देना नियमों के अन्तर्गत वर्जित है । परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 15-10-1972 को राज्य सरकार विरुद्ध बालमुकुन्द वगैरहा के केस में हाईकोर्ट द्वारा स्थगन आदेश प्रसारित किया जाने की वजह से 1-4-1962 से 31-3-1972 की अवधि तक देशी शराब की दुकानों के ठेकों के बकायादारों को इस प्रकार के ठेके लेने से वंचित नहीं रखा गया है ।

नगरों की ड्रेनेज स्कीम्स

217. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने नगरों की ड्रेनेज स्कीम्स पूर्णतया तैयार हो गई हैं

(श्री अमृतलाल गहलोत)
और कितनों की तैयार हो रही है ? कृपया सूची मय लागत सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) वित्तीय वर्ष 1973-74 में किन किन नगरों की ड्रेनेज स्कीम के लिए कितनी कितनी धन राशि का बजट में प्रावधान है ? उसमें से इस वर्ष कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(3) पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-79) में राजस्थान के किन किन नगरों की ड्रेनेज स्कीम के लिए कितनी कितनी धन राशि व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(4) वित्तीय वर्ष 1974-75 में किन किन नगरों की ड्रेनेज स्कीम के लिए कितनी धन राशि का बजट में प्रावधान है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के निम्न नगरों की ड्रेनेज योजनायें तैयार की जा चुकी हैं ।

1. जयपुर 14.95 करोड़ ।
2 जोधपुर 1.76 करोड़ ।
3 अजमेर 1.345 करोड़ ।
4. बीकानेर 1.18 करोड़ ।
5. कोटा 1 14 करोड़ ।
6. उदयपुर 1.21 करोड़ ।
7 अलवर 66.5 लाख ।
8. टोंक 44.4 लाख ।
9. माउन्टआबू 24.0 लाख ।
10 सीकर 43 5 लाख ।

उपरोक्त योजनाओं में से जयपुर की योजना संशोधित कर इसी वर्ष तैयार की गई है । अन्य योजनाएं पिछले 7 साल में तैयार की गई है अतः इसकी लागत में आज की दरों के हिसाब से भारी वृध्दि होगी ।

(2) वित्तीय वर्ष 73-74 में सीकर की जल विकास योजना के लिए 5 लाख रुपया आवन्टित किया गया था इसमें से 4.58 लाख रुपया फरवरी, 1974 तक खर्च किया जा चुका है व शेष राशि इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करली जायेगी ।

(3) पंचम पंच वर्षीय योजना में सिवरेज व सरफेस ड्रेनेज की योजनाओं के लिए कुल 3.30 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं जिसमें से 2.70 करोड़ रुपये जयपुर नगर में व 0.60 करोड़ रुपये जोधपुर अजमेर व बीकानेर में खर्च किया जाना प्रस्तावित है ।

(4) वित्तीय वर्ष 74-75 में जयपुर के लिए 30 लाख रुपये प्रस्तावित हैं ।

नागौर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

218. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) नागौर जिले में नगरीय, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें कितनी चालू हैं एवं उनसे किन किन नगरों एवं ग्रामों को पानी मिलता है एवं कितनी आबादी को लाभ पहुंचता है तथा इन योजनाओं का वार्षिक बजट वर्ष 1973-74 का कितना कितना था ?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(2) नागौर जिले की कौन कौनसी क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत शुदा हैं, मगर उनका काम धनाभाव के कारण सरकार चालू नहीं कर सकती है ?

(3) नागौर जिले की कौन कौन सी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें सर्वे हुई हैं लेकिन स्वीकृति हेतु पेन्डिग है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जितनी भी स्वीकृत शुदा योजना हैं वो या तो चालू की जा चुकी हैं या निर्माणाधीन हैं ।

(3) नागौर जिले में बनाई गई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की सूची संलग्न है । इन योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है।

(सूची बिस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सेल टैक्स से आय

219. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में सेल टैक्स की आय 1970-71, 1971-72, व 19/2-73 व 1973-74 में कितनी कितनी हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इसी प्रकार 1970-71 से 1973-74 तक राजस्थान के हर जिलों से सेल टैक्स से कितनी कितनी आय हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ से गत तीन वर्षों में, सेल टैक्स से हुई आय निम्नानुसार है:—

वर्ष	आय (रुपये लाखों में
1970-71	28.84
1971-72	37.39
1972-73	34.77

गत तीन वर्षों में भिन्न भिन्न जिलों से जो सेल टैक्स की आय हुई है उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वर्ष 1973-74 अभी समाप्त नहीं हुआ है अतः इसके अन्तिम आंकड़े जिनका सत्यापन एवं प्रमाणीकरण महालेखाकार द्वारा किया जाता है, अभी उपलब्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बाली तहसील में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल को हानि

220. श्री सज्जनसिंह : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाली तहसील में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल इस वर्ष नष्ट हो गई थी ?

(श्री सज्जनसिंह)

(2) क्या यह सही है कि बाली तहसील में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा खरीफ की फसल की गिरदावरी में सम्पूर्ण खराबा इन्द्राज किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष बाली तहसील में किसानों की लेवी बसूली के नोटिस दिये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बाढ़ में फसल नष्ट होने के कारण किसानों के पास मोटा अनाज उपलब्ध नहीं होने पर भी उनसे बाजार भाव और लेवी की देय रकम का अन्तर नोकड़ पैसों में वसूल किया जा रहा है ? और मोटे अनाज बाजार से खरीद कर लेवी की वसूली बताई जा रही है ?

(स्थगित किया गया)

सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स

221. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स राजस्थान में कहां कहां किस किस योजना के अन्तर्गत और कब कब बनाये गये ? इनमें कितनी कितनी धनराशि किन किन निर्माण कार्यों में खर्च की गई ?

(2) उक्त फार्म्स के नीचे कितनी कृषि भूमि है ? ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(3) आज इनमें से कितने फार्म कृषि विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं और कितने फार्म अन्य विभागों को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं और क्यों ?

(4) उक्त फार्मों में से कौनसे लाभ में चल रहे हैं और कौन घाटे में और किस प्रकार लाभ और नुकसान में प्रत्येक का अलग से विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में बीज गुणन योजना के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा स्थापित किए गए फार्मों की तालिका (क) में दर्शायी गयी है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे फार्मों पर निर्माण कार्यों में खर्च की गयी राशि का ब्यौरा तालिका (ख) में दर्शाया गया है जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) तालिका (क) के कॉलम नं. 3 में दर्शाया गया है।

(3) कृषि विभाग द्वारा कुल 41 फार्म चलाए जा रहे हैं तथा शेष 10 फार्म सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसाकि तालिका (क) में दर्शाया गया है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत दिनांक 2-10-59 को हस्तान्तरित किए गए थे।

(4) कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे फार्मों के लाभ। हानि का विवरण तालिका (ग) में अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई

मंडियों से फीस

222. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की किन किन मण्डियों में राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के अन्तर्गत नियमन लागू किया गया और उन मण्डियों में जनवरी, 1974 के माह में कितनी मण्डी फीस एकत्रित होने का अनुमान है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन किन वस्तुओं पर मण्डी फीस एकत्रित की जाती है ?

(3) खाद्य तेल व शक्कर पर मन्डी फीस क्यों नहीं एकत्रित की जाती ?

(4) मण्डी नियमन को पूर्ण लाभदायक बनाने के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम संख्या में कृषि उत्पादन चाहे प्रोसेस्ड या सेमी-प्रोसेस्ड हो और चाहे उस क्षेत्र में पूर्णतया या आंशिक तौर पर उत्पादित नहीं होता है, मण्डी नियमन के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ?

(5) क्या यह सत्य है कि मण्डी नियमन का एक मात्र उद्देश्य केवल किसानों को लाभ पहुंचाना ही नहीं है परन्तु कृषि उत्पादन का साइन्टिफिक स्टोरेज, एन्टी होडिंग शुद्धता बनाए रखना, आधुनिक नगर नियोजन इत्यादि भी है ?

(6) क्या वर्तमान एक्ट उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति सक्षम है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य की 90 मुख्य मण्डियों एवं 79 गौण मण्डियों में राजस्थान एग्रीकलचर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के प्रावधान लागू किए जा चुके हैं। माह जनवरी, 1974 में विभिन्न मण्डियों एव गौण मण्डियों द्वारा लगभग 32 लाख रुपया मण्डी शुल्क के रूप में एकत्रित किया गया है। मुख्य एवं गौण मण्डियों की सूची तालिका (क) एवं विभिन्न मण्डियों द्वारा माह जनवरी, 1974 में एकत्रित की गयी मण्डी शुल्क की अनुमानतः राशि की सूची तालिका (ख) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम, 1961 के वर्णित कृषि उपजों की सूची तालिका (ग) संलग्न है। उक्त सूची के आधार पर विभिन्न मण्डियों में स्थानीय परिस्थितियों को जांच कर उक्त सूची में वर्णित कृषि उपजों को घोषित किया जाता है। और उन्हीं कृषि उपजों पर मण्डी समितियों द्वारा मण्डी शुल्क एकत्रित किया जाता है।

(3) कृषि जिन्सों की उक्त सूची में शक्कर भी निर्दिष्ट है अतः मण्डी फीस एकत्रित की जा सकती है लेकिन खाद्य, तेल उक्त सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः मण्डी फीस वसूल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(4) वास्तव में नियमनकार्य को पूर्ण लाभदायक बनाने के लिए अधिकतम कृषि उत्पादन को नियमन के अन्तर्गत लाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार ही प्रोसेस्ड एवं सेमीप्रोसेस्ड कृषि जिन्सों का सूची में

(कृषि मंत्री)

समावेश किया गया है उक्त सूची में वर्णित कृषि जिन्सों को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जांच कर नियमन के अन्तर्गत लिया जाता है।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, पिन्डवाड़ा व आबू रोड़ क्षेत्र में काश्तकारों को गेहूँ के बीज का वितरण

223. श्री भूराराम (आबू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की पंचायत समिति पिन्डवाड़ा पंचायत समिति, आबूरोड़ दोनों ही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की समितियां हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने बाढ ग्रस्त क्षेत्र में गेहूं का बीज तकावी से काश्तकारों को वितरण करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो पंचायत समिति आबूरोड के विकास अधिकारी द्वारा कितने काश्तकारों को कितना कितना गेहू या बीज तकाबी से दिया? कितने काश्तकारों को रोकड़ से दिया तथा कितने काश्तकार इस लाभ से वन्चित रहे? कृपया अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें। पंचायत समिति, पिन्डवाडा के विकास अधिकारी ने कितने काश्तकारों को गेहूं का बीज तकावी से वितरण किया तथा कितने काश्तकारों को रोकड़ से वितरण किया गया? तथा कितने काश्तकार इस लाभ से वन्चित रहे? कृपया अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वितरण प्रणाली में कोई दोष रहा है? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(स्थगित किया गया)

गंग कैनाल पर भूमिहीन हरिजनों को भूमि का अलॉटमेन्ट

224. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन 1955 से आज तक गंग कैनाल पर कितने भूमिहीन हरिजनों को कितनी भूमि अलॉट की गई है?

उत्तर

4074 हरिजनों को कुल मिलाकर 3036 एकड़ भूमि अलॉट की गई है।

ग्राम मेनसर तहसील नोखा की बंजड भूमि

225. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम मेनसर में कितने बीघा ऐसी भूमि बन्जड़ बीड सरकारी पड़त पड़ी है।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
जो काबिले काश्त है ? खसरा नम्बर, तादाद बीघा, दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या सरकार उक्त उपजाऊ व काबिल काश्त भूमि को भूमिहीन काश्तकार हरिजनों को व अन्य काश्तकारों को अलाॅट करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम मेनसर में बन्जड बीड की कोई सरकारी पड़त भूमि नहीं है ।

(2) इस ग्राम में जब बन्जड बीड का कोई रकबा ही नहीं है तो भूमिहीन काश्तकारों को कृषि भूमि आवन्टन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में हरिजन परिवारों को भूमि का आवन्टन

226. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में सन 1972–73 में कितनी भूमि कितने परिवारों को आवन्टित की गई है और कितनी शेष है ?

(2) कितने हरिजन परिवारों को व कितने अनुसूचित जन जाति परिवारों को इस में से कितनी भूमि बांटी गई है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम माहोद (अलवर) में भूमि का अलाॅटमैंट

227. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम माहोद तहसील किशनगढ बास अलवर के सर्व श्री सूर्यदेवसिंह सहदेवसिंह तथा वासदेवसिंह के अधिकार में कितनी कितनी भूमि सीलिंग एक्ट बनने के पूर्व में थी ? और उसके बाद में इन्होंने कितनी भूमि खरीदी ? कुल भूमि का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि तहसील किशनगढ बास से सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जमीन लेने हेतु कोई नोटिस जारी हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों ने राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमिहीन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो भूमि अलाॅटमेन्ट की प्रति और अन्य जो प्रमाण–पत्र पेश किए गए हैं की सूची मय प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों को हनुमानगढ में भी भूमि अलाॅट हुई है ? यदि हां, तो किस किस को और कितनी कितनी अलाॅट हुई है ?

उत्तर

(1) ग्राम माहोद तहसील किशनगढ बास जिला अलवर के सर्व श्री सूर्यदेवसिंह

(राजस्व मंत्री)

सहदेवसिंह एवं वासदेवसिंह पुत्र गण श्री बलवन्तसिंह के अधिकार में नये सीलिंग एक्ट 1973 के बनने से पूर्व क्रमश: 50॥) बीघा, 38॥)2 बीघा एवं 33॥)3 बीघा भूमि थी। नए सीलिंग एक्ट के पश्चात कोई अन्य कृषि भूमि भू-अभिलेख निरीक्षक मण्डल किशनगढ बास के किसी भी पटवार के कागजात के अनुसार नहीं खरीदी गई है।

(2) तहसील किशनगढ बास से सर्व श्री सूर्य देवसिंह, सहदेवसिंह एवं वासदेवसिंह को सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कोई नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत वे प्रभावित नहीं होते हैं।

(3) जी हां। सर्व श्री सूर्यदेवसिंह, सहदेवसिंह एवं वासदेवसिंह पुत्र गण श्री बलवन्तसिंह जागीरदार ग्राम दिलावरपुरा जिला झुंझनु के पास जागीर ग्रामों में कोई खुद काश्त की भूमि नहीं थी। अत: उपरोक्त व्यक्तियों ने अपने को गलत रुप से भूमिहीन दर्शाते हुए खुद काश्त भूमि प्राप्त हेतु आवेदन किया था। इन व्यक्तियों के नाम उनके जागीर ग्रामों में खुद काश्त भूमि नहीं होना प्रमाणित होने पर उन्हें भूमि आवन्टित करदी गई है। भूमि अलॉटमेन्ट की प्रतियां परिशिष्ट 'क' एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है। राज्य सरकार इस मामले में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

(4) तहसील हनुमानगढ जिला गंगानगर में निम्नलिखित व्यक्तियों को भूमि आवन्टित हुई है:—

(1) श्री सूर्यदेवसिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह चक 6 एच एम.एच के मुन्सिफ नम्बर 159/263 किला नम्बर 1 ता. 25=25) बीघा नाली प्रथम कीमतन रुपये 10,000) रुपये प्रति मुरब्बा।

(2) श्री सहदेवसिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह चक 8 एच. एम. एच. मु. नं. 156/258 किला नं. 1 ता. 25=25) बीघा नाली प्रथम कीमतन रु. 10,000) रु. प्रति मुरब्बा।

(3) श्री बासदेवसिंह पुत्र बलवन्तसिंह चक 8 एच. एम. एच. के मू. नं. 157/258 किला नं. 1 ता 25=25) बीघा नाली प्रथम कीमतन रु. 10,000) रु. प्रति मुरब्बा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले में सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण रोकने हेतु आदेश

228. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिलाधीश ने आज्ञा संख्या 4160-238 दिनांक 28-9-1972 को सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु आदेश जारी किए थे ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और किस किस ने अनाधिकृत निर्माण कार्य करवाया ?

(2) क्या यह सही है कि अनाधिकृत निर्माण कार्य न होने की दृष्टि से अधिशासी अभियन्ता भवन व पथ से

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
कोई मानचित्र तैयार कराए और तहसीलदार को भेजे ? यदि हां, तो उसमें किन-किन व्यक्तियों ने सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण कर भवन अथवा डण्डा बनाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या उक्त आदेश समस्त जिले पर लागू था ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश, अलवर ने अनधिकृत निर्माण आदि के सम्बन्ध में तैयार नक्शों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? क्या अब यथा शीघ्र कार्यवाही करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

भूतपूर्व नायब तहसीलदार (सूरतगढ़) को पेन्शन का मामला

229. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सहीराम नायब तहसीलदार पद से करीबन बीस साल पहले सूरतगढ़ तहसील, जिला गंगानगर से रिटायर हुए थे ? अगर हां, तो किस तिथि को ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी की अब तक पेन्शन निश्चित नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा उसमें देरी के लिए किस-किस की जिम्मेदारी अब तक निर्धारित की गई है ?

(3) उक्त पेन्शन का मामला किस स्तर पर व कब से विचाराधीन है तथा अब कब तक पेन्शन दिलादी जायगी ?

उत्तर

(1) श्री सहीराम नायब तहसीलदार पद से सेवा निवृत होना नहीं पाया गया है । श्री सहीराम नामक ऑफिस कानूनगो तहसील सूरतगढ़ से 1-4-1955 को सेवा निवृत हुआ था ।

(2) जी हां, यह सही है कि कर्मचारी की पेन्शन अब तक निश्चित नहीं हुई है । पेन्शन केश जिला कार्यालय से महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजा जा चुका है ।

(3) मामला 27-2-1974 को महालेखाकार को भेजा जा चुका है व आशा की जाती है कि माह अप्रेल, 1974 तक पेन्शन केस तय होकर सम्बन्धित कर्मचारी को आवश्यक राशि का भुगतान हो सकेगा ।

भारत-पाक युद्ध के दौरान सीमावर्ती लोगों को फसल का मुआवजा

230. श्री मनफूलराम (केसरीसिहपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारत पाक युद्ध के समय सन् 1971 में सीमावर्ती क्षेत्र में खाली करवाये गये दस किलोमीटर क्षेत्र की फसलों का केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत मुआवजा अभी तक किसानों को क्यों नहीं दिया गया ?

(श्री मनफूलराम)

(2) सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यह मुआवजा अब कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

(3) क्या भारत सरकार से प्राप्त मुआवजे की राशि वापिस भारत सरकार को दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने पत्र संख्या एम. डब्लू. बी./ डी. ओ. आर /71-13, दिनांक 17-12-71 के द्वारा फसल की क्षति के लिए मुआवजा के लिए नीति निर्धारण की है। राज्य सरकार ने फसलों की क्षति का मुआवजा स्वीकृत करने के लिए 2, 56, 12, 809/-रु. के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हैं जिन पर अभी तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं आई है। अब ताकीद की जा रही है।

(2) प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे हुए हैं, जिन पर पत्रव्यवहार चल रहा है वह नहीं कहा जा सकता कि कब तक मुआवजा दिया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति, जसवन्तपुरा के कर्मचारी के वेतन का मामला

231. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की पंचायत समिति, जसवन्तपुरा के एक कर्मचारी श्री रामेश्वर को वेतन चुकाने हेतु मामला पैण्डिग है ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ? तथा कलेक्टर, जालोर एवं संचालक, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान ने इस वैक्सीनेटर के वेतन भुगतान हेतु पंचायत समिति, जसवन्तपुरा एवं अन्य अधिकारियों को क्या-क्या आदेश कब-कब दिये ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। दिनांक 26-10-65 से से 9-7-70 तक का वेतन भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा धनराशि आवंटन न होने से बकाया है। कलेक्टर जालोर तथा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वैक्सीनेटर के वेतन भुगतान हेतु पंचायत समिति, जसवन्तपुरा एवं अन्य अधिकारियों को दिये गये आदेशों की प्रतियां एकत्रित की जा रही हैं।

नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा हरिजनों को प्लाट्स का अलॉटमेन्ट

232. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन 1959 में नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा हरिजनों और पुरुषार्थियों को प्लॉट्स अलॉट किए गए ? यदि हां, तो यह प्लॉट किस वार्ड में किस-किस को किस भाव से अलॉट किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सन 1961 में उपरोक्त प्लॉट्स में से कुछ प्लॉट्स कोलोनाइजेशन और पी. डब्ल्यू. डी.

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
विभाग ने ले लिए ? यदि हां, तो कितने और किस-किस के प्लॉट्स लिए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि 1966 में श्री गुमानसिंह ने जो उस समय प्रशासक, नगरपालिका तथा तहसीलदार रेवेन्यू तहसील, सूरतगढ़ में थे ने उपरोक्त प्लॉट्स की एवज में हरिजनों और पुरुषार्थियों को दूसरे स्थान पर प्लॉट्स का तबादला कर दिया ? यदि हां, तो क्या प्रशासक को ऐसा करने का अधिकार था ? कृपया तबादले में दिए गए प्लॉट्स की संख्या, प्लॉट्स के मालिकों की लिस्ट तथा उनका मूल्य बताते हुये सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि श्री गुमानसिंह ने तहसीलदार तहसील सूरतगढ़ की हैसियत से प्रश्न (3) में वर्णित तबादले में हरिजनों और पुरुषार्थियों को दिए गए प्लॉट्स की रजिस्ट्री सवर्णों के नाम कर दी है ? यदि हां, तो जिन-जिन सवर्णों के नाम रजिस्ट्री की गई उनके नामों की सूची मय प्लॉटों की ली गई कीमत दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रश्न नम्बर 3 में वर्णित तबादले किए गए प्लॉट्स के तबादले की बाकायदा आज्ञा 1971 में कलेक्टर गंगानगर से श्री गुमानसिंह ने प्रशासक के रूप में ली ? यदि हां, तो इतनी देर से यह आज्ञा लिए जाने का क्या कारण था तथा इतनी देर से आज्ञा दिए जाने का भी कारण क्या था ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची के क्रम संख्या 1 से 119 तक पुरुषार्थियों को व 120 से 145 तक हरिजनों को अलॉट किए गए थे।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियां

233. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ? समिति के नामवाइज व पदाधिकारियों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति को आज तक कोई हाउसिंग लोन नहीं, दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) बीकानेर जिले में ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनकी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
हिस्सा पूंजी की धनराशि जमा हो चुकी है? समिति के नाम व पदाधिकारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 14 गृह निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है प्रत्येक समिति के पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी नहीं।

(3) बीकानेर जिले में निम्न गृह निर्माण समितियों की हिस्सा पूंजी जमा हो चुकी है:—

1. शिववाड़ी आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
2. शिववाड़ी जागृति ,, ,, ,,
3. छतरगढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
4. पेमासर ,, ,,
5. सुजानदेसर ,, ,,
6. तेजरासर ,, ,,
7. देवीकुंड सागर ,, ,,
8. चांदी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.
9. मोटावता ,, ,,
10. शेरपुर ,, ,,

पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

गांधी शताब्दी वर्ष में चुने गये ग्राम

234. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में दो-दो ग्राम हर पंचायत समिति में चुने गये थे ? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कौन-कौन सी पंचायत समिति में से दो-दो ग्राम चुने गये थे ? कृपया पंचायत समितिवार ग्रामों के नाम बताने का कष्ट करें।

(2) इन दो-दो चुने गये ग्रामों में पूर्व में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध की और गांधी शताब्दी वर्ष पर उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी गई और अब तक कितनी सुविधाएं देनी बाकी रही हैं ?

(3) बाकी सुविधाओं में से कितनी कब तक उन ग्रामों को उपलब्ध करा दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में ग्रामों का चयन नहीं हुवा था बल्कि रजत जयन्ती वर्ष में प्रत्येक पंचायत समिति से दो-दो ग्रामों का चयन किया गया था। पंचायत समिति वाइज सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अन्य सुविधाएं कम से कम समय में उपलब्ध कराने के लिये प्रयास प्रदेश के साधनों को ध्यान में रखते हुए किये जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

ऋणों की वसूली

235. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचोर के बीज ऋण एवं अन्य ऋणों की वसूली का मतालबा बनाकर तहसील में पटवारियों द्वारा व ली के लिए भेजा गया है ? अगर हां, तो कब व कितनी रकम का तथा वसूली कितने वर्षों की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मतालबे के अनुसार व मुकाबले मूल ऋणव्याज की रकम ज्यादा है अगर हां, ता कितनी व क्यों, अगर नहीं, तो कितनी कम है ? मूल ऋण रकम एवं व्याज साधारण व दण्डनीय ब्याज रकम का ग्राम पंचायतवार नक्शा पिछले सालों की वसूली आदि का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पंचायत समिति के वसूली हेतु मतालबे के अनुसार व्याज सहित किश्तों के मांग-पत्र मतालबा तहसील में भेजने के पूर्व काश्तकारों को नहीं दिए गए थे ? अगर हां, तो क्यों अगर नहीं तो मांग-पत्र देने की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(4) ऋण वसूली में दण्डनीय ब्याज वसूली करने के क्या-क्या आधार हैं ? क्या इन आधारों के अनुसार ही उपरोक्त ऋणों की वसूली में दण्डनीय व्याज वसूल किया जा रहा है ?

(5) क्या यह सत्य है कि अकाल वर्षों की वजह से उक्त पंचायत समिति के ऋणों की वसूली राज्य सरकार द्वारा स्थगित की गई थी ? अगर हां, तो कब-कब एवं कितने सालों की ? क्या स्थगित ऋण वसूलियों के समय का भी व्याज काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो स्थगित वसूली की अवधि का कितना ब्याज कम किया गया है ?

(6) क्या यह सत्य है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पुराने ऋण की वसूली के लिए ज्यादा से ज्यादा दो किश्तों में वसूली मय ब्याज के काश्तकारों से करने के आदेश प्रसारित किए थे ? अगर हां, तो कब ? क्या राज्य सरकार वर्तमान बकाया वसूली के लिए भी यही नीति रखना चाहेगी । अगर हां, तो क्या इस बारे में आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, गोवटी

236. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम गोवटी तहसील दांता रामगढ़ (सीकर) की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कई फर्जी सदस्य हैं अगर हां तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति में 50 हजार रुपये के गबन की

(श्री गोरधनसिंह)

शिकायत गोवटी पंचायत के सरपंच ने की थी अगर हां, तो क्या उक्त समिति की जांच की गई है ? अगर हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(3) गृह निर्माण सहकारी समिति राजस्थान द्वारा तहसील दांता रामगढ़ के किन-किन ग्रामों में हरिजन बन्धुओं को लोन व अनुदान कब-कब किस-किस को दिया गया है। नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति दूदवा तहसील दांता रामगढ़ के खिलाफ अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, अगर हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति कांकरा के खिलाफ चुनाव नहीं करवाने की शिकायत सहायक रजिस्ट्रार सीकर के पास हुई थी ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति के अध्यक्ष की मौत हो चुकी है या गायब है ? अगर हां, तो आज तक उक्त सहकारी समिति का कार्य कौन कर रहा है तथा किस नियम के तहत पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(स्थगित किया गया)

चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण की बकाया

237. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण बकाया है ? यदि हां तो किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति में कितना-कितना रुपया बकाया है तथा कौन-कौन से किस-किस ग्राम सेवा सहकारी समिति के पदाधिकारियों में कितना-कितना बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 1967 में तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में बाढ़ से हुई क्षति से लोगों को राहत देने के लिए सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया गया था ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से गांव के कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति जरखाना लिमिटेड सरथला के माध्यम से केन्द्रीय सहकारी बैंक चित्तौड़गढ़ द्वारा मध्यकालीन ऋण चारणखेड़ी भूरक्या कलां आदि गावों के किसानों को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह वसूल हो गया या नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया उनके शेयर की रकम काट कर ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो शेयर की राशि वापिस अब तक नहीं लौटाने का क्या कारण है ? और यह राशि किसके पास जमा है ? और अब राज्य सरकार इसे कब तक शेयर होल्डरों को वापिस लौटा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां जिनमें ऋण

(सहकारिता मंत्री)

बकाया है सदन की मेज पर रख दी गई है। जिले में 313 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनके पदाधिकारियों पर बकाया की सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय लग सकता है। माननीय सदस्य अगर किसी विशेष समिति के पदाधिकारियों पर बकाया की सूचना चाहते हो तो उसे उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(2) जी हां। सन् 1967 में तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के निम्न गांवों में इनके सामने अंकित व्यक्तियों की संख्या को चित्तौड़गढ़ सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया गया है।

क्रम	नाम ग्राम	संख्या सदस्य जिन्हें ऋण दिया गया	मध्यकालीन ऋण राशि
1.	भूरक्या कलॉ	19	8960-00
2.	चारण खेड़ी	15	7200-00
3.	नाहर जी का खेड़ा	7	3040-00
		41	19,200-00

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। केवल 5 सदस्यों से ऋण वसूल नहीं हुआ है।

(4) जी हां। सदस्यता की अवधि में हिस्सा राशि लौटाई नहीं जाती–उपनियमानुसार हिस्सा राशि सदस्य के त्यागपत्र देने पर ही समिति द्वारा लौटाई जाती है। हिस्सा राशि समिति में जमा है। राज्य सरकार का इस हिस्सा राशि लौटाने से सम्बन्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

नगरपालिका लाखेरी में नियुक्तियां

238. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):- क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका लाखेरी में 1970 से अब तक कितने कर्मचारियों को नौकरी दी गई है? क्या कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा लिए गए हैं?

(2) क्या यह सत्य है कि बिना विभाग की अनुमति के कर्मचारियों को नौकरी दी है? यदि हां, तो किन-किन को और कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केवल एक कर्मचारी को बगैर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नौकरी दी गई है।

(2) जी नहीं।

केवल एक कर्मचारी को नौकरी दी गई है इसलिए सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका केसरीसिंहपुर

239. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर की केसरीसिंहपुर मण्डी किस दिनांक से नगरपालिका में परिवर्तित हुई है और आज तक वहां क्या विकास के कार्य हुए हैं ?

(2) नगरपालिका में कितनी स्थायी या अस्थायी नियुक्तियां की गई हैं क्या नियुक्ति में हरिजन जातियों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

(3) क्या केसरीसिंहपुर की नगरपालिका में गंगानगर नगरपालिका से श्री शामलाल मिड्ढा क्लर्क आये हैं तथा क्या वे वहां से हटा दिये गये थे या निलम्बित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें इस नगर पालिका में किस तरह नियुक्त कर लिया गया ?

(4) इस व्यक्ति पर गंगानगर पालिका के समय के कितने आरोप हैं ? क्या वे प्रशासक महोदय के अत्यन्त निकट के सम्बन्धी हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 24-4-73 को। 55-890-31 पैसे विकास कार्य पर व्यय किये गये हैं।

(2) 34 अस्थाई नियुक्तियां की गई हैं।

जी हां।

(3) जी हां।

जी नहीं।

(4) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4-3-74)

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को मिली राशि

2. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को केन्द्र से कितनी राशि 1971, 1972 और 1973 में प्राप्त हुई है ?

(2) इस जिले की प्रत्येक पंचायत में सन् 71, 72 और 73 में कितना-कितना पैसा इस प्रोग्राम में खर्च किया ? पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या इस मद में मिला पैसा हर वर्ष काम में लिया गया या पैसा बिना खर्च किये लेप्स हो गया ? यदि हुआ तो कितना और किस अधिकारी की वजह से और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) राज्य के प्रत्येक जिले में 71, 72 और 73 में इस मद में कितना पैसा दिया गया था तथा कितना खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को निम्न प्रकार राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी:—

वर्ष 1971-72	12.50	लाख
वर्ष 1972-73	23.50	लाख
वर्ष 1973-74	17.84	लाख

(कृषि मंत्री)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सारी राशि खर्च हो गई और कोई राशि लैप्स नहीं हुई।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट–7 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(4-3-74)

तहसील सांचोर में जानवरों की मृत्यु

3. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हाल ही में आई बाढ़ के कारण तहसील सांचोर में कितने पशु एवं कितनी भेड़ बकरियां बीमारी से मरी हैं ? ग्राम-वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) पशुओं में फैली बीमारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं ? तथा समय पर बीमारियों की रोक थाम न होने के क्या कारण थे ?

(3) क्या पशु पालन विभाग पशुओं की सेन्सस करता है और उनके मरने एवं पैदा होने के आंकड़े भी रखता है ? अगर हां, तो किस प्रकार है ? अगर नही, तो क्यों ?

(4) क्या भविष्य में पशु-पालन विभाग पशुओं की सही गणना करना एवं मरने एवं पैदा होने के आंकड़े रखने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाढ़ के कारण तहसील सांचोर में किसी भी बीमारी से पशुओं के मरने की कोई सूचना नहीं हैं, न कोई पशुओं में संक्रामक रोग फैला, ग्रामवाइज भेड़ बकरियों के मरने की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बाढ़ से संक्रामक रोग फैलने की सम्भावना को देखते हुये निम्नलिखित इकाइयों में सभी कार्यकर्त्ताओं को टीका चिकित्सा कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कर दिये गए थे:—

(1) पशु चिकित्सालय, सांचोर।

(2) चल पशु चिकित्सा इकाई, सांचोर

(3) सुरक्षा चौकी (पशु माता उन्मूलन योजना), सांचोर।

बाढ़ के समय शीघ्र आवागमन के साधन उपलब्ध न होने के कारण, सामान्य आवागमन के साधनों से ही कार्य किया गया, जो निम्न प्रकार से है:—

(1) रोग निरोधक टीका कार्य:—

(क) माता	12,431
(ख) गल गोट	4,267
(ग) फड़ सूजन	5.470

(2) सामान्य चिकित्सा कार्य 11,174

(पशु पालन मंत्री)

(3) पशु पालन विभाग पशुओं की सेन्सस नहीं करता । यह कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है ।

(4) जी नहीं ।

यह कार्य राजस्व विभाग से ही किया जाता रहेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 5-3-74)

गंगानगर जिले में भूमि इन्तकाल के मामले

38. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर में इस समय कितनी भूमि के ऐसे इन्तकाल बाकी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन 27 सितम्बर, 1970 से पूर्व हो चुके हैं और आज तक उनके इन्तकाल दर्ज होकर तस्दीक नहीं हो सके ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ऐसे भूमि के इन्तकाल बाकी हैं जिसमें भूमिपति की मृत्यु हो चुकी है मगर उनके वारिसों के नाम पर अभी तक इन्तकाल दर्ज करके तस्दीक नहीं करवाये गए ?

(3) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा और आज तक पूरा न किए जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) कोई इन्तकाल का मामला बाकी नहीं है । अतः सूची का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(2) विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है ।

(3) शेष नामान्तरकरण 15 जून, 74 तक तय करवा दिये जावेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री मांगीलाल भंसाली, निवासी भुभावर, तहसील खारची, जिला पाली को चोरी के इलजाम में हथकड़ी डाल कर भुभावर के बाजार में घुमाने के सम्बन्ध में ।

2. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, अजीत सिंह, मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जुलाई 1973 के तस्करों द्वारा जिला बूंदी में महावीर प्रसाद शर्मा, मुख्य आरक्षी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में ।

3. श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की हड़ताल के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

4. सर्व श्री उम्मेदीलाल, मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिन्डोन से खरेटा होते हुए मासलपुर तक की सड़क न बनाये जाने के विषय में।

5. सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव व मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर दुग्ध वितरण योजना द्वारा वितरित किये जाने वाले पदार्थों के भाव बढ़ाये जाने के विषय में।

6. सर्व श्री उम्मेदीलाल, मनोहरलाल व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोन में नगर बांध की नहरों में सीपेज के कारण जमीन नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में,

ये सब प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य चाहें तो बजट की सम्बन्धित मांगों के समय जो होने वाली है, इन्हें उठा सकते हैं।

7. सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, मोहम्मद गफ्फार अली, रामानन्द अग्रवाल, रामकिशन, केसरीमल, व केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज की 22 महिलाओं को उनके धार्मिक गुरु द्वारा विवाह करने की इजाजत न देने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सीधे तौर पर सम्बन्धित नहीं है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी यह तो बहुत अच्छा किया लेकिन जानकारी तो कम से कम इस सम्बन्ध में प्राप्त की जा सकती थी। मांगीलाल भंसाली, साकिन गुड़ावर, तहसील खारची, जिला पाली का है।

श्री अध्यक्ष : नो यू न ट्र डिसकस आल। कहिये। वी विल डिसकस इट टुमारो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अर्ज कर दूं। अध्यक्ष महोदय, यह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का 25 वर्षों से सदस्य रहा है।

श्री अध्यक्ष: थोड़े में कहिये। बाकी बोलने का कल मौका मिल जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ठाकुर केसरीसिंह जागीरदार हैं उन्होंने देवस्थान की 250 बीघा जमीन महादेव के अरण्य में दवा रखी है। ठाकुर साहब ने लगातार इस शख्स के खिलाफ साजिश की है। इस थाने में जब्बार खां जो हैड कॉन्स्टेबल है और श्री हरि थानेदार है इन्होंने इस पुराने कार्यकर्त्ता को, जो कि किराने की दुकान करता है, जूतों की चोरी के अन्दर 14 फरवरी को हथकड़ी डाल कर बाजार के अन्दर फिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर के चेयरमैन का एक पत्र, श्री नाथूराम जी का एक पत्र है।

श्री अध्यक्ष : Why not discuss tomorrow.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसी के सम्बन्ध में है....

श्री अध्यक्ष : आप लैटर को पढ़ नहीं सकते हैं। आप परमिशन लेकर पढ़ सकते हैं। यू केन नॉट रीड दी लेटर। एक्स्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ सकते ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चार लाइन पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : चार का सवाल नहीं है चाहे 10 का हो, आप नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उन्होंने अपने पत्र के अन्दर यह साफ लिखा है कि यह शख्स एक बहुत ही गरीब, बहुत ही निर्धन और ईमानदार किस्म का आदमी है...

श्री सज्जनसिंह : गलत लिखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ठाकुर साहब केसरीसिंह जिन्होंने जमीन दबा रखी है देवस्थान की जमीन दबा रखी है और मृत्यु भोज करवाते हैं पुलिस के साथ साथ मिलकर....

श्री अध्यक्ष : आपका एडजोर्नमेंट मोशन तो हथकड़ी लगाने के सम्बन्ध में है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह कांग्रेस का निरन्तर सदस्य रहा है। गुलाबसिंह शेखावत के लिए इस बात से ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है......

एक माननीय सदस्य : वह शक्तावत हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस वक्त ताकत में हैं इसलिए शक्तावत हैं। पहले शेखावत थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह परिवर्तन कब से हुआ है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : शेखावत से शक्तावत हुए और अब राजावत हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जैसे बन्धुओं का सहयोग रहा तो वह महाराजावत हो जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कम से कम आप मन्त्री महोदय से कहें। इतना गम्भीर काण्ड हुआ है। आखिर इस तरह से एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता को जूतियों की चोरी के आरोप में हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाना इससे ज्यादा घिनौना अपमान उस व्यक्ति का नहीं किया जा सकता था। उस शख्स ने जूतियों की चोरी कर ली और जूतियों की चोरीयों का केस बनाकर हथकड़ी डालकर बाजार में घुमाया। बड़े बड़े जखीरेबाजों को हथकड़ी डालकर घुमायें, जोधपुर के अन्दर एडल्टरेशन करने वाले बड़े बड़े सेठों को हथकड़ी डालकर घुमायें। यह नहीं हो सकता है और राजस्थान की पुलिस राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को चाहे वे कांग्रेस के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हों उनको इस प्रकार से हथकड़ी डालकर सामन्ती साजिश से बाजार के अन्दर घुमायें, इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मन्त्री जी या शक्तावत

Page No 45

45

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
साहब जो कुछ भी हैं शक्तावत या राजावत या महाराजावत उनसे फरमायें कि कम से कम स्टेटमेंट दें कि उनके कार्यकाल में 20-25 साल पुराने कार्यकर्ताओं के साथ राज्य की पुलिस इस प्रकार की अपमानजनक स्थिति पैदा कर रही है उसके बारे में इस सदन के अन्दर बयान दें।

श्री केसरदेव : अध्यक्ष महोदय, बयान कब तक आ जायेगा?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी खास अहमियत····

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस पर बयान मांगा है हाण्डा साहब ने उसका बयान आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : इसके अन्दर आज ही निर्णय दिया था। बयान तो आना ही है।

श्री केसरदेव : यह एक इम्पार्टेन्ट सवाल है। इनका बयान आना चाहिये। कांग्रेस के कार्यकर्त्ता को हथकड़ी डालकर घुमाकर पुलिस ने जलील किया है। वहां के हैड कॉन्स्टेबल ने जान बूझकर एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता के साथ में बदमाशी की है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी वक्तव्य दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि कल जवाब दें तो उस वक्त जवाब दे दें। मांग पर जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : कल यह उठायेंगे तो देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उठ तो गया।

श्री अध्यक्ष : मैं अर्ज कर चुका हूं। कल फरमायें। मन्त्री महोदय मौजूद हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैक्ट्स आपके सामने माननीय सदस्य ने रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : नये फैक्ट्स तो हैं नहीं। जो लिखकर दिये हैं वे ही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरीके से आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करें। आज नहीं तो कल जो मांग है उस समय मन्त्री महोदय को आदेश दें कि इस प्रश्न पर स्पेसिफिकली रिप्लाई दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो पता लग जाय कि कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं द्वारा बड़ी बड़ी चोरियां करते करते अब जूतों की भी चोरी करने की नौबत आ गई।

श्री केसरदेव : झूठा इलजाम लगा रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा . आपकी ही पार्टी के सदस्य कह रहे हैं कि इलजाम सही है।

श्री सज्जनसिंह : वह कांग्रेस में नहीं हैं और न किसी पार्टी में हैं। यह मैं जानता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कार्यकर्त्ता नहीं हैं तो नाथूरामजी का पत्र कैसे आता।

श्री अध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

Page No 46

(46)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में यह फरमाया है कि यह कोई महत्व का नहीं है तो मेरी गुजारिश इसमें यह है कि यह अत्यन्त महत्व का है और वह इसलिये कि हम लोगों ने एक आइन बनाई है उसके अन्दर लोगों को कुछ राइट्स दिए हैं तो उन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, और ऐसी जगह उल्लंघन हो रहा है जिस इलाके से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का नजदीकी ताल्लुक है मेरा अर्ज करना यह है कि मैं किसी मजहबी रहनुमा का तजकिरा नहीं करना चाहता, मैं मजहबी रहनुमाओं की इज्जत करता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मजहबी रहनुमा किसी इन्सान की जिन्दगी को दूभर बनाने के, और इस्लामी मजहब के नुक्ते नजर के खिलाफ किसी सिद्धान्त का निर्माण करें तो उसको टालरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह आइन के खिलाफ है और मजहब के खिलाफ है। इस्लामी मजहब में औरतों और मर्दों को पूरी आजादी इस बात की है कि जिस किसी के साथ चाहें, अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करें। हां मां बाप उसमें मदाखलत कर सकते हैं। लेकिन उसको भी मानें, यह जरूरी नहीं है। फिर भी मजहबी रहनुमा शादी पर पाबन्दी लगाते हैं कि वह लड़कियां शादी न करें और दोजख और नरक के पट्टे भी देते है, तो यह वैसी ही परम्परा है जिन परम्पराओं का पोप ने निर्माण किया था, और मार्टिन लूथर ने उनकी खिलाफत करके, बगावत करके नये मजहब का निर्माण किया था। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह के हालात पैदा हों और गवर्नमेन्ट उनको बर्दाश्त करे, तो गवर्नमेन्ट इस तरह के हालात पैदा करेगी कि नौजवान नए मजहब का निर्माण करें और उससे सैयदन साहब की बेइज्जती हो। मेरा निवेदन है कि उदयपुर की लड़कियों की हिफाजत करना सरकार का फर्ज है क्योंकि उनकी इन्डिविजुअल लिबर्टी के ऊपर ···

श्री अध्यक्ष : नो जनरल स्पीच, कम टू द पॉइन्ट।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली। मेरा लैटर आया है, 22 लड़कियों ···

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में कहें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। यह जो लैटर है, इसको मैं पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : लैटर आप रख नहीं पायेंगे। आपको जो कहना हो, वह कह दीजिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : रेलेवेंट पोरशन पढ़ देता हूं।

"Bohra Youth Association desires that the constitutional rights guaranteed to the individual by the law of the land should be respected. Islam does not impose any impediment on the performance of the marriage of the muslims····"

श्री अध्यक्ष : Do not read.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं लैटर आपके सामने रख रहा हूं। मेरा अर्ज करना यह है कि मुझे अफसोस होता है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी बातों को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार के जो जुर्म होते हैं उनको रोकने के लिए कार्यवाही नहीं की जाती है। मेरा यह अर्ज करना है कि यह फर्ज है हुकूमत का, हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि इस्लामी मजहब की नुक्ते नजर से, उनको सामने रख कर उन लड़कियों की मदद करें। हम और आप सब वहां पर जायें और देखें, शादी के रास्ते में क्यों रुकावट पैदा की जाती है और किस तरह से जवान लड़कियों की जिन्दगी तबाह की जाती है। कितना ही बड़ा मजहबी लीडर हो, उसको इस्लामी मजहब के बुनियादी उसूलों के अन्दर दखल देने का हक नहीं है। मेरा अर्ज करना यह है कि बड़े से बड़ा मजहबी लीडर हो उसके सामने कुरान पाक की तालीमात साफ हैं। जन्नत और दोजख में भेजने की जिम्मेदारी सिर्फ परवरदिगार आला के सुपुर्द की गई हैं और इस्लामी पाइन्ट आफ व्यू से सैयदन साहब या किसी बुजुर्ग नेता को वह सुपुर्द नहीं की गई है। मेरा अर्ज करना यह है कि यह क्वेश्चन अहमियत का है।

इसके साथ साथ मैंने गुजारिश की है, इन्होंने आठ शर्तें लगा रखी हैं, दस पन्द्रह हैं, जिनमें यह है, कोई आदमी इन शर्तों को नहीं मानेगा, तो हम दस्तखत नहीं करेंगे और उसे शादी की इजाजत नहीं होगी, उनके मुर्दे को दफन नहीं किया जायगा। यह इन्सान के फण्डामेंटल राइट्स में मदाखलत की जा रही है। मेरी गुजारिश है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी है कि वह इस किस्म के कानून का निर्माण करे कि किसी इन्डीविजुअल की लिबर्टी को खत्म नहीं किया जा सके और फासिज्म में विश्वास करने वाले शख्स होते हैं, उनके हाथों से इंडिविजुअल लिबर्टी को बचाने की हालत में हों। मेरी गुजारिश है कि इस मामले में मदाखलत की जाय और इस किस्म का कानून बनायें, जिसकी रूह से अगर मोई बोहरा कम्युनिटी के लोग इस तरह की इंडिविजुअल लिबर्टी में मदाखलत करते हैं तो उनको मदाखलत करने का हक न रहे और वह किसी किस्म की मदाखलत न करें, शादी में किसी तरह की मदाखलत न करें। मेरी यह गुजारिश है। इसकी अहमियत को देखते हुए मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट को इस मामले में स्टेटमेंट देना चाहिए और अपनी पोजीशन को साफ करना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, क्या इस सिलसिले में कोई कदम उठाना चाहते हैं।

श्री जान मोहम्मद : सदरे मोतरम ...

श्री अध्यक्ष : (श्री निरंजननाथ आचार्य के खड़े होने पर) पहले आप बोल लें।

श्री जान मोहम्मद : सदरे मोतरम, जो सवाल उठाया है, वह अजीब किस्म का इस्लामी नुकते नजर से है। आपने फर्माया कि दख्वास्त आई है उदयपुर की नौजवान लड़कियों की उनको शादी की इजाजत नहीं दी जाती है। मेरा इस बारे में अर्ज यह है कि जो लड़की अठारह साल की हो जाती है उसको शादी के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। जहां

(श्री जानमोहम्मद)
तक कुरान का सवाल है, कुरान को, जितने कानून बने हुए हैं दुनियां भर के अन्दर, सबने माना है, सब उसको मानते हैं। बोहरा हजरात उसको नहीं मानते हैं, वह कुरान को नहीं मानते हैं और आश्चर्य की बात यह है कि उनकी हिदायत और भी है, कोई भी बोहरा मर जाता है तो जब तक सैयदन साहब इजाजत नहीं दें उसको दफन नहीं किया जा सकता है। अजीब बात है, जो आदमी मर जाता है, जब तक वह सैयदन साहब उसको दफनाने की इजाजत नहीं दें, तब तक दफनाया नहीं जा सकता है। अजीब बात है, किसी कानून, इस्लामी कानून में यह नहीं है। किसी कानून के अन्दर यह नहीं लिखा है कि उसको दफनाया नहीं जाय, भले ही लाश सड़ जाय। नौजवान लड़कियों का मसला है, वह अहम है····

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में फर्मायें।

श्री जान मोहम्मद : मैं अर्ज करना चाहता हूँ·· ···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मसला जबर्दस्त है, समय पूरा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं समय आॅउट आॅफ वे जाकर दे रहा हूँ।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह मसला भी आॅउट आॅफ वे जाकर हुआ है।

श्री जान मोहम्मद : यह लड़कियां हैं, इनके बाप इसमें मदाखलत कर सकते हैं···

श्री अध्यक्ष : मुख्तसिर में कहिये।

श्री जान मोहम्मद : मेरा अर्ज करना यह है कि जो इस्लामी मजहब है, उससे ज्यादा किसी बोहरा हजरात की या फिकरे की ताकत नहीं है। इस्लामी मजहब कुरान के हिसाब से चलता है और उसमें यह है कि लड़की अठारह साल की है, बालिग है तो वह किसी से शादी कर सकती है, उसमें कोई अड़चन नहीं डाल सकता है। यह बुनियादी बात है, जो नौजवान मर्द हो चुका है, उनके शादी करने में कोई रुकावट नहीं हो सकती है। यह सवाल आया है, इसके अन्दर अगर कोई शादी में रुकावट पैदा करना चाहता है तो उसको रोका जाय।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर में बोहरा जमात है····

एक माननीय सदस्य : अब्दुल हादी साहब फर्मा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आप अठारह साल की लड़कियों के लिए कह रहे हैं, आप पन्द्रह साल की लड़कियों के लिए कहेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप भी फर्माइये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अठारह साल की बहिनों पर रहम कीजिये।

श्री अब्दुल हादी : अध्यक्ष महोदय, गफ्फार साहब ने जो कहा, उसे सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। हमारे मजहब में, जहां तक बोहरों का ताल्लुक हैं, उनके तो मेरे ख्याल में अजीब विचार हैं, उनमें अजीब सी चीज नजर आई है। आपने जैसा कहा कि लड़कियों की दर्खवास्त

(श्री अब्दुलहादी)
आई है कि शादी के मुतल्लिक इजाजत नहीं देते हैं। मैं बोहरों के कानून कायदों से वाकिफ तो नहीं हूं, मगर जो इस्लाम के कानून कायदे हैं, उनसे वाकिफ हूं और उनके हिसाब से जहां तक शादी पर पाबन्दी की बात की है वह गलत की है। इस्लाम में यह है कि बालिग लड़की हो, किसी जमात की हो, वह चाहे जिससे शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है। अलबत्ता इतना जरूर है कि नाबालिग लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए बाप से पूछना पड़ेगा। तो मेरी यह अर्ज है कि इस तरह से जो बोहरे लोगों ने रुकावट की है तो सरकार को इस मामले में पूरा दखल देना चाहिए क्योंकि यह नाजायज है और इस्लामी मजहब के खिलाफ है। यह जो अपने आप मनमाने कानून बनाते रहे हैं, उनमें सरकार को पूरा दखल देना चाहिए और लड़कियों को पूरी मदद देनी चाहिए और उनकी जो तकलीफात हैं, उनको दूर करने में जितना हो सके, सरकार को पूरी मदद देनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बोहरा जमात जो उदयपुर में है, में दो टुकड़े, फिरके हैं। इसने कम से कम दो साल से जन जीवन को संत्रस्त कर रखा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बोहरों का, जो प्रोग्रेसिव है जो सैयदन के ऐसे हुक्मों, ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ बगावत करना चाहता है। दूसरा दल, पुराने रूढ़िवादी बोहरों का है। इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा हैं, इनके कारण बलवे हुए हैं और इनमें सब तरह के ऑफेन्सेज आपस में हुए हैं। मैं राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि इन दोनों फिरकों को ठीक किया जाय, वहां के जन जीवन को शांत किया जाय। मजहब क्या है, क्या नहीं है, मैं इस सम्बन्ध में अर्ज नहीं करना चाहता हूं लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इन बोहरों की शादी पर रोक, मुर्दे को दफनाने पर रोक, कफन पर रोक, मस्जिद में जाने पर रोक। मेरा खयाल है कि ऐसा बन्धन किसी भी धर्म में नहीं है, इस्लाम धर्म में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। मैंने इस ओर कई बार ध्यान आकर्षित किया था, इनके हाई प्रीस्ट ने कन्वेन्शन ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ इकरारनामा इनके अनुयायियों से लिखवाया है उस इकरारनामे के आधार पर वह द्वेष और ईर्ष्या पैदा करें, हिन्दू मुस्लिम में ईर्ष्या पैदा करें, मुसलमान-मुसलमान में ईर्ष्या पैदा करें। मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार को इसके बीच में आना चाहिए और राज्य सरकार को सैयदना से इस हरकत के लिए एक्स्प्लेनेशन पूछना चाहिए। उनके कन्वेन्शन और उनके एग्रीमेंट लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ हैं, उनका इकरारनामा अशांति पैदा करने वाला है। वह इकरारनामा, इस जमात के खिलाफ दण्ड देने की कार्यवाही करने वाला तो नहीं है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, उनके अनुयायियों को इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने पड़े हैं उस इकरारनामे के कुछ इनग्रेडिएन्ट्स मैं सामने रखना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इकरारनामा हाउस में नहीं पढ़ें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लॉ ऑफ लैंड है।

श्री अध्यक्ष : इकरारनामा नहीं पढ़ें, जबानी उसके बारे में कुछ कह दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं नहीं पढ़ रहा हूं।

मेरा निवेदन है कि इसमें जो शर्तें हैं उनकी पाबन्दी नहीं लागू की जा सकती है। एग्रीमेंट में कहा है, जो मुझे नहीं मानता है, हिज प्रॉपर्टी इज लाएबल टू बी लूटेड। मेरा खयाल है, यह फण्डामेन्टल राइट है, लॉ है उसके खिलाफ कोई भी धर्मगुरु ऐसी पाबन्दी नहीं लागू कर सकता कि यदि मुझको नहीं माना तो अनुयायियों को कह दिया गया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी लूट ली जायगी। दूसरा if he has the wife then he is forbidden to have ..

सैयदना साहब हैं

He shall deprive him as he pleases.

सारी संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। मैं सरकार से कहता हूं कि इकरारनामे का अध्ययन करें, अगर वह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, लॉ ऑफ दी लैंड के खिलाफ हैं, द्वेष और ईर्ष्या पैदा करने वाला है और आफेंसिव इस आधार पर हाई प्रीस्ट करता है, तो उससे इसी आधार पर एक्सप्लैनेशन पूछा जाना चाहिए और राजस्थान में आने से मुमानियत करनी चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में यह झगड़ा दो-ढाई वर्ष से चल रहा है, एक धार्मिक विषय को लेकर चल रहा है। ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आपस में एक भाई, एक पिताजी उनके भाई साहब आपस में एक दूसरे पर बहुत कठोर प्रहार करके घातक हमला करके एक दूसरे का सर भी फोड़ दिया गया है। राज्य सरकार केवल इसमें दर्शक के नाते बैठ रही है। ऐसी भी परिस्थितियां आई हैं कि सारे एरिया का जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया, सारे उदयपुर की पुलिस वहां पड़ी रही लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद वहां का जन जीवन अस्त व्यस्त है। हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री खान साहब को उस समय हमने निवेदन किया था कि इस धार्मिक विवाद को समाप्त करने के लिए स्वयं बीच में पड़कर समाप्त करायें। यदि यह राज्य सरकार इस धार्मिक विवाद को किसी तरह से बीच में पड़कर समाप्त नहीं करेगी तो आज परिस्थिति यह है कि एक तरफ यूथ एक तरफ ओल्ड, दोनों मिलकर दोनों का आपस में झगड़ा किसी न किसी कारण से बढ़ता ही जा रहा है और उदयपुर नगर अशांति का केन्द्र बन गया है। राज्य सरकार केवल दर्शक के नाते न बनकर स्थाई शांति बनाने के लिए या तो धार्मिक नेताओं को बीच में डालकर शांति करवा दे या फिर रक्षात्मक दृष्टि से कठोर कदम उठाए ताकि वहां का कोई व्यक्ति इस प्रकार कानून की अवहेलना न कर सके।

श्री केदारनाथ : कोई भी हाई प्रीस्ट अगर संविधान के खिलाफ हुकुम देता है, रिलीजियस सेरीमनी, शादी के मामले में या किसी और प्राइवेट मामले में तो उसको नहीं मानना चाहिए, आपका स्टेट कॉम्पीटीशन में नहीं, दखल नहीं दे सकता। इन 22 लड़कियों की पर्सनल एगनीज क्या हैं, मैं छोड़ देता हूं। जब मैरेज की बात आती है तो मैं सोचता हूं कि पर्सनल एगनीज क्या हो सकती हैं। मैं अपनी पुरानी

(श्री केदारनाथ)
मेमोरीज कपीचुलेट करता हूं। इसलिए संविधान के खिलाफ, डेमोक्रेटिक फंडामेन्टल राइट्स के खिलाफ हाई प्रीस्ट का ऑर्डर हो तो उसके खिलाफ बगावत करके बोहरा कम्यूनिटी मिसाल पैदा कर सकती है तो लाजमी तौर पर हर तरीके से उनको सेफगार्ड करना चाहिए।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो उदयपुर के दाऊदी बोहरों के बीच में आपस में कशमकश चल रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुल्लाजी साहब फरमाऊदीन दाऊदी बोहरों के हाई प्रीस्ट हैं, मैं उनको इज्जत की दृष्टि से देखता हूं लेकिन यह 1974 है, 1924 नहीं। 50 वर्ष पहले जो कुछ भी होता था वह ठीक था लेकिन लॉ ऑफ दी लैंड, कॉमन लॉ, जो सुप्रीम लॉ है उसके अन्दर दाऊदी बोहरा कम्यूनिटी के हाई प्रीस्ट आरबीट्रेरी तौर पर दखल कर और बुनियादी अधिकार जो जनता के हैं उसके विपरीत वह फरमानशाही नाफिस करे तो मेरे खयाल से आज के जमाने के तकाजे के विपरीत होगा, रिवोल्ट होगा, और संभव है कि वह ओवरथ्रो भी हो सकता है, उनको सूझ बूझ के साथ काम लेना चाहिये। यह बड़ा नाजुक सवाल है, कि किस स्टेज पर राज्य सरकार इस झगड़े में दखल दे। लॉ ऑफ दी लैंड सुप्रीम है, फन्डामेन्टल राइट्स की अगर अवहेलना होती है तो कानून अपना कोर्स लेगा और लेना चाहिए। उसके साथ साथ अगर राज्य सरकार को अपने गुड ऑफिसेज एक्सरसाइज करने हैं तो मुल्लाजी से बात की जाए जो वारिंग फर्कात हैं उनको बिठाकर समझाएं। अगर आपसी समझौते द्वारा हल होता है तो उसका श्रेय राज्य सरकार को अवश्य है नहीं तो जो लॉ है वह तो है ही और इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दो मिनिट

श्री अध्यक्ष : किस विषय पर ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसी विषय पर। माननीय गफ्फारअली ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत गंभीर इस मायने में है कि यह बोहरा जाति से संबंधित इस्लाम के टेनेन्ट्स को इन्टरप्रेट करने का दोनों ओर से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रयास और उसको एन्फोर्स करने का प्राईवेट एजेन्सीज का प्रयास उदयपुर में हमारे सामने आया है, इस कारण से कानून और व्यवस्था का प्रश्न पैदा हुआ है और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स जो संविधान के नीचे हैं हर व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता है कि उनके इनफ्रन्जमेंट का प्रश्न पैदा हुआ है तो अध्यक्ष महोदय इस संबंध में गफ्फार अली साहब ने इस प्रश्न को उठाया है। अच्छा यह होगा कि इससे और आगे बढ़कर मूलभूत प्रश्न को उठायें कि जिस प्रकार हिन्दू मैरेज एक्ट बनाया गया, लॉ को कोडीफाई कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि हिन्दू धर्म क्या है, मनु ने क्या कहा था उसका ऑथेंटिक इन्टरप्रेटेशन आज के जमाने में, कॉन्सटीट्यूशन लॉ के हिसाब से आज क्या होना चाहिए उसका कानून बनाकर ऑथेंटिक वर्शन आ गया जिसको पुलिस अधिकारी व सरकार एन्फोर्स कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार से जब आपस में कन्फिल्ट होता है, झगड़े होते हैं, लॉ एण्ड ऑर्डर प्रॉब्लम पैदा होता है और एक बार नहीं कई बार लगातार तीन साल से यह चल रहा है, तो इन्होंने जो मोशन रखा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है, इस बारे में आगे बढ़कर प्राइवेट एजेंसीज को इन्टरप्रेट करने की बात न कह कर यदि आॅथेंटिक लॉ बना दिया जाय और हम सब मिलकर प्रयास करें जो इस्लाम से भिन्न न हो उसके अनुकूल हो, कोडीफाइड वर्शन हो तो आपसी विवाद समाप्त हो जाएगा कि बोहरों के यूथ क्या कहते हैं, बुड्ढे क्या कहते हैं, हम मूल प्रश्न पर जायं और जिस प्रकार से आज के युग के अंदर कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ के नीचे लॉ को कोडीफाई करके हर चीज को स्पष्ट करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा होगा और वर्तमान में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की अथवा इन्टरफीयरेन्स पर्सनल लॉज से करने का प्रश्न है, मैं उनके साथ एकमत हूं चाहे 22 लड़कियों का प्रश्न हो, चाहे लड़कों का प्रश्न हो, चाहे बोहरों का प्रश्न हो, चाहे जैनियों का प्रश्न हो या अन्य किसी सेक्ट का प्रश्न हो, कानून व व्यवस्था रखना सरकार का कर्तव्य है, वह लॉ ऑफ दी लैंड, कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स को एन्फोर्स करने का प्रयास करे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सदन में माननीय गफ्फार साहब ने जो प्रश्न उठाया है उसमें मेरा कहना यह है कि उदयपुर में जो बोहरा कम्यूनिटी में झगड़ा हुआ वह बोहरा कम्यूनिटी के दो तबके के झगड़े का सवाल नहीं है बल्कि यह बिल्कुल एक अलग बात है। यह झगड़ा कन्जरवेटिव विचारों वाले लोगों और डेमोक्रेटिक विचार रखने वाले लोगों के बीच संघर्ष है। यह एक ही फिरके के एक ही रिलीजन के लोगों में है। अध्यक्ष महोदय, यह बोहरा कम्यूनिटी के कुछ मुख्तलिफ लोगों के बीच में हो है। अध्यक्ष महोदय, वह बोहरा कम्यूनिटी वैसे तो सारे हिन्दुस्तान में है लेकिन हमारे राजस्थान में उदयपुर में ज्यादा बसे हुए हैं। इस बोहरा कम्यूनिटी के हाई प्रीस्ट बोम्बे में रहते है और उनके ही हाथ से एपॉइन्ट किया हुआ एक मुल्लाजी वहां रहते हैं जो कि उनका प्रतिनिधित्व करते है। वह मुल्लाजी हाई प्रीस्ट के रिप्रजेन्टेटिव की तरह काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बोहरा कम्यूनिटी की बहुतसी प्रोपर्टी उदयपुर में है। जिसमें कई एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स भी हैं और कई मुसाफिर खाने वगैरह हैं। इन सभी का इन्तजाम भी वही मुल्लाजी करते हैं। इसमें संघर्ष इस बात के लिए खड़ा हुआ कि इन बोहरा कम्यूनिटी के कुछ यूथ लोगों ने यह मांग की कि इस प्रोपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इलेक्टेड कमेटी होनी चाहिये। इसका प्रशासन डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव कराकर होना चाहिये। जब इस बात के लिये वहां पर झगड़ा हुआ तो बम्बई से हाई प्रीस्ट साहब ने अपने शहजादे को उदयपुर में भेजा और उन्होंने एक कमेटी को नोमिनेट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो परिवार ऐसे हैं जो कि उस कमेटी के जरिये उस सारी प्रोपर्टी को कन्ट्रोल करते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में रखकर मन चाहे ढंग से उस प्रोपर्टी का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि वही दो परिवार उस मैनेजमैन्ट कमेटी को डोमिनेट करते हैं। उसमें ऐसा है कि उन हाई प्रीस्ट साहब के ऐसे आदेश हैं उन बोहरा लोगों को उनकी आय में से जकात देने के लिए मजबूर करते हैं। उन लोगों को अपनी आयका 20 पर्सेन्ट या 25 पर्सेन्ट इन्कम जकात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के रूप में देना पड़ता है। और जो लोग जकात नहीं देते हैं उन्हें बाकी के लोग मजबूर करते हैं कि जकात दो। इसमें वहां के कुछ लोग जो यूथ थे उन्होंने इस फासिस्ट ऑर्डर के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया। और कहा कि इस कमेटी को भंग करके डेमोक्रेटिक वे में एडल्ट फेन्चाइज के अनुसार चुनाव कराने के लिये कहा जाय ताकि उस प्रॉपर्टी का काम ठीक ढंग से हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन है कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से यह काम बोर्ड को सौंप देना चाहिये ताकि कोई झगड़ा ही नहीं रहे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, जब यह झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने इन्टरवीन किया वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्टरवीन किया और उसके लिये एक कमेटी बनाई। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पिछले 13-3 को गलियाकोट के अन्दर कुछ लड़के और लड़कियां जो कि नये विचारों के थे उनके साथ मारपीट की उन्हें बेइज्जत किया गया और यहां तक कि मुल्लाजी ने यह कहा है कि जो गलियाकोट में एट्रोसिटीज हुई थीं उनकी शिकायत कहीं भी नहीं होनी चाहिये। इसके लिए उन्होंने एक शरायतनामें पर लोगों से दस्तख्त कराये उसमें मेन बात यह थी कि जो गलियाकोट में एट्रोसिटीज हुई उनके खिलाफ में कोई चूं तक नहीं करें। और जो शिकायत उसके खिलाफ में करेगा उसको बागी समझा जायेगा। उसके खिलाफ में एक्शन लिया जायेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन यूथ लोगों ने इस फासिस्ट तरीके को कानून के विरुद्ध समझते हुये संविधान के खिलाफ और आज की हुकुमत के बनाये कानूनों के खिलाफ समझते हुए उन्हें मानने से इन्कार कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आप भी जरा सोचें, कैसे इस तरह के गैर कानूनी शरायतनामे पर लोग दस्तख्त कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुल्लाजी ने कहा कि अगर कोई उस शरायतनामे में दस्तख्त नहीं करेगा तो यह समझा जायेगा कि वह व्यक्ति मेरे खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसके लिए This is an instrument to the volume of the crime.

उसकी प्रॉपर्टी लूट ली जायेगी उसे फांसी पर लटका दिया जायेगा। इसके लिए इतना कहा गया कि अगर कोई बीबी उस आदेश को मानती है तो वह अपने हसबेन्ड के साथ इन्टरकोर्स तक नहीं करायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह जो फन्डामेन्टल राइट्स हैं हसबेण्ड एण्ड वाइफ के बीच के जो कॉन्ज्यूगल राइट्स हैं उसमें कैसे इन्टरफियरेन्स कर सकते हैं? वह मुल्लाजी कानूनी राइट्स पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं? यह हमारे इण्डियन पीनल कोड में जो धारायें हैं उनकी खिलाफत कैसे कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसे ब्रीफली कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो मुल्लाजी ने ऐसे फासिस्ट ऑर्डर निकाले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं लोगों को क्रिमानल एक्टीविटीज करके जबरन दस्तखत करवा रहे हैं उसके लिए उन्हें सजा देनी चाहिये। यह मजहब में कहीं नहीं लिखा है जो काम वह करने को कह रहे हैं। वह इस्लाम के खिलाफ काम करने के आदेश दे रहे हैं। वह क्राइम करने के लिये लोगों को इनीशियेट कर रहे हैं, मजबह के खिलाफ काम कर रहे हैं यह सभी गैर कानून हो है। अगर इसमें सरकार अगवाई करे तो कोई गैर कानूनी नहीं। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति हमारे इण्डियन पीनल कोड की धाराओं का उल्लंघन करेगा तो उसे सजा दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मुल्लाजी ने जो अहदनामा पर दस्तखत नहीं करने वाले लोगों के साथ ज्यादती की है उसके लिये उन पर आई. पी. सी. की जो धारा लागू होती हो उसके अनुसार उन्हें सजा दी जानी चाहिये। मुकदमें उन पर चलाये जाने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई राज्य सरकार समझौता कराये वैसी बात नहीं है। समझौता कराने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह तो पुराने और नये खयालातों का झगड़ा है और हमेशा से नये और पुराने खयालातों का झगड़ा रहा है और इसमें हमेशा पुराने खयालातों के लोगों ने नये खयालातों के लोगों पर जुल्म ढाये हैं उन्हें फांसी दी है, उन्हें पीटा है, उन्हें कत्ल तक किया गया है। ये पुराने खयालों के लोग आज तक नये खयालों के लोगों पर हावी रहे हैं। आज बोहरा समाज के मुल्लाजी ने जो अहद-नामा इश्यू किया है वह इल्लीगल। उसके खिलाफ में एक्शन लेने की बात होनी चाहिये इसमें समझौता कराने का सवाल कहां पैदा होता है। नये और पुराने खयालों में आज तक समझौता न तो हुआ है और न ही होगा। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो प्रॉपर्टी है बोहरा समाज की उसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि इन्टरवीन करे वह कर सकती है उसकी पावर्स है और इनटरवीन करके उसके एडल्ट फ्रेन्चाइज के अनुसार इलेक्शन करवा कर इस सारे झगड़े को हल कराया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर राज्य सरकार इन्टरवीन करती है तो कोई गैर कानूनी और मजहब के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह किसी समाज द्वारा जो एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स चलायी जाती हैं और उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है तो इसमें भी अगर कोई झगड़ा पड़ गया है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। उसके लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव कराये जायें। और जो मुल्लाजी द्वारा गैर कानूनी एक्ट्स कराये गये हैं उसके लिये आई. पी. सी. के तहत उन्हें सजा दिलायी जानी चाहिये। क्योंकि इन मुल्लाजी ने खुद ने गैर कानूनी काम किये हैं तथा लोगों को इनिशियेट किया है क्रिमिनल एक्टीविटीज के लिये इसलिये उन पर मुकदमें चलाना लाजिमी है। और उन्हें सजा दी जानी चाहिये।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नोट ऑन दी पॉइन्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन अलग है। अध्यक्ष महोदय, तीन

(श्री केदारनाथ)
मार्च से मालवीया इन्जीनियररिंग कॉलेज में हड़ताल चल रही है वहां के लड़कों ने कुछ अपनी डिमान्ड्स रखी है और उन्होंने कहा कि इन डिमान्ड्स को यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कौन्सिल में रैफर की जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय मैं दो मिनट में अर्ज करना चाहता हूं। उदयपुर में दाउदी बोहरा लोग जो हैं।

श्री अध्यक्ष : Not on this subject. I don't allow now.

श्री केदारनाथ : कल अध्यक्ष महोदय, एक स्टेटमैन्ट बोहरा कम्यूनिटी के बारे में मन्त्री महोदय दे दें तो अच्छा रहे। मान्यवर के इसके अलावा मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मालवीया इन्जीनियरिंग कॉलेज के छात्रों से होस्टल खाली करवा लिये गये हैं। तो स्टूडेन्ट्स कल वी. सी. से मिलने के लिये गये और उन्होंने वी. सी. से बातचीत भी की। तो वी. सी. ने कहा कि वह लोग अपनी डिमान्ड्स उनके पास भेज दें। मगर वॉइस प्रिन्सिपल ने बिना किसी नोटिस के अनिश्चित काल के लिए इन्जीनियरिंग कॉलेज को बन्द कर दिया 12 बजे तक होस्टल खाली करने के आदेश दे दिये। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी वॉइस प्रिन्सिपल को यह आदेश दें कि होस्टल खाली न हो। वॉइस चान्सलर से बात कर लें। वरना सारे कॉलेजों में ही हड़ताल हो जावेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ऐसी झलक थी और राज्य सरकार ने घोषणा की कि जो ब्लैक मार्केट करने वाले हैं उनको हथकड़ियां लगाकर घुमाया जायगा। उदाहरण ऐसा मिला है कि एक हैड कॉन्स्टेबल पुलिस का नाजायज रूप से जाने वाले ट्रक को लेजा रहा था।

श्री अध्यक्ष : किस पर बोल रहे हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैंने एडजोर्नमैंट मोशन रखा है उस पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हत्या के सम्बन्ध में !

श्री भानुकुमार शास्त्री : जी हां, हैड कॉन्स्टेबल पकड़ कर ट्रक लेजा रहा था ज्वार का। नम्बर 775। उसने उसको पकड़ा था। हैड कॉन्स्टेबल जिसका नाम महाबीर शर्मा है जिसकी विधवा मां दाखा बाई है। उसका नम्बर है 487। 30 जुलाई, 1973 को उसका मर्डर हुआ 7 महीने हो गए। उस हत्यारे का जिसने उसकी हत्या की उसका आज तक चालान नहीं किया गया। ट्रक जो पकड़ा गया। गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

164 में बयान दर्ज करवाये पता नहीं कहां गया। चालान तक नहीं किया। सब अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिये मुख्य मन्त्री, होम कमिश्नर, आई. जी. पी. सबको कम्पलेन्ट की उस विधवा ने कि मेरे पुत्र ने पुलिस में नौकरी की, उसने ज्वार का ट्रक पकड़ा उसको किसी ने मरवा दिया। उस ट्रक के मालिक ने थानेदार को पैसा दे दिया वह बेचारी मां तड़प

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
रही है । हैड कॉन्स्टेबल की हत्या हो गई, उसका पता नहीं लग रहा है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इन मामले में वक्तव्य दें । अपराधी को पकड़े। ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो नियम और व्यवस्था भंग हो जायेगी । फिर हथकड़ी लगाकर निकाला जायगा यह घोषणा निरर्थक हो जायेगी। साक्षात हत्या हुई है और उसका पता नहीं लगाया जा रहा है इससे बड़ा आश्चर्य होता है । राज्य सरकार हत्यारे को पकड़े और सजा दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार ने यह आदेश दिए थे कि कृषि भूमि के अवाप्ति के नोटिस दिये हैं वे वापिस कर लिये जावेंगे। सोडाला के 250 लोगों को कृषि भूमि अवाप्ति के नोटिस दे दिये। राजस्व मन्त्री जी ने घोषणा की थी उसके बावजूद भी उनको नोटिस दे दिये ।

श्री परसराम मदेरणा : क्वेश्चनं पूछा गया था । आश्वासन कब दिया गया था ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जब रामचन्द्र जी चौधरी राजस्व मन्त्री थे उन्होंने उस वक्त आश्वासन दिये थे ।

श्री परसराम मदेरणा : आश्वासन कब दिया ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हाउस में दिया था ?

श्री अध्यक्ष: Well this is not in the adjournment motion for to day.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक्यूट प्रॉब्लम है ।

श्री अध्यक्ष : हो सकती है एक्यूट प्रॉब्लम । I don't allow.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो मिनिट के लिये ।

श्री अध्यक्ष : जिस स्थगन प्रस्ताव को लिया ही नहीं मैंने उस पर आप कैसे बोलेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कोई विरोधाभास नहीं है । गरीबों की भूमि अवाप्त की जा रही है। बड़ा मानवीय प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसी सदन में पहले भी कई बार यह बात कही है कि जो एडजोर्नमेन्ट मोशन यहां नहीं है उस पर बात नहीं की जावेगी, चर्चा नहीं की जावेगी । उस पर मैं तकरीर करने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रश्न तो बड़ा मानवीय है ।

श्री अध्यक्ष : और कोई रेमेडी हो सकती है । आप इसको उस रूप में ला सकते हैं क्योंकि यह तो जरनल क्वेश्चन है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर शहर में भयंकर समस्या है ।

श्री अध्यक्ष : No. I will not allow it. You may come in the chamber and meet me.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, रात्रि के 12 बजे....

श्री अध्यक्ष : नोट अट दिस स्टेज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दूसरे स्थगन प्रस्ताव पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : लेट हिम फिनिश।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये तो बन्द होने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : Let him finish.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य सरकार एक ओर यह कहती है कि वस्तुओं के भाव नहीं बढ़ने चाहियें । दूसरी ओर राज्य सरकार के द्वारा संचालित जयपुर दुग्ध वितरण योजना के द्वारा पिछले दिनों दूध आदि चीजों के भाव बढ़ाये गये हैं:—

टोन्ड दूध	1.20 से 1.30 रुपये प्रति लिटर।
डबल टोन्ड	1.30 से 1.40 रुपये प्रति लिटर ।
स्टेन्डर्ड दूध	1.60 से 1.70 रुपये प्रति लिटर ।
मिल्क रोज	55 पैसे से 70 पैसे तक ।
कॉफी	50 पैसे से 60 पैसे तक ।
मक्खन	100 ग्राम के 1.75 रुपये से 2.50 रुपये तक। 500 ग्राम के 8 50 रुपये से 12.50 तक।
पनीर	7 रुपये किलो उसको बढ़ाकर 9 रुपये किलो कर दिया।

श्री अध्यक्ष : You are discussing general price rise while your motion is with regard to a particular commodity.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा संचालित दुग्ध वितरण योजना के द्वारा जब इस प्रकार वस्तुओं के भाव बढ़ाये गये हैं तो यह राज्य सरकार के बार बार कथनानुसार विपरित पड़ता है कि वस्तुओं के भाव नहीं बढ़ने चाहियें।

घी जहां 19) रुपये प्रति किलो बिकता था उसको 23) रुपये प्रति किलो कर दिया। इस प्रकार हर चीज में पैसे बढ़ाये गये हैं।

इस प्रकार जहां राज्य द्वारा संचालित विभाग द्वारा भी वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और जब हम यह क्वेश्चन करते हैं कि जयपुर शहर में पहले दुग्ध, मावा, चीनी आदि के ऊपर क्यों रोक लगाई गई थी तो मन्त्री जी ने जवाब दिया था कि उस समय भाव बहुत बढ़ गए थे। भाव तो अब बढ़ गए

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं अब क्यों नहीं कदम उठाते हैं ? इससे साफ लगता है कि राजनीति से प्रेरित आपका कदम था । मेरा सीधा मूल प्रश्न यही था कि जिन चीजों के लिए आपने जो जिक्र किया था उनके भाव बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी राजकीय डेयरी ने भी देख लीजिये कितना 1 साल में मूल्य बढ़ाया है अपनी वस्तुओं का । मिल्क डेयरी से जो दूध सप्लाई हो रहा है वह केवल चाय में ही काम आ सकता है पीने के लायक नहीं है । कूपन दिये जा रहे हैं । एक लिटर मिलेगा । सुबह का शाम को और शाम का सुबह मिलेगा । कैसी क्वालिटी है और क्या क्वान्टिटी है इस सब के बावजूद भी पैसे बढ़ा दिए गए हैं । फिर दूसरे लोग क्यों नहीं पैसे बढ़ायेंगे । यह अहमियत का प्रश्न है । मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कम से कम आपके पास डेयरी है इनके बढ़ते हुए भावों पर तो रोक लगायें वरना आपका यह कथन बिल्कुल थोथा रह जावेगा कि लोग मुनाफा कमा रहे थे इसलिए मावा, छेनों पर हमने रोक लगा दी थी । और यदि आपने डेयरी की बढ़ी हुई प्राईसेज पर भी रोक नहीं लगाई गई तो आपको दूसरों को उपदेश देने का काम नहीं रह जावेगा । इसलिए आप सबसे पहले डेयरी द्वारा बढ़ाये गये दामों को घटाइये । इस पर गम्भीरता से विचार करें । तब दूसरों को उपदेश देने की बात करें । यह बड़ी अहमियत का प्रश्न है । इसलिए मन्त्री जी इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी का वक्तव्य ।

शासकीय वक्तव्य

सरपंच संगसेरा पंचायत समिति डूंगला की पुलिस अधीक्षक चित्तौड़ द्वारा पिटाई

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री निरन्जननाथ आचार्य द्वारा सदन में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार हैं:—

पुलिस अधीक्षक चित्तौड़ ने बताया कि उन्हें रोज कुछ जनता के लोग मिलते हैं । उनकी व्यक्तिगत जानकारी सरपंच संगसेरा से नहीं हैं । इसलिए वह नहीं कह सकते कि सरपंच अपने क्लर्क व सचिव के साथ दिनांक 16-2-74 को उनके कार्यालय में उनसे मिले थे या नहीं । पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि उन्होंने इनकी पिटाई की हो । फिर भी राज्य सरकार ने यह उचित समझा है कि उदयपुर रेन्ज के उप महा निरीक्षक पुलिस को जांच करने के लिए कहा जा रहा है । सरपंच ने 16 फरवरी, 74 की घटना की सूचना 7-3-74 को दी ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने बयान एस. पी. का लेकर यहां पढ़ दिया । आपने थोड़ी भी तकलीफ नहीं फरमाई कि सरपंच और वह भी कांग्रेस दल का सरपंच जिसकी पिटाई एस. पी. ने की अपने स्टाफ के सामने, सचिव के सामने, उसकी जानकारी की जाय । उनका बयान भी ले लेते तो स्पष्ट हो जाता मामला । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ रोज पहले आपके स्वयं के प्रति जो व्यवहार

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

किया गया था, तब सदन को फिक्र हुई थी। यहां सदन परेशान हुआ था। जन प्रतिनिधियों के साथ इस तरह का बर्ताव जहां कहीं होता है तो यहां चिन्ता होती है। इसलिए आपसे यह अपेक्षा थी कि कम से कम इस प्रश्न पर जो प्रश्न प्रजातन्त्र की नींव का है, आप उग्र होंगे, उद्विग्न होंगे, चिन्तातुर होंगे। पर आप उदासीन हो गए लगते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.पी. की स्वयं की याददाश्त बहुत कमजोर मालूम होती है। यह जन प्रतिनिधि सरपंच उनसे पहली बार नहीं मिला है। पहले भी दो बार मिल चुका है। दो बार मिला है उनसे, पंचायत एक्ट के अन्तर्गत 85 सेक्शन के सम्बन्ध में पुलिस की सहायता लेने के लिए। एस. डी. ओ. का पर्चा लेकर और सरपंच उनके कमरे में दाखिल हुआ। वहां उनको गालियां दी गई कमरे में। एस. डी. ओ. के आदेश से वे वहां गए थे। तमाचा इस जोर से मारा कि जिससे उनका साफा नीचे गिर गया। सरपंच का साफा माननीय मन्त्री जी का साफा नहीं है, प्रजातन्त्र का साफा है। हमारी जनतन्त्र की प्रणाली का यह साफा है। इस एस. पी. ने इन्हीं के साथ पिटाई नहीं की है। मेरी जानकारी में यह भी लाया गया है कि इससे पहले भी दो-तीन सरपंच और पंच के साथ में पिटाई की है। मैं चाहता हूं कि जिस उद्विग्नता से आपका प्रश्न सदन में देखा गया था उसी उद्विग्नता से आप इस प्रश्न को देखें। यह नहीं है कि ये एस. पी. एक ही की पिटाई करके प्रसन्न हुए हों। हरिसिंह सरपंच, दांतली और छोटी सादड़ी के सरपंच को थाने में इन्हीं महानुभाव ने बुलाया और वहां बुरी तरह से पिटाई की। गम्भीरा पंच, बनेड़ा को भी इन्हीं के इशारे पर पिटाई हुई। इनके हाथ प्रजातंत्र के प्रतिनिधिओं और जन प्रतिनिधियों पर बहुत खुले हुए हैं। न जाने कहा से इनको संरक्षण प्राप्त है। आप कह रहे हैं कि इसकी जांच दूसरे पुलिस अधिकारी से का ही होगा। वह अधिकारी भी पुलिस का ही होगा। यह सबसे बुरी बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले को लोकायुक्त को रेफर करदें। लोकायुक्त आपके कानून के अन्तर्गत सक्षम भी हैं। इसको रेफर करने में देर न हो और शहादतों में भी कोई गड़बड़ी न की जावे इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि तब तक के लिये इन महानुभाव को महरबानी करके वहां से हटा दें। यह सारी पंचायत समितियों की मानहानि का मामला है। इनको वहां से हटा दीजिये ताकि उनको इन्टिमिडेशन गवाहियों का करने का मौका नहीं मिले। ये एक्सरसाइज करने लग गये हैं अपने प्रभाव को इन्टिमिडेशन करने को ऐसी सूचना मुझे मिली है। फिर आप इसको लोकायुक्त को रेफर कर दें जिससे निष्पक्ष जांच हो सके।

श्री गुमानमल लोढ़ा: मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: आप कर दीजिये। पर यह रेगुलर डिबेट नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: दो शब्दों में समाप्त कर दूंगा। अच्छा हुआ कि यह प्रश्न यहां उठाया गया। पुलिस द्वारा पिटाई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
के ऐसे कई मामले आते रहते हैं। यह अकेला ही नहीं है। यह अगर सदन में आगया है तो इसे गम्भीरता से लेना चाहिये। अगर पुलिस अधिकारी से ही जांच करवाना चाहते हैं तो वह सुपीरियर रैंक का होना चाहिये। डी. आई. जी. करें या आई. जी. स्वयं करें।

दूसरी बात यह जानना चाहूंगा कि जब तक यह जांच हो प्राइमाफेसी रूप से अगर यह बात प्रमाणित हो गई हो कि उसको तमाचा मारा गया है तो निश्चित रूप से खुले रूप में इस आदमी ने जनतांत्रिक पद्धति का और पंचायत समितियों का अपमान किया है। ऐसी हालत में कम से कम क्या आप उसे वहां से हटाना जरूरी नहीं समझेंगे। सस्पेण्ड नहीं करना चाहें, मत करें। करना तो सस्पेण्ड चाहिये, पर अगर इतनी हिम्मत आप में नहीं है तो मत करिये। इतनी हिम्मत कर स्थानान्तरण अवश्य कर दीजिए ताकि वहां गवाहियों पर असर नहीं डाल सके।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने एस. पी. से जवाब मांगा है। डी. आई. जी. को आप जांच का काम नहीं सौंप रहे हैं। आप उसका वहां से स्थानान्तरण भी नहीं करना चाहते। एक निर्वाचित जनतंत्र संस्था के प्रतिनिधि को एस. पी. पीटे और भूल जावे। उसे इन्टीमिडेट किया जावे ऐसी स्थिति में आप ठीक निर्णय लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्पष्ट है कि एक इलेक्टेड आदमी की बेइज्जती की गई। यह आपके साथ भी हो चुका है। आप इस का दर्द महसूस करते हैं। आप जानते हैं हमने आपका दर्द महसूस किया था। अब एस. पी. की जांच डी.आई.जी. करेगा। एक पुलिस सर्विस का आदमी दूसरे पुलिस सर्विस के आदमी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करेगा चाहे वह तथ्य ही क्यों न हो। आप क्या समझते हैं कि डी.आई.जी. सही बात आपको कह देंगे, सही रिपोर्ट दे देंगे? हरगिज नहीं देंगे। एक सर्विस का आदमी अपने साथी के साथ इस तरह कभी नहीं करेगा? इससे तो यह जवाब देना अच्छा है कि आप कुछ नहीं करना चाहते। इस डी.आई. जी. की जांच का कोई नतीजा नही निकलने वाला है। अगर वास्तव में आप जांच ही करना चाहते हैं तो इस मामले को लोकायुक्त को दे दीजिये और तब तक के लिये कम से कम इस एस. पी. को हैड क्वार्टर बुला लीजिये। इमीजिएटली यह तथ्य भी आपने एस्र्टेन कर लिया होगा जैसा कि आचार्यजी ने कहा कि पहले भी दो सरपंचों पर ये हजरत हाथ उठा चुके हैं इस एस. पी. की आदत जनप्रतिनिधियों का अपमान करने की हो गई है। अव्वल तो चाहिये यह था कि ऐसे आदमी को आप तुरन्त ही सस्पेण्ड करके जांच शुरू करते, चार्ज शीट देते। पर इतना नहीं कर सके तो अब तुरन्त लोकायुक्त से जांच कराने का निर्णय करें और उसे हैड क्वार्टर पर बुला लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आपका कट मोशन नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर जनतन्त्र के लिये हमें गौरव थोड़ा सा भी होता तो यह अब तक वहां से हटा लिया गया होता और सदन को कॉन्फीडेन्स में लिया गया

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

होता। आप इसकी जांच सी. बी. आई. को दीजिये, लोकायुक्त को नहीं देना चाहते तो और किसी इन्स्टीट्यूशन को दीजिये। दो तीन सदन के सदस्यों की एन्क्वायरी कमेटी बना दीजिये। चार्ज शीट दें इसे और कठघरे में खड़ा करें इस एस. पी. को। जिसकी ऐसी आदत पड़ गई है उसको उचित सजा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसकी आदत है जन प्रतिनिधियों के साथ मार पीट करने की लेकिन चित्तौड़ के एस. पी. के खिलाफ यह पहली सूचना प्राप्त हुई है, अन्य सूचना उपलब्ध नहीं है। यह घटना 16-2-74 की बताते हैं और सरपंच ने 7-3-74 को शिकायत की है। सरपंच ने जो भी शिकायत की है उसमें बीच में कोई बात अंकित नहीं की है। माननीय सदस्य ने जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है। लेकिन सरपंच ने जो शिकायत की है उसमें पीटने की शिकायत नहीं है। उस दरख्वास्त को मैं पढ़ दूं ...

पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और मुझे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया।

जैसा एडजोर्नमेंट मोशन में लिखा है, इस प्रकार की शिकायत स्वयं सरपंच नहीं करता है। 7-3-74 से पहले नहीं की है। उदयपुर के डी. आई. जी. हैं मिस्टर सक्सेना जिनकी इन्टेग्रिटि में कोई डाऊट नहीं कर सकता है। उनको प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी के लिये केस भेज दिया गया है और वह वहां पर जेर तफतीश हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो शिकायत की दरख्वास्त मेरे पास है उसे मैं यहां सदन की मेज पर रखता हूं। यह शिकायत का सारा कच्चा चिट्ठा है।

मांगों का प्रस्तुतिकरण

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62, 51, 56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

एक माननीय सदस्य : 24 और 25 दो हैं।

श्री खेतसिंह : बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48, 59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

श्री खेतसिंह : अभी और है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री खेतसिंह)
वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 46, 74, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगे प्रस्तुत हुईं। कटौती प्रस्ताव।

मांग संख्या 24, 25 व 6 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर) :

(1) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के अनुपात में क्रमोन्नत किए जाने पर चर्चा के लिए)।

(2) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (संस्कृत प्राध्यापकों तथा अन्य प्राध्यापकों के वेतनमानों में भेदभाव व असमानता पर चर्चा के लिए)।

(3) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों के चिकित्सा बिलों के भुगतान समय पर न किए जाने पर चर्चा के लिए)।

(4) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कला विद्यालयों की कमी पर चर्चा के लिए)।

(5) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग द्वारा संग्रहालयों की उचित देख रेख नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए)।

(6) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (प्राचीन हस्तलेखों का परीक्षण करने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

(7) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (सार्वजनिक पुस्तकालय की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

(8) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(9) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (मुन्सिफ न्यायालयों में निर्णयों में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए)।

(10) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (जनता को सस्ता न्याय दिलाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

(11) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

(12) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री दीपंकर)

कम कर दिया जाए (राजकीय शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

(13) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (बाड़मेर जिले के बालोतरा सब-डिवीजन के हैडक्वार्टर बालोतरा में डिग्री कॉलेज खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

(14) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (बाड़मेर नगर में बाड़मेर गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिए)।

(15) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (बाड़मेर जिले में निम्न स्थानों पर सैकेण्डरी स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

(1) राणी गांव।

(2) वैसाला।

(2) सवाऊ पदमसिंह।

(16) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की शिक्षा प्रणाली की अव्यवहारिकता पर चर्चा के लिए)।

(17) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (आदर्श विद्या मन्दिर, जयपुर की साम्प्रदायिक प्रवृत्तियां, राज्य सरकार द्वारा उक्त विद्यालय को अनुदान में दी गई राशि का दुरुपयोग एवं उक्त विद्यालय की नाजायज प्रवृत्तियां के बारे में राज्य सरकार द्वारा सी. आई. डी. अपराध शाखा द्वारा जो जांच करा रही है उसमें विलम्ब के बारे में चर्चा के लिए)।

(18) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (बाड़मेर जिले में बायत सैकेन्डरी को हाई सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने एवं विज्ञान के विषय की कक्षा खोलने पर चर्चा के लिए)।

(19) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाये (राजस्थान सरकार की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(20) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाडमेर गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल को हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

(21) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों से जो शिक्षा की दृष्टि से सभी जिलों से पिछड़े हुये जिले हैं उनमें अधिक प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों के खोलने के विषय पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(22) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की प्राईमरी एवं मिडिल स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिए अधिक राशि के प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(23) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(24) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (वकीलों को कमीशन की नियुक्ति कर कोर्ट के फाईलें उन्हें दिलाकर शहादत लेने में जो अधिकार दिये हैं उनसे कोर्ट की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है और न्याय में निष्पक्षता बरती जाने पर सन्देह होने लगा है इस पर चर्चा के लिये)।

(25) मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

(26) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (झालरापाटन में सैकेन्डरी स्कूल को हायर सैकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किए जाने पर चर्चा के लिए)।

(27) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (शिक्षा का स्तर गिरने पर चर्चा के लिए)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा जोधपुर) :

(28) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (अध्यापकों के स्थानान्तरण की राज्य सरकार की दृढता से लागू की जाय इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(29) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाए (राजस्थान के पोलिटेक्निक में नए कोर्सेज के चालू करने एवं डिमोन्स्ट्रेटर्स के ग्रेड बढ़ाने और तरक्की के लिए चर्चा के लिए)।

(30) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपया कम कर दिया जाए (उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय एवं दयानन्द कन्या माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर को माध्यमिक स्तर का अनुदान न मिलने पर चर्चा के लिए)।

(31) मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (राजकीय मांटेसरी पाठशाला, जोधपुर के नए भवन को

Page No 65

65

(श्री अमृतलाल गहलोत)
जो पिछले 8 वर्षो से अधूरा पड़ा है, उसे पूर्ण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

32 मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को एडहॉक ग्रान्ट इन एड स्वीकार कराने के लिए राज्य सरकार से स्पष्ट निति निर्धारण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) :

श्री भगराज चोधरी (रानीवाडा):

33. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पिछले 2 वर्षों में सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूलों के न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

34. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति गुणात्मक या मात्रात्मक के अभाव से जनता में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री चतरभुज (टोडारायसिंह)

35. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक की जनता द्वारा भवन निर्माण की मांग करने पर भी राज्य सरकार की उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली नगरपालिका क्षेत्र में जनता द्वारा बनाये गये कॉलेज भवन में जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी कॉलेज चालू नहीं करने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):

37. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों में परिवर्तन कर एक रूप लाकर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मूल्य के आधार पर न्यायालयों का निर्माण नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

39. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ा बाजार, नाथद्वारा को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा में विज्ञान कक्षायें प्रारंभ किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मनोहर कोठारी)
कम कर दिया जाय (कन्या माध्यमिक विद्यालय, नाथद्वारा को उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने संबंधी चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालार विद्यालय में खेल के मैदान निर्माण में उपयुक्त सहायता न देने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा में प्रयोगशालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमती जड़ाव बाई बिनानी छात्रावास नाथद्वारा का 'गिफ्ट डीड' निष्पादन में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़):

45. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 - के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों की वर्तमान व्यवस्था के दोषों के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा):

47. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दर दिया जाय (राज्य में सस्ती व प्रभावशाली शिक्षा प्रणाली लागू कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

49. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत प्राध्यापकों व अन्य कला के प्राध्यापकों के वेतनमानों की असमानता दूर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 288—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बधिर मूक और अन्य विद्यालयों में साधनों की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 308—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के माध्यम से राजस्थान नहर क्षेत्र में होने वाले व्यय के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 677—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तकनीकी शिक्षा में अग्रेतर अध्ययन हेतु दिये जाने वाले ऋण की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कम कर दिया जाय (तृतीय व द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (5 लाख रुपये की पुस्तक के खरीदने के संबंध में बर्ती गई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रान्ट-इन-एड के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

56. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

57. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278—के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (संग्रहालयों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी न्यासियों की नियुक्तियों में होने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

59. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक शहर में उच्च माध्यमिक स्कूल में नागरिक शास्त्र (सिविक्स) न होने पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के स्कूलों में मास्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (पाटन) :

61. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के स्तर को ऊंचा कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

62. मांग संख्या 24; मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा के ग्रामीण मिडिल स्कूल एवं हायर सैकण्ड्री स्कूल भवनों पर सहायता दिलाने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा के गांव देपुरा मिडिल स्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर):

64. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़):

65. मांग संख्या 24. मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर्ट्स व कॉमर्स कॉलेज, सुजानगढ़ तथा विज्ञान कॉलेज, लाडनूं (जसवन्त गढ़)में कमियों पर चर्चा के लिए)

श्रीमती सुमित्रासिंह :

66. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों में बढ़ते हुए असंतोष एवं अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

67. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालू में वाणिज्य विषय की स्वीकृति हेतु चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय स्नातकोत्तर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर में (महिला एवं पुरुष) छात्रावासों में स्थानाभाव पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट होने की हालत कृषक परिवार से संबधित विद्यार्थियों को जो माध्यमिक कॉलेज अथवा अन्य तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हो विशेष आर्थिक सहयोग देने का व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर के देहाती क्षेत्रों के विद्यार्थियों के निवास हेतु छात्रावासों की व्यवस्था की कमी पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक तहसील में माध्यमिक शिक्षा हेतु कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय ऐसा हो जहां समस्त वैकल्पिक विषय पढ़ाने की व्यवस्था के साथ साथ देहाती क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास की भी व्यवस्था हो पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्र में स्त्री शिक्षा प्रसार हेतु विशेष प्रेरक सहायता की व्यवस्था के लिये प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्रों की कम से कम 100 लकड़ियों

(श्री भीमसिंह)
लिये छात्रावास की स्वीकृति पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (सीमावर्ती छात्रावास बीकानेर में छात्र प्रवेश संख्या 100 के बजाय 150 तक बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर सत्र न्यायालय सिविल व मुंसिफ न्यायालयों के एडवोकेट्स के लिये चेम्बर एवं यूरिनल की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर):

76. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को जीविका अर्जित करने योग्य बनाने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय छात्रों की समस्याएं एवं उनके प्रति सरकार का दृष्टिकोण पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):

78. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय उच्चतम माध्यमिक पाठशाला तामकोट में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कृषि व विज्ञान की कक्षायें खोली जायें इस पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (ग्रामीण क्षेत्र में उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में चल रही कृषि व विज्ञान की पढ़ाई न कराये जाने पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्चतम माध्यमिक पाठशाला 3-0 ओ में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि व विज्ञान की कक्षायें खोली जाने पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजाबी पढ़ाने वाले अध्यापकों को संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों के बराबर प्रमोशन्स व ग्रेड्स और दूसरी सुविधायें न देने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गजसिंहपुर में पंजाबी न पढ़ाये जाने पर चर्चा के लिए)।

83. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय में पंजाबी का वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं पढ़ाये जाने के कारण चर्चा के लिए)।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

84. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (प्रथम वर्ष टी. डी. सी. कक्षा में विज्ञान की भारत की सभ्यता एवं संस्कृति नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है उसमें सिख गुरु सायबान का उल्लेख व सिख कवियों का उल्लेख न करने पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (नोहर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत कायम करने हेतु चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (पदमपुर में मुन्सिफ न्यायालय का कार्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (करनपुर मजिस्ट्रेट कार्यालय में पिछले कई वर्षों से इसलिये बहुत मुकदमें विचाराधीन हैं कि हर महाने में करणपुर में 15 दिन जाना होता है और 15 दिन गंगानगर में कार्य करना होता है इसलिये करणपुर में स्थाई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

88. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कॉलेज का भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

89. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत कॉलेज दौसा का भवन निर्माण कार्य पूरा कराने में विभाग द्वारा कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिए)।

90. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक कन्याशाला, दौसा के लिए स्थान की कमी पर चर्चा के लिए)।

91. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर लिया जाय (ग्राम सैंथल में कृषि शिक्षा हेतु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जावे इस पर चर्चा के लिए)।

92. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा कॉलेज में पूरक परीक्षा केन्द्र चालू कराने पर चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा राजकीय कॉलेज में 'पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षायें (आर्ट्स, साइन्स, कामर्स) की चालू की जावे इस पर चर्चा के लिए)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

94. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित कराने पर चर्चा के लिए)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

95. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय स्थापित किया जावे इस पर चर्चा के लिए)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

96. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जावे (लालसोट व चाकसू तहसील की उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जावे इस पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट व चाकसू तहसीलों (जयपुर) के उच्चतर माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों की पूर्ति कराने पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटखावदा (तहसील चाकसू) के उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक शालाओं में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट (जयपुर) में एक डिग्री कॉलेज खोला जावे इस पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट सैकेण्डरी स्कूल को क्रमोन्नत कराने व शीघ्र ही वाणिज्य विषय खुलवाने हेतु चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट तहसील के रामगढ़, पचवारा, डीडवाना, राहूवास, दौलतपुरा के उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत कर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूल खोले जावें इस पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च प्राथमिक शाला लालसोट, मंडावरी, बेसिक शाला लालसोट व कन्या जिला जयपुर के उच्च प्राथमिक शालाओं को क्रमोन्नत कर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

103. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की विभिन्न संस्कृत शालाओं को 90 सरकारी सहायता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) :

104. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी में जिला सत्र न्यायालय स्थापित किया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी):

105. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी हायर सैकण्ड्री स्कूल में कॉमर्स, बाइलोजी के विषय खोलने के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील चाकसू में चन्दलाई सैकण्ड्री स्कूल को हायर सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)

108. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू सैकण्ड्री स्कूल को हायर सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय को सुलभ बनाने के लिए हाई कोर्ट की बैंच को जयपुर में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

111. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बी. एस. टी. सी. डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में अनुसूचित जाति, जन जाति की भर्ती में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाने में शिथिलता एवं विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा को डिग्री कॉलेज से पोस्ट डिग्री कॉलेज बनाने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नाथूराम)

कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूल ग्रोजना व कालिजरा को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वोंरी माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परतापुर तथा बागीडोरा गर्ल्स मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में शाला भवन के निर्माण संबंधी निर्णय में राज्य सरकार के अनुदार व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण अन्चल में मोबाइल मजिस्ट्रेट लगाकर सस्ते न्याय की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुंडा (फतेहपुर) :

119. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कॉलेज शिक्षा को Job-oriented बनाने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर में फतेहपुर तहसील में और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सीकर के गांव कूदन की हायर सैकेन्डरी स्कूल में कामर्स व बायलॉजी की कक्षायें खोलने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की फतेहपुर सब-डिस्ट्रिक्ट में अलग से मुन्सफी अदालत की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

श्री करणसिंह (डीग) :

123. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (न्याय प्रणाली में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :

125. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किशनगढ़ रैन-

(श्री पी. के. चौधरी)
वाल हायर सैकन्डरी स्कूल में कॉमर्स क्लास खोलने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (सांभर कॉलेज में साइन्स क्लास खुलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

127. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही स्कूलों में अध्यापकों की पूरी नियुक्ति न होने से पढ़ाई में आने वाली बाधाओं के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय मिले इस दृष्टि से जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच कायम हो इस पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

129. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा तबादलों में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोअर न्यायालयों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

131. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के सुधार के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के साथ सार्वजनिक छात्रावासों की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर उच्च माध्यमिक पाठशाला सार्वजनिक छात्रावास भवनों की जीर्ण अवस्था की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में उच्च प्राथमिक कन्या उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठशाला भवनों के लिए विभाग द्वारा अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

136. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा स्तर के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

137. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(पंचायत समिति, सांचोर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों को लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्नातकों को शिक्षक भर्ती करने में छूट देने कि चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर उच्च राजकीय माध्यमिक पाठशाला सार्वजनिक छात्रावास को सालाना अनुदान न मिलने से छात्रों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुधर बालिका विद्या संस्थान विद्याबाड़ी, जिला पाली को सरकार के आश्वासनों के बावजूद 80 प्रतिशत अनुदान दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्दिरा गांधी बालिका विद्या संस्थान अरड़ावतां को 80 प्रतिशत अनुदान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के शिक्षकों की वाजिब मांगों की क्रियान्विती के बारे में चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से सम्पूर्ण रूप से पृथक् करने की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण के पश्चात् पुलिस की प्रोसीक्यूशन ब्रांच के भविष्य के बारे में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोअर न्यायालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका में न्याय प्रशासन के अधिकारियों के वेतनमानों के सुधार के बारे में चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय-प्रशासन में सेशन जज एवं सीनियर सिविल जजों के वेतनमानों की भिन्नता पर चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

148. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोअर न्यायालयों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के निपटारे के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर) :

149. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में ग्रान्ट-इन-एड के केसेज को स्टाफ द्वारा नाजायज तौर से दबाये रखने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजेन्द्र हाई स्कूल को क्रमोन्नत हायर सैकण्डरी स्कूल न बनाकर सिंधी लिंग्विस्टिक माईनोरिटी के साथ उचित व्यवहार न करने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिन्ध से आये प्राईमरी टीचर्स की 58 से 60 साल की आयु तक कन्टीन्यूड सर्विस न करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर गवर्नमेन्ट कॉलेज में भूगोल विषय में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुलने पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर में लड़कियों के लिये सरकारी महाविद्यालय अलग से न चालू करने से काफी तादाद में क्वालीफाइड लड़कियों के प्रवेश पाने से वंचित रहने पर चर्चा के लिए)।

154. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ खोलने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार, जयपुर) :

155. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा-पद्धति में जो परिवर्तन जरूरी है उनके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एडवोकेट जनरल की नियुक्ति में किये गये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) :

157. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की अनुपस्थिति से विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
कम कर दिया जाय (सीमावर्ती बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी व मिडिल व हायर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या बढ़ाने की चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के विद्यार्थियों को समय पर शिक्षा-सामग्री व पाठ्य पुस्तकें आदि समय पर उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्राम दासूड़ी तहसील कोलायत के मिडिल स्कूल को सुचारु रूप से चलाने व अध्यापकों की व्यवस्था कराने के लिये चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम झाड़ेली में मिडिल स्कूल खोलने की चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम मैनसर में मिडिल स्कूल खोलने की चर्चा के लिये)।

163. मांग सख्या 24, मुख्य-शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम सियाना में मिडिल खोलने के लिये चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम खिदासर में मिडिल स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम बनिया तहसील नोखा की स्कूल को सुचारु रूप से चलाने की चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम कक्कू की प्राईमरी पाठशाला को मिडिल स्कूल में परिवर्तन करने की चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम सारुड़ा के प्राथमिक पाठशाला को मिडिल स्कूल में खोलने की चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम नाथूसर में प्राथमिक पाठशाला से मिडिल स्कूल खोलने की चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील के ग्राम धरनोख में मिडिल स्कूल खोले जाने के बाद भी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 78

(78)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

170. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम अकासर में मिडिल स्कूल से हायर सैकण्डरी में परिवर्तन कराने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम भभू में एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिये चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर के तहसील कोलायत के ग्राम नोखड़ा में एक मिडिल स्कूल खोलने की चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोखा मंडी के हाई स्कूल भवन के बरामदे का अचानक गिर जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के कस्बे की नोखा मंडी में एक लड़कियों की हाई स्कूल खोलने के लिये चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के तहसील नोखा के ग्राम देसलसर में हाई स्कूल खोले जाने की चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम पांचू में हाई स्कूल के खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा ग्राम जसरासर में हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवाई जाने हेतु चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के तहसील कोलायत ग्राम गिर्राजसर में मिडिल स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दस लाख रुपये की लागत का भवन तैयार होने पर भी कस्बा नोखा, जिला बीकानेर में कालेज नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र पटेल (सिकराय) :

180. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नांगल राजावतान, पापड़दा व रानोली में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम शेखपुरया,

(श्री रामचन्द्र पटेल)
तहसील सिकराय व लाहडी का बास तहसील दौसा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

182. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा-पद्धति को विकासोन्मुख शिक्षा पद्धति में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

183. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान शाला द्वारा प्रचलित नेशनल साईन्स टेलेन्ट सर्च स्कीम के अन्तर्गत ली जाने वाली परीक्षा केन्द्र खुलवाले हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के जिला न्यायालयों में बढ़ती हुई कार्य-शिथिलता एवं लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :

185. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन के बारे में चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा) :

187. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना उच्च प्राथमिक छात्रा विद्या भवन के अभाव के कारण से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोहर थाना उच्च माध्यमिक विद्यालय में साइन्स मैथेमेटिक्स विषय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा माध्यमिक शाला में कॉमर्स विषय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा, जिला झालावाड़) के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत करने की चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा मुंसिफ

(श्री भैरूलाल)
मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानाभाव से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर) :

192. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्ष 74-75 में उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शाला के रूप में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

193. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में विकास खण्ड के नाम से अनुचित वसूली पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण पर चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श विद्या मन्दिर जयपुर द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने, अध्यापकों को गैर कानूनन ढंग से नौकरी से निकालने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक की गतिविधियों का अड्डा बनाने आदि अनियमितताओं के बावजूद भी इसे अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में शिक्षण संस्थाओं के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विद्यार्थी फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत 37 सूत्री मांग-पत्र पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक, 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला शिक्षा निरीक्षक अलवर के विरुद्ध जिला शिक्षक संघ अलवर द्वारा शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत शिकायतों पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर में अनियमित एवं पक्षपात-पूर्ण नियुक्तियां, बरखास्तगी, अवैधानिक कार्यवाही एवं वित्तीय अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के लिये)।

200. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के अनुचित तबादलों पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान बजट में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को जो कम महत्त्व दिया गया गया है उस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

202. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मॉण्टेसरी प्रशिक्षित अध्यापकों की राज्य सेवा में नियुक्ति किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :

203. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सुलभ व सस्ता न्याय उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री हनुमानसहाय (बैराठ) :

205. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील विराटनगर के कस्बा मेड़ में हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं शाहपुरा में कॉलेज स्थापित किए जाने पर चर्चा के लिए)।

206. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के प्रशासन में सुधार किये जाने एवं अध्यापकों की उचित व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये विभाग द्वारा अंशदान रखे जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

208. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले के शिक्षा कार्यालय को पुराने पागल खाने के मकान से सांगानेरी गेट पर खाली होने वाले न्यायालय भवन में स्थानान्तरण किए जाने के क्रम में चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माध्यमिक (मिडिल) शिक्षा तक की शालाओं की व्यवस्था एवं नियुक्ति कार्य जिला परिषदों का स्थानान्तरण किए जाने पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति विराट नगर के शिक्षा प्रसार अधिकारी द्वारा अध्यापकों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेठों की धर्मशाला, ग्राम अमसार तहसील विराट नगर पर शिक्षा विभाग द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जोजेकला

(श्री हनुमानसहाय)
सैकेण्डरी स्कूल में कृषि व विज्ञान विषय खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराट नगर तहसील के क्षेत्रों की सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों में अध्यापकों द्वारा अध्यापन नहीं कराने के कारण वर्ष 1967 से 1972 तक के परिणामों की (परीक्षा) में भारी कमी होने पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत पाठशाला शिवसिंहपुरा (जयपुर) को अनुदान नहीं देना और राज्याधीन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराट नगर तहसील की सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों के निजी फण्ड की धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कॉलेज शिक्षा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिए)।

217. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विराट नगर तहसील की सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी स्कूलों में कृषि, वाणिज्य एवं विज्ञान विषय चालू किये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

218. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के अनुचित स्थानान्तरण के सम्बन्ध में हुये अनुचित टी. ए. के खर्चे पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

220. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में थाना चंदवाजी के मुकद्दमों के चालान न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट शाहपुरा के अधीनस्थ लगाये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा):

221. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान की राशि का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा जॉब ओरियेन्टेड नहीं होने से व शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद)
कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये)।

224 मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका में सुधार लाने एवं प्रक्रिया को गतिशील बनाने पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्वी राजस्थान को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिये जयपुर में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ तुरन्त स्थापित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली):

226. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा हेतु व्यवस्था न किये जाने से फैल रही अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के आदिवासी गरासिया क्षेत्र में योग्य अध्यापकों के उपलब्ध न होने से प्राथमिक शालाओं के बन्द रहने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

228. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक वर्ग का कुल वेतन ग्रान्ट-इन-एड के रूप में स्वीकृत कर व्याप्त असन्तोष व अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रावधान रखने पर चर्चा के लिए)।

229. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की बाली व देसूरी तहसीलों के न्यायिक मामलों (सिविल व क्रिमिनल) का अधिकार क्षेत्र अतिरिक्त सिविल एण्ड सेशन्स न्यायालय, सिरोही से हटाकर पाली में करने हेतु आवश्यक प्रावधान न करने पर चर्चा हेतु)।

श्री बनवारीलाल (निवाई):

230. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर कॉलिज में पोस्ट ग्रेजूएट कक्षाएं एवं कानून की कक्षाएं खोलने के बाबत चर्चा के लिए)।

प्रो. श्री केदारनाथ (गंगानगर):

231. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शिक्षा की पद्धति में मौलिक परिवर्तन करने में असफल रही पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार शिक्षा को Job Oriented बनाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिए)।

233. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री केदारनाथ)

कम कर दिया जाय (राज्य सरकार तीनों विश्वविद्यालयों के मौजूदा एक्ट्स में एकरूपता लाने के लिये मौलिक परिवर्तन लाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों व महाविद्यालयों के अध्यापकों को नौकरी में सुरक्षा (सिक्यूरिटी ऑफ सर्विस) दिलाने में असफल रही पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार पब्लिक स्कूलों पर अपना नियन्त्रण कायम करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार छात्रों में बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने में असफल रही पर चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 24; मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार खेल के प्रोत्साहन व विस्तार के लिये स्पोर्ट स्कूल खोलने में असफल रही पर चर्चा के लिये)।

प्रो. श्री केदारनाथ (गंगानगर):

श्री रामकिशन (भरतपुर):

238. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान पुराने नियमों के अनुसार दी जाती है जबकि वर्तमान स्थिति में उन नियमों के आधार पूर्णतः विपरीत हो गये हैं इस पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार अभी तक सनातन धर्म हायर सैकेण्डरी स्कूल, श्री गंगानगर को राजकीय अनुदान दिलाने में असमर्थ रही जबकि यह संस्था 1968 से सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत हो गई है इस पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 24; मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार सरस्वती बाल मन्दिर, जयपुर में 3 के स्थान पर 5 अध्यापकों पर अनुदान स्वीकृत करने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार गंगानगर जिले में विभागीय बी. एस. टी. सी. प्रशिक्षण की व्यवस्था करने में असमर्थ रही पर चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर में छात्रावास में स्थानों में वृद्धि करने में असमर्थ रही पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार अभी तक महर्षि दयानन्द महाविद्यालय,

Page No 85

85

(प्रो. श्री केदारनाथ)
(श्री रामकिशन)
श्री गंगानगर को राजकीय अनुदान देने में असमर्थ रही, पर चर्चा के लिये)।

244. मांग-संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के बाल संसार कन्या पाठशाला, श्री गंगानगर व नालन्दा कन्या पाठशाला श्री गंगानगर और नेहरू स्मारक पाठशाला के अनुदान राशि को बन्द करने के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

245. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार नोहर में व श्रीकरनपुर व वैर में अलग मुंसिफ मजिस्ट्रेट अदालत कायम करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में आर. ए. एस. अधिकारियों व सीनीयर आर. ए. एस. अधिकारियों के एब्जॉर्शन के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू) :

247. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में लोहिया कॉलेज में पुस्तकालय के निर्माण हेतु धनराशि की पूर्ण व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में खेल-कूद के स्थानों के लिए कमी तथा स्टेडियम की कमी पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत शिक्षा निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात और निरंकुशता पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय. (संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कॉलेज चूरू में इतिहास, गणित, अर्थशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणिशास्त्र आदि विषयों में स्नातकोत्तर पढ़ाई चालू नहीं करवाई गई इस पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में न्यायालयों के लिये स्थानाभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना) :

253. मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिए)

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) :

254. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री सुरेशचन्द्र)
कम कर दिया जाय (कोटपूतली में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील के ग्राम प्रागपुरा बड़नगर व छादड़ा में सैकेन्डरी स्कूल खोलने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में स्कूल भवन हेतु राशि दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

257. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा का उचित प्रसार किये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा) :

258. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में शिक्षा विभाग की स्कूलों में अध्यापकों की कमियाँ और शिक्षा साधनों की कमियों के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

259. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों एवं महाविद्यालयों में श्रमगार की शिक्षा देने हेतु कक्षाएं खोलने के क्रम में चर्चा के लिए)।

260. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष खोले गये प्राइमरी एवम् मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

261. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कैमला तहसील नादोती ग्राम सेवा, ग्राम टोकली ग्राम छोटी उदेई एवम् तलावड़ा ग्राम पिलोदा में सैकेन्डरी स्कूल खोलने के विषय में चर्चा के लिए)।

262. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) :

263. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़ी सादड़ी हायर सैकेन्डरी स्कूल में ग्यारहवी कक्षा में बायलॉजी खोलने पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

265—मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, छोटी सादड़ी का प्रति माह दस दिन का कैम्प बड़ी सादड़ी में रखने पर चर्चा के लिए)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) :

266. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में फर्नीचर, टाटपट्टी आदि नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा हेतु)।

267. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में न्याय प्रशासन को अनुचित रूप से प्रभावित करने एवं इससे उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री मनोहरलाल (कामां) :

268. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग तथा पंचायत समितियों के अध्यापकों को समान स्तर पर लाने हेतु चर्चा के लिए)।

269. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोलखेड़ा, नौनेरा, कैथवाड़ा में उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिए)।

270. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील डीग में खो माध्यमिक विद्यालय में हुए गबन के मामलों पर चर्चा के लिए)।

271. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग-कामां में डिग्री कॉलेज खुलवाने हेतु चर्चा के लिए)।

272. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के स्थिरीकरण तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

273. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ग्यारहवीं कक्षा में समस्त कला विषय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग सब-डिवीजन के पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र के गाँवों में पंजाबी भाषा की कक्षाएँ खोलने हेतु चर्चा के लिए)।

275. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के तबादलों की दोषपूर्ण प्रणाली समाप्त करने हेतु चर्चा के लिए)।

276. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मामलेर, भौरी विलौंद, विलावटी में माध्यमिक विद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिए)।

277. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां में अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिए)।

Page No 88

(88)

(श्री मनोहरलाल)

278. मगां संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में नियुक्त पी. एस. आईज तथा ए. पी. पीज की नियुक्ति गृह विभाग से न होकर न्याय प्रशासन द्वारा किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

279. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए)।

280. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों के तामील कुनिन्दों को वेतन के अतिरिक्त यात्रा भत्ता देने के लिए चर्चा के लिए)।

281. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डीग में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री हाजीजान मोहम्मद :

282. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च माध्यमिक विद्यालय पिड़ावा में जीव विज्ञान कक्षा खोले जाने हेतु चर्चा के लिये)।

283. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र के मुकदमों की सुनवाई हेतु पिड़ावा कस्बा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट मुख्यालय कायम करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

284. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अनुसार मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सेठ रामनारायण रूईया कॉलेज रामगढ़ (शेखावाटी) के स्टाफ की कमी के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (माण्डल) :

285. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण पाठशालाओं के भवनों के अभाव को दूर करवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कला तथा संस्कृति के उत्थान में सरकार की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

288. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम आर्य (छापर) :

289. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रावतराम आर्य)
कम कर दिया जाय (कस्बा छापर, बीदासर तथा राजलदेसर जिला चूरू में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के बाबत चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सांडवा तथा लालगढ़ जिला चूरू में सेकेन्डरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

291. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत साल चूरू जिले में जहां मिडिल स्कूल खोले गये हैं वहां अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

293. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू लोहिया कॉलेज में आर्ट्स विषय में पोस्ट ग्रेज्यूऐट क्लासें चालू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान :

294. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) :

295. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा शालाओं की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं की अनुपालना में शिथिलता बरते जाने पर चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

298. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में अधिक कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

299. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी शिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त अनुदान प्रदान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान को शिक्षा की दृष्टि से उन्नत करने के प्रयत्नों

(श्री ओंकारलाल)

में ढिलाई, बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

302. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

303. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

304. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कला और संस्कृति के विकास हेतु वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं को उचित संरक्षण एवं अनुदान के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

305. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 278—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कला और संस्कृति का पूर्ण विकास ना किये जा सकने पर चर्चा के लिये) ।

306. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला न्यायालयों में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये) ।

307. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन पर खर्च किये जाने के उपरान्त भी अपेक्षित लाभ न मिल पाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) :

308. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यूनिवर्सिटियों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

309. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक व सैकेन्डरी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

310. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (डेगाना जिला नागौर के उच्च माध्यमिक शाला को नये स्कूल भवन में स्कूल चलाने पर भी पुराने पाठशाला भवन को खाली न करने के सम्बन्ध में जहां कि अब बालिका उच्च प्राथमिक शाला लगती है के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

311. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक पाठशाला में छात्रावासों का प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

312. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

313. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रामरघुनाथ)
कम कर दिया जाय (प्राथमिक पाठशालाओं एवं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

314. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

315. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

316. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर रेंज की अनेकों शिक्षण संस्थाओं में शिक्षिकाओं को काफी समय से वेतन न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

317. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ में कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

318. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वर्ष शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई देर से शुरू होने के कारण कोर्स पूरा नहीं हो सका, इस पर चर्चा के लिए)।

319. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले कॉलेजों एवं सीधे शिक्षा विभाग के नीचे आने वाले कॉलेजों के लेक्चरारों के वेतनमानों में अन्तर पर चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की विभिन्न शिक्षण शालाओं की लाइब्रेरीज में निम्न स्तर के साहित्य रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

321. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षकों का शोषण करने पर चर्चा के लिये)।

322. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के वेतन मानों पर चर्चा के लिये)।

323. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में साक्षरता में निम्न स्तर को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थाओं को तुरन्त बन्द किये जाने पर चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्श विद्या मन्दिर की जांच के सम्बन्ध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

Page No 92

(92)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

326. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जॉब ऑरियेन्टेड शिक्षा प्रणाली लागू करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

327. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये)।

328. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की एक के बाद दूसरा विश्वविद्यालय खोलने की दुर्लक्षपूर्ण हालात पर चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं को पंचायत समितियों से हटाकर सीधे शिक्षा विभाग के नीचे रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी :

330. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय)अध्यापकों को मेडिकल बिलों का भुगतान करने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

331. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक प्रशिक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में समाज शिक्षा के सम्पूर्ण अभाव पर चर्चा के लिये)।

333. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्यालय स्थापित कराने पर चर्चा के लिये)।

334. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत माँग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्यता प्राप्त शालाओं को अनुदान जांच के बाद ही दिया जाय, और इसके बदले सरकार स्वयं शालाएं आवश्यकतानुसार खोले इस पर चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिग्गा, दुलचासर, माध्यमिक विद्यालयों में कला व विज्ञान विषय खोले जायें इस पर चर्चा के लिये)।

336. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिग्गा, दुलचासर, भौमासर माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित कराने पर चर्चा के लिये)।

337. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री लूणाराम)
कम कर दिया जाय (हर तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट स्थापित हो इस पर चर्चा के लिये)।

338. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला न्यायालयों में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

339. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवलगढ़ शहर में एक भी सरकारी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

340. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिण्डौन में कॉलेज खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

341. मांग संख्या 24, मुख्य शीर्षक 277—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

342. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की बानसूर पंचायत समिति में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत तहसील बहरोड से तब्दील करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

343. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को सस्ता व सुगम बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (खैरवाड़ा) :

344. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खैरवाड़ा जिला उदयपुर में मुन्सिफ कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

345. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच कायम किये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) :

346. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को कार्यपालिका से पृथक् करने पर सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री भीमराज (नोहर) :

347. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 214—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के कोर्टों में पेन्डिंग केसेज को शीघ्र निपटाने हेतु चर्चा के लिए)।

आय-व्ययक, 1974-75—माँगों पर विचार एवं उनका पारण

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी मैं सबसे पहले न्याय प्रशासन पर अपने विचार व्यक्त करूंगा···· (विराम)

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या हो गया, नहीं बोल रहे हो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक अप्रेल, 1974 से जाब्ता फौजदारी कानून अमल में लाया जा रहा है। मैं निवेदन करने जा रहा हूँ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने शुरू होते ही हाउस का मूड खराब कर दिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :········ (व्यवधान)········ उसमें मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है। राज्य सरकार का बहुत बड़ा षड़यन्त्र है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, एक्साइज के केसेज, आर्बीट्रेशन के केसेज तथा अन्य केसेज—इन सारे कार्यों को राज्य सरकार एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास रखना चाहती है। मेरा कहना है उस कानून में जो ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो राज्य सरकार स्पष्ट घोषणा करेगी कि वह इन सारे केसेज को वह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रखेंगे एक्जीक्यूटिव के पास नहीं।

दूसरा मेरा निवेदन है आज सरकार सबसे बड़ी मुकदमे बाज है। सबसे ज्यादा केसेज सरकार के न्यायालय में है। सरकार ने कभी भी इस सम्बन्ध में जाँच नहीं की कि कितने मुकदमें हैं, उनमें कितनों में हार गई है और किन कारणों से हार गई है और उसमें सीधे साधे आरोप हैं सरकार वकीलों की नियुक्ति जातिवाद भाई भतीजावाद के आधार पर करती है, योग्यता के आधार पर नहीं।

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा 5-7 कितने सिविल केसेज में पैरवी की है और कितने में हारे हैं। क्रिमिनल केसेज में कितनों में सफलता मिली है ? रेवेन्यू केसेज के लड़ने के बारे में राज्य सरकार के पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लेता है और शिकायत होती है तो कह देते हैं कलेक्टर कार्यवाही करेंगे, तहसीलदार कार्यवाही करेंगे तो प्रभावशाली लोग लाखों करोड़ों रुपयों की जमीन इस कांग्रेस के राज्य में दबाये हुये बैठे हैं और राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

तीसरा निवेदन है कोर्ट फीस का कार्मशियल विभाग बन गया है। उसकी बिक्री कर देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास सवा करोड़ की बचत होती है। हमारा न्याय विभाग न्याय विभाग नही, एक व्यापारिक विभाग बन गया है। मैं समझता हूं जनता को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी है जबकि दूसरी ओर सवा करोड़ की बचत करती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस कोर्ट फीस को समाप्त करें। कोर्ट फीस को समाप्त करने से लोगों को हर प्रकार का लाभ मिलेगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

फिर मेरा निवेदन है सरकार के पास केसेज पेन्डिंग पड़े रहते है। उदाहरण के रूप में अप्रेल 72 में चार क्विटल रेजगी 22 हजार की पकड़ी गई। सन् 1972 से रेजगी की 8-10 बोरियां भरी हुई है लेकिन केसेज का निपटारा नहीं होने से जनता को फायदा नहीं हुआ। रेजगी जनता में आई नहीं है तो जनता की जो रेजगी की समस्या है वह ज्यों की त्यों बनी हुई है। जनता तो आज भी रेजगी की शिकार है। आये दिन गेहूं, गुड़, घी सड़ जाय लेकिन केसेज का जल्दी निपटारा नहीं होने के कारण जनता को जो लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। इन केसेज के विलम्ब के कारण वास्तविक फायदा नहीं हो पाता है। इस प्रकार ओथ कमिश्नर की 30 दिसम्बर की जो तारीख थी वह समाप्त हो गई लेकिन दिसम्बर से मार्च हो रहा है, राज्य सरकार ने ओथ कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की और जो काम हो रहा है वह अवैध काम हो रहा है।

27 वर्ष होने के बाद आज भी जब हम स्टाम्प कागज लेने जाते हैं तो अध्यक्ष-महोदय जार्ज पंचम का छपा हुआ कागज मिलता है। किसी मंत्री का नहीं, किसी राष्ट्रपति का नहीं, कोई भारत सरकार का नहीं। स्वतन्त्र भारत हो गया और 27 वर्ष बाद वही कागज खरीदने को मिलता है। अंग्रेजों ने बड़ी बुद्धिमता की थी और इस कागज को बहुत बड़ी मात्रा में छपवा लिया था। आज अंग्रेजों की सत्ता का नमूना हमें देखने को मिल रहा है। हमारी सरकार जार्ज पंचम का स्टाम्प काम में ले रही है। अंग्रेजों को भारत छोड़े हुये 27 साल हो गये, मैं इस स्थिति को अध्यक्ष महोदय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं। हमारी सरकार अंग्रेजों के वर्चस्व को आज तक माने हुये है और उस समय का छपा हुआ अंग्रेजों का कागज खतम नहीं हो रहा है इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सस्ते न्याय के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपने अलग अलग करने की बात कही। मैं समझता हूं कि उसको आप कब तक अमलीजामा पहना दोगे। जिन लोगों को कानूनी मदद चाहिए, और कानूनी सलाह चाहिये जो वकील नहीं कर सकते उनके लिए आपने किस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके बाद हाईकोर्ट के जजेज की आज कई जगह खाली पड़ी हैं राज्य सरकार क्यों नहीं उनको भरवाने की कार्यवाही करती? अभी तक हाईकोर्ट के जजेज के स्थान खाली पड़े हैं लेकिन सरकार किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने शायद विचार किया है कि आज जहां पर बिल्डिंग्स हैं और भवन बने हुए हैं— सांगानेरी दरवाजे के बाहर जो कोर्ट हैं इनको शिफ्ट करके नये भवन में ले जाना चाहते हैं लेकिन जहां नये भवन में ले जाना चाहते हैं वहां पर जनता के बैठने की किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं हैं। पीने के पानी की जनता के लिए क्या व्यवस्था होगी यह भी नहीं है। वकीलों के बैठने के लिए नये भवन में अभी तक कोई चैम्बर भी नहीं बनाया गया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उस भवन को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने उस भवन के अन्दर हाई कोर्ट के जजेज के बैठने की व्यवस्था नहीं की है। वह कहां बैठेंगे? और हाईकोर्ट के जजेज वहां पर इसलिए बैठेंगे कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आखिरकार तो होनी ही चाहिए। सदन के माननीय सदस्य और मंत्री महोदय ऐसी भावनाओं से ऊपर उठ कर, क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठ कर जनता को सस्ता न्याय देने के लिए एक न एक दिन आयेगी और मेरी पुरजोर मांग है कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच कायम होनी चाहिए और अन्य प्रदेशों में लोगों को सस्ता न्याय देने के लिए हाईकोर्ट की बैंच कायम हो लेकिन राजस्थान में राजस्थान की जनता को और पूर्वी राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय देने के लिए हाईकोर्ट बैंच कायम नहीं हो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब कि अधिकांश एम. एल. ए. ने इस पर यहां सदन में विचार किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी माना है इसलिए मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट के जजेज के बैठने की व्यवस्था इस नये भवन में करेंगे तो निकट भविष्य में शीघ्र ही हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में आकर रहेगी और आप मानेंगे तो आयेगी और नहीं मानेंगे तो जनमत जागरण होगा उसके आधार पर आपको मानना पड़ेगा। इसलिए हाईकोर्ट के जजेज के भी बैठने की व्यवस्था आप अवश्य उस नये भवन में करें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर शिक्षकों के तबादले बदले की भावना से किये गये। ट्रान्सफर्स की सूची मेरे पास है। आपने जयपुर शहर से करीब 400 अध्यापकों का ट्रान्सफर किया। 55 गांवों के अध्यापकों को आप जयपुर में लाये और ऐसे अध्यापकों का ट्रान्सफर किया जो कि लूले लंगड़े, अपंग, और बिलकुल अपाहिज थे। ऐसे लोगों का शिक्षा मन्त्री ने ट्रान्सफर कर दिया। यही नहीं किया अध्यक्ष महोदय, उनका ट्रान्सफर करने के साथ ही साथ जो महिला अध्यापक यहां थीं उनको एडजस्ट करने के नाते उन महिला अध्यापिकाओं को लड़कियों के स्कूलों से निकालकर लड़कों के स्कूल में लगा दिया। यह अच्छी बात नहीं है। आपने बदले की भावना से 400 अध्यापकों का ट्रान्सफर किया और 55 अध्यापकों को गांवों से जयपुर में लाये और महिलाओं को लड़कियों के स्कूल में लगाना चाहिये उनको लड़कियों के स्कूल में नहीं लगाकर लड़कों के स्कूलों में लगा दिया। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, दो संघ हैं, दोनों शिक्षक संघों की मान्यता के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कहा गया था कि इस कमेटी को एक साल में तुरन्त मान्यता दे दी जायेगी। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का आज तक निर्णय नहीं हुआ।

मान्टेसरी जो बालक हैं और उनकी स्कूलों में जो टीचर्स हैं। तो 69 अध्यापकों का इन्टरव्यू 29-12-73 को हुआ लेकिन आज तक निर्णय नहीं हो सका कि कहां उनको लगाना है। माननीय चन्दनमल जी बैद जब शिक्षा मन्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि मांन्टेसरी अध्यापकों को नियुक्ति देंगे लेकिन इन्टरव्यू होने के बाद उनकी आज तक नियुक्ति नहीं की गई जबकि जी. ए. डी. ने कहा कि इनको तुरन्त लगा देना चाहिये। कोई 15 साल का नियम नहीं, 10 साल का भी नहीं है और 2 साल का भी नहीं है

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
यदि कोई राजस्थान का एम. पी. है और उसने कोई सिफारिश कर दी तो उसका काम हो जायेगा। यहां जयपुर शहर में राजस्थान के जो एम. पी. श्री नवलकिशोर जी हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनके जंवाई को यहां पर लगाने के लिए जो यहां मास्टर है और जिसका काम बहुत बढ़िया है, जिसका नाम श्यामस्वरूप माथुर है उनका ट्रान्सफर कर दिया। आपने कांग्रेस के एम. पी. को प्रसन्न करने के लिए, कांग्रेस के विधायकों को प्रसन्न करने के लिए नियमों की परवाह नहीं करते हुए उस व्यक्ति का काम अच्छा होते हुए भी ट्रान्सफर कर दिया और नवल किशोर के जंवाई को वहां पर लगा दिया। ट्रान्सफर की सूची मेरे पास है और आपने कहा कि किसी विधायक का जोर हो, किसी एम. पी. का जोर हो तो तुम भी ट्रान्सफर करा सकते हो मेरे पास कोई नियम नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नये शिक्षा मंत्री बने हैं, मैं समझता हूं कि हम आपसे अच्छी उम्मीद करके चलते हैं।

आज हालत यह है कि एक सूबेदार की पत्नी जिसकी एप्लीकेशन मैंने भी दी थी और आपने आदेश दे दिये लेकिन इन्सपैक्टर साहब कहते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री कई आते होंगे। उस सूबेदार की पत्नी का नाम मोहिनी देवी है जिसका पति राजपूताना राइफल सवाई मान में है। म्युचुअल ट्रान्सफर के लिए दी गयी और एक सैनिक की पत्नी ने दरख्वास्त दी लेकिन आपके नीचे का शिक्षा विभाग आपके आदेशों की अवहेलना करता है और इन्सपैक्टर की यह औकात कि माननीय सदस्य कुछ भी कहते रहे, माननीय मंत्री महोदय कुछ भी कहते रहें और वह कहे कि मैं ट्रान्सफर नहीं करूंगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपंग, लूले और लंगड़ों का आपने यहां से ट्रान्सफर किया उनको भी आप जयपुर में लाइये। आपने उनका ट्रान्सफर बदले की भावना से किया उनको आप जयपुर में लाइये। जो महिलायें हैं, उनको आप लड़कियों के स्कूलों में लाइये।

इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्कृत प्राध्यापक हैं और दूसरे प्राध्यापक हैं उनके वेतन मानों में असमानता है, उसको भी आप दूर कीजिए। इसी प्रकार से शिक्षकों के चिकित्सा बिलों का समय पर भुगतान नहीं होता और इसके कारण शिक्षकों में भयंकर असन्तोष है। आखिरकार, वह भी दवाइयां लेते हैं और उनके बिल पास नहीं किये जावें यह अच्छी नीति नहीं है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस ओर कदम उठायेंगे।

इसी प्रकार से एस. टी. सी. स्कूल ब्राह्मणपुरा में क्राफ्ट्स का हैड मास्टर होना चाहिए। क्राफ्ट्स के टीचर्स हैं, उद्योग के टीचर्स हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उनकी सुविधाओं के बारे में विचार करना चाहिए

(1.12 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्योंकि आखिरकार बौद्ध भगवान कौन थे, गांधीजी कौन थे और बड़े बड़े देवताओं के नाम तो गायब हो गए, बड़े बड़े सुभाष और तिलक और दूसरे महात्माओं के पाठ तो पढ़ाते नहीं क्या आप ऐसी ही शिक्षा देना चाहते हैं ?

जयपुर के बारे में निवेदन करूंगा कि यहां जो शिक्षा के स्कूल हैं जो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का कार्यालय है और वह जिस भवन में है उसका बुरा प्रभाव होता है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह दफ्तर पुराने पागलखाने में है। और इस कारण नाम का और भवन का असर होना स्वाभाविक है। इसलिए कृपा करके वहां जो पुराने पागलखाने में इन्सपैक्टर ऑफ स्कूल का दफ्तर है उसके लिए लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि पुराने पागलखाने में है। मैं कहता हूं कि उसको वहां से ट्रान्सफर कर दें ताकि वहां के जो अधिकारी हैं और जिनके दिमाग पागल रहते हैं उनके पागलपन का भूत उतर जायेगा। मैं समझता हूं कि जो स्कूलों के भवनों की हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आप गनगौरी बाजार में जायें वहां का भवन टूटा फूटा है, ज़ीना बिलकुल नहीं, खिड़की नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, टाट पट्टी की व्यवस्था नहीं। यह हालत है। आप गनगौरी बाजार में जायें, आप चौड़ा रास्ता में जायें और आप देखें कि क्या हालत है ? आपके पास बिल्डिंग नहीं है सार्वजनिक विभाग की बिल्डिंग और देवस्थान विभाग की बिल्डिंग आपने कम पैसों में उठा रखी है। पत्रकारों को दे दी, आपने अपने चाटूकारों को दे दी, अपने चहेतों को रसोई दे दी है। यह बिहारी जी का मन्दिर जहां ठण्डी प्याऊ है, मन्दिर के ऊपर रसोई आपने किराये पर दे दी और वहां का पुजारी जहां नहाता है वहीं अपना खाना भी बनाता है। आप स्कूलों के काम के लिए धर्मार्थ बिल्डिंग नहीं देंगे। वहां पर छात्रों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता इससे बुरी और क्या हालत होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप चौड़ा रास्ते वाले स्कूल में चले जाओ। सीखो और कमाओ वाली जगह चले जाओ। वहां आगे चले तो लिखा है खतरा है। वह आन्दोलन के समय का था तो आन्दोलन समाप्त हुए कितने दिन हो गए और उस बिल्डिंग की आज तक मरम्मत नहीं हुई पीछे से दरवाजा बना दिया गया है, सामने से खराब हो गया है। आज सीखो कमाओ योजना की हालत क्या है, आखिर वह योजना कहां है ? अगर केन्द्र जल गया तो आप दुबारा नहीं बनवा सकते। वहां की अच्छी व्यवस्था नहीं है।

सार्वजनिक पुस्तकालय की हालत विषम है। वहां के लाइब्रेरियन को भली प्रकार का वेतन नहीं मिलता। सार्वजनिक पुस्तकालयों पर जो सरकार को खर्चा करना चाहिए वह खर्चा नहीं किया जाता है और राजस्थान के पुस्तकालय सबसे निष्क्रिय हालत में पड़े हुए हैं। राजस्थान के अन्दर भी जो अन्य स्थान हैं उनके पुस्तकालयों की हालत भी बहुत खराब है।

आपने पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया। आप हर मर्ज की दवा राष्ट्रीयकरण मानते हैं लेकिन आज बच्चों की किताबों की क्या हालत है। आज तक आठवीं क्लास के बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं जबकि एन्युअल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इससे बच्चों में भयंकर असंतोष है। राष्ट्रीयकरण के बाद आज पुस्तकों की भी क्या हालत है ? पुस्तकों में भयंकर भूलें हैं। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री भीखा भाई को भीखा नाई लिखा जाय, यह तो आपकी पुस्तकों की हालत है। इस प्रकार की गलत पुस्तकें आप छपवायें और वह भी समय पर आप बच्चों को दें नहीं तो ऐसे राष्ट्रीयकरण से किसी प्रकार का लाभ नहीं है ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह पुस्तक कौनसी है जिसमें यह छपा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप यह अनुदान भी किसको देंगे ? आप अपनी चहेती स्कूलों को अनुदान देंगे। आदर्श विद्या मंदिर जैसी स्कूल जहां पर कि अच्छी पढ़ाई होती है, वहां का रिजल्ट अच्छा रहता है, जहां पर कि शारीरिक शिक्षा दी जाती है, राष्ट्र भक्ति की शिक्षा दी जाती हैं, भारत माता की सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसी स्कूल को आप अनुदान नहीं देंगे ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रश्न तो पहले भी सदन में आ चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ....लेकिन इसके विपरीत जो देशद्रोह करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से समर्थित हैं, जहां पर गद्दारी की शिक्षा दी जाती है, जहां पर भारत माता की सेवा करना नहीं सिखाया जाता है ऐसे स्कूलों को अनुदान देने की बात करते हैं। पक्षपात के आधार पर अनुदान दिया जाता है।

इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे खेलों के बारे में निवेदन करूं। आखिरकार बच्चे कहां जाकर खेलेंगे, अगर उनको खेलने को नहीं मिलेगा तो वे अनुशासनहीन बनेंगे। आपके पास बच्चों के लिए खेलों के मैदान नहीं हैं। खेल के मैदान होंगे तो बच्चे उसमें जाकर खेलेंगे और खेलने के बाद थक जायेंगे और थक जाने के बाद बड़े प्रेम से पढ़ाई करेंगे। इसलिए खेलों के मैदानों की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए,

इसी प्रकार से जो आपने शिक्षा की व्यवस्था की है वह भी बड़ी दोषपूर्ण है। ग में गणेश पढाने में आपको शर्म आती है लेकिन ग मायने गधा पढ़ाने में आप गौरव का अनुभव करते हैं। आपकी बुद्धि भी गधे जैसे हो गई है। मेरी इस बात को आपके कांग्रेसी बंधु भी मन में सही मानते होंगे, घर में जाकर गणेश जी की पूजा करते होंगे लेकिन यहां पर इसका विरोध करेंगे। वे भले ही यहां पर विरोध करें लेकिन मन में इस बात को सही मानते हैं।

इसी प्रकार से सिण्डीकेट में तीन छात्रों के प्रतिनिधित्व की मांग को आपने स्वीकार किया था। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने इस मांग को स्वीकार किया था। यदि आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में सिण्डीकेट में तीन छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि भविष्य में सिण्डीकेट की मीटिंग नहीं होगी। जन आन्दोलन भडकेगा और विद्यार्थियों में असंतोष के कारण जो गुजरात में हालत हुई है और जो बिहार में हालत होने जा रही है, उसी प्रकार की हालत आज राजस्थान में पनपाना चाहते हैं ......

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह आपकी इच्छा यहां पूरी नहीं होने देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन लोगों ने एम. ए. किया और बी. एड. किया, जिन्होंने सिण्डीकेट में पढ़ा होगा, आज उनकी उम्र समाप्त हो रही है। जिन्होंने बी. ए. अपने खर्चे से पास किया लेकिन जिन्होंने बी. एड. किया उनका प्रमोशन कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत-घण्टी)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं अन्त में निवेदन करूंगा कि आपकी शिक्षा नीति बिलकुल गलत है, ट्रान्सफर की नीति गलत है। आपको रवीन्द्र मंच की व्यवस्था को संभालना चाहिए और आपके परीक्षा परिणाम, जो निकलते हैं वह बहुत देर से निकलते हैं।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जयपुर के गणगौरी बाजार की स्कूल की हालत खस्ता है। जब राजधानी के स्कूलों की हालत ऐसी है तो फिर अन्य स्थानों की क्या हालत होती तो आप अनुमान लगा सकते हैं।

अन्त में न्याय प्रशासन के बारे में जो मैंने सुझाव दिए हैं और शिक्षा के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनके सम्बन्ध में आप विचार करके जिस समय उत्तर देंगे उस समय शिक्षा के बारे में और न्याय प्रशासन के बारे में जो सुझाव मैंने बिना किसी प्रकार की आलोचना किए, जो ठोस सुझाव दिये हैं, उन पर आप बिना किसी प्रकार के भेदभाव के कि ये सुझाव मैंने दिए हैं इसलिए मानने योग्य नहीं हैं, आप इन पर निश्चित रूप से अमल करेंगे यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य !

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शिक्षा पद्धति पर अधिक नहीं कहना है। मैं शिक्षा मंत्रीजी के दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और इसलिए कामना करता हूं कि इस पद पर कोई भी आया वह टिका नहीं है। शिक्षा मन्त्री, थोड़ा सा टिका और असफल होकर गया। आपके लिए विभाग और भी बहुत से अच्छे थे....

श्री श्रीराम गोटेवाला : डिप्टी मिनिस्टर से फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर तो पहले भी बने हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सार्वजनिक निर्माण विभाग ले लेते, पुलिस ले लेते लेकिन शिक्षा विभाग आपने ले करके एक चुनौती का सामना करने की स्थिति पैदा की है। आरम्भ में मैं सिर्फ यह नहीं कहता कि विद्यालयों को क्रमोन्नत क्यों नहीं करते, मैं यह भी नहीं कहता कि कॉलेजेज खोले जायं, मैं यह भी नहीं कहता कि विश्वविद्यालय आप और खोल दें, और मैं यह भी नहीं कहता कि आपके अध्यापन का स्तर बहुत ऊंचा हो, और अध्यापक अच्छे हो गए हैं या वे और अच्छे हो जायं, इन प्रश्नों को मैं गौण समझता हूं। प्रश्न तो आपके अस्तित्व का है। प्रश्न समाज के अस्तित्व का है। प्रश्न यह है कि हम किस तरफ चल रहे हैं, उस दिशा शून्यता का प्रश्न हमारे सामने है। आपने उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में, जो आज अखबारों में आया है, सुना होगा। विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन हो रहा हैं कहीं दूसरी जगह और उनका अभिनय हो रहा था उदयपुर में। राज्यपाल महोदय जब जोबनेर में भाषण दे रहे थे जब उदयपुर में, चांसलर के रूप में छात्र भाषण दे रहे थे। मैं, जबकि कन्वोकेशन जोबनेर में हो रहा था शिक्षा मन्त्रीजी इससे आप संकेत लें कि विश्वविद्यालय किधर है और विद्यार्थी किधर हैं। शिक्षा पद्धति किधर है और शिक्षा पद्धति के निर्माण करने वाले किधर हैं ? स्थिति में विरोधाभास हो गया है, समन्वय नहीं रहा। फिर पटना में आपने कल सुना है, हृदय विदारक कार्यवाहियां वहां पर विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

नहीं है कि राजस्थान में भी यह आग फैले, यही बात नहीं है। यह भी हम दावे के साथ कहते रहते हैं कि हम इसको रोक लेंगे। गुजरात में जैसे हुआ उस स्थिति को हम यहां नहीं होने देंगे लेकिन वहां के विधायक इसके शिकार हुए हैं। हम बराबर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की घोषणा करते रहे हैं, इसलिए अभियुक्त पहले हम हैं। जो यह कहते हैं कि हम इस स्थिति को रोक लेंगे, वे अभियुक्त हैं इसलिए शिक्षा मंत्रीजी आपके सामने जो स्थिति है वह यह नहीं है कि केवल विद्यालयों का सुधार करना है, स्थिति विश्वविद्यालयों के खोलने की भी नहीं है। आपके सामने स्थिति है नई कौम की, नई जनरेशन की जो जिनमें आकांक्षा है, जिनमें जो भावना है इस वक्त अब मैं असम्भव मानता हूं। आज कोई भी अगर इस शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने का संकल्प करे तो मैं इसको असम्भव मानता हूं। वक्ता चला गया है अब। यद्यपि आपने गंगानगर में तारीख 14 को कहा कि आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा पद्धति में होना चाहिये और व्यवसाय उन्मुखी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। यह बात पुश्त दर पुश्त कही गई है अलग 2 शिक्षा मन्त्रियों के द्वारा लेकिन कोई भी अब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सका और शिक्षा मन्त्रीजी आप भी नहीं कर सकेंगे। यह तो क्रम है विनाश का। यह क्रम अंततोगत्वा वहीं जाकर रुकेगा।

मैं आपके सामने एक पुस्तक जिसमें आपके ही भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने सन् 1966 में एक भूमिका इस पुस्तक की लिखी और उस भूमिका में राजस्थान के शिक्षा मन्त्री ने लिखा:—

हमारे विद्यालयों के जीवन में आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर पाए तो वर्तमान तो वर्तमान भविष्य भी हमें कभी क्षमा नहीं करेगा।

फुलफ्लेज्ड शिक्षा मन्त्री राजस्थान ने 4 जनवरी, 1967 को यह इस पुस्तक में लिखा....

श्री श्रीराम गोटेवाला : कौनसी पुस्तक है यह ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपका विषय नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसलिये पूछ रहा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उद्योग और ज्वेलरी और खनिज ये हैं आपके विषय इसलिए यह निवेदन कर रहा था।

श्रीमती सुमित्रा देवी : शिक्षा मंत्री कौन थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्री बृजसुन्दर जी शर्मा। आप कहीं दूसरी जगह निगाह डाल रही हैं, वे नहीं हैं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इस शिक्षा की विकृति, परिस्थिति पर मैं सर्वोदय विचारक, शिक्षा के बारे में गहन चिन्तन करने वाले, उनके पत्र को, जो 1-7-67 का लिखा हुआ है, सुनाता हूं. यह तो जानते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हृदय भुन गया है लेकिन अवस्था इतनी गंभीर है कि इसकी कल्पना नहीं थी। यह तो जैसे गंगोत्री में विष घोल दिया गया हो। गंगोत्री में अब यह नहीं घोल सकता है। यह जयप्रकाश नारायण की मान्यता है। इसलिए मैं यहां पर यह छोटी

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

बात नहीं कहना चाहता हूं कहीं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल दो, कहीं पर विश्वविद्यालय खोल दो । उनके खोलने से आदमी नहीं बदलता, इन्सानियत नहीं बदलती है । आज हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यह आमूल चूल परिवर्तन जो आप कह रहे हैं, पहले भूत प्रेत भी कहते आये हैं, आज आप से भी इसका दिशा ज्ञान चाहते हैं । आपसे कहता हूं कि यह पद्धति जर्जरित है । इस शिक्षा पद्धति को जिसने बनाया है, वे उपनिवेशवाद को मानने वाले थे, सामंतशाही लोगों ने इसको बनाया है और वे ही लोग जो इस शिक्षा पद्धति को बनाने वाले हैं, वे अब इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं । आमूल चूल लेकिन अपनी मान्यताओं के आधार पर और विद्यार्थी क्या चाहता है । विद्यार्थी चाहता है, समाज का वर्तमान ढांचा सड़ गया है, उसको बदल दिया जाए उसकी मान्यताओं के आधार पर । पहले के चिन्तक और विचारक जो पुराने हैं, पुराने समय में जन्मे हैं वे शिक्षा पद्धति को उनके अनुरूप करना या बनाना चाहते हैं । छात्र के अनुरूप नहीं । इसलिए छात्र उद्विग्वन है समाज को तोड़ फेंकने के लिए । समाज उद्विग्वन है शिक्षा पद्धिति को हटाने के लिए और समाज के सामने ज्योग्राफी नहीं है, इतिहास नहीं हैं । समाज के सामने आपकी यह शिक्षा नीति नहीं है । उसके सामने प्रॉब्लम है आदमी की । आदमी की प्रॉब्लम किस तरह से दूर की जाए, किस तरह से उसका निराकरण किया जाए, यह छात्र चाहता हैं । हिन्दुस्तान में 22 लाख अनएजूकेटेड अनएम्प्लाइड हैं और राजस्थान में ढाई लाख अनएजूकेटेड अनएम्प्लाइड हैं । ये सब क्या चाहते हैं ? ये डिग्रियां नहीं चाहते हैं । उनकी अपनी प्रॉब्लम्स को साल्व करने की क्षमता चाहिए । वह क्षमता आपके विश्वविद्यालय नहीं दे सकते हैं, विद्यालय नहीं दे सकते हैं । इसलिए मैं आपसे यह मांग करता हूं कि इस जनरेशन की भावना को, इसकी एस्पायरेशन को आप समझें और हमने समय रहते नहीं समझा तो यह शिक्षा पद्धति आपके हाथ में नहीं रहेगी । आमूलचूल परिवर्तन का दायित्व आपके हाथ में नहीं रहेगा और नई पौध, नई शक्ति उभर रही है, वह सारा दायित्व अपने हाथ में लेकर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करेगी । इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ये छोटी मोटी बातें ये चली गईं, इसमें कोई सार नहीं है । आप शिक्षाविदों को, शिक्षाविद जो पुराने हैं, जो जर्जरित हैं वे नहीं परन्तु जो चिन्तक, विचारक हैं वर्तमान समाज के उनको लेकर बैठिये और फिर सोचिए आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं । यदि आपने समय रहते परिवर्तन कर दिया और इस परिवर्तन से वर्तमान युग के समाज को सन्तोष दे सकते हो तो आपकी शिक्षा पद्धति कायम रह सकेगी अन्यथा इस बाढ़ में शिक्षा मंत्री जी आप और हम, यह पद्धति और पद्धति बनाने वाले सबके सब बहने वाले हैं और यह साहस करके कोई कहने को तैयार नहीं है कि हम यह विकृति शिक्षा जगत में नहीं आने देंगे । आप कोई यह कहे तो उनका यह भ्रम मात्र मैं मानता हूं ।

इसके साथ ही मैं आपके शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह भ्रष्टाचार अन्तराल में है, पाताल में है । आपकी निगाहों में नहीं आ सकता, हमारी निगाह में नहीं आ सकता है । यह विश्वविद्यालय जहां हम परीक्षा

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

पास कर के निकल आते हैं, उसके अन्डर ग्राउन्ड में एक दूसरा जगत है, विश्व-विद्यालय में, महाविद्यालयों में दूसरा जगत है और वह जगत आपके परीक्षाफल की जकड़ रखता है। आपके परीक्षाफल सामान्य विद्यार्थी के लिए तो ठीक हैं लेकिन असामान्य विद्यार्थी, जिन्होंने पढ़ना लिखना नहीं समझा या जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते वे पैसों के बल पर परीक्षाफल हाथ में रखते हैं। यह एक रोग बन गया है जिसमें प्राध्यापक, प्रोफेसर और सामान्य शिक्षक भी शामिल हैं। इम्तिहान के दिनों में यह रोग तैयार होता है और प्रत्येक परीक्षार्थी चाहता है कि वह पास हो परन्तु जिसके नम्बर बिगड़ गये हों, वे इनके पास पहुँचते हैं और पैसे के बल पर परीक्षा पास कर लेते हैं। हायर सेकेण्डरी बोर्ड से लगाकर, जो एग्जामिनर के उन तक पहुंच कर, यूनीवर्सिटी तक यह पहुंच कर यह परिवर्तन होता रहता है। अब यह रिसर्च का विषय नहीं है। शिक्षा मंत्री जी इसके अन्दर डूबने का विषय है और जो डूब गए तो उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटीज यों राजनीतिक दलों की अखाड़ा तो है ही लेकिन परीक्षा फल को भ्रष्टाचार के आधार पर बदलने का अखाड़ा भी है। आप ध्यान दे सकें तो आपका हायर-सेकेण्डरी बोर्ड अकर्मण्य और शिथिल रहा, उसने भी इस दिशा में कोई कन्ट्रीब्यूट नहीं किया और इसी तरह से आपके विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं और यह सब आज शिक्षा में चल रहा है। मैंने एक दफा कहा था कि यह व्यवसायिक केन्द्र हो गये हैं। यह विद्यालय भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं। अपने परिवार का पुष्ट पोषण करने के केन्द्र हैं। आज यह व्यवसायिक केन्द्र अधिक से अधिक फैलते जा रहे हैं। किसी भी बाजार में जाइये, कोई ऐसी गली नहीं है जहां बालवाड़ी नहीं होगी, जहां मिडिल स्कूल न हो, हायर सेकेण्डरी स्कूल न हो, बी. एड. और एस. टी. सी. के विद्यालय न हों। ये सब आपके अनुदान से पलते पोसते हैं और पालते हैं अपने घर को। इस सम्बन्ध में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री छागला, भारत सरकार ने एक मॉडल कान्स्टीट्यूशन बनाया था। इस मॉडल कान्स्टीट्यूशन के आधार पर पहले किसी भी स्कूल को खोलने के पहले सरकार से परमीशन लेने का प्रावधान था। राज्य सरकारों की परमीशन के बिना स्कूल नहीं खुले यह प्रावधान इसमें रखा गया था और यह मॉडल कॉन्स्टीट्यूशन सभी प्रान्तों की सरकारों को भी वितरित किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ये व्यवसायिक केन्द्र नहीं खुले। मैं पुनः आपसे यह निवेदन करूं कि इस ग्रोथ को, इस पैरालिसिस को, जो समाज पर पलते हैं, जो किसी दृष्टि से समाज का शोषण भी करते हैं, उनकी इस ग्रोथ को कम से कम आप रोकने का प्रयत्न करें, ऐसा मैं चाहता हूं।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता था कि शैक्षणिक संस्थाएं जो अनुदान से चलती हैं, राजस्थान में कई संस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जो आपका दायित्व लेती हैं, आपका भार लेती हैं और समाज की सेवाएं करती हैं। और उनका एक संगठन भी है, एक संगम बना हुआ है। यह बात अलग है कि शिक्षा मन्त्री जी जन प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता की एस्पाइरेशन समझते हैं, तकलीफों को समझते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी यह समझती है—ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। आपके

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)
पहले के शिक्षा कमिश्नर थे, वह विवादग्रस्त हो गये थे। राजस्थान में जितना कमजोर शिक्षा मन्त्री होता है, उतना ही शिक्षा कमिश्नर सशक्त हुआ करता है। सम्भव है, आपके जमाने में संतुलन आ रहा हो, आ गया हो। लेकिन शिक्षण संस्थायें, जो संगम के रूप में हैं, मैं चाहता हूं आप उनको प्रश्रय दें, उनको साहस दें, उनको बढ़ने की गति दें। ऐसा सुना जाता है, कई शिक्षण संस्थायें हैं, विद्यापीठ आदि, ऐसी संस्थायें जो चल रही हैं राजस्थान में, जिनका इतिहास है राजस्थान में, उनके अनुदान में कटौती की जा रही है, अनुदान में कटौती करने का निश्चय कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप शिक्षण संस्थाओं को अपने हाथ में ले लें और हाथ में लेकर उनको चलायें। नहीं तो आप इनके प्रति आभार प्रदर्शित करें और इन संस्थाओं के प्रति एक आभार के साथ आप इनको सहायता दें। आपके दिमाग में अनुदान के सम्बन्ध में कोई संस्था बनाने का विचार है। अभी तो अनुदान आपके हाथ में रहता है, उसके लिए एक समिति गठित हुई है, उस समिति में भी आपके राज्याधिकारी रहते हैं। आपको चाहिए कि आप एक अनुदान निगम बनायें और उसको स्वतन्त्रता दें पूरी की पूरी अनुदान के सम्बन्ध में। यह सम्भव नहीं हो तो आप कृपा कर इस समिति का पुनर्गठन करिये, जिसमें प्रतिनिधित्व हो, संगम का भी हो और शिक्षा विशारद हों, शिक्षा का चिन्तन करने वाले हों, ताकि वह ठीक तरह से इसका अध्ययन कर सकें।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे पास घण्टी नहीं है खतरे की, नहीं तो मै बजा कर संकेत करता। शिक्षा मन्त्री जी, इस पद पर ढाई तीन साल में तीन मन्त्री बदले हैं। जब कभी गति पैदा होती है, शिक्षा मन्त्री बदल दिये जाते हैं। अब आप संकट में घिरे हुए हैं राष्ट्र के चक्कर में पहली प्रायोरिटी आज शिक्षा की है, जिसकी प्रायोरिटी लास्ट होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है। सारे राष्ट्र और राज्य की दृष्टि से, जो नई शक्ति उभर कर आ रही है, वह एक्स्प्लेनेशन पूछना चाहती है, आमूल-चूल परिवर्तन आप कब ला रहे हैं? नहीं तो आप हमें स्थान दें, हम परिवर्तन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह!

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या छः, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा का गहन विषय है, उस सम्बन्ध में मेरे पहले के वक्ता ने जो सारगर्भित शब्द कहे मैं शिक्षा मन्त्री से आशा करता हूं, उन पर विचार करेंगे।

न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्, पच्चीस वर्ष के बाद हम लगातार यह देखते हैं कि न्याय महंगा होता जा रहा है, न्याय में.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय सदस्य भूरा हैं भीलवाड़ा के हैं, वह एक व्यक्ति का पास बनवाने के लिए गये पास हाउस में था, उनके साथ बहुत बदतमीजी के साथ सलूक किया गया, धक्का मार कर उनको गिरा दिया गया ग्राउन्ड पर, और बहुत अपमानित स्थिति के अन्दर भूरा जी सदस्य आ गये हैं। मैं समझता हूं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कि यह बहुत जबर्दस्त विषय है और उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय को तुरन्त लिया जाय, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इस प्रकार जो ·····

श्री श्रीराम गोटेवाला : धक्का किसने मारा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जबर्दस्त विषय ही नहीं यह प्रिविलेज का प्रश्न है। मैं चाहता हूं, इसकी जानकारी करें और सदन को जानकारी दें।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जानकारी करवा रहा हूं। जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न कल भी मैंने उठाया था, आज दुबारा उठा रहा हूं आज शिक्षा विभाग पर बहस हो रही उस विभाग की रिपोर्ट पहले प्राप्त नहीं हुई। कल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट सात बजे असेम्बली में पहुँची और चार बजे सुबह हमें प्राप्त हुई है। यह कर्मचारियों का कार्य प्रशंसनीय है कि सारी रात भाग भाग कर रिपोर्ट पहुंचाते रहे। साढ़े चार बजे मेरे पास शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पहुंचायी। कल पुलिस के ऊपर बहस होगी, विजिलेंस कमीशन का मामला है, कमिश्नर फॉर स्पेशल इन्क्वायरी का मामला है, लेकिन आज दो बजे का समय हो चुका है फिर भी न किसी सदस्य के पास पुलिस विभाग की रिपोर्ट है न सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है, न स्पेशल कमेटी फॉर स्पेशल इन्क्वायरी की रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो सदन की कार्यवाही चलाने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार बिना किसी रिपोर्ट के आप चाहें कि हम सदन में विचार प्रकट करें तो इस सदन को बन्द कर दें तो बहुत अच्छी बात है। इसको स्थगित कर दीजिये। हम लोग कोई मशीन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनिअस नहीं है कि चार पांच घन्टे पहले रिपोर्ट दें, उस रिपोर्ट को हम पढ़ें और उसके बारे में सदन में अपने विचार रखें, और उस पर बहस करें। फिफ्थ प्लान की ड्राफ्ट आउट लाइन के लिए बार बार कहा जाता है कि हरएक मेम्बर को व्यक्तिगत रूप से पहुंचायी है, लेकिन मुझे नहीं प्राप्त हुई है, अनेक माननीय-सदस्यों को फिफ्थ प्लान की ड्राफ्ट आउट लाइन प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति के अन्दर·········

श्री भानुकुमार शास्त्री : शिक्षा विभाग की नहीं आयी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शिक्षा विभाग की रिपोर्ट नहीं आयी, फोर्थ प्लान का क्लोजर है, एप्राइजल है, उसकी मांग हो रही है। इससे तो सदन को एक दो दिन बन्द करके रिपोर्ट कलेक्ट करके रिपोर्ट दीजिये, ताकि बाकायदा हम बहस कर सकें। कल भी मैंने यह प्रश्न उठाया था, आज दो बजे का समय हो रहा है, अब रात को पाँच बजे रिपोर्ट पहुंचेगी, सुबह नहा धोकर हम ग्यारह बजे इस सदन में उपस्थित हो जायेंगे और उसके बाद में कोई कारगर, उपयोगी बहस नहीं हो सकेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह अव्यवस्था है। रिपोर्ट, जिस पर बहस हो रही है, उसका पता नहीं है। दो दिन पहले देने का वायदा किया है लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं पहुंची है।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
मैंने सोचा, पुरानी रिपोर्ट के आधार पर विचार व्यक्त किये जायं। कर्मचारी घूमते घुमाते जाते हैं और सुबह पांच छः बजे तक सारे मेम्बरान को दे जाते होंगे। दो दिन पहले रिपोर्ट हमारे पास आ जाय तो अध्ययन करके बहस में भाग ले सकते हैं।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है, माननीय सदस्यों को रिपोर्ट दो दिन पूर्व मिलनी चाहिए जिससे पढ़ लें और उस पर विचार विमर्श अच्छी तरह से कर सकें। मैं यह प्रयत्न करूंगा और सभी विभागों से ताल्लुक रखने वाले मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी माननीय सदस्यों के पास भेजने का प्रयास करें। जहां तक पुलिस विभाग का ताल्लुक है, मैंने मुख्य मंत्री से निवेदन कर दिया है। आज शाम को रिपोर्ट आपको मिल जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप आदेश दीजिये, निवेदन नहीं। सचेतक के रूप में करिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रिपोर्ट आ गई है, पुलिस की रिपोर्ट पड़ी है, वह पड़ी रहेगी और उसका वितरण सारी रात चलता रहेगा। कृपया यहाँ बैठे हुए जो माननीय सदस्य हैं, उनके हस्ताक्षर लेकर रिपोर्ट वितरित करा दीजिये और विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट मंगाने का कष्ट करिये, कमिश्नर फार स्पेशल इन्क्वायरी की रिपोर्ट मंगाने का कष्ट करिये। इन दोनों रिपोर्ट को मंगाने का कष्ट करिये, यह गम्भीर रिपोर्ट हैं, इनमें गम्भीर मामले हैं, इसलिए अधिकारी विशेष रूप से दबा कर रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पुलिस विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, वह माननीय सदस्यों को यहीं वितरित हो जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह फौरन वितरित हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आदेश दे देता हूं। आप फर्माइये।

श्री लक्ष्मणसिंह : न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि पच्चीस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमारा यह अनुभव है कि न्याय लगातार मंहगा होता जा रहा है, फैसले वर्षों तक नहीं हो पा रहे हैं, सारी पेशियां तब्दील हुआ करती हैं। गरीब जनता इस सम्बन्ध में इस व्यवस्था से असंतुष्ट ही नहीं है बल्कि परेशान है। गरीब व्यक्ति पचास मील चल कर बस में जाता है, सारे दिन अदालत के दरवाजे पर बैठा रहता है, फिर उसको यह सुनने को मिलता है कि पेशी तब्दील कर दी गई है। एक हफ्ते के बाद फिर पेशी की डेट पड़ती है। इस तरीके की व्यवस्था, मेरे ख्याल में, असंतोषजनक है। कहा गया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि समय पर न्याय नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल में न्याय क्या, एक अन्याय है। मैं यह चाहूंगा कि हाईकोर्ट के जजेज की संख्या में कुछ अभिवृद्धि की जाय। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट की संख्या भी बढ़ाई जाय। उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन किये बिना नहीं रह सकता, हमारा यह विषय है, यह एक गम्भीर विषय है। इस विषय में इस सदन के अन्दर कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य सम-

(श्री लक्ष्मणसिंह)

झता हूं कि न्याय प्रशासन के हित के अन्दर इस समस्या को फिर मैं दोहरा कर सदन के समक्ष रखूं।

यह समस्या है जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना करने हेतु। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि जोधपुर से मेरा कोई विरोध नहीं है। जोधपुर एक प्राचीन एतिहासिक नगर है, और उसकी गरिमा और महिमा में किसी तरह की कमी हो यह मैं नहीं चाहूंगा। जोधपुर राजस्थान के बड़े शहरों में अपना महत्व रखता है, और वह महत्व मेरे ख्याल में जयपुर से या अजमेर से किसी हालत में कम नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय के हित के अन्दर जयपुर की भौगोलिक स्थिति को यदि देखा जाय तो जयपुर के आस पास कम से कम 1 करोड़ 60 लाख जनता बसती है। यह एक समृद्ध राजस्थान का हिस्सा है, और जनसंख्या के आधार के ऊपर, समृद्धि के आधार के ऊपर और न्याय व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के आधार के ऊपर मैं समझता हूं कि जयपुर एक उपयुक्त स्थान है जहां पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिए। इससे कई जिलों को लाभ होगा, कई जिलों की जनता को लाभ होगा—क्या अजमेर क्या भीलवाडा, क्या चित्तौड़, क्या कोटा-बून्दी, टोंक, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर तो आखिर है ही। जहां तक उदयपुर और डूंगरपुर का प्रश्न है डूंगरपुर और उदयपुर की जनता को जोधपुर में हाईकोर्ट है उससे सन्तोष है। जोधपुर में हाईकोर्ट रहे, अवश्य रहे, यह मैं चाहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ बेंच की स्थापना जयपुर में होना परमावश्यक मैं अनुभव करता हूं। जोधपुर का महत्व अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो जो पाकिस्तान के बोर्डर के ऊपर है, और पाकिस्तान के पश्चात मैं यह समझता हूं कि जैसे इंग्लैण्ड और फ्रान्स के बीच में—हन्ड्रेड इयर्स वार हुई थी, उसी तरह से यह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में—पश्चिमी पाकिस्तान जिसको आज पाकिस्तान की संज्ञा दी जाती है उसके बीच में 50 वर्ष तक यह छुटपुट संघर्ष रहेगा। जोधपुर का महत्व रक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक बढ़ा चढा है, और वहां पर डिफेन्स आर्गेनाइजेशन, डिफेन्स एस्टेब्लिशमेंट की व्यवस्था भी हो सकती है, चाहे वह एरोप्लेन के शेप में हो, चाहे वह आर्मर की शेप में हो, चाहे वह किसी अन्य शेप में हो, लेकिन यदि जोधपुर के अन्दर दूसरी व्यवस्था डिफेन्स एस्टेब्लिशमेंट के रूप में स्थापित हो सकती है तो जोधपुर की गरिमा और महिमा और खुशहाली में अभिवृद्धि होगी। एकीकृत न्यायालय कोई सोने की चिड़िया नहीं है। यह निश्चित धारणा से मैं निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार को इस बारे में हिचकिचाना नहीं चाहिए और जयपुर में शीघ्रातिशीघ्र हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करना चाहिये।

जहां तक सरकार की घोषणा न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक् करने की है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक ठीक दिशा के अन्दर कदम है, लेकिन समय ही इस बात को सिद्ध कर सकता है कि यह जो कदम उठाए गए हैं इससे सस्ता न्याय जनता को उपलब्ध हो सकता है और सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकता है या नहीं।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार की कान्सिस्टेन्सी के सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करूंगा अवश्य कि एक तरफ तो यह घोषणा करती है कि, न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत को एक कर दिया जाय और दूसरी तरफ सरकार यह घोषणा करती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया जाय। यह मेरे ख्याल में अगर मैं यह निवेदन करूं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, न इत्त का न उत्त का, तो अनुपयुक्त न होगा। सरकार की नीति कोई सिद्धान्तों पर आधारित हो तो मैं समझूं कि वह कोई नीति है, वर्ना मैं समझता हूं कि यह लीपा-पोती और अवसरवादिता का प्रदर्शन है।

साथ ही साथ मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि न्यायपालिका की गरिमा आज किस स्थान पर पहुंच चुकी है? सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या हुआ ? एक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, दो सुप्रीमकोर्ट के जज नहीं लेकिन तीन 3 सुप्रीमकोर्ट के लगातार जजेज का सुपरसेशन हुआ। वरिष्ठता को बालाए ताक रखा, अनुभव के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और गरिमा को भंग करके अवसरवादी जजेज को यह व्यवस्था सुपर्द करना यह मेरे ख्याल में एक अवसरवादी युग का लक्षण है। सरकार ने जिस तरह से रुपये का अवमूल्यन किया, जिस तरह से हमारे संविधान का अवमूल्यन किया उसी तरह से आज सुप्रीमकोर्ट का भी अवमूल्य हुआ। डिवेल्यूएशन अगर आपने करेन्सी का किया तो आज रुपये की क्रय शक्ति क्या है वह आप विचार सकते हैं। 30 वर्ष पहले जो तीन आने की क्रय शक्ति थी वह आज रुपये की क्रय शक्ति है। संविधान की दुर्दशा करके आज संविधान का जो जिगर था वह आपने बाहर निकाल दिया। संविधान में बाकी क्या रह गया, एक खोखा रह गया जस्ट कास्केट ऐसी परिस्थिति के अन्दर संविधान के साथ खिलवाड कर रहे हैं, उसके साथ साथ सुप्रीम-कोर्ट की गरिमा और महिमा को कम करना वह मेरे ख्याल में ऐसा है कि जिससे जनतन्त्र जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह मनुष्य के लिए हवा-वायु परमावश्यक है जीवन के लिये, जिस तरह से मछली के लिए पानी मछली के जीवन के लिए परमा-वश्यक है उसी तरह से जनतन्त्र के लिए भी सुप्रीमकोर्ट की स्वतन्त्रता परमावश्यक है।

अब कमिटेड जूडिशियरी में जितने भी जजेज होंगे वह एक दूसरे से होड़ करेंगे इस लक्ष्य से और इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट का सर्व प्रथम जज घोषित किया जाय। यह मेरे ख्याल से एक तानाशाही व्यवस्था है, और हम तानाशाही की तरफ दिन ब दिन जाते नजर आ रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी अधिकांश हाई-कोर्ट के जजेज के अन्दर सांच है। वह स्वतन्त्र है। कुछ न कुछ मेरे ख्याल में निष्पक्ष न्याय देने का माद्दा है, उत्तरदायित्व है, और योग्यता है, और वह निर्भीक हैं। मैं आशा करता हूं कि जो आज के जमाने के अन्दर जजेज के ऊपर और जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को वह निर्भीक रूप से निर्वहन करें तभी देश की, जनता की और जनतन्त्र की वह सच्ची सेवा कर सकते हैं।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

और उसके साथ साथ मैं यह भी आशा करता हूं कि इस गरीब देश की जनता को सस्ता न्याय अगर मिल सके तो उसका मैं स्वागत करता हूं, और जो भी सरकार कदम उठाती है गरीब जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए उसका मैं समर्थन करूंगा, अन्यथा मैं यही निवेदन करूंगा कि यह जो कुछ भी है वह दिखावा है, यह कागजी कार्यवाही है इसका कोई महत्व नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज की जो मांग संख्या है और विषय है उस पर निवेदन करने के साथ-साथ जिन माननीय सदस्यों ने न्याय के नाम पर राज्य सरकार से आपके मारफत अपील की है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें दो राय नहीं कि राजस्थान में हर व्यक्ति को सस्ता न्याय दिलाने के लिए सबकी शुभ कामना है और सभी एक मत के हो सकते हैं परन्तु जहां तक हाईकोर्ट की बेंच का प्रश्न है, यह हमें स्पष्ट विचार से तय करना चाहिये। चाहे हम कितने ही मोहवश मांग कर सकते हैं, इसके पीछे यह भावना भी हमारी हो सकती है, कि गुलाबी नगरी को हमने अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की कोशिश की है और जयपुर पुराने ढंग से अच्छा बसा हुआ है। यहां राजधानी है, सचिवालय है, सारे महकमें यहां हो जाएं ताकि यहां रहने वाले सब सुविधायें प्राप्त कर लें परन्तु न्याय और सस्ता न्याय, यह एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने भारत सरकार की राय पर राजस्थान सरकार की तरफ से हमने एक नेतृत्व दिया था, वह था विकेन्द्रीकरण योजना पर। हमने विकेन्द्रीकरण योजना करके हिन्दुस्तान में नारा दिया था कि ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं, उनकी जो भी समस्यायें हैं, उनके सुलझाने का तरीका है तो हमारी परम्परागत भारतीय संस्कृति के अनुसार जो पंचायत पद्धति है उसका न्याय पक्ष अलग कर और कार्य पक्ष अलग कर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि बिना वकीलों की दलाली के बिना शोषण के, बिना कानूनी झगड़े में डाले वहीं का वहीं हम न्याय दिलादें, यह जो हमारा कदम था, वह सराहनीय था। राजस्थान में जो सस्ता न्याय, जो सुलभता में व्यवस्था पार्टीसिपेंट करने का तरीका था उसके हम पीछे हट रहे हैं। इसलिए सस्ते न्याय की बात को हाईकोर्ट बेंच से जोड़ और यह कहें कि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है तो यह ठीक नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ईमानदारी से पूर्वी राजस्थान की जनता को जयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाने के बारे में यह समझाने की कोशिश की है कि आपकी हाईकोर्ट क्या बला है? हाईकोर्ट एक तरफ कानून की परिभाषा करता है, दूसरी तरफ अपील सुनता है। ऐसे काम के लिए उसको यहां लाने से आम लोगों को क्या लाभ होगा? धारा 226 के तहत हमें अपने मूलभूत अधिकारों के लिए जोधपुर या दिल्ली जाना पड़े तो क्या है? हिंदुस्तान भर के लोग जाते हैं तो क्या गुनाह हो जाता है इसलिए हाईकोर्ट बेंच के पीछे बहुत कुछ राजनैतिक और विशेष प्रकार के झगड़े करने वाले लोगों के साथ राजनीतिज्ञों की सांठ गांठ है और उनका वायदा किया हुआ

(श्री लक्ष्मणसिंह)

है और सारे लोग बढ़ गये और उनको पता नहीं चला कि सस्ता न्याय मिलेगा या नहीं जोधपुर जाने पर। मीटिंग्स हुई, जूलूस निकले विधान सभा में बराबर मांग करते आए हैं कि पूर्वी राजस्थान की जनसंख्या इतनी है, उनको न्याय नहीं मिलता, हाईकोर्ट बैंच यहां आनी चाहिये। यह मांग उस सिद्धान्त के विपरीत है कि एक स्टेट में एक ही हाईकोर्ट होगा....

कई माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बताइए कितने राज्य ऐसे हैं जहां एक हाईकोर्ट है ?

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री दीपंकर : यह एक ऐसा प्रश्न है कि मुझे भी बोलने का अधिकार है मैं आपकी बात सुनकर जवाब देना चाहता हूं इसलिए जवाब दे रहा हूं, आप शान्ति से सुनिए।

कई माननीय सदस्य : जवाब मन्त्री महोदय से सुनेंगे आपसे नहीं।

श्री दीपंकर : राजस्थान जो छोटी छोटी रियासतों का बना हुआ है....

(शोरगुल-कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि किस तरह से राजस्थान को एक कर सकते हैं, अंग्रेजों ने तो इन राजाओं को स्वतन्त्र छोड़ दिया कि चाहे हिन्दुस्तान में जायें चाहे पाकिस्तान में जायें चाहे अलग रहें, उस समय हिन्दुस्तान की अखंडता बनाए रखने के लिए हम पटेल साहब को भूल नहीं सकते। उन्होंने राजस्थान के हित में नेक सलाह दी थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए, जोधपुर में हाईकोर्ट रखी जाए, बीकानेर में आज शिक्षा विभाग है, अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड है ताकि पुरानी राजधानियों का महत्व बना रहे। अगर ...

(श्री उम्मेदीलाल व श्री दीपंकर साथ साथ बोलने लगे)।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री दीपंकर : इसका सम्बन्ध केवल अपील सुनने से है, वह जोधपुर में रखा है और आज पटेल साहब की मृत आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर ऐसी बातें करते हैं जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के दिमाग में होती है तो पश्चिमी राजस्थान वालों के दिमाग में भी आ सकती है कि हम इतना दूर जाकर जयपुर क्यों जायं ? चंडीगढ़ की तरह अजमेर के पास में परबतसर जो राजस्थान के बीच में है, वह नई राजधानी कायम की जाए, करोड़ों रुपए बरबाद करें। इसलिए हमें ऐसी बातें कतई नहीं उठानी चाहिए और राज्य सरकार ने इस मसले पर बहुत सोचा है बल्कि भारत सरकार ने भी बहुत सुना है। आज सुप्रीमकोर्ट की बैंच दक्षिण भारत में जाने की मांग उठायें तो वह जाने वाली नहीं है।

(श्री उम्मेदीलाल व श्री दीपंकर साथ-साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। (दोनों से) आप बैठ जाइए। (श्री उम्मेदीलाल से) आप कई बार इस तरह से व्यवधान पैदा कर चुके हैं। आपको अपने ऊपर संयम रखने की आवश्यकता है वरना आसन की तरफ से कार्यवाही करने का नियमों में काफी प्रावधान है।

श्री दीपंकर : हाईकोर्ट बैंच के पीछे कुछ वकीलों को जो कि आज समाज में अगर स्थान है तो × × × नहीं है बल्कि समाज की × × × का है। सर्विस क्लास में एक तरह से × × × फैलाने वाले हैं तो ये वकील लोग हैं···

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैंच के बारे में अपने विचार कुछ भी रखें लेकिन वकीलों के क्लास को इस तरह से जनरलाइज करें कि ये× × × मैं समझता हूं पूरे पूर्वी राजस्थान का सवाल नहीं पूरे राजस्थान के वकीलों की यह इन्सल्ट है और इस प्रकार का रिमार्क ठीक नहीं। आप उदाहरण दे सकते हैं अगर कोई परटीक्यूलर वकील बेईमान है। तो ये रिमार्क्स् आपत्तिजनक हैं इनको माननीय सदस्य वापस लें और इनको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है किसी विशेष समूह के लिए बार एसोसिएशन के लिए, उनको एक्सपंज करने का आदेश दिया जाता है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सभी वकीलों के बारे में नहीं कहता। क्योंकि हमारे हिन्दुस्तान में भूलाभाई देसाई जैसे अच्छे वकील भी हुए हैं। लेकिन कुछ वकील ऐसे भी हो सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कहता मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अमूमन वकील लोग ऐसा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी तो वकील रह चुके हैं आप जानते हैं कि वकीलों में कुछ वकील ऐसे भी होते हैं।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जिस तरह से आज हाईकोर्ट में जजों के बारे में वकीलों ने जो कहा है जो सुप्रीमकोर्ट के जजों के एपॉइन्टमैन्ट के बारे में जो विरोध किया उसके बारे में···

श्री उपाध्यक्ष : आप उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं क्या ?

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं। इसमें किसी एक जज के नीचे वाले को उपर कर दिया तो उसमें हाईकोर्ट का या सुप्रीमकोर्ट के जजों का डीवेल्यूएशन नहीं हो जाता है। आज जो सुप्रीमकोर्ट के अन्दर जजों के मामले में भारत सरकार ने निर्णय लिया था उसके लिये भूतपूर्व शासक नाराज हो सकते हैं क्योंकि उनका उसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट था। उनके अधिकारों को घटाया जा रहा था। तो आज राजस्थान में हाईकोर्ट जोधपुर में रखा तो गरीब जनता के इन्टरेस्ट के लिये रखा है। सुप्रीमकोर्ट के जजों के मामले में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया वह इस लिये लिया कि जिससे गरीब जनता के इन्टरेस्ट को ध्यान में रखने के लिये क्या ?

×××ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए।

(श्री दीपंकर)

इसलिये लिया कि हमारे देश में जो हम प्रगति करना चाहते थे वह प्रगति चालू रहे। उसमें कोई गतिरोध पैदा नहीं हो। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में जो हाईकोर्ट रहे यह निर्णय भारत सरकार ने काफी सोच समझ कर लिया। और इसमें सारे राजस्थान के भले को देखकर लिया गया। अब हमें इसमें कुछ लोग हाईकोर्ट की बैन्च जयपुर में हो इसके लिये आन्दोलन करते हैं और बैन्च की मांग करते हैं तो इससे आगे चल कर आन्दोलन भी हो सकते हैं और फिर ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान वाले यह कह देंगे कि हम इतनी दूर चल कर क्यों आयें। इसमें हमारे राजस्थान के टुकड़े होने का भय है। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि हाईकोर्ट की बैंन्च जयपुर में हो यह मांग गलत है और इसे नहीं उठाया जाना चाहिये।

अब थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा को जहां हम ज्ञान के लिए देते है वहां हम उसे जीवन यापन दे सकें ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए अगर हम ऐसी शिक्षा नहीं दे सकें जिससे कि एक इन्सान अपनी जीविका उपार्जन नहीं कर सके तो ऐसी शिक्षा से क्या फायदा ? इसके लिए आज हमने इन पिछले वर्षों में कई पद्धति अपनायी है और फिर वह सफल नहीं हुई तो दूसरी पद्धति अपनाली पुरानी छोड़कर। अभी हमने हायर सेकेण्डरी पद्धति को अपनायी हैं। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति टेक्नीकलवे में पढाई करे। क्योंकि अब हम परीक्षण करें वह काल नहीं है आज कल संक्रामक काल है इसमें एक व्यक्ति अपने विद्याध्यन करने के बाद किस तरह से जिन्दा रह सकता है उसके लिये शिक्षा देनी होती है। इसलिये हमें टेक्नीकल एजूकेशन की ओर ध्यान देना चाहिये। आज एक इन्सान अपनी जिन्दगी में कितना पढ़ पायेगा ही वह बात नहीं। बात यह है कि जितना वह पढ़ पायेगा वह उसके उपभोग में कितनी आयेगी वह बात जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा ऐसी दें जिसकी जिन्दगी में प्रेक्टीकल वे में उपयोगिता अधिक हो। आज आपको अध्यापक ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो सच्चे दिल से समाज सेवा करना चाहते हैं। आज हमने शिक्षा के बारे में काफी विकास किया है। काफी प्राईमरी और हायर सेकेण्डरी स्कूलें और कॉलेजें वगैरह खोली है। काफी मास्टर भी बढ़ाये हैं लेकिन उसके साथ साथ हम यह देख रहे हैं कि आज के युग में जो बच्चे पढ़ लिख कर निकल रहे हैं वह ठीक नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा आज किसी को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है तो वह थोड़े समय के लिये नौकरी अध्यापक की करता है और बाद में दूसरी जगह चला जाता है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अध्यापक ठीक तरह से बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमने प्राइमरी स्कूल्स खोली हैं। वहां से लेकर कॉलेजों तक में आप देखलें पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही हैं। अध्यापक लोग बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है ठीक ढंग से। आज इस

(श्री दीपंकर)

तरह का वातावरण बना दिया है कि बच्चे ठीक तरह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिये हमें इस प्रणाली में चेन्ज करने की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जो कि बच्चे के काम आये और समाज के भी काम आये। ज्योंही एक बच्चा पढ़ लिख कर निकले उसके पास कोई न कोई धन्धा हो। इसके अलावा ऐसी एजूकेशन देनी चाहिये कि जब बच्चा पढ़ लिखकर निकले तो अपने घर के धन्धे में हाथ बंटाये। जैसे एक काश्तकार का बेटा है वह जब पढ़ लिख कर निकले तो उसे यह ही नहीं सोचना चाहिये कि वह नौकरी ही करे। उसे अपने खेत पर जाना चाहिये। अगर कोई चमार का लड़का है तो उसे पढ़ने लिखने के बाद अपने घर पर चमार का काम करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिये। उसे वह काम करना चाहिये। अगर कोई बढ़ई हो तो उसे पढ़ने लिखने के बाद बढ़ई का काम करना चाहिये। उसे यही ख्याल नहीं रखना चाहिये कि वह नौकरी ही करे। तो मेरा मतलब यह है कि प्रेक्टीकल वे में ...

श्री मूलचन्द सामरिया : तो आप यह बात बनवारीलाल जी को कह रहे हैं कि वह चमार का काम करें।

श्री दीपंकर : मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो सभी के बारे में कह रहा हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : तो कल तो आप यह कहेंगे कि जगजीवनराम जी चमार का काम क्यों नहीं करते हैं ? या अम्बेडकर साहब ने चमार का काम क्यों नहीं किया ?

श्री दीपंकर : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अब शिक्षण संस्थाओं के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा इसके लिए मैं खासतौर से जनसंघ भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह शिक्षण संस्थाओं में आर. एस. एस. जैसी साम्प्रदायिकता की संस्थाओं को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं करावें तो ठीक रहेगा इससे वहां के छात्रों में तंगख्याली फैलती है। यह तंगख्याली की बात करना अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह साम्प्रदायिकता की भावना इन जनसंघ वालों ने वैसे तो काफी एडेड स्कूल्स में तो फैलाई ही है पर अब तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह भावना दूसरी गवर्नमैंट स्कूलों में भी फैलने लग गई है इसके लिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस प्रवृति को रोकने की व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था करावें कि जिससे यह तंगखयाली के भाव बच्चों के अन्दर नहीं आवें। हमारी भारत माता की तस्वीर उनके दिमाग में रहे ऐसी भावना उनके दिमाग में बनायें। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा और न्याय प्रशासन की मांगों के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव इन मांगों के बारे में रखे हैं। सबसे पहले मैं न्याय प्रशासन के बारे में अपने विचार रखना पसन्द करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें क्योंकि साढे पांच बजे जवाब शुरू हो जायेगा। काफी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़े में ही निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
उपाध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ज्युडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया। कम्पलीट सेपरेशन ऑफ ज्युडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राज्य सरकार ने नहीं भारत सरकार ने निर्णय लिया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह तो ठीक है भारत सरकार ने निर्णय लिया उसके बाद में हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि '-4-74 से कम्पलीट सेपरेशन ऑफ ज्युडिशयरी हो जायेगा तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि आपको एक अप्रेल के पहले ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि आपको मजिस्ट्रेट्स की कमी नहीं रहे और अगर अभी कमी रहती हो तो आपको इसके पहले मजिस्ट्रेट एपॉइन्ट कर लेने चाहिए या फिर डेपूटेशन पर मजिस्ट्रेट एपॉइन्ट कर लेने चाहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं उठानी पड़े। और काम भी ठीक ढग से चले। इसके अलावा मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में आज और पहले भी कई बार हाईकोर्ट की बेंच का प्रश्न बराबर उठता रहा है कई माननीय सदस्य इस बारे में प्रश्न उठाते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब कितनी ही रियासतें थीं उनका एकीकरण हुआ था हमने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से यह काम किया था। उसके लिए हमें प्रशंसा करनी चाहिये। हम ऐसे छोटे प्रश्न को लेकर अगर झगड़ा करते हैं तो हम अपने प्रान्त की क्या सेवा कर सकेंगे ? हाईकोर्ट का प्रश्न बड़े ठीक ढंग से किया गया था। हमारे एकीकृत राजस्थान के लिए एक यूनिफाइड हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में पहले भी आज से 15-16 साल पहले एक हाई पावर कमेटी द्वारा बैठकर निर्णय लिया गया कि जयपुर में केपीटल है जोधपुर में यूनिफाइड हाईकोर्ट रहेगा। इस प्रकार अलग अलग जगहों पर अलग डिपार्टमेंन्ट्स रखे गये। ऐसी व्यवस्था की गयी कि किसी की इम्पोर्टेन्स घटे नहीं जोधपुर की इम्पोर्टेन्स बनी रहे। बीकानेर की इम्पोर्टेन्स घटे नहीं सबकी इम्पोर्टेन्स बनी रहे। न उदयपुर की इम्पोर्टेन्स घटे न अजमेर की घटे। तो यह सोच समझ कर किया गया कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। अगर आप यह कहते हैं कि जनता को जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच खुलने से ज्यादा सस्ता न्याय मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हाईकोर्ट में आज कितने केसेज जाते हैं। हाईकोर्ट में या तो रिट पेटीशन्स के केसेज जाते हैं या वही केसेज जाते हैं जिनमें अपील्स की जाती हैं। यह अपील्स वगैरहा जो करते हैं या रिट पेटीशन्स करते हैं वह कोई गरीब आदमी नहीं करता है। आज क्या आप जयपुर में हाईकोर्ट बेंच ले आयेंगे तो क्या वकील लोग फीस के पैसे कम कर देंगे क्या ? क्या वह जो एक हजार या दो हजार या तीन हजार रुपये लेते हैं वह कम फ़ीस लेना शुरू कर देंगे क्या मुझे तो ऐसा कहीं पर भी दिखायी नहीं देता है हां यह हो सकता है कि जो यहां पर कोई बेंचें डिसीजन लेगी और हाईकोर्ट के डिसीजन में कोई फर्क हुआ तो एक नया विवाद पैदा हो जायेगा। कोम्पलीकेसी बढ़ जायेगी और जनता को और राज्य सरकार दोनों को दिक्कत होगी तो हमें ऐसे छोटे प्रश्नों में नहीं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

जाना चाहिए। अब एक प्रश्न खोलने की कोशिश करेंगे तब सब प्रश्न खुलेंगे। तब प्रश्न यह उठेगा कि जयपुर में कैपिटल होने के कारण हमारे बाड़मेर, बागासर, अब्दुल हादी वरहामपुर के हैं, वहां के लोगों को यहां जयपुर आने में कितना समय लगता है और कितनी इनर्जी वेस्ट होती। कोई काम हो, कोई भी आवश्यक काम हो तो किसान तो पहुंच नहीं सकता। जयपुर के अन्दर अलवर, कोटा, भरतपुर के लोग सब ही लोग पहुंच सकते हैं। आवश्यक कार्य करा सकते हैं। तो क्या हम यह कहें कि जयपुर से कैपिटल हटाकर जोधपुर कर दें ? हम यह नहीं चाहते हैं कि ये प्रश्न पुनः खोलने की कोशिश करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचें। हाईकोर्ट की बैंच हो जाने से राजस्थान तरक्की और ऊंचाई पर नहीं चला जायेगा। हाईकोर्ट की बैंच मान लेते हैं तो क्या इससे राजस्थान की विशेष तरक्की हो जावेगी ? गरीबों की उन्नति हो जावेगी ? यह प्रश्न हल होने का नहीं है। इस प्रश्न को गहराई से सोचना चाहिए।

अब मैं खासतौर से शिक्षा की मांग पर और हमारे जिले की समस्याओं के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। बाड़मेर, जैसलमेर जिले पिछड़े हुए जिले हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल खोलना चाहें तो इन जिलों को प्राथमिकता देनी चाहिये। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 10 पर्सेन्ट एजुकेशन है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में भी यही स्थिति है। 74-75 में 100 प्राइमरी और 100 मिडिल स्कूल खोलने का निर्णय हुआ है। यदि सब जिलों में इनको बांटा जाय तो 4 : 4 के अनुपात में आवेंगे। इससे अधिक नहीं आवेंगे। इन जिलों में इससे कठिनाईयां पैदा होंगी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स खोलने होंगे। वहां प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलेंगे तो उन इलाकों की शिक्षा सम्बन्धी समस्या को हल कर सकेंगे अन्यथा समस्या खड़ी हो जावेगी। पोलिटिकल प्रेशर डालेंगे। या तो आप कोई स्कूल खोलें नहीं। प्राईमरी और मिडिल स्कूल जो खोलने हैं 100 या तो उनको बन्द कर दें या शुरू करते हैं तो बेकवर्ड एरिया में ही, तीन चार डिस्ट्रिक्ट में ही इनको खोल दीजिये। वरना खोलें ही नहीं।

दूसरा प्रश्न भवन निर्माण के बारे में है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के भवन निर्माण के बारे में व्यवस्था की थी। 42 लाख का प्रोविजन किया गया था। मैं यह चाहता हूं कि जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अकाल से पीड़ित हैं और जहां पर खराब स्थिति है वहां पर इन स्कूल्स की व्यवस्था करें। उनके लिये भवन निर्माए की, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स के भवन निर्माण की ओर विशेष ध्यान रखें। शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे इसके लिए अनुरोध करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, टीचर्स, लेक्चरार्स, मेरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते हैं, वे सक्रिय रूप से आर. एस. एस. का काम करते हैं, जनसंघ का काम करते हैं। मैं नाम बतला सकता हूं। लिस्ट भी दे सकता हूं कि कौन 2 सक्रिय रूप से रुचि

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
लेते हैं और उसी प्रकार से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सक्रिय रूप से आर. एस. एस. में भाग लेते हैं। रिजेक्टेड होते हैं वे जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भेजे जाते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सीमा लगी हुई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह नियम हो गया है कि सबसे खराब हो तो बाड़मेर और जैसलमेर में भेजे जायं। यदि बोर्डर पर इन जनसंघियों का और आर. एस. एस. के लोगों का जमाव हुआ तो ये खतरे की स्थिति पैदा करेंगे। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को खराब करेंगे।

जयपुर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह इन्स्टीट्यूशन ......

श्री गुमानमल लोढ़ा : बड़ी खराब है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : लड़कों की पढ़ाई की दृष्टि से बड़ी अच्छी है। अच्छी पढ़ाई होती है। कोई कमी नहीं है। पर यह आर. एस. एस. की एक्टीविटीज की पूरी ट्रेनिंग देती है। वहां पढ़े लिखे इसमें एक्सपर्ट हो गये हैं। जहां जहां टीचर्स बन कर जाते हैं उन उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहरीले प्रश्न फैलाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

गवर्नमेन्ट ने इस संस्था को अनुदान देना भी बन्द किया था। उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी है। सी. आई. डी. की रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : बोर्डर से सेन्टर में आ गये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह चाहता हूं कि इनके बारे में शिक्षा मंत्रीजी जब चन्दनमल जी वैद थे तब आश्वासन दिया था कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी कि किस प्रकार से इन्होंने अनुदान का दुरुपयोग किया है। किस प्रकार से फर्जी बिल बनाये हैं, इनकी किस प्रकार की एक्टीविटीज चल रही हैं। जो भी अब कार्यवाही चल रही है वह मन्द गति से चल रही है। डाक्युमेन्ट्स सीज नहीं किये गये हैं, रजिस्टर भी सीज नहीं किये गये। कोई भी अरेस्ट नहीं की गयी।

पूरी जांच करके इस प्रकार की जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और सरकार को इस इन्स्टीट्यूशन्स को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री यशवन्तसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। गत बजट सत्र में तय हो चुका था कि जिस तरह से बजट में डिमान्ड हैं उनको उसी तरह से लिया जावेगा। क्लीयर कट इसके लिए रूल्स हैं।

They should be taken up even if they are five.

श्री गुमानमल लोढ़ा : They should come up as they apear on the list.

श्री यशवन्तसिंह : उपाध्यक्ष जी, आपने यह तय किया था कि जिस स्थिति में डिमाण्ड्स हैं उस स्थिति में ली जावेंगी। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि ऑफिस से भी गलती हो जाती है कि जो डिमाण्ड्स 24, 25 तारीख को ली जानी थी उनको

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
पहले डाल दिया गया है और दूसरी जो पहले ली जानी थी उनको बाद में डाल दिया गया है। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स हैं कि जिस तरह से बजट में एपीयर हुई हैं उसी तरह से वे ली जायं और उन पर उसी प्रकार से कट मोशन लिए जायं। जैसे डिमाण्ड नं. 6 है। यह बाद में ली जावेगी। और डिमाण्ड नहीं हैं तो फिर किसी को मौका नहीं दे सकते। फिर भी मेरी प्रार्थना है कि परमिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेकिन आगे के लिए तो रूल को फॉलो करें। क्या मैं रूल को कोट करूं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप मेहरबानी करें। समय इसी में चला जावेगा। आप तो कृपा करके सुनें। रामानन्द जी अधीर हो रहे हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नोटिस भी नहीं है। उनका दूसरों का नोटिस भी आ गया है।

अगर सरटन स्टेज पर ऑफिस में ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो सदन में बहुत सों को कैसे मौका मिलेगा जो पहले से बैठे हैं। डिस्क्रेशनरी पावर भी स्पेअरिंगली यूज करना ठीक नहीं होगा। नियमों में यह नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय उपाध्यक्षजी, डिमाण्ड्स पर ऑलरेडी निर्णय दिया जा चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कट मोशन्स को सीरियली चेन्ज नहीं किया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं रूल्स को यहां पढ देता हूं। रूल्स 143 क्लीयर है।

The demands for grants shall be arranged in such order as the Leader of the House may after the advise of the PAC has been taken into consideration determine.

144 का सब सेक्शन (5) भी साफ है :

When several motions relating to the same demand for grant are offered, they shall be discussed in the order in which the heads to which they relate appear in the Budget.

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह सब जानते हैं। नाहर साहब, क्यों समय खराब करते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय से निर्णय चाहते हैं। इस बारे में पहले निर्णय आ चुका है। ऑफिस वाले सीरियल ऑर्डर को गलत करें तो उससे स्थिति नहीं बदल जाती। रूल्स सामने हैं। स्पष्ट हैं। 24/25 आप पहले कर दें और 6 को बाद में कर दें। यह स्पीकर को भी रूल्स में अधिकार नहीं हैं। यह स्पष्ट है। जो बजट में है वही सीरियल में चलेगा। अब उस पर कुछ समय उप नेता बोलना चाहें या नेता बोलना चाहें तो उनको समय आप दे सकते हैं। पर यह ऐतराज पहले करूंगा मैं कि इसे सीरियल आर्डर में ही लिया जावे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : कल श्री रामानन्द को इसलिये रोक दिया गया था कि उनका कट मोशन नहीं था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मन्त्री महोदय ने सारी डिमाण्ड्स रख दी हैं। स्ट्रिक्टली टैकनिकली एक-एक को रखा जावे और इसके बाद वोटिंग करवाया जावे तो यह बात समझ में आ सकती है जैसा नाहर साहब ने कहा। पर चूंकि मन्त्री महोदय एक ही हैं और उन्होंने सारी डिमाण्ड्स एक साथ रख दी हैं तो एक बार एक स्पीकर एक पर बोले वह आधे घण्टे के बाद में दूसरे पर बोले तो यह समय नष्ट करना होगा। इसलिये अभी तक की परिपाटी के अनुसार यह होता आया है कि एक दिन में जितने कट मोशन्स होते हैं वे रख दिये जाते हैं और बोलने वाले भी सब पर साथ बोल लेते हैं और इसके बाद में मन्त्री महोदय उनका जवाब भी एक साथ दे देते हैं। फिर हाउस का वोटिंग सब पर हो जाता है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस पर ऐतराज कौन करता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो फिर जो परम्परा चली आ रही है वही उपयुक्त है। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आसन को अधिकार है। इजाजत दें या न दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है इस सम्बन्ध में अनुदानों की मांग को ऑर्डर में कहां तक रखा जाय। इसमें पहली मांग संख्या 24 रखी गई और इसके बाद 25 तो जो क्रम यहां पर बनाया गया है जो मेरे पास में कॉपी है वे ऑर्डर में हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : छ नम्बर पहले आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 24/25 और 6 है। इसमें मुझे आक्षेप नहीं है कि स्ट्रिक्टली छः पहिले लिया जावे और 24/25 बाद में। इस बारे में अध्यक्षीय आदेश जो भी होगा सभी माननीय सदस्यों के लिये बराबर वह उपादेय होगा और उसका लाभ सभी को मिलेगा। अब यहां पर यह तै किया गया कि सभी डिमाण्ड एक साथ ले ली जायें। जो आपने यहां तै किया है और अध्यक्ष ने परामर्श किया था जिस दिन बजट शुरू हुआ था। एक साथ प्रस्तुत करने के पश्चात् उन मांगों के सम्बन्ध में एक साथ बोलने का अवसर सदस्यों को दिया जाता रहा है। यह परम्परा पहले से चली आ रही है। और माननीय अध्यक्ष ने भी आपकी सहमति से उसी परम्परा को कायम रखने के लिये आपकी अनुमति ली है और उसी तरह से किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि जिस तरह से कट मोशन्स माननीय सदस्यों की लिस्ट में हैं ऑर्डर ऑफ टाइम जो है उसमें मैं ऐसा समझता हूं। अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था दे रखी है कि जितने भी राजनैतिक दल हैं इस सदन में उन सबका समय निश्चित कर दिया गया है। इसलिये उस समय के आधार पर उनको बोलने का अवसर दिया जाता है। अब रामानन्द जी को उसी के अनुसार अवसर दिया गया है तो उनके भी कट मोशन्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनके कट मोशन्स नहीं हों और अनुमति दे दी गई हो।

जहां तक मांग संख्या छः के होने का प्रश्न है सभी को प्रस्तुत करने और उन पर

(श्री उपाध्यक्ष)
बोलने का अवसर दे दिया गया है। इस लिये 6/24/25 वाले भी बोल सकते हैं। वहां वरीयता का प्रश्न गौण हो जाता है। जो व्यवस्था शासन की तरफ से चलाई जा रही है वह उपयुक्त समझता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : डिमाण्ड्स के साथ सीरियल नम्बर है उ के आधार पर समय दिया जावे यह बात वाजिब है। किसी का कट मोशन बाद का है उसे पहले समय दें यह कैसे ठीक हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द से) आप बोलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो शिक्षा के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है और जिसके सम्बन्ध में जो मांगें आज प्रस्तुत हैं मैं उन मांगों को इस रूप में रखने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में जो अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में हमें हुए और उस अनुभव के आधार पर हमने इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनी नीतियों को अपनी उपलब्धियों को एक नया मोड़ देने का लक्ष्य सामने रखा है। क्या ये 1974-75 के बजट के अन्दर जो प्रावधान है शिक्षा के लिए यह उद्देश्यों की उस लक्ष्य की ओर, उस पूर्ति की ओर ले जायेगा और मोटे तौर पर वे उद्देश्य उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो होना चाहिये और जिसका जिक्र भी कम से कम केन्द्रीय प्रारूप में किया गया है कि हमारी इन चार योजनाओं में जो उपलब्धियां हैं, हमारी हैं परन्तु उन उपलब्धियों में कुछ इम्बेलेन्सेज क्रियेट हो गये हैं चाहे वे रीजनल इम्बेलेन्सेज हों और चाहे वर्गों के इम्बेलेन्सेज हों।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह बात जहां और सेक्टर्स पर लागू होती है, हमारे शिक्षा के सेक्टर पर भी पूरी तरह लागू होती है और ये इम्बेलेन्सेज असावधानी के कारण, इन्सीडेन्टली नहीं है बल्कि जिस वर्ग के हाथ में राज सत्ता है उसको अपने वर्ग के हितों की रक्षा करने की ओर डेलीबरेट करने का नतीजा है। उपाध्यक्ष महोदय; हमारी यह समझ है कि यह सरकार हमारे देश में और उसी के अनुरूप राजस्थान में पूंजीवादी तरीके से विकास के रास्ते पर चलने में कटिबद्ध है और जो रीजनल इम्बेलेन्सेज क्रियेट हुये हैं वह उस पूंजीवाद की नीति का परिपालन करने का नतीजा है और इस रूप में शिक्षा का जो यह हिसाब देखने को मिला, बड़े बड़े सम्पन्न वर्गों को अधिक मौका मिला, बड़े बड़े लोगों को बढ़िया व्यवस्था करने का अधिक मौका मिला, यह इन्सीडेन्टल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के तमाम आई. ए. एस., हिन्दुस्तान के तमाम आई. पी. एस, डॉक्टर्स, इन्जीनियर्स और टेक्निकल लोग उन शोषित वर्गों से ताल्लुक रखते हैं और जो हिन्दुस्तान का वर्किंग क्लॉस है, जो दूसरे हैं उनको सामान्य शिक्षा पढ़ने का मौका मिलता है, यह इन्सीडेन्टल मौका नहीं है।

गांवों के डॉक्टर्स नहीं हैं, गांवों के इन्जीनियर्स नहीं हैं, गांवों के लोग इतने आई. ए. एस. नहीं हैं, गांवों के स्कूलों में साईन्स की क्लासेज नहीं हैं, विज्ञान की क्लासेज नहीं हैं तो फिर डॉक्टर्स और इन्जीनियर्स बनने का सवाल ही नहीं होता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और इन चार पंच वर्षीय योजनाओं का अगर एनेलिसिस किया जाय तो शिक्षा के क्षेत्र में यही इम्बेलेन्स मिलेगा। जिन लोगों के पास साधन कम हैं, उनके पास पढ़ने का मौका कम है। गांव की लड़कियां ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहती हैं तो उनको गांव से चल कर जयपुर तक या अन्य किसी शहर तक आना पड़ेगा और शहर में आने के बाद किसी होस्टल में रहना पड़ेगा और जयपुर में रहना ही होगा। इसी प्रकार जो जयपुर में रहने वाली लड़की है, न उसको कहीं जाने की जरूरत और न किसी होस्टल की जरूरत है तो जो साधन सम्पन्न हैं उनको शिक्षा पर कम खर्च करने का प्रावधान है और जो साधन सम्पन्न नहीं हैं, पिछड़े हुये हैं उनको शिक्षा पर अधिक खर्च करने का प्रावधान है। इस तरह हमारी शिक्षा का रहा है।

मैंने देखने की कोशिश की कि क्या इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कोई बुनियादी परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया है? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस दिशा में परिवर्तन की प्रगति को नहीं अपनाया गया है। अगर कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है तो वह परिवर्तन यह है कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर कम खर्च करने जा रहे हैं। पिछले साल में एक-एक हजार स्कूल खोलने का प्रावधान था अब नये शिक्षा मन्त्री जी ने यह प्रावधान दिया है कि उनको 100-100 स्कूल ही रखे हैं। यह उस इम्बेलेलेन्स को किस प्रकार दूर करेगी। यह डिसपेरेटि के लिये एक मिसाल है। ये उन तमाम शिक्षा की नीतियों पर जाया जाय तो आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। बेसिकली जैसा आज भी जनरल बजट पर डिस्कशन करते समय हमारे प्रतिनिधि ने कहा आपके बजट की दिशा, आपके विकास की दिशा वह पूंजीवाद विकास की दिशा है।

आप अपने वर्ग के हितों को, जिसको रिप्रजेन्ट करते हो, उसको छोड़ने से इन्कार कर रहे हो वही संकट पैदा कर रहे हो और उसी संकट की वजह से असन्तोष और अविकास की स्थिति पैदा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज यही स्थिति बराबर जारी रखने की या रि-एक्शनरी बनाने की दिशा इस बजट से मालूम पड़ती है और यही करण है उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी को यह बात स्वीकार करनी पड़े कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली सन्तोषजनक नहीं है और उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़े तो शिक्षा मंत्री जी को क्या दोष है? हमारे राष्ट्रपति भी जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं शिक्षा प्रणाली हमारे अनुकूल नहीं है, देश की प्रधान मंत्री भी शिक्षा प्रणाली को उचित नहीं मानती है तो सब आश्चर्य करते हैं कि राष्ट्रपति किससे कह रहे हैं, प्रधान मंत्री किनसे कह रही हैं। शिक्षा मन्त्री ने भाषण दिया तो गांव वालों से उम्मीद करते हैं कि वे चेन्ज करेंगे। हां, बात सही भी है कम से कम यह कनफेशन, जिनके हाथ में सत्ता है, उनकी तरफ से कनफेशन और वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन न शिक्षक सन्तुष्ट हैं, न विद्यार्थी वर्ग सन्तुष्ट है न शिक्षा विभाग के चलाने वाले सन्तुष्ट हैं, न समाज सन्तुष्ट है तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उनके कारण क्या हैं, उनका निदान क्या है ?

आज उनमें तीव्र मतभेद है और इसके बुनियादी मतभेद दो तरह के हैं। एक दृष्टिकोण शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। शोषक वर्ग उसके सारे लाभ को अपने वर्ग तक सीमित रखना चाहते हैं। उसके जरिये जो लाभ उसको जाना चाहिये, जो नौकरी उसको मिलनी चाहिये वह प्राप्त नहीं होती है। ये ट्रेड व इण्डस्ट्री पर भी हावी है और सारे अधिकारों को अपने हाथ में केन्द्रित रखना चाहते हैं और दूसरा दृष्टिकोण इनका मास एज्यूकेशन का प्रोग्राम है। इस तरह का कार्यक्रम शिक्षा में अपनाया जाय तो यह बुनियादी तौर पर दो दृष्टिकोण हैं जो मैं समझता हूं हर क्षेत्र में मिलेगा और सारे देश की राजनीति में मिलेगा। मैं यह उम्मीद करके नहीं चलता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री इस मौलिक परिवर्तन को लाने में सक्षम हो सकेंगे। यह बुनियादी परिवर्तन मन्त्रिमण्डल भी ला सके, यह सम्भव नहीं लगता है, क्योंकि इसका ताल्लुक ऑल इण्डिया से है। जब तक सत्ताधारी दल बुनियादी तौर से पूंजीवादी दिशा को छोड़ने को तैयार हो न हो इस बात का निर्णय नहीं कर लेता है तब तक प्रान्त का मंत्रिमण्डल आमूल-चूल परिवर्तन करने में सक्षम हो सकेगा, यह दिखाई नहीं देता है। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं फिर भी वर्तमान शिक्षा मंत्री जी को यह विभाग नये रूप में मिला है। शासन में मन्त्री पद पर मंत्री न सही उप मंत्री के रूप में रहने का पहले भी मौका मिला है परन्तु शिक्षा मंत्रालय के अपने प्रॉब्लम्स हैं और इसमें जो प्रिडिसर्स थे, जिन महानुभाव के पास शिक्षा विभाग था और जो प्रमुख अधिकारी थे, काम को कुछ इस तरह जटिल बना दिया है। आपने स्टाफ के ऊपर भी, शिक्षकों के ऊपर भी और विद्यार्थियों के ऊपर भी काफी गहरे जख्म किये हैं। उन्होंने अपने थोड़े से ही समय में जिस हद तक भी वह नुकसान पहुंचा सकते थे और जिस हद तक भी लोगों की इज्जत पर, उन अधिकारों पर, उनकी मान्यताओं पर जिस तरीके का भी हमला कर सकते थे वह इन्होंने किया है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि हम मौलिक परिवर्तनों की मांग नहीं करते, इच्छा है कि वह हों लेकिन वह आपके वश की बात नहीं है इसलिए उसकी हमें आपसे शिकायत नहीं होगी लेकिन सामान्यतौर से आप अपने प्रशासन को विशुद्ध बना सकें, जो भी अधिकार हैं टीचर्स के, जो भी अधिकार हैं स्टुडेन्टस के वह उनको आप दे सकें और उनके प्रति आपका व्यवहार सही तरीके का हो और उनकी जो माउन्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एरियर्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको निपटाने में एक्सपीडाइट कराने की कोशिश करें—अगर इतना भी आप कर पायेंगे तो हम आपको सफल मान सकते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक चाहे वह थोड़ा ही समय हुआ है इस रूप से भी जब हम आंकने की कोशिश करते हैं तो आपका शिक्षा मन्त्रालय मुझे खेद है कि प्रॉबेशनरी स्टेज पर ही चल रहा है। अपने कार्यकलापों से यह विश्वास नहीं कर पाये हैं न आपके डिपार्टमेण्ट के अधिकारी और न आपने शिक्षकों में और न विद्यार्थियों में कि आप उनसे गुडडील करना चाहते हैं।

122

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछली साल जो स्ट्राइक हुई थी राज्य कर्मचारियों का उस स्ट्राइक में बावजूद सरकार की ओर से यह आश्वासन देने के और यह बात तय होने के और एग्रीमेन्ट में कि किसी के साथ विक्टिमाईजेशन का व्यवहार नहीं किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में यह मामला उठाया गया बावजूद उस आश्वासन के। आश्वासन को तोड़कर आपसे पूर्व शिक्षा मन्त्री ने बहुत बड़े पैमाने पर तबादले किए शिक्षकों के और उनसे बदला निकालने के लिए तबादले किये, विक्टिमाइज करने के लिए तबादले किये, तमाम उसूलों को तोड़कर तबादले किए। अपने लोगों को ऊंचे पदों पर लाने के लिए, दूसरे लोगों से जिनसे नाराजगी है उनको सजा देने के लिए इस तरीके के तबादले किए। होना तो यह चाहिये था कि एक विभाग में इस तरह का कार्य करते हैं तो हमारे मुख्य मन्त्री उनको कहते कि आप मन्त्री पद के लायक नहीं हैं, आप अपने घर पर बैठ जायें या पीछे की बैंच पर बैठ जायें। लेकिन इतना नहीं करके आपके यहां लीडर का चुनाव होता है, मेजॉरिटी का सवाल है और क्योंकि पुराने वित्त मन्त्री जी कभी इधर थे और कभी उधर थे, उनको वोट की भी आवश्यकता थी। यह कन्सीडरेशन्स रहे होंगे लेकिन शिक्षा विभाग से वह बदल गए और आपको यह विभाग दिया गया इसलिए आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जखम, जो दुर्व्यवहार, अभद्रव्यवहार इस शिक्षा विभाग ने टीचर्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ किया अभी तक आप उसको हील नहीं कर पाये और अभी तक हील ही नहीं कर पाये बल्कि ऐसी किन्हीं भी मजबूरियों के कारण हो या दबावों के कारण हो या आपकी खुद की समझ हो अभी उस नतीजे पर हम नहीं पहुंचे लेकिन आप भी उसी दिशा में चल रहे हैं। आप खुद ऐलान करते हैं और जब भी उन लोगों का सवाल आया आप कहते हैं कि लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन इस सेशन में नहीं कर सकते और अगले सेशन में उसको दुरुस्त करेंगे। हमने कहा कि ठीक है यह बात हो सकती है। तो एक्सेप्शनल कैसेज, जो कि बहुत सिम्पेथैटिक कन्सीडरेशन्स के हैं उनको इमीडियेट करके बाकियों को अगले सेशन में किया जाये लेकिन मुझे खेद है, वह लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें शिक्षा मन्त्री ने खुद सूचना दी कि 1 जनवरी के बाद हमने निश्चय किया है कि किन्हीं भी टीचर्स के तबादले नहीं होंगे। मैंने खुद लिस्ट देखी और उसमें 1 जनवरी के बाद, 1 फरवरी के बाद भी अभी तक भी लगातार किन्हीं न किन्हीं प्रेशर के जरिये, मजबूरियों के जरिये आप तबादले कर रहे हैं, जिनको आप भी जस्टीफाई नहीं करते हैं। उनमें हर तरीके के लोग हैं या तो वह लोग हैं जिन्होंने एजीटेशन में हिस्सा लिया या वह लोग हैं जो कि बड़े लोगों के प्यारे-प्यारे हैं उनको आप किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि अभी 9 वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले किये थे। मैंने आपको चिट्ठी लिखी, मुख्य मन्त्री जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को चिट्ठी लिखी कि इन तबादलों का आधार क्या है ? अभी इम्तिहान होने वाले हैं और उनके बारे में मालूम भी किया उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिन की बात भी नहीं हैं लेकिन किसी अमुक एम. एल. ए. ने, एम. पी. ने या मिनिस्टर ने कह दिया कि उनका हुकम है इसलिए करना है, इस तरीके से प्रशासन को चलाया जाये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके जरिये आप नौकरशाही को बड़े अधिकार दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि इस तरीके से आप भी जो करते हैं तो फिर आपके डाइरेक्टर उसका कितना ही गुना करते हैं। एक आप करेंगे तो वह 10 करेंगे और जब आप मिसाल कायम करते हैं तो वह क्यों नहीं फायदा उठायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग के अन्दर इस तरीके से जो व्यवहार टीचर्स के साथ, कॉलेज टीचर्स के साथ, यूनिवर्सिटी टीचर्स के साथ, जो कि आपके बड़े बड़े अधिकारियों के समकक्ष हैं वह वहां एप्लीकेन्ट बन कर जायें और उनके साथ दुर्व्यवहार हो, आपके पी.ए. दुर्व्यवहार करें, आपसे मिलने का मौका नहीं दें, अभी तो सेक्रेट्री नये आये हैं. उनके बारे में शिकायत नहीं है लेकिन पहले जो सेक्रेट्री थे उनके बारे में शिकायत है और कई प्रोफेसर्स और लेक्चरार ने की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के व्यवहार में इमीजियेट चेन्ज लाने की जरूरत है। आज भी कोई अधिकारी इस तरीके का टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार करे मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तबादलों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक निर्धारित नीति बनानी चाहिए वर्ना आप प्रॉब्लम्स क्रियेट करते हैं हमारे लिए। कुछ एम. एल. ए. कहेंगे कि हमारे आदमी को वहां पर भेज दो। हमें आपको इसलिए कहना पड़ता है कि आपने नियमों के खिलाफ तबादले कैसे किये ? आपके नियम कहते हैं कि 1 जनवरी के बाद नहीं करेंगे और करते हैं तो अन्याय है। मैंने चिट्ठी लिख कर भेजी है ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप ट्रान्सफर्स के मामले में पड़ते ही क्यों हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर अन्याय करेंगे तो जरूर विधान सभा में लायेंगे। इसलिए मैंने चिट्ठी लिख कर भेजी है। मैं कह सकता हूं सुरेन्द्र कुमार जी अपने आदमी का तबादला करायेंगे नाजायज तरीके से तो उसको जरूर कहूंगा, विधान सभा में कहूंगा। उचित है तो मुझे ऐतराज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह निवेदन करना है.......

(व्यवधान-अश्रव्य)

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है कि निजी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में मैंने कटमोशन रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं समझता हूं कि सवालों के दौरान और कितने ही दूसरे दौरान में यहां पर कितने ही मामले हैं निजी शिक्षण संस्थाओं के, जिनको ग्राण्ट इन-एड मिलती है और ग्राण्ट-इन-एड 60 से सौ प्रतिशित तक मिलती है लेकिन वे गवर्नमेन्ट के आदेशों को नहीं मानते हैं। टीचर्स को गैर कानूनी तरीके से रिट्रेंच कर देते हैं, थोड़ी तनख्वाह देते हैं, और इस तरह से एक बड़े शोषण का तरीका प्राइवेट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दुकान की तौर से यहाँ चल रहा है। लालबहादुर शास्त्री स्कूल का मामला एड-जोर्न मोशन के जरिए मैं यहाँ लाया था और इन बातों को यहाँ दोहराना नहीं चाहता, माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो उस एडजोर्नमैंट मोशन का भी उत्तर देंगे, इसलिए यहाँ दोहराऊंगा नहीं। आज करीब 30-40 लेक्चरार्स प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं के बैठे हुए हैं घर पर, उनको हटा दिया गया है नौकरी से। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश करते हैं उनको माना नहीं जाता। मैं निवेदन करूंगा कि इन सब का हल एक मात्र यही है कि जब गवर्नमेंट की तरफ सिक्स्टी टू हण्डेड पर्सेंट एड देते हैं तो क्यों नहीं इन तमाम इंस्टीट्यूशन्स का राष्ट्रीयकरण कर लिया जावे ताकि टीचर्स का जो शोषण है, वह खत्म हो और सही तरीके से शिक्षा का विकास भी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं कि केवल टीचर्स का शोषण होता है बल्कि इन निजी शिक्षण संस्थाओं के जरिए जो हमारी मौलिक नीतियां हैं, नेशनल पॉलिसीज हैं, इन शिक्षण संस्थाओं को इन नीतियों को सब्वर्ड करने, इन नीतियों के विरोध में जो कि कानून नहीं है, कॉन्स्टीट्यूशनल नहीं है, उनका अड्डा बनाया जाता है इन शिक्षण संस्थाओं को और आश्चर्य है कि हमारी सरकार उनको मान्यता देती है। हमारी सरकार उनको इजाजत देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर का। उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षण संस्था का मामला पिछले साल बजट सेशन में लाया गया है। यहाँ बताया गय कि किस तरीके से यह आर. एस. एस. का अड्डा है, जन-संघ का अड्डा है, किस तरीके से स्टुडेंट्स को मजबूर किया जाता है। आर. एस. एस. की शाखाओं में जाने के लिए किस तरह से टीचर्स की नियुक्ति की जाती है और जो आर. एस. एस. में नहीं जाते उनको टर्मिनेट किया जाता है। वहां किस तरह से पैसों का घोटाला होता है। सरकार से पैसा लेकर और आर. एस. एस. पर खर्चा किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, उसी बुनियाद पर पिछले साल सरकार ने इनकी ग्रान्ट-इन-एड बन्द कर दी थी और उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके कुछ इन्क्वायरी वगैरा इंस्टीट्यूट की थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खेद का विषय यह है कि जिन टीचर्स ने, जिन स्टुडेन्टस ने, जिन लोगों ने इन गम्भीर मामलों की तरफ सरकार का ध्यान खींचा उन टीचर्स को इस शिक्षण संस्था की तरफ से विक्टेमाईज किया गया है। उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और बावजूद सरकारी आदेशों के उनको नौकरी पर नहीं लगाया गया। उनको तनख्वाह नहीं दी गई और कहा कि हमको एड नहीं मिलती है, अब हमारा सरकार क्या कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर निवेदन करूं तो आप आश्चर्य करेंगे कि यहां पर एक शिवलहरी अग्रवाल को इस बुनियाद पर निकाल दिया गया कि एड बन्द हो गई, हमारे पास पैसा नहीं है। 13-5 को उनको नौकरी से निकाला गया और 4-6-73 की यानी बीस दिन बाद ही विज्ञापन निकाला गया कि दस टीचर्स की जरूरत है और नए टीचर्स भर्ती कर लिए गए। इसी तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, कितने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ही टीचर्स हैं जिनको इस तरीके से निकाल दिया और यहां तक हुआ है कि एक टीचर को जो कि श्रीरामगोपाल गोयल हैं, सगे चाचा की डेथ हो गई, उन्होंने छुट्टी मांगी कि मुझे चार दिन की छुट्टी देदी जावे मेरे चाचा की डेथ होगई, मुझे जाना है। पहले तो उसको आदेश भेज दिया कि यह बताओ कि ये चाचा कौन हैं, सगे चाचा हैं, या कौन है ? इस बात की पुष्टि के लिए भी सबूत दो कि वे सचमुच मर गये हैं या नहीं। जब इस टीचर ने सारे सबूत पेश कर दिए तो भी इन भारतीय संकृति के पुजारियों ने उस टीचर को छुट्टी नहीं दी और अन्त में चार्ज लगा कर उसको नौकरी से निकाल दिया।

इसी तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, एक टीचर था, वो बेचारा बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर का सर्टीफिकेट दिया, और सर्टीफिकेट दिए, उसके बावजूद उसको छुट्टी नहीं दी और उनको भी इस तरीके से नौकरी से निकाल दिया। सरकार की तरफ से कितने ही आदेश हुए इन सारे केसेज के अन्दर कि ये जितने भी भाव लोगों ने किए हैं ये सब गलत हैं। उन्होंने कहा कि हम इनको मान्यता नहीं देते हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी एड वैसे ही चल रही है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके बाद भी आज और भी खुले तरीके से इन शिक्षण संस्थाओं में जो मान्यता प्राप्त हैं, आप ग्राण्ट-इन-एड नहीं देते हैं, लेकिन वे आपसे मान्यता प्राप्त हैं, जिसका मतलब है कि इनकी तमाम एक्टीविटीज को रिकोग्नाइज करते हैं। यह मानते हैं कि ये एक्टीविटीज कॉस्टीट्यूशनल हैं। सही है और आप भी उनको मान्य करते हो, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या एक शिक्षण संस्था, जो मान्यता प्राप्त है, उसके अन्दर आर. एस. एस. का शिविर चल सकता है। इनको आर. एस. एस. का शिविर चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा, मेरे पास चिट्ठी है हरिकिशन जावा जो कि स्कूल के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक सर्क्यूलर निकाला है। इस सर्क्यूलर से लोगों को आर. एस. एस. के शिविर में विद्यार्थियों को बुलाया है। इस सर्क्यूलर में उन्होंने लिखा है।

"अपना समस्त हिन्दू समाज एक शरीर है इस कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से अपना यह संगठन का कार्य चल रहा है...."

अन्त में यह कहा है :

"यह शिक्षण वर्ग जयपुर में आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श नगर में 24 मई को प्रातः से प्रारंभ होगा"

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं रख दूंगा। "इसलिए 23 रात्रि को सबको अपना गणवेश, 60 रु. शुल्क, बिस्तर, बर्तन, कपड़े, साबुन तेल आदि आवश्यक सामान लेकर 1 मास के लिए पहुंचना चाहिए।"

यहां आदर्श विद्या मंदिर में एक मास के लिए आर. एस. एस का शिविर लगता है और इसके जो अध्यक्ष हैं वह सर्क्यूलर निकाल कर इन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विद्यार्थियों को बुलाते हैं। इसके अलावा और दूसरा देखिए। यह जो वहां के हैड-मास्टर हैं श्रीमान खेमचन्द्र शर्मा उनकी तरफ से यह सर्क्यूलर जारी होता है......

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो डॉकूमेंट पेश करना चाहते हैं, आसन से पहले, उनकी अनुमति लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसी को बार-बार दोहराते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नियम तो सदन के सदस्यों के सम्बन्ध में है। यह सर्क्यूलर अन्यों के बारे में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो आप पढ़ेंगे वह प्रोसिडिंग का हिस्सा बनेगा उस सम्बन्ध में डाकूमेंट को सदन की टेबुल पर प्रस्तुत करने के लिए या तो आप पहले प्रार्थना करेंगे.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपसे प्रार्थना कर लेता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप पढ़िये मत, वैसे ही लिस्ट बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ आपको फर्माना है वह जबानी फर्मा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो सर्क्यूलर जारी किया गया है जो कि अपने तमाम टीचर्स को, तमाम स्टुडेंट्स के पास भेजते हैं उसके अन्दर लोगों को स्टुडेंट्स को, टीचर्स को हिन्दुत्व के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ इनके अन्दर भावना भड़काने की पूरी तरह से कोशिश की गई है जो कि सैक्यूलरिज्म के सिद्धान्त के विपरीत है और जिसको कम से कम सैक्यूलरिज्म के तरीके से तो जनसंघ के माननीय सदस्य भी मानते हैं आर.एस.एस. की नीतियों से उनका इसमें मतभेद हो सकता है ......

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह आपकी समझ में नहीं आता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह कहा गया है ......

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्री मण्डल बनाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारे आई. पी. सी. में संशोधन करके मुख्तलिफ धर्मावलम्बियों के खिलाफ विद्वेष फैलाना क्राइम है, इस तरह से जो करे उन पर पाबन्दी है लेकिन एक स्कूल के प्रिन्सीपल इस तरीके से बाकायदा अपने लेक्चर्स, लिखित लेक्चर्स को प्रचार का माध्यम बना दें, जो गवर्नमेन्ट की नेशनल पॉलिसीज के खिलाफ हो, जो मन्जूर सिद्धान्त हैं उनके खिलाफ है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह सब गलत है.......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से, खासतौर से उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ग्रान्ट-इन-एड बंद हो और वहां पर इस तरीके से आर. एस. एस. की एक्टीविटीज, कम्यूनिलिज्म का प्रचार हो, ईसाई, मुसलमानों के खिलाफ प्रचार हो इस प्रकार द्वेष की भावना का प्रचार हो रहा है, तो शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं या तो आप इस शिक्षण संस्था को टेक ओवर करें अन्यथा कम से कम वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करें और वहां की व्यवस्था के लिए जो कमेटी है उसको भंग करें और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर उसका इन्तजाम अपने हाथ में लें ताकि इसकी जो एन्टी नेशनल एक्टीविटीज चल रही है, उसको खत्म किया जा सके।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : शिक्षा मंत्री जी जब जवाब दें तो इसकी घोषणा करें ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई संस्था आपके विभाग की अवहेलना करती जावे, जो भी संस्था के खिलाफ शिकायत करे, उनको विक्टोमाइज किया जावे तो इसको रोका जाना चाहिए। एक स्टुडेन्ट ने इसकी शिकायत की थी जो हमेशा 59 पर्सेन्ट मार्क्स लाता है उसकी केवल 19 हाजरी कम थी और 40 गैर हाजरी कन्डोन करने का प्रिन्सीपल का अधिकार है। उस 59 पर्सेन्ट मार्क्स लाने वाले लड़के को इम्तिहान में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, उसको परीक्षा देने से रोक दिया गया इसलिए कि वह आर. एस. एस. की शाखा में नहीं जाता था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात सही है.... (शोरगुल)

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम जानते हैं, यह सही है। हम इस क्षेत्र से आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। (शोरगुल)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां जख्म पर लगती है ......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य (शोरगुल)।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कम्युनिस्ट सदस्य अपना संगठन करते हैं और साम्प्रदायिकता की बात करते हैं, कम्युनिलिज्म तो वे फैला रहे हैं केरल में ......

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। (शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज सुबह उदयपुर में बोहरा समाज में किस तरीके से एक फासिस्ट संगठन है, उसका हम लोगों ने सबसे पहले बोल करके इस मामले को सदन में उठाया है। माननीय सदस्य वहां से आते हैं उनकी हिम्मत नहीं रही कि वे इस मामले को यहां पर उठाते क्योंकि उनका आर. एस. एस. भी इसी तरीके का एक संगठन है इसलिए वे इस मामले को नहीं उठा सकते। चाहे मुस्लिम साम्प्रदायिकता, है चाहे हिन्दु साम्प्रदायिकता है, उसके खिलाफ हम आवाज उठायेंगे ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप गलत तथ्य कह रहे हैं। और यह सब जानबूझ कर लोगों को डरा रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रख रहे हैं। आज तक कम्यु-

Page No 128

(128)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
निस्टों का यह एप्रोच रहा है। वह एन्टी नेशनल रहा है। रामानन्द जी आपको जानते हैं (शोरगुल).......जानबूझ कर आप देश का डेस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं.......(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : एन्टी नेशनल संस्थाओं को हम डेस्ट्रॉय करके ही छोड़ेंगे.... जो रिएक्शनरी एलीमेंट है उनको खत्म करके छोड़ेंगे ......

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अश्रव्य.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.......

श्री श्रीराम गोटेवाला : असलियत आ रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था ......

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अनावश्यक बातें कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : फांसी के तख्ते पर लटका दिये जाओगे ....

उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपको कटु सत्य सुनने की आदत डालनी चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गलत बात है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह कटु सत्य है; कि आपने खानों की बकाया नहीं चुकायी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सच्चाई सिर के ऊपर चढ़ कर बोलती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप देश के XXX हैं।.......(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अटलबिहारी वाजपेयी किस तरह से माफी मांग कर जेल से निकल कर आये हैं.......सन् 42 में जेल से माफी मांग कर छूट कर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : पजाब का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ने कराया। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, जिन्ना के साथ मिलकर देश का विभाजन करवाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक गिलास ठण्डा पानी पिलवाइये.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : ये रूस के XXX हैं.......

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ये सही बात सुनने के आदी नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सत्य बहुत कड़वा होता है...... शोरगुल

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप क्यों परेशान हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री गुमानमल लोढ़ा : उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबन्धन करके यहां पर आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यहां पर चिल्ला-चिल्ला कर बचना चाहते हैं परन्तु बच नहीं सकते। चिल्लाने से बच नहीं पाओगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस तरह से नहीं निकलने देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तुम्हारी छाती पर पैर रख कर आये हैं। बम्बई में तुम्हें पीट दिया है, उत्तर प्रदेश में पीटा है और अलवर में तुम्हें पीटकर आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य......

श्री गुमानमल लोढ़ा आप देश के XXX हैं......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये पापी हैं ...... (शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढ़ा : केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन किया है और यह आदर्श विद्या मन्दिर की आलोचना कर रहे हैं। केरल में जिस मुस्लिम लीग ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा हुआ लेख पाठ्यक्रम से निकलवा दिया और आपकी पार्टी देखती रही, कुछ न कर सकी, वहां मुस्लिम साम्प्रदायिकता के आगे झुक गये ...... (शोरगुल)

श्री मीठालाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह एक राष्ट्र-वादी संस्था है, जिसने पाकिस्तान का मुकाबला किया बाड़मेर के एरिया के अन्दर 62 में (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

...... ये XXX हैं। रूस के XXX

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह (श्री लोढा) आउट ऑफ ऑर्डर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बारबार देश को बेचने वाले......

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के साथ खिलवाड़ की ....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इनको आज मालूम है कि आदर्श विद्या मन्दिर का पर्दाफाश होगा......

श्री उपाध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड।

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : XXXX

श्री रामानन्द अग्रवाल : XXXX

श्री गुमानमल लोढ़ा : XXXX

श्री भानुकुमार शास्त्री : XXXX

श्री गुमानमल लोढ़ा : XXXX

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : XXXX

श्री गुमानमल लोढ़ा : XXXX

श्री उपाध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : XXXX

श्री गुमानमल लोढ़ा : XXXX

(3.25 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : कुछ निवेदन करूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा निवेदन है कि ऑन ए पॉइन्ट ऑफ सिक्योरिटी ।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य आप बैठिये ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : रूस केXXX

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, आप इनको काबू में रखिये । इनका मेन्टल बैलेन्स खो गया है । इनको इसी कोइन में जवाब दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : (श्री लोढ़ा से) कृपया बैठिये । एक मिनिट थोड़ा खामोश रहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा खामोश रहें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सदस्य को रूस में भेज दिया जाय और वहां पर मेन्टल हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये थक गये होंगे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय यह कौनसा तरीका है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : नोट टू बी रेकार्डेड एनिथिंग ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : X X X X

श्री गुमानमल लोढ़ा : X X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया खामोश रहिये । ऑर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : X X X X

श्री अध्यक्ष : एक तो मैं यह चाहता था.... (श्री हाण्डा के बोलते रहने पर) सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : X X X X

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था....

XXXX अध्यक्षीय पीठ के आदेश से प्रतिवेदन नहीं किया गया ।

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से निकाले गए ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था, काफी देर से आपस में वाद-विवाद चल रहा है, उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काफी आप लोगों से निवेदन करते रहे हैं। इस प्रकार का विवाद चल पड़ा है, जो संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है। जो कुछ भी कहना है, वह वक्त पर कहें क्योंकि इस तरह का वातावरण सदन के चलने में दिक्कत पैदा करता है। आप लोगों को अध्यक्ष कहता है या उपाध्यक्ष कहता है तो वह आपके बिहाफ पर कहता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके चुने हुए हैं। वह आपको सदन की परम्पराओं का ध्यान दिलाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कहने पर ध्यान न दिया जाय तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, यह आप सोचें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अब काफी हो गया है, और कुछ मन में हो तो निकालने का रास्ता बतायें, वरना मैं समझता हूं.... (व्यवधान)

श्री मनोहरलाल : इन्हें वकालत करने की फीस मिली हुई है।

श्री अध्यक्ष : सुनिये। अब काफी कहा जा चुका है, ऐसी बातें भी कही गई हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थीं। अब इस चैप्टर को यहीं समाप्त किया जाय और आप अपना भाषण जारी रखें। सदन की मर्यादा में काम चलाना है, उसमें रुकावट न डालें।

श्री मीठालाल : जहां तक रामानन्द अग्रवाल साहब ने कहा है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ...

(शोरगुल-अभंग्य)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : आपको भी समय मिलेगा। समय पर बोल लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था; माननीय सदस्य को भाषण समाप्त करने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बाहर भेज कर पानी पिला दीजिये, लोढ़ा साहब को।

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये। डिस्टर्ब क्यों करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एम्बूलेंस कार मंगा ली जाय, अध्यक्ष महोदय, एम्बूलेंस की व्यवस्था कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, आपको भी समय में दे दूंगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप भी कहिये। इतनी छूट चल रही है, आप और छूट ले लीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं हाउस में यह बात रोज देख रहा था और देख रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्यों की आदत हो गई है, जैसे लड़ने का समय मुकर्रर कर रखा है और वह समय लिया जा रहा है। यह हंसने की बात नहीं है। निश्चित रूप से घण्टा आधा घण्टा अपना जरूर ले लेते हैं, चाहे विवाद का विषय हो या चाहे विवाद का विषय नहीं हो। हो सकता है कि कभी विधान सभा में ऐसा विषय हो जिससे नाराजगी हो लेकिन रोज लड़ने से भद्दा प्रदर्शन होता है और इस सदन की मर्यादा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
है उनका भी हनन होता है। इसलिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस विषय पर चर्चा चल रही थी, मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के अन्दर आदर्श विद्या मन्दिर का प्रश्न पचासों दफा आ चुका होगा। यह मसला है, इस पर इतनी कोई गरमा-गरमी लाने या गरम होने की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि झगड़ा करना था, इसलिए शुरू कर दिया दोनों तरफ से, एक तरफ का दोष नहीं है, दोनों तरफ से होता है छोटे से मामले को लेकर। बात समझ में आ जाय यदि किसी की हत्या हो गई हो या ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप तो मजा ले रहे हैं दोनों तरफ का।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : देखिये, मैं कह दूं, दो तीन सदस्य ऐसे हैं, उनका मैं नाम भी बता दूंगा, जो एक दो घण्टे रोज पहले लड़ लिया करें। क्योंकि यहां ऐसी बात करते हैं तो बुरा लगता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा पर परम्पराओं के अनुसार चलें तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी तरफ से आपको और परसराम जी को चुनेंगे। फिर हममें से भी छांट लीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई कारण हो तो लड़ सकते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरों को उपदेश देना काफी नहीं है, हर एक अपने पाजामे में नंगा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको भेजा जायगा। इन्होंने तो शिष्टता की बात कही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बहुत बढ़िया बात कही है। परसराम जी से सलाह करके कहते तो अच्छा होता।

श्री शंकरलाल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर !

पूनमचन्द जी ने जो बात कही कि नियमों में व्यवस्था है कि इस प्रकार सदन के अन्दर इस प्रकार का वातावरण होता है और सदन का समय नष्ट होता है, तो मैं निवेदन करूंगा, ऐसे माननीय सदस्यों को आसन को ताड़ना देनी चाहिए। दूसरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा और हाउस में व्यवस्था नहीं हुई, तो मैं समझता हूं, उस चीज को मजाक में न लें और पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के रूप में उठायें क्योंकि नियमों में व्यवस्था है कि किस प्रकार से माननीय सदस्य बोलें, किस प्रकार से व्यवहार करें। आपने बड़े अच्छे ढंग से कह दिया, आपका आसन है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात कई बार कह चुके हैं। इसका असर पड़ेगा नहीं। इसलिए माननीय सदस्य इसका भविष्य में ध्यान रखें, उसके लिए आज जो माननीय सदस्य बोले हैं उनको ताड़ना दी जाय। आपने फर्माया कि बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो संसदीय प्रणाली में आते नहीं हैं। उनको देख कर आप आज की कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना ही निवेदन कर रहा था, जो मुद्दा आपने उठाया, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने और डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ...

कई माननीय सदस्य : भीनमाल !

श्री अध्यक्ष : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने, वह महत्त्वपूर्ण और सदन की व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सदन का कार्य सुचारु रूप से चलना चाहिये, नियमों के अन्तर्गत चलना चाहिए, परम्पराओं के अनुकूल चलना चाहिये, और कोई काम इस तरह का यहां पर नहीं हो जो इस सदन की परम्पराओं को आघात पहुँचाने वाला हो, वरिष्ठता को आघात पहुंचाने वाला हो, और एक रूप में आपस के अन्दर घृणा की भावना पैदा करता हो—इस प्रकार की बात नहीं आनी चाहिए। सदन में बहुत सारे मेम्बर हैं, कुछ मेम्बर ऐसे हैं जो काफी सीनियर हैं। उनसे मैं आशा करता हूं कि नियमों से परिचित होंगे। कई दफा सदन में नियमों का उल्लंघन होता है, इस ओर ध्यान दिलाया है और कार्यवाही की बात भी कही है। मै बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक हद तक मेम्बरों को, माननीय सदस्यों को लेटीट्यूड दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाहर जाने पर वह लेटीट्यूड नहीं दिया जा सकता है। हमारे रूल्स में काफी इस बात का प्रावधान है, जरूरत पड़ेगी, हाउस में ऐसी स्थिति आयेगी, और अध्यक्ष ठीक समझे, उपाध्यक्ष ठीक समझें तो उनके अनुसार कार्यवाही करके, सदन के संचालन में, सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित नहीं हो, इसके लिए कदम उठाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर उठाया भी जायगा—इसमें शक की गुंजाइश मत समझिये। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, यह समझते हुए कि सदन में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हो सकता है यह बात आपको पसन्द नहीं हो, यह मैं आप पर छोड़ता हूं; जो कि पसन्द करते हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं नियमों के अनुकूल कार्यवाही करूंगा। कभी मेरी बात मान भी ली जाती है ऐसी बात नहीं है कि नहीं मानते हों। जब जब भी निवेदन किया है, आपने उसको स्वीकार किया है। इसलिए वह स्टेप लास्ट में मैं लेना चाहता हूं, जरूरत पड़ेगी तो लेना पड़ेगा, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। रूल्स में प्रॉविजन है, सदन के काम में बाधा होती है, सदन की कार्यवाही चलाने में व्यवधान आता है तो रूल्स के अनुकूल कार्यवाही करनी पड़ेगी, और सख्ती की जरूरत होगी तो सख्ती की जायगी, ताड़ना की जरूरत होगी तो ताड़ना दी जायगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका अवसर नहीं आये।

श्री लूणाराम : मेरा निवेदन है कि जो उत्तेजना पैदा करके सदन का समय जाया किया गया, वह जिस दल द्वारा किया गया है, उस दल के समय में से वह काटा जाय और दूसरे लोगों को वह समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री ओंसिंह : आपको खुशी होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक रसीद मेरे पास है, जिसमें एक विद्यार्थी से आदर्श विद्या मन्दिर में, जो बोर्ड की फीस 37 रुपये होनी चाहिए, उसकी बजाय 47 रुपये वसूल किए गए हैं। रसीद नम्बर 934, विद्यार्थी का नाम है श्री कृष्ण गर्ग, 11 डी., 13-11-73। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, पैसे की रसीद, स्कूल की रसीद न देकर आदर्श विद्या मन्दिर वस्तु भण्डार की रसीद दी है....

श्री अध्यक्ष : आपको काफी समय हो गया है। थोड़े में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत थोड़े में।

वस्तु भण्डार की रसीद दी है। इसका मतलब यह है कि पैसा स्कूल फण्ड, जिसका आॅडिट होता है, में न दिखा कर दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है। मेरी सूचना के अनुसार इस तरह हजारों रुपये को गोल-माल किया जाता है। मेरा निवेदन है....

श्री जोगिंग : माननीय सदस्य को बहुत समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक आर. एस. एस. का ताल्लुक है, आॅल इण्डिया साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी, और संस्थाओं ने इस पर बान लगाने तक की बात कही है। इस बान के क्वेश्चन को गवर्नमेंट पूरी तौर से तय करे, लेकिन जहां तक शिक्षा विभाग का ताल्लुक है, उनसे मैं उम्मीद करूंगा, ऐसी अनेक शिक्षण संस्थाएँ हैं, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं वह इस प्रकार की एक्टिविटी के केन्द्र न बनें। मैंने तथ्यों को सामने रख कर साबित किया है, यह शिक्षण संस्था है यह आर. एस. एस. एक्टिविटी, मौजूदा संगठन को करने का केन्द्र है इसलिए इमीजियेटली इस शिक्षण संस्था की मौजूदा कार्यवाही है उसको भंग करके एडमिनि-स्ट्रेटर मुकर्रर करना चाहिए और जिन टीचर्स का विक्टिमाइजेशन किया गया है उनको रीइन्स्टेट किया जाना चाहिए........ अध्यक्ष महोदय, अब न्याय प्रशासन के बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में मेरा निवेदन है कि राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जिसको यह डिस्टिंक्शन प्राप्त है कि उसके एडवोकेट जनरल की हैड आॅफिस दिल्ली में है। जितने भी और राज्य हैं उनके एडवोकेट जनरल अपने अपने स्टेट हैडक्वार्टर्स पर रहते हैं लेकिन यहां का एडवोकेट जनरल दिल्ली में रहता है। कहने में तो उनका कोई वेतन नहीं है लेकिन जो भी उनको वित्तीय सहूलियतें दी जाती हैं मकान के रूप में, मोटर के रूप में, किराये के रूप में, हवाई जहाज द्वारा यात्रा के रूप में और जिन केसेज में वह हाजिर होता है उनके रेम्यूनरेशन के रूप में, वे तमाम अगर टोटल करके देखें तो वह एक पेड एडवोकेट जनरल से भी ज्यादा पाता है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इतने इम्पोर्टेन्ट केसेज आज हाई कोर्ट में हैं। एडवोकेट जनरल के न पहुंचने से उनके अन्दर एडजोर्नमेंट दिए जाते हैं, एडजोर्नमेंट का खर्चा विपक्षी पार्टियों को देना पड़ता है और ऐसे महत्त्वपूर्ण केसेज जैसे राजाओं की सम्पत्ति के सम्बन्ध में रिट चल रही है जिससे राजस्थान का वित्तीय सवाल है, बहुत से काॅन्टेक्टर्स से पैसा वसूली का सवाल है, वे स्टे लेकर बैठ गए फिर उनको दिलचस्पी नहीं कि केस जल्दी हो और एडवोकेट जनरल को फुर्सत नहीं कि वह जल्दी कराए। इस तरह से कई केसेज पेन्डिंग पड़े हैं, राजस्थान की कितनी वसूलियां रुकी हुई हैं और राजस्थान को नुकसान हो रहा है। यह प्रश्न मैंने पहले भी उठाया था लेकिन सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। मैं न्याय मन्त्री से चाहूंगा कि वह इस बात का उत्तर दें कि आखिर उनकी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नियुक्ति करने में क्या समझदारी की बात है, राजस्थान का कौनसा हित सर्व हो रहा है, क्या राजस्थान में और काबिल लोग नहीं हैं जिनको यह पद संभलाया जा सके ? क्या दोस्ती निभाने का यह तरीका है ? वह जोधपुर के हो सकते हैं इस कारण से वह इस पद पर हैं लेकिन मैं समझता हूं कि आप इतनी छोटी रीजनल भावना के शिकार नहीं होंगे। अगर होंगे तो वह गाड़ी नहीं चल पाएगी, इसलिये पीछे कैसे भी हो सरकार को ढीनोवो सोचना चाहिये और इनको छुट्टी देकर नया एडवोकेट जनरल नियुक्त करना चाहिए जो कि पूरा समय राजस्थान में इन केसेज की तरफ दे सके ताकि जो महत्त्वपूर्ण केसेज हैं उनकी तरफ वह तवज्जुह देकर उनको ठीक कराया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही दर्दनाक टीचर का केस मेरे सामने आया उसका जिक्र मैं करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक टीचर है जगदीशचन्द्र कौशिक सवाई-माधोपुर जिले में मंडावर में सैकेन्ड ग्रेड टीचर थे। जब जमाखोरों के खिलाफ अभियान सब जगह चल रहा था और यहां से अपीलें हो रही थीं कि लोगों को सहयोग देना चाहिये ब्लैकमार्केटियर्स को पकड़ने में, जमाखोरों को पकड़ने में, तो उस अध्यापक ने एक दूकानदार जो कि खार के बोरे ब्लैक में बेच रहा था उसकी शिकायत करके उसका जितना खार था, उसको कन्ट्रोल्ड रेट पर बिकवा दिया। इससे उस व्यापारी ने नाराज होकर अगले दिन कुछ आदमियों से उसकी पिटाई करवा दी ......

श्री चेतराम : माननीय सदस्य मिसकोट कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यू विल हैव युअर से। अपनी बारी पर बोल सकते हैं। उनकी पिटाई की, उस अध्यापक ने अपनी रिपोर्ट महुआ थाने पर दर्ज करवाई। विद्यार्थियों ने मास्टर की पिटाई की सहानुभूति में उस दूकानदार के यहां डेमोन्स्ट्रेशन किया। दूकानदार ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी दूकान लूटी गई जिसमें मेरी जानकारी के अनुसार नाम किसी का नहीं था कुछ लोग थे। उस टीचर के केस से जब पुलिस ने कुछ नहीं किया तो यहां पर पहुंचे, आई. जी. से मिला, आई. जी. ने नीचे लिखा कि इस मामले की तहकीकात की जाए। टीचर ने अपने हैड मास्टर को लिखकर दिया कि मेरी पिटाई हुई, हैड मास्टर ने अपने डाइरेक्टर साहब को कागज भेजा, डाइरेक्टर ने बजाए उनको संरक्षण दिया जाता, उनको पहले करौली, फिर महुआ, फिर जयपुर जिले में गोनेर भेज दिया। इस बात को जानकर कि केस दूकानदार ने दर्ज किया हुआ है। जब उसने ऊपर रिपोर्ट की कि मेरे केस के बारे में अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, मैंने व्यापारी को ब्लैक में पकड़वाया, आई. जी. ने लिखा कि इन्क्वायरी करो, थानेदार ने बुलाया कि गवाह ले आओ, टीचर गवाह ले गया, उन गवाहों से तो कुछ नहीं पूछा, बल्कि उस पर कहा कि तुम्हारे खिलाफ दूकानदार ने डाके का केस दर्ज कराया है और उसको हथकड़ियां लगाकर महुआ और मन्डावर के बाजारों से लेजाया गया। उसने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट की, मैंने शिक्षा मन्त्री को पत्र लिखा, स्थगन प्रस्ताव रखा और मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा। आखिर जो लोग ब्लैक मार्केट की शिकायत करें, आप उस शिकायत करने वाले टीचर को उल्टे इतना ह्यूमिलेट करें उसकी पिटाई हो, उसके खिलाफ मुकदमा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करावायें और आपका शिक्षा विभाग बजाए उसका संरक्षण देने के उल्टा इतना दूर भेज दे। दूकानदार वाले केस में हर 15वें या 20वें दिन आना पड़े उसको तो प्रासीक्यूशन दायर करना पड़ा। जिसने बाद में रिपोर्ट की उसका तो नाम नहीं लिया जिसने पहले रिपोर्ट की उसको तीन महीने बाद गिरफ्तार किया। जहां तक गिफ्तारी का ताल्लुक है पुलिस विभाग की जो बात है वह समय आने पर करूंगा.......

(श्री चेतराम व श्री रामानन्द साथ साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे तथ्य प्रोवाइड किए गए हैं उनके आधार पर कह रहा हूं।

(कई माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

माननीय सदस्य : इसका शिक्षा से सम्बन्ध ही क्या है, यह तो पुलिस विभाग से सम्बन्धित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हैड मास्टर को लिखकर दिया, डाइरेक्टर को लिखकर दिया, आप को एप्रोच किया है और आपने माना कि टीचर के साथ अन्याय हुआ और व्यापारी के असर में आकर, उसने जरूर पुलिस को पैसा दिया होगा, उल्टे उसको पेनेलाइज कर दिया। अगर आप इस तरह से विभाग में शिक्षक का सरक्षण नहीं कर सकेंगे और उल्टे असामाजिक तत्वों और व्यापारियों के प्रभाव में आकर उनको पेनेलाइज करेंगे तो उनका मोरल कैसे कायम हो सकेगा? इस मामले में मन्त्री जी ने जांच कर ली होगी। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का टीचर नहीं है। वह टीचर मेरे पास पहली बार आया और सारी व्यथा रखी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित)

(श्री गुमानमल लोढ़ा के खड़े होने पर)

आप किस विषय पर बात कर रहे हैं? आप अपनी बारी पर.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे दल पर आरोप लगाए उसका जवाब दूंगा। मैं पहले नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में और मर्यादा में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कौनसी परम्परा है कि एक वक्ता बोले और दूसरा उसका जवाब दे?

श्री अध्यक्ष : वही परम्परा है जिसमें आप बोल रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपने समय पर बोलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अपने समय में बोलूंगा, आपके समय में नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे समय में बोलेंगे तो आपका वजन कम कर दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो आप भी समाप्त हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर इस वाद विवाद के दौरान पहले मैं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

न्याय प्रशासन की बात करूंगा उसके बाद शिक्षा पर आऊंगा । न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे कहते हुए गर्व होता है कि राजस्थान में एक ऐसे एडवोकेट जनरल हैं जो आज तक जितने एडवोकेट जनरल यहां पर हुए हैं उनसे अधिक उच्च कोटि के जूरिस्ट और उच्च कोटि के वकील हैं। दुर्भाग्य है कि राजनैतिक कारणों से इसका विरोध का प्रयास किया जाता है।

(3.50 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

आज जो स्थिति कानून और न्याय के क्षेत्र में बनी हुई है, उसको किस प्रकार से अण्डर माइन किया जाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको ही एडवोकेट जनरल क्यों नहीं बना दिया जाए ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : सभापति महोदय मैं जानता हूं कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अपने एक साथी को एडवोकेट जनरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं हाउस में यह बात लाना नहीं चाहाता था लेकिन माननीय हांडा साहब ने यह बात कह कर अपने आपको एक्सपोज कर दिया। इन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने जब उनको एडवोकेट जनरल बनाया गया तो उसका विरोध किया था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य अपने एक विशिष्ठ व्यक्ति को यह स्थान दिलाना चाहते थे और अभी इसी लिये उनका विरोध कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, यह झूठ है, निरा झूठ है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : झूठ बोलने की तो आपकी आदत है इसलिये झूठ शब्द को बार-बार दोहराते रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मौजूदा एडवोकेट जनरल की इसलिये पैरवी कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मुकदमें मिलें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मुझे बार-बार टोका जा रहा है आपने कहा कि मर्यादाओं में रह कर बोला जाय। अब आप जो ताड़ना माननीय सदस्य को देना चाहते हों वह दे दें।

एक माननीय सदस्य : आपने इनको व्यवधान किया था।

श्री सभापति : मेरा माननीय सदस्य को इतना ही निवेदन करना है कि आप बीच में नहीं बोलें। आप इन्ट्रप्शन नहीं करें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभापति महोदय, इन्होंने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया है क्या झूठ शब्द पालियामेन्ट्री है ? इसके लिये पहले व्यवस्था आसन से दी जाय।

श्री सभापति : आप भी इस सदन में डिप्टि स्पीकर रह चुके हैं। आप भी जानते हैं कि कौनसा शब्द अन-पालियामेन्ट्री है और कौनसा शब्द पालियामेन्ट्री। वैसे व्यवस्था अध्यक्ष द्वारा दी जावेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चूंकि आप चेयर पर बैठे हैं उस पर आप ही व्यवस्था देंगे। सदन इसके लिये इतनी देर इन्तजार थोड़ी ही करेगा आप डिसिजन दें।

श्री सभापति : मेरी निगाह में झूठ शब्द अन-पालियामेण्ट्री नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : झूठ अगर पार्लियामैन्ट्री शब्द है तो माननीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को और झूठ बोलने का अवसर मिलेगा। खैर सभापति महोदय मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अभी जो एडवोकेट जनरल हैं वह अभी तक हमारे राजस्थान में जितने भी एडवोकेट जनरल हुए हैं हाईकोर्ट में उनसे वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से कानून की पैरवी करने में कम नहीं है बल्कि उनसे ज्यादा होशियार है। जितनी भी पैरवी पिछले 25 सालों में जितने एडवोकेट जनरल हुए उनकी पैरवी और इनकी पैरवी में प्रभावी अन्तर है। उनके प्रजेन्टेशन में, उनके एमीनेन्स में बहुत अन्तर है। आपका जो एडवोकेट जनरल है, ही हैज एडेड फीचर टू दी राजस्थान स्टेट। यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा और यह बात मैंने सदन के अन्दर और सदन के बाहर पहले भी कही थी कि एडवोकेट जनरल का कार्यालय दिल्ली में नहीं होकर अगर जयपुर में होता तो राज्य सरकार के और राज्य की जनता दोनों के हित में होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनसे इनको काफी मुकदमे मिलते हैं और पैसे.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो अमर बकरे हैं, यह तो बोलते ही रहते हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि उनका कार्यालय दिल्ली में नहीं होना चाहिये। अगर जयपुर में उनका कार्यालय होता तो राजस्थान हाईकोर्ट को भी फायदा होता राजस्थान सरकार को और राजस्थान की जनता सभी के हित में होता। इसके लिये अगर सदन के दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं भी उसका समर्थन करूंगा। लेकिन मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज पिछले कई अर्से से उनके खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार की जा रही है। उनके लिए कहा जाता है कि वह अमेरिका के एजेन्ट हैं। यह बात गलत है। आज हम जनता से कमीटेड हैं कि जनता को पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर और प्रान्तीय स्तर पर सभी को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये। अगर आप यह नहीं चाहते हैं तो फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका में दोनों को वाटर टाइट कम्पार्टमेंन्ट करना चाहते हैं तो आपके लिये जरूरी हो जाता है कि कम से कम गवर्नमेन्ट का हस्तक्षेप न्यायपालिका में न हो। आज आपने जनता को सस्ता, सच्चा और सुलभ न्याय दिलाने के लिये 1-4-74 को कम्पलीट सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशयरी फ्रोम एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के तीन सीनियर जजों को सुपरसीड करके एक जूनीयर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया क्योंकि वह सरकार के इच्छानुसार निर्णय देता था। इसलिये आपने उसे तो ज्यादा काबिल समझा और जिन जजेज ने सरकार के गलत आदेशों को नहीं माना उन्हें आपने नाकाबिल समझा। जो इमानदारी से जजमेन्ट देते थे उन्हें आपने नहीं माना, सभापति महोदय वह दिन हमारे भारतवर्ष के लिये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जबकि तीन व्यक्तियों को सुपरसीड किया गया। इससे जनता में आक्रोश फैला, वकीलों में आक्रोश फैला। हां यह बात जरूर है कि कुछ कम्युनिस्टों में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

आक्रोश नहीं हुआ क्योंकि वह तो यही चाहते हैं कि उनकी सरकार जो आदेश दे उनकी क्रियान्विति होनी चाहिये। हिन्दुस्तान भर में इसका विरोध हुआ और कम्युनिस्टों को इसमें असफलता हुई जिसके लिये उन्हें दर्द हुआ उसके लिये मैं उनका साथ तो नहीं दे सकता पर मैं उनपर रहम कर सकता हूं। लेकिन सिद्धान्त के रूप में नहीं कर सकता। दूसरी बात जो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं वह न्यायपालिका के बारे में, सभापति महोदय, आज हमारे न्यायपालिका में क्या हाईकोर्ट हो, क्या सुप्रीम कोर्ट हो उसमें हाईएस्ट ज्यूडिशियरी में बहुत ही इमानदार और वरसेटाइल जीनियस के व्यक्ति हैं। मैं लोवर ज्यूडिशियरी की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन हाईएस्ट ज्यूडिशियरी में जितने भी व्यक्ति हैं बहुत ही ईमानदार हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय किसी भी हाईकोर्ट के जज के लिये या गवर्नर के लिये उसका केरेक्टर-राईजेशन करना किसी भी लेजिस्लेटिव एसेम्बली में उनकी अलोचना करना या पोलशनलाईजेशन करना गलत है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी और भावना से उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि किसी भी हाईकोर्ट के जज या गवर्नर की आलोचना या तारीफ करना सदन की कार्यवाही के नियमों के प्रतिकूल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं तो निवेदन कर रहा था और उसे बड़े सौभाग्य की बात कह रहा था कि हमारे हाईएस्ट ज्यूडिशियरी में ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं और अगर हम एग्जीक्यूटिव को ज्यूडिशियरी से अलग करते हैं तो जनता को भी लाभ होगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा था। मैं तो जनरल बात कर रहा था। सभापति महोदय हमारे हाईकोर्ट के जजेज का जहां तक सवाल जस्टिस करने का है मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल की बात तो नहीं करता लेकिन जहां तक ज्यूडिशियरी के जजमेन्ट का प्रश्न है मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने देश का ज्यूडिशियरी सिस्टम बहुत अच्छा है। उनकी जनता में इमेज बहुत अच्छी है और जैसी हाईएस्ट ज्यूडिशियरी होनी चाहिये और जैसा न्याय जनता को मिलना चाहिये उसमें आपको राजस्थान के जजेज में कोई कमी नजर नहीं आयेगी। उनके ऊपर किसी भी पार्टी का आक्रोश नहीं है। न्यायपालिका से कार्यपालिका के हटजाने से हाईएस्ट ज्यूडिशियरी के काम में काफी फायदा होगा और राजस्थान की जनता को इससे सस्ता, सच्चा और सुलभ न्याय मिलेगा। और हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम में जो भी कमी थी वह दूर हो जायेगी। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाईकोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा के विषय भी आये कि इन्डीकेट और सिन्डिकेट है, ग्रुप्स और क्लीक्स हैं तो मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमें इस स्थिति से ऊपर उठ कर इसको समाप्त करना चाहिये क्योंकि कोर्ट में बैठ कर निर्णय करना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पालिका के क्षेत्र में यह होना चाहिये कि Justice should not only be done, it should also appear to be done. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे यहां पर इम्प्रूवमेन्ट, तब्दिली, बदलाव, टीम वर्क के रूप में आनी चाहिये।

सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस बात के बारे में कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या कम है, मुकदमे ज्यादा हैं इसलिये जजों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। सस्ता और सुलभ न्याय देने की बात जब हम करते हैं जितना समय होगा उतना ही तो काम जजेज कर सकेंगे इसलिये आज जो हाईकोर्ट जजेज की स्ट्रेन्थ है उनको बढ़ा कर अधिक किया जाना चाहिये जिससे कि केसेज का जो एरियर इकट्ठा हो गया है उसको जल्दी निपटाया जा सके।

हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जजेज होते हैं उनको सरकार रिटायरमेन्ट के बाद किसी कमीशन आदि में ऑपइन्टमेन्ट दे देती है। हाईकोर्ट के जज ही क्या, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सिविल जजेज, डिस्ट्रिक्ट जजेज इन लोगों को रिटायरमेन्ट के बाद किसी कमीशन में, कमेटी में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेन्ट एडवोकेट, पैनल के रूप में इस प्रकार इनको अपॉइन्टमेन्ट दे देते हैं किन्तु न्याय का यह सिद्धान्त है कि इवन इफ दे इ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तराजू लगाया गया है, लेकिन उनके दिमाग में यह एल्योरमेन्ट नहीं रहना चाहिये कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में सरकार के द्वारा मुझे किसी कमीशन में बिठाकर तीन चार हजार रुपये देती रहेगी, मेरे को सारी सुविधायें मिलेंगी, यह बात उच्च से उच्च न्यायपालिका के लिये भी अनुकूल नहीं है यह तो उस व्यक्ति को इनडाइरेक्ट रूप से इन्ड्यूसमेन्ट है, यद्यपि सरकार उनको इन्ड्यूस नहीं करना चाहती है। उनको मैं उनकी बोनाफाइडी के लिये चैलेन्ज नहीं करना चाहता हूं किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया कि यदि उनके मन में यह संशय हो जायगा कि भविष्य में यदि मैंने राज्य सरकार के खिलाफ निर्णय कर दिया तो भृकुटियां तन जायेंगी, कहीं पर भी काम पर नहीं लगाया जायगा, यह भावना भी यदि किसी जज के दिमाग में आ जाय तो, सभापति महोदय, उसका हाथ सरकार के खिलाफ न्यायानुकूल होते हुए भी निर्णय करने में कंपकपा जायगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। न्याय की दृष्टि से न्यायाधीश का दिमाग हर तरह से स्वतन्त्र रहना चाहिये कि वह जैसा चाहे वैसा निर्णय करे। चाहे सरकारी पक्ष में हो या नागरिक के पक्ष में हो। चाहे नागरिक, नागरिक के बीच में वह जजमेन्ट हो। उसको सरकारी अधिकारियों के बीच के मामलों में निर्णय करने पड़ते हैं। मुख्य मन्त्री की चुनाव याचिका आ जाय, मन्त्री महोदय की चुनाव याचिका आ जाय उनमें भी उसको निर्णय करना पड़ता है।

सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह लिखा है कि जहां तक हो सके चुनाव याचिकाओं के लिये परमानेन्ट जज हों और वह मामले उनको ही देना चाहिये इसका मतलब यह है कि उनकी इन्डीपेन्डेन्स के बारे में लेश मात्र भी डाउट नहीं होना चाहिये। यही स्थिति हमारे देश में कायम रहे जिसके लिये हम एंक्षियश हैं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

यही हमारी स्वतन्त्रता है जिसको हम कायम देखना चाहते हैं। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि भविष्य में किसी भी रिटायर्ड जज को, उनको पेंशन मिलने का जो अधिकार है वह मिले, कम है तो उसको आप और बढ़ाइये, कहीं कोई ऐतराज नहीं है, लीविंग कन्डीशन्स को बढ़ाओ, कहीं कोई ऐतराज नहीं है। वह भी आवश्यक है। लेकिन एल्योरमैन्ट, एल्योरमैन्ट के रूप में रहना यह बिलकुल भी न्याय के हित में नहीं है और अगर यह रहता है और सरकार इस ओर विचार नहीं करती है तो, नो बडी शुड ब्लेम टू दी जजेज। लेकिन देश और व्यक्ति की स्वतन्त्रता के हित में, फेयर एन्ड इम्पार्शियल जजमेन्ट शुड बी फ्रोम दी हाइयेस्ट ज्युडिशियल अथोरिटी। रिटायरमेन्ट के एक दो साल पहले न्यायाधीश को हाथ में रखा जाता है। कहीं पर कमीशन कायम किया जाना है, लेबर कोर्ट इन्ट्रोड्यूस करना है, सरकार यह करने वाली है वह करने वाली है, इस प्रकार उन पर डोरे डालने का प्रयास किया जाता है ताकि वे उनके काबू में रहें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि न्यायपालिका ऐसा पवित्र मंदिर है जहां हर इन्सान आकांक्षा और अपेक्षा लेकर जाता है कि यहां पर मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यहां पर मुख्य मंत्री और साधारण जो किसान है उसके बीच में भी भेदभाव नहीं होगा। उसको इस प्रकार का विश्वास मन में पैदा करना चाहिए।

इसके साथ ही मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक स्थान पर गया। जालोर में भीनमाल के स्थान पर मैंने देखा कि मुन्सिफ के रहने के लिए बाबा आदम के जमाने का पटवार खाने का छोटा सा स्थान दिया गया था और वहां रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। वह भी खाली करवाया जा रहा है। खाली करवाया जाय या नहीं इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। किन्तु मेरा कहने का मतलब यह है कि न्यायपालिका के लोगों को रहने करने का स्थान सरकार की ओर से नहीं मिल पाता है और जबकि एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेता है। साधारण मुन्सिफ जो रिक्रूट बनकर आता है वहां पर उसको यदि मकान की सुविधा न दी जाये तो स्वाभाविक है कि वह लैन्डलॉर्ड के मकान में रहेगा। वह अपनी ओर से न्याय करता है लेकिन उसके विरुद्ध भावनायें प्रकट की जावेंगी उस पर डोरे डाले जावेंगे, और उसके पास सिफारिशें आवेंगी और उस पर बराबर न्याय करते हुए भी लांछन लगते रहेंगे। इसलिये आप उनको रहने के लिए चाहे छोटा स्थान दीजिये लेकिन उनको रहने के लिये इन्डिपेन्डेन्ट स्थान मिलना चाहिये। तहसीलदार जोकि उस स्थान का सर्वेसर्वा होता है और जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होता है और ये सब मकान वगैरा होते हैं वह तो अपने रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है क्योंकि कार्यपालिका के हाथ में अलॉटमेन्ट है। न्यायपालिका के हाथ में यह नहीं होने से मुंह देखता रहता है। उनको सड़कों पर चक्कर लगाने पड़ते है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

कोर्ट में कापिंग डिपार्टमेन्ट होता है। फोटो एस्ट कॉपीज के लिए हाईकोर्ट में कोई व्यवस्था नहीं है। साइन्स और टेक्नोलॉजी के जमाने में मैं कानून मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट और अन्य जगहों पर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
फोटो एस्ट कॉपीज के लिये प्रावधान करिये ताकि मुन्सिफ, सिविल जजेज, जजेज को न्याय करने में सुविधा प्राप्त हो सके और अच्छा कार्य कर सकें।

सभापति महोदय, यहाँ पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर चाहे पेनल पर आई. ए. एस. के अपॉइन्टमेन्ट का सवाल हो, चाहे हाईकोर्ट में डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट या असिस्टेन्ट गवर्नमैन्ट एडवोकेट के अपॉइन्टमेन्ट का सवाल हो ये सब मैटर्स डिस्क्रेशनरी बने हुए हैं।

डिस्क्रेशन जहां पर होता है वहाँ अंगुलि उठाने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूल्स बना दिये जावेंगे तो वह स्थिति नहीं आवेगी। नये वकीलों को, जो जीवन से संघर्ष कर रहे हैं युवक हैं उनको प्रोत्साहन मिल सकेगा इससे। इसके स्पेसिफिक रूल्स बना दिये जावें। अब ये कैसे बनें इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो इतना चाहता हूँ कि डिस्क्रेशन कम से कम हो। मैं लॉ विभाग की बात नहीं कहता। शिक्षा पद्धति की बात नहीं कहता। यह सर्वमान्य है कि डिस्क्रेशन से आरबिट्रेशननैस आती है। वरीयता का प्रश्न गौण हो जाता है। जो व्यवस्था इस बारे में बताई जाती है वह उपयुक्त समझता हूँ। रूल्स के अनुसार व्यवस्था आपके एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होगी।

माउण्ट आबू पर मोदी साहब नगरपालिका के अध्यक्ष थे। चुनाव याचिका पेश की गई। इसमें यह निर्णय दिया गया कि चूंकि इलेक्टोरेट कम्पनी का पार्टनर था इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य था। यह सनसनीखेज रहस्योद्घाटन और करूं कि हटाने की आज्ञा तब दी गई जब तीन साल का समय समाप्त हो चुका था, बोर्ड का। अब उन्होंने तीन साल तक काम किया। सदस्य के नाते और अध्यक्ष के नाते भी विभिन्न प्रकार की आज्ञाएं उन्होंने दीं। यह डिले करने का परिणाम है। यह मौकरी ऑफ जस्टिस हो गई। वहां पर रहने वाला आदमी क्या सोचेगा। जो आदमी डिसक्वालिफाइड था वह तीन साल काम करके चला गया इसमें एडवोकेट की भी जिम्मेदारी है। मैं नहीं कहता कि राजस्थान के एडवोकेट का स्टेण्डर्ड ऊंचा है आदर्श के काबिल है। एक माननीय विरोधी सदस्य ने कहा कि यह धारणा बनती जा रही है कि एडवोकेट्स को भी अपनी इमेज इम्प्रूव करनी चाहिए। जो गरीब हैं डाउन टोडन हैं उनसे कम फीस लेकर उनके मामलों की पैरवी हाथ में लेनी चाहिए। उनकी पैरवी करनी चाहिए ताकि बार एसोसियेशन के बारे में सामान्य लोगों में अच्छी भावना बन सके। आम धारणा आज बनती जा रही है कि वकील लोग शोषण करते हैं। यह भी आरोप लगाया जाता है पैरोकारों आदि से मिलकर झूठे बयान करवाते हैं बहुत से गलत काम करवाये जाते हैं। इन धारणाओं को हमें बदलना है। आज के समाज में हमें कन्स्ट्रक्टिव रोल अदा करना है। सही निर्णय पर पहुंचने में हमें जस्टिस दिलाने में जुडीशियरी की मदद करनी है। बार बैंच ये सभी मिलकर जुडीशियरी बनती है यह भी हमें देखना है। सभी अंग अगर सही रीति से काम करेंगे तभी जुडीशियरी की इज्जत बढ़ेगी और जनता का विश्वास जमेगा। सही न्याय जनता को मिल सकेगा।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

न्यायपालिका के बारे में निवेदन करूंगा । यह अलग किया जा रहा है कार्यपालिका से । क्रिमिनल प्रोसीजर कोड संशोधित होकर आ गया है । इसको इफेक्टिव तरीके से लागू करना है । इसमें प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर को डिफीकल्टी में डाल दिया गया है । वहां से आज जहां है हट जावेगा और एस. पी. के साथ अटैच रहेगा । अगर इण्डिपेण्डेण्ट जूडीशियरी के रूप में यश लेना हो तो इसे एस. पी. के साथ अटैच नहीं किया जाकर सीधा लॉ डिपार्टमेन्ट से ही इसका संबंध रखें । यहां यह इण्डिपेण्डेण्ट काम कर सकता है, पर पुलिस के अंगूठे के नीचे रह कर काम करना कठिन होगा । फिर वह प्रोसीक्यूशन नहीं परसीक्यूशन का काम करेगा । इसलिये चाहता हूं कि सही माने में स्वतन्त्र तरीके से काम कर सके इसके लिये उसे लॉ डिपार्टमेंट के नीचे दे देना चाहिये । यह मेरा निवेदन है ।

अब मैं आपके सामने थोड़ा शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा । आज भी कहा गया और पहले भी कई बार कई तरह से यह मामला सदन में और बाहर उठाया गया । आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में कई प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं । उनको कहने का अधिकार है । अगर इस बात पर मैं आपत्ति करूं तो यह मेरे लिये आपत्तिजनक होगा । लेकिन सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में भारतीय जनसंघ एक रिकग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टी है । कम्युनिस्ट पार्टी रिकग्नाइज्ड पार्टी है, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है । यह आप भूल जावें कि यहां कांग्रेस का शासन है । जनतन्त्र का शासन है । कॉन्स्टीट्यूशन का शासन है । ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझ सकता कि जनसंघ के कार्यकर्त्ता यदि किसी संस्था में काम करें तो आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिये । दिल्ली के विश्वविद्यालय में वे काम करते हैं चुनाव लड़ते हैं । कांग्रेस पार्टी के लोग भी और कम्युनिस्ट वगैरह सभी लड़ते हैं चुनाव और काम भी करते हैं । अब मैं नहीं कह सकता कि इसमें जनसंघ के लोग क्यों हैं । होंगे । हो सकते हैं । किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये । कई जनसंघ की विचारधारा को रखने वाले यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं सरकारी विभागों में अधिकारी और कर्मचारी हैं, कांग्रेसी विचाराधारा के लोग भी हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी हैं । सभी प्रकार की राजनैतिक पार्टियों की विचार धारा के लोग विभिन्न स्थानों में संस्थाओं में काम करते हैं । इस पर किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिये । तो ऐसी स्थिति में क्या जनतन्त्र की विचारधारा को रखना पाप है ? रामानन्द जी कह सकते हैं कि जनसंघ की विचार धारा देश के हितों के लिये बाधक है, हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों की विचार धारा देश के लिये घातक है । वे इस देश को रूस के हाथ में बेच देना चाहते हैं । उसे गिरवी दे देना चाहते हैं । तो चाहे वे देश के लिये अच्छे हों या बुरे या उनकी नजर में हम बुरे हों या अच्छे, अच्छे विचारों की स्वतन्त्रता के हम हामी हैं । यह हमारी मान्यता है । इसमें दो मत हो सकते हैं । हम कहते हैं कम्युनिज्म की विचार धारा बाहर की है, मुस्लिम लीगी विचारधारा देश से बाहर की है । इस देश में इनकी जड़ें नहीं हैं । वे जा सकते हैं पर जनसंघ की विचारधारा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इस देश की आत्मा के साथ अनन्त काल से जुड़ी है, वह नहीं जा सकती यहां से। हमने यह भी कहा 47 का पार्टीशन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिन्ना के साथ मिलकर उसको सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टीशन के सामने झुक गई। इस कार्य से उन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, देश का बहुत बड़ा अहित किया। अब यह सब इतिहास के पृष्ठों पर है। इतिहास बतावेगा कि कौन सही था और कौन गलत। कौन आज सही है या गलत यह भी इतिहास बतावेगा। आखिर जिन्ना की पार्टीशन की थ्योरी कांग्रेस ने मानी, महात्माजी ने मानी नेहरूजी ने मानी। सब उसके सामने झुक गये। पटेल ने भी मानी। अब क्या परिस्थितियां थीं वे, इसका निर्णय इतिहास करेगा। अब कांग्रेस तानाशाही ढंग से शासन करना चाहती है और दूसरी विचार-धारा सहन नहीं है तो फिर तानाशाही तरीके से इस पर बैन लगा दें। अब जनसंघ की विचार धारा पर बैन लगाने के लिये यह सदन तो सक्षम है नहीं केन्द्र है। केन्द्र में प्रयास किया जा रहा है। सौभाग्य से यह आज तक तो सफल हुआ है नहीं। दुर्भाग्य से किसी दिन सफल हो गया तो इसके लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया जावेगा जनता के लेवल पर। वह विचारधारा मर नहीं सकती जिसकी जड़ें इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। वे विचारधाराएं समाप्त हो जावेंगी मर जावेगी जो विजातीय हैं इस देश के लिये। इस देश के खाद पानी के साथ जिनका मेल नहीं होगा वे विचारधाराएं समय आने पर टिक नहीं सकेंगी। भाग जायेंगी, जिनकी जड़ें दूसरे मुल्कों में हैं। वे शीत और ताप सहन नहीं कर सकेंगी। यहां की धारा से अलग होकर यहां की जलवायु से भिन्न कोई भी विचार-धारा यहां नहीं पनप सकेगी। यह ध्रुव सत्य है। तो इस तरह से जब तक आप इल्लीगल करार नहीं देंगे तब तक जनसंघ के कार्यकर्ताओं के लिये कुछ नहीं कहा जा सकता। केरल में मुस्लिम लीग जैसी घोर सम्प्रदायवादी संस्था से आज सत्ता के लोभ में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी गले से गला मिला कर चल रहे हैं। अब इनके गले कब कट जावेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वे आज वहां मिल कर बैठे हैं। बैठे ही नहीं हैं, वे इस घोर साम्प्रदायिक संस्था के द्वारा नकेल डाल कर नचाये जा रहे हैं। उसने कह दिया कि नेहरू ने इतिहास के पन्ने गलत लिखे हैं। उन्होंने यह लिख दिया था कि पार्टीशन के लिये देश के बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग और जिन्ना जिम्मेदार थे। मुस्लिम लीग ने आन्दोलन किया। कांग्रेस को धूल चटा दी। इतिहास के पन्ने निकालने पड़े जिनको देश के महान् व्यक्ति ने लिखे जिसके उत्तराधिकारी आज सत्ता में बैठे हैं। सत्ता का मोह आज इतना प्रबल है कि अपने उस महान् पुरुष के कथन को झूठ मानने को बाध्य होना पड़ा और पुस्तक में से निकालना पड़ा। यह मुस्लिम साम्प्रदायिकता की तुष्टिकरण की नीति इस कांग्रेस को और इस देश को कहां ले जावेगी। भविष्य ही बतावेगा। आज कांग्रेस जहां साम्प्रदायिकता को सींच रही है उसकी तुष्टिकरण करने में लगी है वहां जनसंघ के कार्यकर्ता आज यह पाठ पढ़ रहे हैं कि यह तन धन सब उनका देश को समर्पित है। राष्ट्रीयता के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं। अपने प्राणों से अधिक इस धरती से उसे प्यार है। यह देश रूपी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पुष्प जिसमें विकसित हो उस भारत माता के चरणों में उनका सर्वस्व अर्पित है। यह भावना लेकर आज जनसंघ मैदान में खड़ा है। किसकी हिम्मत है उसकी इस भावना को कुचलने की ? उनके लिये यह कहा जाता है कि वे जहर उगलते हैं। हम तो जहर उगलते हैं कि नहीं यह इतिहास बतावेगा पर आप तो जहर की जड़ों को सींच रहे हैं। मैं निवेदन करूं आर. एस. एस. के बारे में बात कही गई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विषयान्तर हो गये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, यहां सदन में आर. एस. एस. के बारे में कहा गया कि वहां आर. एस. एस. की शाखाएं लगती हैं, और आदर्श विद्या मन्दिर के अन्दर यदि उसका कैम्प लग गया, उसका शिविर लग गया तो कौनसा गुनाह हो गया। मुझे मालूम है गवर्नमेंट कॉलेजों में आर. एस. एस. के शिविर लगते हैं और वहां पर क्या कहा जाता है। राम, कृष्ण, शिवाजी जैसे देश भक्तों की तरह देश के लिये बलिदान होने की शिक्षा लें। अब इसमें कौनसी तकलीफ हो गई।

मैं तो आशा करता था आदर्श विद्या मन्दिर का जहां 90, 95 प्रतिशत रिजल्ट रहता है उसको अनुदान शुरू कर देंगे। आपने पिछले साल अनुदान सस्पेण्ड करके गलती की जिसने आपको गलत आंकड़े व तथ्य दिये हैं उससे आप गुमराह हो गये। हां, यदि अकाउण्ट्स की इर-रेगूलरेटी है तो आप अवश्य कार्यवाही करें और सजा दें लेकिन आर. एस. एस. का शिविर लग गया तो दुनिया इधर उधर हो गई, भूकम्प आ गया। दिल्ली से आर. एस. एस. पर बैन हो जाय, यह कोशिश कीजिये तो आर. एस. एस. बन्द हो जाएगा। आप ताकत लगाइये इसके लिये जो कुछ करना है, कीजिये अपने लेवल पर। लेकिन इस भूमि पर आज के दिन आर. एस. एस. लीगल संस्था है जिसमें देश भक्ति की शिक्षा दी जाती है और इस संस्था के लिए देश की महान् विभूतियों—पुरुषोत्तम दास टण्डन और गान्धी जैसे व्यक्तियों ने सर्टिफिकेट दिये हैं और बताया है कि ऐसी बढ़िया संस्था अनुशासन और प्रशासन अन्यत्र मिलना मुश्किल है।

आदर्श विद्या मन्दिर की पुस्तिका छपी है उसको देख लीजिये जितने शिक्षा मन्त्री गये उसकी तारीफ की है। वहां के स्टेण्डर्ड को बालकों के अनुशासन और प्रशासन को अच्छा बताया है। वहां के छात्र को अनुशासन में रहना सिखाते हैं। वहां यह नहीं सिखाते हैं कि अपना टाइम खराब करो और इधर उधर घूमते फिरो। हां, यह अवश्य है कि प्रताप, शिवाजी की बात कहते हैं, तो क्या उनकी बात करना अपराध है ? और अगर यह बात नहीं की जाय तो क्या औरंगजेब और जहांगीर की बात की जाय, मीरजाफर और सिराजुद्दौला की बात की जाय ? क्या देश द्रोहियों की बात की जाय ? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भारत के वित्त मन्त्री माननीय यशवन्तराव जी चह्वाण ने स्वयं ने शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया और जब मैंने क्रान्तिकारी इतिहास पढ़ा तो पता चला

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले, प्रताप, शिवाजी उत्सवों के नाम क्रान्ति की ज्वाला प्रज्वलित की गई थी जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी दी, जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया। पं. नेहरू ने इस संस्था की प्रशंसा की है जिस समय चीन ने युद्ध किया इस संस्था को मुक्ति सेना कह कर इसको सिर आंखों पर लिया गया। उनका स्वागत् किया। वे हमारे ये ही भाई थे। कुछ भाई ऐसे भी थे जिनको ऑफिशियल वे में शामिल करके समारोहों में निमन्त्रण दिये गये। पंडित नेहरू ने उन समारोहों में उन्हें शामिल किया। यह कहकर उनकी प्रशंसा की गई कि आज दिल्ली के तख्ते को इन्होंने संभाला है। सन् 1947 में आर. एस. एस. न होती तो दिल्ली गुण्डों के हाथों में चली गई होती।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बाड़मेर में आग लगी, पेट्रोल पम्प में, सिक्योरिटी गार्ड पीछे हट गई। उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ही जांबाज थे जो आगे आये। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर आग पर काबू पाया। कलक्टर ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया है। आपके और हमारे विचारों में मत-भेद हो सकता है। आप अपना प्रयास कीजिये, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। 67 में जिस समय सरकार बनी थी, रामानन्द जी हमारे साथ थे। वे भी राज्यपाल महोदय के पास गये और कहा सरकार इनकी बननी चाहिए। स्वयं रामानन्द जी ने कहा कांग्रेस खराब है। उस समय रामानन्द जी जनसंघ के साथ थे, आज वे कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, कल किसी और पार्टी के साथ भी हो सकते हैं। अगल अलग कारण हो सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं यह आदर्श विद्या मन्दिर को लेकर इतना शोर शराबा हो, इतना विच हान्टिग हो न्याय पूर्ण नहीं है लेकिन देश की तरुणाई के साथ, देश के बढ़ते हुये होनहार सच्चे युवकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपने ग्रान्ट-इन-एड सस्पेण्ड कर दी हो सकता है जांच में कुछ पाया नहीं जाय और यह भी हो सकता कि आप तुरन्त ग्रान्ट-इन-एड चालू कर दें। आज सारे मिनिस्टर्स और बड़े-बड़े अफसर-सेक्रेटरीज यह कहते हैं कि आदर्श विद्या मन्दिर वास्तव में एक आदर्श शिक्षण संस्था है अच्छे स्टेण्डर्ड से पढ़ाई की तैयारी कराई जाती है लेकिन क्या करें हाउस में शोर शराबा हो जाता है इसलिए इसकी ग्रान्ट ......

श्री खेतसिंह : रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन घोटाले बहुत हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यदि कोई अपराध किया है तो उसके अनुकूल सजा दीजिये लेकिन कोई प्याज की चोरी करे तो उसे फांसी पर तो नहीं लटकायें। अभी एक जूते चुराने वाली बात थी तो क्या जूता चुराने पर उसको जान से मार देंगे? आर. एस. एस. भी इस देश की है, कम्युनिस्ट भी इस देश के हैं, कांग्रेस भी इस देश की है। यहीं पर सबने जन्म लिया है रामानन्द जी और हम साथ में रहेंगे। विचार कभी बदल भी सकते हैं। कभी गवर्नमेंट बनाई भी जाती है तो कभी गवर्नमेंट बदली भी जाती है। ये तो समय-समय के विचार हैं। सब समय में एक से विचार रहना कोई जरूरी भी नहीं है। रामानन्द जी कभी हमारे साथ थे, आज कांग्रेस के साथ

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हैं फिर कोई दूसरा समय भी आ सकता है। विचारों के मतभेद तो चलते रहते हैं, आप के विचारों में आज आप जो कुछ कह रहे हैं, वह सही है, मेरे विचारों में मैं जो कुछ कर रहा हूं वह सही है। कभी दोनो के विचार एक साथ जुड़ भी सकते है।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं बहुत संक्षेप में निवेदन कर देता हूं। रामानन्द जी आज आपने इनका सहारा लिया है, 67 में हमारा लिया था फिर किसका लेंगे, भविष्य में क्या होने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो सकती है, आर. एस. एस. समाप्त हो सकती है, सोसलिस्ट पार्टी समाप्त हो सकती है, कई पार्टियां समाप्त हो सकती है। मैं खत्म हो सकता हूं लेकिन मैंने देश के लिए जो कुछ सेवा की है, मेरी समझ में हो सकता हैं यह ठीक है लेकिन मेरे दूसरे भाइयों के लिए शायद यह ठीक नहीं हो सकता लेकिन मैं नींव का पत्थर बनना चाहता हूं। मैं भारत माता के लिए नींव का पत्थर बनकर ही रहना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारा समय माननीन सभापति महोदय आर. एस. एस.......

श्री गुमानमल लोढ़ा : ......(अश्रव्य) ......भारत माता को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, हम सब एक हैं हमारा सबका उद्देश्य भारत मां को आगे बढ़ाने का है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह कौनसा अपराध हो गया कि आदर्श विद्या मन्दिर में आर. एस. एस. का कैम्प लग गया। यह अपराध धारा 203 में आता है या धारा 204 में आता है: मैं नहीं जानता।

श्री सभापति : बहुत अच्छी भावनात्मक बात कह दी आपने। अब बैठिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं शिक्षा मन्त्री जी से यही निवेदन करूंगा आपने आदर्श विद्या मन्दिर की पिछले साल ग्रान्ट-इन-एड को सस्पेण्ड किया था, वह हाउस में भावावेश में, और एक प्रकार की हवा बनने से किया था। तथ्यों से यदि आप कोई चीज पायें तो फाइनली बन्द कर दीजिये और यदि यह पायें कि यह एक निर्दोष संस्था है और राजस्थान में शिक्षा के लिए अपना एक महत्व रखती है तो ग्रान्ट-इन-एड चालू कर दीजिए।

मैं समय तो ज्यादा नहीं लेना चाहता सभापति महोदय लेकिन उदयपुर में एक महिला छात्रावास है। उसमें निर्णय था कि इसे बन्द कर दिया जाय। माननीय हमारे खाद्य मन्त्रीजी हैं इनके भाई श्री छैलबिहारी लाल माथुर, दो लाख का सवाल था। माननीय सुखाड़िया साहब के समय में जांच चली। उस पर चार्ज थे, मकान बनाया गया, बिल्डिंग बना ली गई लेकिन सभापति महोदय, कोई बिल्डिंग नहीं बनी एब्सोल्यूटली बोगस और एब्सोल्यूटली फाल्स पाया गया। छैल बिहारीलाल जी को फॉरेन भी भेजा गया, वह विद्यापीठ आज तक चल रही है। आदर्श विद्या मन्दिर जो आदर्श

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है देश के लिये, राष्ट्र के लिए है। उसके लिये आपको सोचना चाहिए। इसके लिए क्या उपलब्धियां होने वाली है। इससे आपकी तृष्णा शान्त होती है तो बन्द करवा दीजिए लेकिन जो देश भक्ति की भावना है वह कभी भी बन्द नहीं हो सकती है। जिस समय आजादी मिली थी मैं सभापति महोदय 6ठी में पढ़ता था मेरे स्कूल को बम लगाने की बात थी तब ही से मेरी देश सेवा का श्री गणेश हुआ। आदर्श विद्या मन्दिर एक आदर्श है और वह कभी बन्द नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद बोहरा! (अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल गहलोत!

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): सभापति महोदय, मेरे शिक्षा के सम्बन्ध में पांच कटौती के प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आने वाला समय आपके लिए कठिनाइयों से भरा हुआ है। 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान लागू किया तो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ दी कॉन्सटीट्यूशन में स्वीकार किया था कि दस वर्ष के बाद हम देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देंगे। सभापति महोदय, 1960 गया, 1970 गया और मुझे अभी सन्देह है कि 1980 तक भी आप यह कर पायें कम से कम राजस्थान के लिए। इस वर्ष आप बजट में 62 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं और हमारे यहां पर 60 प्रतिशत ही साक्षरता है और आपने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट प्लान में यह साफ जाहिर किया है कि 1979 में जब कि हमारे प्लान का समय समाप्त होगा हम अपने देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देंगे। यदि आपको इस गति से जाना है या 5 वर्षों के अन्दर 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक जाना है तो मैं कहता हूं कि आपको तीव्र गति से बढ़ना पड़ेगा और इस वर्ष के लिए आपने ऐलान किया है कि 100 तो आप नयी प्राथमिक शालायें खोलेंगे और दूसरी 100 को आप मिडिल लेवल पर अपग्रेड करेंगे। तो इस गति से तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पायेंगे।

सभापति महोदय, एक जरूर खुशी का सन्देश है कि 2,700 प्राइमरी मिडिल व सैकेण्डरी स्कूलों के लिए 4,000 अध्यापकों को और बढ़ाया जायेगा। परन्तु आपको इस गति से बढ़ाना है तो आपके आयुक्त, आपके निदेशक, आपके निरीक्षक और अन्य जो आपके अधिकारी हैं उनको भी बड़े अनुशासन से काम करना पड़ेगा। यह तो अच्छा हुआ कि अध्यापकों के स्थानान्तरण की कोई नीति हमारे यहां बन गयी, नहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शिक्षा मन्त्री जी के बंगले जाइये, उनके कार्यालय में जाइये, आयुक्त के कार्यालय में जाइये केवल 90 पर्सेन्ट काम अध्यापकों का स्थानान्तरण का ही होता है, दूसरा काम कोई होता ही नहीं है। शिक्षा का प्रचार कैसे हो, शिक्षा का प्रसार कैसे हो, स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है, कोई टीचर जाता है या नहीं, लोगों की शिक्षा के प्रति कोई भावना बनी या नहीं, भवन बना या नहीं बना—यह कोई काम नहीं होता। सुबह से शाम तक

(श्री अमृतलाल गहलोत)

सिर्फ लिस्ट बनती रहती है कि किस को कहां भेजा जाये, इसका कैंसिल कर दो, इसको वहां भेज दो। यही काम हमारे एम. एल. एज. का हो गया और दूसरे राजनेताओं का हो गया। आपने अभी तक कोई नीति स्थानान्तरण आदि की नहीं बनाई है। मेरे जोधपुर शहर में अपॉइन्टमेन्ट्स के बाद तीस-तीस वर्ष से लोग बैठे थे, अपना पार्ट टाइम बिजनेस चला रहे थे और बच्चों को पढ़ा नहीं रहे थे और दूसरे जिनका कोई प्रभाव नहीं है वह गांवों में पड़े सड़ रहे हैं उमर भर के लिए। मैं बड़ा आभारी हूँ पहले वाले शिक्षा मन्त्री जी का, राज्य शिक्षा मन्त्री जी का, शिक्षा आयुक्त का और निदेशक महोदय का कि जो नीति आपने प्रस्तुत की और जिसे स्वीकार किया और उसके तहत जोधपुर से लोगों के स्थानान्तरण हुए। उसके बाद, मैं और भी आभारी हूं, वर्तमान मुख्य मन्त्री जी का, वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी का, राज्य शिक्षा मन्त्री जी का, आयुक्त महोदय का कि उन्होंने दृढ़ता से इस ट्रान्सफर की नीति को अपनाया....

श्री गुमानमल लोढ़ा : रामानन्द जी नहीं हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं उनको बुलाने थोड़े ही जाऊंगा। चाहे किसी भी पार्टी के लोग कहें कि विक्टिमाइज किया गया है मैं कहता हूं कि बिल्कुल झूठ है। जो नीति निर्धारित की उसके हिसाब से एक-एक ट्रान्सफर तोल-तोल कर किया गया है और मन्त्री महोदय ने मुझे विश्वास दिया है कि इस नीति से पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। सुना है आपने एक कमेटी बैठाई है मैं आशा करता हूं कि जो कमेटी बैठाई है वह इस नीति में जो भी लूपोल रह गयी हैं उनको पूरा करने में आपको सुझाव देगी। परन्तु सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि अगले कुछ वर्षों में आपको 25-30 हजार अध्यापक रखने पड़ेंगे और कम से कम आठ, दस हजार स्कूल खोलने पड़ेंगे और मैं कह दूं कि राज्य कर्मचारियों में सबसे ज्यादा नम्बर में यह अध्यापक ही होंगे और अध्यापकों का पर्सेन्टेज सबसे ज्यादा होगा और आज भी है। यदि आपने अनुशासन में रखा और जो आपके अधिकारीगण हैं उनको इस ट्रान्सफर की बीमारी से मुक्त नहीं रखा तो आपका सारा मामला ही चौपट हो जायेगा और अपने आपको भी इससे मुक्त नहीं रखा तो सुबह से शाम तक टेलीफोन आते रहेंगे कि इसको हटाओ और इसको लगाओ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीति बनाई है उसको आप दृढ़ता से लागू करें। अब सभापति महोदय, ग्रान्ट-इन-एड की बात रही। जो ग्रान्ट-इन-एड दी जा रही है वह 1968 की पाठशालाओं को दी जा रही है और उसके बाद अभी तक जो अपग्रेड हो गयी हैं या नयी खुली हैं उनको यह ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जा रही है। आपके पास 15-20 लाख रुपये एड-हॉक ग्रान्ट-इन-एड के भी रहते है, मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि 15-20 लाख रुपये आप पांच, दस रोज के बाद बांटने जा रहे हैं, इसके लिए मैं कहूंगा कि इसको आप सिद्धान्त के आधार पर दें न कि किसी एक विशेष क्षेत्र या धर्म के एडेड इन्सटीट्यूशन को दे दिया जाये। अगर आप सिद्धान्त के

(श्री अमृतलाल गहलोत)

आधार पर नहीं देते तो यह न्याय संगत नहीं होगा। इसके लिए आप नीति बनाइये। जो पाठशालाएं 1968 के बाद अपग्रेड हुईं, उनको आप किसी भी तरह का मैचिंग अनुदान नहीं दे रहे हैं। आप प्राथमिकता के आधार पर दीजिए और इस सन्दर्भ में मैं आपको तीन पाठशालाओं के नाम बताता हूं। उम्मेद कन्या माध्यमिक विद्यालय जो कि 1971 में अपग्रेड हुई उसको प्राइमरी और मिडिल स्कूल की एड मिलती है लेकिन सैकण्डरी की नहीं मिलती। यह लड़कियों की संस्था है और कई हजार घाटे में है। मैं कहता हूं कि लड़कियों की स्कूल और उसको कोई एड नहीं मिलती, बहुत दुख की बात है। एक दयानन्द माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर है, यह भी कन्याओं का स्कूल है यह 1971 में अपग्रेड हुआ था और अब 1974 हो गया लेकिन इसको भी एड नहीं दी जा रही है। इसके बाद में इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है यहां उर्दू पढ़ाते हैं और शायद फारसी भी पढ़ाते होंगे। यह अल्पसंख्या और माइनोरिटी स्कूल है आप इसको भी अनुदान दीजिए। मैं कहता हूं कि आप सब को खुश नहीं कर पाओगे, जिसको नहीं दोगे उसको नाराज जरूर कर दोगे। यदि आप इसके लिए कोई सिद्धान्त बना देंगे और उसी के आधार पर यह करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा।

इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक विशेष चीज की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा 1966 में गवर्नमेन्ट मॉन्टेसरी स्कूल, जोधपुर में था। उसके भवन को मैडिकल कॉलेज को हस्तान्तरित कर दिया गया और इस लिए कर दिया गया कि यह स्कूल उसके कैम्पस में आता था और शिक्षा सचिव अब तो आयुक्त हो गए हैं उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मैडिकल कॉलेज दूसरा भवन बनाकर दे या फिर उतने ही पैसे जमा करायें। सभापति महोदय, थोड़े से पैसे दिये और स्कूल के दो तीन कमरे बने और स्कूल आज आठ साल से अधूरी पड़ी है और जब मैंने अभी प्रश्न किया विधान सभा में तो जवाब मिलता है कि यह उत्तरदायित्व तो चिकित्सा विभाग का है। मन्त्री महोदय आप इस जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। शिक्षा मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री आप दोनों पास पास बैठे हैं, शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव के पास पास कमरे, उप-सचिव श्री बैजल और कक्कड़ तीसरी मन्जिल में पास-पास कमरों में और राज्य शिक्षा मन्त्री और स्वास्थ्य की राज्य मन्त्राणी महोदया है उनके भी पास-पास कमरे और फिर आज आठ साल हो जायें और कमरे नहीं बनें, नन्हें नन्हे बच्चे धूप में बैठते हैं, बरसात में बैठते हैं और एक विभाग दूसरे विभाग का सहयोग नहीं करता और कहते हैं कि चिकित्सा विभाग का उत्तरदायित्व है। मैं आशा करता हूं कि अगली साल यह भवन पूरा हो जायगा।

अब मैं टेक्नीकल एजुकेशन के बारे में कहता हूं। हमारे यहां पर टेक्नीकल एजुकेशन का विस्तार हुआ। हमारे यहां पर काफी डिप्लोमा होल्डर्स हैं और काफी आई. टी. आई. से निकले हुए छात्र हैं। रोजगार जितना मिलता है उतना मिलता है लेकिन ज्यों-ज्यों टेक्नालॉजी बढ़ती जाती है हमारे यहां कोटा में इन्स्टूमेन्टेशन और अजमेर में ऑटोमोबाइल का है। मैं कुछ सुझाव देता हूं टेली कम्युनिकेशन, मेटेरियेलॉजीकल और इसके अलावा भी जिस-जिस धंधे के लिए

(श्री अमृतलाल गहलोत)

एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग का भी बहुत विस्तार हुआ। एक उनके एम्प्लॉइज के बारे में कहूंगा कि वहां पर डिमॉन्सट्रेटर डिप्लोमा होल्डर्स हैं। वह जब से डिमॉन्सट्रेटर होते हैं और रिटायर होते हैं तब तक डिमॉन्सट्रेटर ही रहते हैं और जो पी. डब्ल्यू. डी. में होते है डिमॉस्ट्रेटर व डिमॉस्ट्रेटर अपॉइन्ट होकर एडीशनल चीफ इन्जीनियर तक प्रमोट हो गए हैं। यह आपके सामने उदाहरण मौजूद है। एक विभाग में काम करने वाले डेमॉस्ट्रेटर को तो कोई पदोन्नती नहीं मिल सकती, उसको कोई हायर ग्रेड नहीं मिल सका और दूसरी तरफ एक डिप्लोमा होल्डर एडीशनल चीफ इन्जीनियर बन जाय, यह कहां तक न्याय संगत है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि क्या यह उचित है कि इस प्रकार एक डिप्लोमा होल्डर जो दूसरे विभाग में है उसको कोई प्रमोशन नहीं मिल सके। प्रमोशेन की व्यवस्था आपको करना चाहिए वरना एक तरह से काम रुक जाता है, एक फ्रस्ट्रेशन उनमें पैदा हो जाता है यह इसका एक एग्जाम्पल है। एक बात और बताऊं आपको। पोलिटेक्निक में जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनमें एक तो है टेक्निशियन और दूसरा है जूनियर इन्स्ट्रक्टर। 1 जून, 60 को टेक्निशियन की ग्रेड थी 80-175 और जूनियर इंस्ट्रक्टर की ग्रेड थी 80-125। इस प्रकार टेक्निशियन की ग्रेड ज्यादा थी और जूनियर इन्स्ट्रक्टर की ग्रेड कम थी। इस वक्त टेक्निशियन की ग्रेड 120-240 और जूनियर इंस्ट्रक्टर की ग्रेड 200-450। एक अजीबो गरीब बात है। दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है? वही आपके मैट्रीक्यूलेशन विथ आई. टी. आई. ट्रेड और जूनियर इंस्ट्रक्टर भी आई. टी. आई. मैट्रिक्यूलेट। अब एक तो प्रिंसिपल तक बन सकता है परन्तु वही आई. टी. आई. मैट्रिक टेक्निशियन जिन्दगी भर टेक्निशियन ही रहेगा।

अब मैं थोड़ा न्याय प्रशासन के बारे में भी निवेदन कर दूं कोई हाईकार्ट मेरे क्षेत्र में है और हाईकोर्ट के बारे में यहां बहुत चर्चा होती है। ऐसा है कि हाईकोर्ट के बारे में बहुत चर्चा की गई है और आगे एक दिन पूरे नॉन-ऑफिशियल डे पर चर्चा की जाएगी। मैं बिना राग द्वेष, किसी तरह का भेदभाव नहीं लाते हुए एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं पूर्वी राजस्थान की जनता और जयपुर की जनता से और वहां के माननीय सदस्यों से जो यह कहते हैं कि जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच होने से न्याय प्रशासन सस्ता मिलेगा मैं सच कहता हूं कि जयपुर में हाईकोर्ट की बच होने से इनको न्याय महगा मिलेगा.......

श्री नरपतसिंह : यह बिलकुल गलत है हमें न्याय सस्ता मिलेगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : शान्ति पूर्वक सुनिए। जयपुर में जो मकान किराए पर मिलता है वह जोधपुर से दुगुना, ढाई गुना बढ कर मिलता है.......

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : नए मकान बन जायेंगे, इसकी फिकर मत करिए।

श्री सभापति : सुन लीजिए आपकी बात भी। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री हरिशचन्द्र पालीवाल : सभापति महोदय, इस मामले में शांत नहीं रह सकते।

श्री नत्थासिंह : पूर्वी राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में होना जरूरी है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल गहलोत : यदि न्याय सस्ता और सुलभ कराना है तो हाईकोर्ट को एकीकृत रूप में जोधपुर में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री नत्थासिंह : कतई गलत है। हाई-कोर्ट भले ही जोधपुर में रहे लेकिन बैंच जयपुर में होना जरूरी है।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे- अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज.... ऑर्डर प्लीज !

श्री अमृतलाल गहलोत : जरा संयम रखें और मेरी बात को सुनें।

जयपुर में दुगुने ढ़ाई गुने किराये पर मकान मिलता है। जो वकील अपनी फीस लेगा वह यहां के लीविंग एक्सपेंसेज के आधार पर लेगा। इसके अलावा जयपुर में पानी इतना खराब है कि यहां पर रहने वालों के पेट में बीमारी पैदा हो जाती है....

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : यहां के वकील प्रैक्टिस करने को बैठे हैं और आपको पानी की चिंता है।

श्री अमृतलाल गहलोत : जयपुर में इलाज मंहगा होगा। यहां पर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए प्रोफेसर गर्डे ने जो कि सीनेटेशन के मामले में मानी हुई ऑथोरिटि हैं उन्होंने.......

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : जयपुर की पानी की बात करें तो कभी सहन नहीं होगा।

श्री अमृतलाल गहलोत : जरा बैठिए तो सही। प्रिंसिपल गर्डे ने कहा था जयपुर के बारे में कि Jaipur people drink their own sewage. जयपुर के व्यक्ति अपना खुद का मल मूत्र पीते हैं। जयपुर में रहने वालों को मकान के लिए, रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अधिक खर्चा करना पड़ेगा। मकान का किराया डेढ़ा दुगुना है, जो कमरा जोधपुर में पांच रुपये में मिल जाता है वह यहां 25) रुपये में भी नहीं मिलता, होटलों का खर्चा ज्यादा......

श्री चेतराम : अगर होटलें मंहगी पड़ेगी तो धर्मशालायें बनवा कर उसमें रहने की व्यवस्था कर देंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जयपुर में न्याय महंगा मिलेगा क्योंकि यहां पर खर्चा ज्यादा होगा। मैं आंकड़ों के आधार पर इसको सिद्ध कर सकता हूं। इसलिए भगवान के नाम पर हाईकोर्ट की बैंच जयपुर में लाने की बात छोड़ दीजिए।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे- शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ! श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास !

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री मूलचन्द सामरिया)
चाहता हूं कि विरोधी पक्ष को भी समय देने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : आसन को पूरा ध्यान है । विरोधी पक्ष को भी समय दिया जा रहा है और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी उनके अनुपात से समय दिया जा रहा है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : स्वतन्त्र पार्टी के भी इतने सदस्य हैं उनको कितना समय दिया है आपने......

श्री मीठालाल : सभापति महोदय, हमें समय नहीं मिला है । जब सदन का समय बढाया जाता है तो उसी के अनुपात में हमें भी समय दिया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : आपके नेता बोल चुके हैं, आपके दल को समय दिया जा चुका है और जो जरूरी होगा वह फिर दिया जाएगा ।

(शोरगुल-अश्रव्य)

आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री मीठालाल : जब आप समय बढ़ा देते हैं तो हमें समय मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : कोई आवश्यकता नहीं है इसकी ।

श्री मूलचंद सामरिया : आपकी पार्टी के लोगों को तो इतना समय दे दिया....

श्री मीठालाल : हमारे दल के लोगों को भी समय मिलना चाहिये......

(निरन्तर शोरगुल-जारी, अश्रव्य)

श्री सभापति : मैं निवेदन कर चुका हूं कि आपके एक मेम्बर बोल चुके हैं और जितना समय बचेगा उसके अनुसार और समय जरूर दिया जायगा । अब आप यह चाहें कि पहले आपको ही समय दे दिया जाय यह सम्भव नहीं है । यह आप आसन पर छोड़ दीजिए ।

श्री मूलचन्द सामरिया : एक सदस्य उधर के बोल चुके हैं तो अब विरोधी पक्ष को समय दिया जाना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : हम गलत बात तो नहीं कह रहे हैं ।

श्री मीठालाल : सभापति महोदय, अगर इस प्रकार से हमारे दल के साथ व्यवहार किया जाता है और हमारे दल के सदस्य यदि संयम नहीं रख सकें तो मैं दोषी नहीं रहूंगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जयपुर के पानी को ललकारा है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर के पानी ने तो सिद्ध कर दिया है और आपने भी उसे जंवाई माना है ।

श्री हरिश्चद्र पालीवाल : अगर आपको यहां के पानी से इतनी तकलीफ है तो आप एण्टी पार लिया कीजिए जिससे आपके कीड़े निकल जायेंगे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो गहलोत साहब ने कहा है, आप उन्हीं को जवाब दीजिए ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग की मांगों पर विचार प्रकट करते समय मैं उन सुझावों

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

को रखना चाहूंगा जो कि सदन के प्रांगण के ऊपर कई बार रखे जा चुके हैं और कई प्रकार के आश्वासन तत्कालीन शिक्षा मन्त्रियों के द्वारा दिए जाते रहे हैं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को वर्तमान शिक्षा मन्त्री से शायद कोई उम्मीद नहीं हो और वह उम्मीद इसलिए नहीं हो कि साहब प्रगतिशीलता का कोई तमगा नहीं पहन रखा है, लेकिन कम से कम मुझे उम्मीद है कि वह कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और प्रगतिशील का तमगा पहने नहीं होने से गुड्स डिलिवर नहीं कर सकें। यह तो मानना पड़ेगा कि अल्प काल में शिक्षा मन्त्रीजी ने राजस्थान के शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमिततायें ही नहीं बल्कि जो इम्बेलेंस हैं और जो लोकल पीपुल्स के साथ अन्याय हुए हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति से विचार ही नहीं किया है, अपने विचार भी प्रगट किये हैं और जोधपुर के अन्दर भी अपने विचार प्रकट किए। राजस्थान प्रवासी जो विश्वविद्यालय हैं उनके अन्दर जो प्रिफरेंस मिलना चाहिए, राजस्थान का होने के बाद भी कुछ यूनिवर्सिटिज में पैसा खर्च करने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनको इन्फोरियर स्टेन्डर्ड का बता कर इग्नोर किया जाता है जिसके बारे में पहले भी सदन में कई मामले पेश किए गए हैं, उन पर बड़ा बोल्ड स्टेण्ड लिया और अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं जिसके लिए मैं उनको मुबारक बाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से एक सिलसिला स्टुडेन्टस रिप्रजण्टेशन का डिफरेंट बॉडीज के अन्दर, सीनेट और सिण्डीकेट में स्टुडेण्ट पार्टीसिपेशन की मांग को लेकर राजस्थान का स्टुडेन्ट समुदाय लगातार इस बात की मांग करता रहा है। लगातार इस बात के लिए आन्दोलन करता रहा है और इस सदन के अन्दर सभी दलों के माननीय सदस्य इस प्रकार के विचार व्यक्त करते रहे हैं और ऑल इण्डिया लेवल पर गजेन्द्र गडकर कमीशन ने भी रिकमण्ड किया और राजस्थान सरकार ने भी मौलिक रूप से इसे सिद्धान्तः स्वीकार किया है। लेकिन पिछले समय जब यूनिवर्सिटि का अमेंडमेंट बिल आया था उसके अन्दर सीनेट के अन्दर स्टूडेन्ट्स को रिप्रजेण्टेशन देने का प्रावधान किया गया और यह जान बूझ कर यह जानते हुए कि सीनेट सक्षम बॉडी नहीं है, सीनेट को कोई अधिकार नहीं है लेकिन इतनी प्रेसिंग डिमाण्ड के लिये ऑर्डिनेन्स लाना चाहिये था। पर आज इसमें भी प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिये सिंडीकेट में उसको हिस्सा दिया जाना चाहिये। उनमें जिम्मेदारी की भावना डाली जावेगी तो डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। इससे विद्यार्थियों की समस्या भी ठीक तरह से हल की जा सकेगी।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज शिक्षा विभाग से कई प्रकार की संस्थाओं को अनुदान मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में विश्वविद्यालयों को यह दिया जाता है। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी हैं। पर व्यवहारिक रूप से ये राजकोष पर चलते हैं। स्वायत्तशासी विचार के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। उनको ऑटोनॉमी पर एन्क्रोचमेन्ट नहीं करूंगा। पर सभापति महोदय इसके एक्ट में आज आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक है। श्रीमाली कमेटी की

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
दो-दो सिटिंग हो गई। यह कब कम्पलीट तौर पर अपनी रिपोर्ट देगी? जयपुर में डेढ़ दो साल पहले हम लोगों से इन्टरव्यू लिया था इसके बाद वह अजमेर-बीकानेर सब जगह-जा चुकी। सब प्रकार के लोगों से मिली एक-एक बार नहीं दो-दो बार मिल चुकी है। अब आप किस तरह से तीन यूनीवर्सिटियों को एक प्रकार के विधान में लावेंगे एक एक्ट इनके लिये कब बनेगा और चौथे विश्वविद्यालय के बारे में कब निर्णय लिया जावेगा।

जब तक सब कुछ आप करें तब तक आप ऐसा कुछ प्रबन्ध करें कि जो अनियमिततायें इनकी हैं उन पर सीनेट में विचार हो सके। बाकी यहां राजस्थान विधान सभा में ये मामले अन-नेसेसरीली बहस में न आने पावें।

पर सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की हालत में कई बार कई मसलों पर यहां चर्चा हो चुकी है। ये इर्रेगुलरिटीज होती क्यों हैं? मैं बताऊं थोड़ा आपको। उदयपुर विश्व विद्यालय के अन्दर जो डॉ. लाम्बा उप-कुलपति हैं उनके कारण यहां समस्यायें खड़ी होती हैं जिसका खमियाजा सरकार भुगतती है वहां की जनता भुगतती है, विद्यार्थी भुगतते हैं। अब जब इतनी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं तब इस एक वॉइस चान्सलर को रखने में क्या औचित्य है यह मेरी समझ में नहीं आता। हम क्यों एक ऐसे अविश्वसनीय तत्त्व को लाकर वहां बिठाते हैं। आज यहां एक हमारी नैतिक मान्यता है कि अगर किसी की इन्टेग्रिटी डाउटफुल है तो उस आदमी को नहीं रखा जावेगा। ये डॉक्टर लाम्बा मध्यप्रदेश सरकार में डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर थे और डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की हैसियत से उन्होंने कुछ खरीद फरोख्त भी वहां की और उसके बारे में ऑब्जेक्शन रेज किये गये थे।

श्री पूनमचंद विश्नोई: मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। सभापति महोदय, वाइस चान्सलर का एक विशिष्ट स्थान है शिक्षा जगत में। जहां तक इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है उसके कोई प्रमाण नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास: मैं प्रमाण दूंगा।

श्री पूनमचंद विश्नोई: आप केवल कहते हैं। अब आप उन सब बातों को कह कर मान हानि की स्थिति में आ दें। फिर सरकार उसका जवाब न देसके तो यह उचित नहीं होगा। अगर कहीं से वे दण्डित किए गए हों तो आप कह सकते हैं। पर यह नहीं कि उन्होंने कहीं रह कर किसी तरह के घोटाले किये। और वह भी राजस्थान के अन्दर नहीं। मध्यप्रदेश में। जहां की जानकारी करना सम्भव नहीं है। मान हानि के मामलों में निश्चित नियम है हमारे सदन के भी कि ऐसे मामलों में अगर आरोप हैं तो उनको पूर्व सूचना आसन को देनी चाहिये। सरकार को दी जानी चाहियें ताकि उनका जवाब दिया जा सके। अब मध्यप्रदेश में यह हुआ, या अमेरिका में किसी के खिलाफ यह हो गया जिसकी कि जानकारी न हो केवल सदन का समय नष्ट करना है।

श्री सभापति : आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर मैं समझ गया माननीय सदस्य।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं प्रस्ताव करती हूं कि जब तक मांग स्वीकृत न हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जब तक मांग पारित न हो सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ा दिया गया।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : भीनमाल से वाले माननीय सदस्य से मैं सहमत। कोई भी एलीगेशन किसी के विरुद्ध नहीं लगाया जाना चाहिये बिना पूर्व सूचना के और प्रमाणों के। यह भी सही है कि मध्यप्रदेश में इन्होंने क्या घोटाले किये इसका सम्बन्ध भी राजस्थान सरकार से नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसी अगर कोई तजबीज हो तो अदालत से नोटिस जारी हो सकता है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं यह भी मानता हूं कि इसका सीधा सम्बन्ध राजस्थान सरकार से नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश सरकार के इस पद पर रह कर क्या घोटाले किए इस पर इस डिटेल में नहीं जाऊंगा सवाल यह है कि बिना प्रमाण के कोई बात न हो। तो मैं केवल प्रमाण दूंगा। मैं इसके लिए सिर्फ विजिलेन्स कमीशन को जो लेटर भेजा गया वह पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार से सम्बन्धित विषय नहीं है उसके बारे में जब तक कोई अधिकृत तौर पर पूर्व सूचना नियमानुसार न दे दी गई हो ताकि उसका जवाब दिया जा सके उसको यथा सम्भव यहां नहीं उठाया जावेगा। जहां तक वाइस चान्सलर के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति हो आपकी तो उसको आप सप्रमाण उपस्थित कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, आपकी जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि इस विषय में एक स्थगन प्रस्ताव सदन में भी पेश किया गया है जो माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। इस तरह से इसका नोटिस सरकार को है। फिर इस तरह के मामले सदन में पहले भी लाये जाते रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आई इम्फेटिकली इनसिस्ट ऑन दिस पॉइन्ट कि पूर्व सूचना बराबर सारे तथ्यों के बारे में दी जानी चाहिये जो भी वे यहां सदन में कहना चाहें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है उस सम्बन्ध में जो भी माननीय अध्यक्ष व्यवस्था देंगे और वह जिस रूप में आवेगी उस समय उस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके सदन की मर्यादा को रखते हुए जो उचित और व्यवहारिक स्थिति के आधार पर हो अपने विचार सदन में रक्खे जावें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : सभापति महोदय, मैंने भी एक कॉल अटेन्शन मोशन इस बारे में दिया है। कॉल अटेन्शन मोशन में यह बात थी। मैं अपने विचार रख सकता हूं। मैं अपने विचार इस वजह से नहीं रख रहा हूं कि लाम्बा साहब ने....

(5.00 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

...मध्यप्रदेश सरकार के अन्दर क्या किया उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता और मैं सदन का समय वेस्ट करना चाहता हूं। राजस्थान सरकार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मध्यप्रदेश सरकार में उन्होंने क्या क्या घोटाले किये हैं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उनकी बदनामी की डिमाण्ड कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप कह रहे हैं। आप दूसरों को बोलने नहीं दें तो आप बोल लें।

श्री पूनमचंद विश्नोई : आप यह कह रहे है कि मैं यह भी नहीं कहना चाहता, वह भी नहीं कहना चाहता तो आप सीधे से जो प्रमाणित तथ्य हैं कि इनको इस बात के लिए दण्डित किया गया वह रख दें, वर्ना इस हाउस में चर्चा हुई तो कल पालियामेंट में चर्चा चलेगी और परसों पालियामेन्ट में यह सवाल उठाया जायगा। तो इस तरह से मान हानिकारक मामले आप सदन में नहीं रख सकते हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए। हम अपने एक अधिकारी के लिए और वह भी वाइस चान्सलर जैसे व्यक्ति के लिए यह इस प्रकार से कहें यह ठीक नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यह परम्परा नहीं चलेगी।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैंने तो अभी कुछ निवेदन नहीं किया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जो फैक्ट्स हैं उन पर आने के पहले मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं और भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य इसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं इसलिए बारबार इन्टरप्ट कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि एस्टेब्लिश्ड मैटर्स हों और डिफेमैट्री स्टेटमैन्ट नहीं हो। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग के डाइरेक्टर थे तो कुछ खरीद फरोख्त हुई। उसके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, इन्टरनल ऑडिट उस डिपार्टमेन्ट का करवाया गया। तो यह एक लैटर सचिव सतर्कता आयोग, भोपाल को लिखा गया है.......

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सर्टिफाइड कॉपी है ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : यह सर्टिफाइड कॉपी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है तो इसका हवाला नहीं दे सकते।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मध्यप्रदेश सरकार सचिवालय, कृषि विभाग....

श्री उपाध्यक्ष : यू केन नॉट रीड इट प्लीज। आई हैव प्रोहिबिटेड इट। आप जबानी कह सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक लैटर 26 नवम्बर, 1969 को सैक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने विजिलेन्स कमीशन को लिखा है और विजिलेन्स कमीशन को अपने लैटर के अन्दर इस बात का हवाला सैक्रेटरी एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट ने इस प्रकार से दिया है कि श्री पी. एस. लाम्बा और वी. ऐन. उपाध्याय डाइरेक्टर एण्ड डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट के विरुद्ध जब इन्टरनल ऑडिट डिपार्टमेन्ट का हुआ तो पर्टीक्यूलर ट्रान्जेक्शन्स में कुछ घोटाले सामने आये हैं। वह सन्देह ही उपस्थित नहीं करता है पर सुनिश्चित स्थिति है। चूंकि नियम और प्रक्रियाएं ऐसी हैं इसलिए विजीलेन्स कमीशन को लैटर भेजा है कि वह मामले की जांच करके रिपोर्ट भेजे। उसके बाद जांच हुई और विजीलेन्स कमीशन ने जो अपनी फाइंडिंग्स दी तो उसके अन्दर आई. पी. सी. के 420 और 120 के सैक्शन के अन्दर उनको प्रोसीक्यूट करने के लिए लिखा। उसके बाद मैटर लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया गया तो लॉ डिपार्टमेन्ट ने अपनी ओपीनियन एन्डोर्स की इसके साथ में। उपाध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान सरकार से इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन एक आदमी ने जो नोटिस किया है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आई एम सॉरी टू इन्टरप्ट। यह तो यह कह रहे थे कि मैं नहीं कहना चाहता लेकिन वह डिफेमेट्री बात कह रहे हैं। उनका चालान हुआ था या नहीं यह 70 की बात है। आज से 5 साल पुरानी है। वह चाहते हैं कि इनको जितना बदनाम कर सकते हों करदें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : क्या विजीलैन्स कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स में इनको एक्जोनेरट कर दिया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसकी जरूरत क्यों पड़ी ? सजा हुई है, चालान अदालत में पेश हो गया है, डिपार्टमेंन्टल एक्शन ले लिया गया है। दण्डित कर दिया है तो कह दें, वर्ना यह राज्य के कागज हैं चलते ही रहते हैं। वाइस चान्सलर की हैसियत के आदमी के लिए यहां पर यह कहना कि 420 या 120 में इनका चालान हुआ है वह अपमानजनक है। कल अखबार में आजायेगा कि 420 है तो कितने शर्म की बात है। उससे फायदा क्या है सिवाय इसके कि उनकी इज्जत जाय। सदन के नियम और कायदे हैं कि यहां पर निरर्थक बात नहीं होती है। यहां बात वही होती है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : If hon' member is properly briefed, he can say that Mr. Lamba, was exonerated of the findings of Vigilance Commission माननीय सदस्य यह कह दें कि वह एक्जोनेरेट हो गये। अगर आपको किसी ने ब्रीफ किया हो तो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं किसी से ब्रीफ नहीं होता हूं। वह ब्रीफ तो आप होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां पर भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य इस तरह के हस्तक्षेप से नाराज थे। जब उनको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
यह महसूस हुआ तो उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई है।

श्री पूनमचंद विश्नोई : मानहानि का जब तक मामला है मैं इस बात को उठाऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, आपको मानहानि से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप अपना ऑब्जेक्शन कितनी दफा रेज करेंगे ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : जब तक आप मानहानिकारक मामले उठावेंगे।

श्री गुमानमल लोढा : आप लोगों का समय निर्धारित कर दें ऑब्जेक्शन उठाने के लिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : क्या इन धाराओं के अन्दर चालान हुआ था ? अगर चालान हुआ होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि देट मेटर इज स्टिल पेंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ मध्यप्रदेश। मेरा इस बात में कोई इन्ट्रस्ट नहीं है कि उनको प्रोसीक्यूट किया जाय। यह काम मध्य प्रदेश सरकार का है। विजिलेन्स कमीशन की फाईडिंग जिस आदमी के खिलाफ हों तो इसका मतलब है कि उस आदमी की इन्टेग्रीटी डाउटफुल न हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। विजिलेन्स कमीशन की फाइडिंग्स को कोई मामूली फाईडिंग्स मानकर नहीं चल सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विजिलेन्स कमीशन कोई खुदा हो गया क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वॉइस चॉन्सलर खुदा हो गया।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य पटवारी की तो बात करें कि पटवारी चोर है। पटवारी भी चोर हो सकता है और ऊपर का अधिकारी भी चोर हो सकता है। डाउटफुल इन्टेग्रिटी का आदमी चाहे नीचे के पद का हो या ऊपर के पद का हो, वह किसी भी पद पर नहीं रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद अब मैं आता हूं कि यह डाउटफुल इन्टेग्रिटी आगे जाकर साबित होती है जो कि काम इन्होंने एग्रीकलचर युनिवर्सिटी, उदयपुर के अन्दर किया है। जो उदयपुर युनिवर्सिटी में ग्रुप राइवलरी चल रही है तो यह ग्रुप राइवलरी को लीड करते हैं। ग्रुप राइवलरी को एन्करेज नहीं करते हैं। एन्करेज करना एक बात है और ग्रुप को लीड करना दूसरी बात है। वाइस चॉन्सलर की हैसियत के आदमी को एबव ग्रुप कन्सीडरेशन बिहेव करना चाहिये। वह एक दूसरी बात है।

श्री गुमानमल लोढा : ग्रुप राइवलरी यहां पर आ रही है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जून और जुलाई के अन्दर लाम्बा साहब ने दिल्ली के अन्दर जाकर चार पोस्टों के इन्टरव्यू लिये जाकर। यह एक परम्परा की बात नहीं बल्कि बिल्कुल पक्की बात है कि जहां पर युनिवर्सिटी की सीट होती है वहां पर ही इन्टरव्यूज हों। कोई आदमी इतना लर्नेड हो तो उसको इन एक्सेप्शिया कन्सीडर किया जा सकता और बिना एप्लीकेशन के भी किया जा सकता है। कई लोग जो डिस्टिंग्विश्ड क्वालिफिकेशन के आदमी होते हैं वह इन्टरव्यूज में नहीं आते हैं और वह प्रॉपर वे में एप्लीकेशन भी मूव

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

नहीं करते हैं। उनको इनएक्सेन्शिया कन्सीडर किया जाता है और उनको इन्वाइट किया जाता है और कहा जाता है कि आप यहां पर आइये क्योंकि आपके यहां पर आने से हमको यह लाभ मिलेगा और हमारे विश्वविद्यालय को लाभ मिलेगा। सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि उनसे कहा जाय कि आप वहां बैठे रहिये और हम आपका इन्टरव्यू लेने के लिये आपके घर आजायेंगे। लाम्बा साहब ने यह किया दिल्ली गए और दिल्ली के अन्दर चार पोस्टों का इन्टरव्यू लिया। क्या जरूरत थी दिल्ली जाकर इन्टरव्यू लेने की। इन एक्सेन्शिया कन्सीडर कर सकते है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूंगा कि दो व्यक्तियों को यानि श्री अमृतलाल चौधरी और श्री के. एस. चौहान को इन्होंने चार-चार इन्क्रीमेंट्स दे दिए एक साथ ... शुरुआत में ही जब सलेक्शन किया रीडर....

श्री उपाध्यक्ष : आज सारा भाषण इस पर ही केन्द्रित है क्या ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनका डिस्क्रिशन है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : लेकिन माननीय पूनमचन्द जी को संतुष्ट करना आवश्यक हो गया है ....

श्री पूनमचंद विश्नोई : इसमें कुछ भी कहें मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री मीठालाल : ऐतराज हो तो चिन्ता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आब्सेस्ड हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : वह आब्सेस्ड हैं, यह पक्की बात है।

मैं निवेदन कर रहा था, बारह सौ रुपए तनख्वाह किस आदमी को मिल रही थी, उसका सलेक्शन करके पन्द्रह सौ कर दी गई, इन्क्रीमेंट दिए, एक को तीन इन्क्रीमेंट दिए। खैर, मैं इन बातों से सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि वह हरियाणा गए एक रिलेटिव के फ्यूनरल को अटेण्ड करने के लिए और उसके बाद पेमेन्ट डिपोजिट नहीं किया। और जो वहां की एक्जीक्यूटिव कमेटी है उससे उसे कन्डोन करा लिया। यह ग्लेअरिंग बात है, प्राइवेट काम से कहीं जाय, पैसा कन्डोन करा लें। वैसे यह मानना पड़ेगा कि यह बोल्ड आदमी हैं क्योंकि फेक्ट कागजों पर है। बाकायदा कन्डोन कराया है, कहा हरियाणा गया था और उसके बाद में कन्डोन करा दिया गया यह इनकी फाइनेंशियल बात है।

एक केस की बात में आपसे कहना चाहता हूं। वल्लभनगर फार्म, उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर है, और वहां एक डॉक्टर श्रीवास्तव हैं। वह अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उनके खिलाफ कुछ आरोप लगे और उनकी जांच के लिए एक नाथ कमेटी बठायी गई उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा उस नाथ कमेटी की रिपोर्ट में वह आरोप प्रमाणित पाये गए। उसके बाद नाथ कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, उस

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

रिपोर्ट को आधार बना कर अगर वहां के इस अधिकारी की खिलाफ कार्यवाही की जाती तो मुझे आपत्ति नहीं होती, लेकिन लाम्बा साहब के आने के पहले ही उस रिपोर्ट को प्रिजुडिशियल रिपोर्ट मानकर एक कक्कड़ कमेटी बनाई गई उन्हीं मेटर्स को प्रोब करने के लिए। जब कक्कड़ कमेटी बना ली तो फिर नाथ कमेटी का क्या वजूद रह जाता है—इस बात को सदन अच्छी तरह समझ सकता है। कक्कड़ कमेटी ने फाईडिंग करली और चार्जेज को सब्सटेंशियल नहीं माना और उसने अपनी रिपोर्ट वी. सी. को दे दी। वी. सी. ने एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के अन्दर सप्लीमेन्ट्री एजेण्डा सरक्यूलेट किया एट दी निक ऑफ टाइम। रिपोर्ट कक्कड़ कमेटी की पेश नहीं की और एक्जीक्यूटिव कमेटी के अन्दर कहा, मैं इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूं, इस एक्शन का अनुमोदन कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है कि इन्ट्रेस्टेड पार्टी उस मसले को तय करने के अन्दर, निर्णय लेने के अन्दर नहीं बैठा करती है, लेकिन उस एक्जीक्यूटिव कमेटी के अन्दर नाथ कमेटी के तीन मेम्बर मौजूद थे, एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर की हैसियत से, जिनकी रिपोर्ट को पहले विश्वविद्यालय ने प्रिजुडिशियल मान कर, यह मान कर कि श्रीवास्तव के और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ द्वेष होने के कारण रिपोर्ट दी है, उनमें से एक मेम्बर ने प्रपोज किया और दो मेम्बरों ने सैकिण्ड किया, सपोर्ट किया कि यह मामला आया है, इसकी पूरी रिपोर्ट पेश की जाय तो वी. सी. ने पर्सनल अपील मेम्बरों को की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दस मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने पर्सनल अपील की कि आप अनुमोदन नहीं करते हैं तो मैं विश्वविद्यालय में नहीं रहूंगा। एक उप कुलपति का अपील करना उनके इन्ट्रेस्ट को जाहिर करता है। उसके बाद आज तक रिपोर्ट सरक्यूलेट नहीं की और उन्होंने एक्शन लेकर सस्पेन्ड कर दिया।

एक डॉक्टर के. एल. कोठारी हैं, प्लान्ट पैथोलॉजिस्ट, आई. सी. ए. आर. की स्कीम है, उसके तहत सलेक्ट किया गया। इन्होंने चार साल से ढंग से काम किया अगेन्स्ट ए पर्टिक्यूलर पोस्ट सलेक्शन हुआ, पोस्ट आई. सी. ए. आर. की पोस्ट है, वह उनके वर्क से संतुष्ट है। डॉ कोठारी एक ग्रुप को बिलांग करते है और लाम्बा दूसरे ग्रुप को लीड करते हैं। इसलिए उनका ट्रान्सफर कर दिया दूसरी जगह, जब कि वह इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है........

श्री उपाध्यक्ष : यह विशेष केस रामानन्द जी की नॉलेज में है, एडजोर्नमेंट मोशन पर बोल लेंगे।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : एडजोर्नमेंट मोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्यू नोटिस है, इसलिए इसका उत्तर भी आ जायगा।

यह उनके अधिकार में नहीं था क्योंकि यह आई. सी. ए. आर. की पोस्ट है, वह पैसा देता है। उसने कहा कि इनका वर्क सेटिसफेक्ट्री है, इनका पर्टिक्यूलर काम के लिए ही सलेक्शन हुआ था, इसलिए इनका ट्रान्सफर नहीं हो सकता है, इन्हें यहीं रखना पड़ेगा। उन्होंने जानकर नहीं किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उदयपुर की कोर्ट में यह मामला गया। उनकी फान्डिंग है

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

कि यह ट्रान्सफर गलत है लेकिन चूंकि ट्रान्सफर आदेश हो चुका था, इसलिए कोठारी को इन्जेक्शन नहीं मिला लेकिन यह ऑब्जेक्शन कोर्ट के हैं। उसके बाद भी लांबा साहब के द्वारा ट्रान्सफर कैंसिल करने का सवाल पैदा नहीं होता। बाद में डिसिप्लीनरी एक्शन लेकर उनको डिसमिस कर दिया। यह छोटी छोटी बातें हैं....

श्री केदारनाथ : डिसमिस नहीं किया, केवल ट्रान्सफर इन मेज किया है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : डिसमिस कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों को बता रहे हैं। आप पॉलिसी मैटर पर बोलें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आन्तरिक मामला तो है। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का आन्तरिक मामला होता तो शायद मैं इतना ज्यादा निवेदन नहीं करता क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों में नियमों के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को सीधा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मेरा निवेदन करना यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 के तहत काज टू विजिटेशन की गवर्नमेंट को पावर है। अगर किसी इर्रेगुलेरिटी और इल्लिगेलिटी की कम्पलेन्ट हो तो गवर्नमेंट विजिट काज कर सकती है। चूंकि विजिट काज कर सकती है, इन्सपेक्शन करा सकती है इसलिए इस मसले पर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे डाउटफुल इन्टेग्रिटी के आदमी बैठे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि विजिटेशन काज किया जाय और सेक्शन 8 के तहत कार्यवाही की जाय !

एक बात मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। गत परीक्षा के समय गंगानगर कॉलेज के बारे में विश्वविद्यालय को एक शिकायत प्राप्त हुई, वहां पर मास कॉपिंग प्रिन्सिपल और स्टाफ मिल कर कराते हैं। इस कम्पलेन्ट की जांच के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय ने पहले तो आदमी को वहां भेजा, भेजने के बाद यह मामला साबित पाया गया, यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय को....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट तशरीफ रखिये। इस मामले में मैं पूरी तरह कनविन्स्ड नहीं हूं कि विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामले किस तरह एक्जामिनेशन कन्डक्ट हुए, क्या इर्रेगुलेरिटी हुई इनके सम्बन्ध में मेरा मत है, वैसे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम को नहीं देखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के आन्तरिक मामलों पर नहीं बोलें तो अच्छा है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : विश्वविद्यालय का मामला नहीं है, यह गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्टाफ है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। विश्वविद्यालय की बात अलग है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप मेरी बात पूरी सुन लेते तो एतराज नहीं कर पाते।

उस रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट ने रिज्योल्यूशन पास

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
करके गवर्नमेंट को भेजा, श्रीमान् तेला के खिलाफ कार्यवाही करें जिन्होंने पैसा लेकर मास कॉपिंग करवाया है····

श्री उपाध्यक्ष : सिण्डीकेट ने निर्णय लिया है कि पैसा लिया है ?

श्री केदारनाथ : गलत है । पैसा लिया है, यह नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : पैसा लिया है, यह मैं नहीं कहता । यह उसमें है कि मास कॉपिंग कराई है ।

श्री केदारनाथ : तेला का नाम नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ज्यादा ज्ञान प्रोफेसर साहब का है ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं कान्ट्रे-डिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं । लेकिन मास कॉपिंग का रिज्योल्यूशन पास हुआ था और कार्यवाही करने के लिए गवर्नमेंट को पेश किया गया । और नैक्स्ट मीटिंग के अन्दर उसको रिजाइण्ड कर दिया गया । राजस्थान सरकार को पहले लैटर का नोटिस लेना चाहिए था । जो लैटर आया उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?····

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं ।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के अन्दर मौलिक परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन—यह सब बातें अपन करते हैं लेकिन वर्तमान ढांचे के अन्दर यथासम्भव प्रगति हम कब कर सकते हैं और किस प्रकार हो । जो स्कूल खोलने का मसला आया, तो उपाध्यक्ष महोदय, निजी तौर पर मैं अनुभव करता हूं कि हजार स्कूल खोलें, अब के सौ खोले—यह आंकड़ों का मायाजाल है । जितने स्कूल राजस्थान सरकार खोल चुकी है, उनके लिए बिल्डिंग प्रोवाइड करे, स्टाफ प्रोवाइड करे, और सामान प्रोवाइड करे, और स्कूल सुचारु रूप से चलाये । यह मौलिक आवश्यकता, प्राथमिक आवश्यकता है । इस आवश्यकता के लिए फाइनेंन्शियल इम्प्लीकेशन हैं, आप पैसा व्यय करें, यह पहली आवश्यकता है । उसके बाद राशि मिले तो नये स्कूल खोलने की आवश्यकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं । कन्क्लूड करने दीजिये, मैं समझता हूं, यह सौ····

श्री उपाध्यक्ष : मौलिक बात से ही कन्क्लूड कर दें ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मौलिक बात से कन्क्लूड कर रहा हूँ । एक प्रश्न रह गया, शिक्षा विभाग पर नहीं बोलना चाहूंगा, मैं हाईकोर्ट पर जरूर कहूंगा, मैं समझता हूं, आप जरूर अलाऊ करेंगे····

श्री उपाध्यक्ष : यह तो काफी आ चुका है ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं कन्ट्रोवर्सी रेज नहीं करना चाहता, डिटेल्स में नहीं जाना चाहता ।

श्री दीपंकर : आप मेरे समय में भी बोल चुके हैं और किसी विषय पर बोलें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : तीन तारीख को प्राइवेट मेम्बर्स डे पर इस पर डिबेट होगी। परटीनेन्ट सवाल जो राजस्थान हाईकोर्ट होने के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं उनको आज ड्यू नोटिस देने के लिए मैं पंरटीनेन्ट सवाल करना चाहता हूं। बार-बार कहा जाता है कि हाईकोर्ट बैंच जयपुर में नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अन्दर भोपाल और जयपुर के अलावा ऐसा कौनसा प्रान्त है जहां पर राजधानी के अन्दर हाईकोर्ट बैंच नहीं है? यूनीफाइड हाईकोर्ट वाले सिद्धान्त को आपने कितने राज्यों में लागू किया? एक निर्णय जो आपने लिया देश में कहीं लागू नहीं किया और चूंकि राजस्थान में लागू हो गया बावजूद इसके कि दूसरे प्रांत व्यवहारिक रूप से मानते हैं कि राजधानी में बैंच होना चाहिए। आप इस सवाल को लेकर राजधानी बदलवाना चाहते हैं अगर आपके पास पैसा है तो बदलिए। बट जयपुर इज ए सेंट्रल प्लेस।

कई माननीय सदस्य : सेंट्रल प्लेस नहीं है।

श्री दीपंकर : आपके हाईकोर्ट बैंच के साथ राजधानी का प्रश्न जुड़ा हुआ है सबको खोलना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप खुलवाइए। मैं ठंडे दिमाग से निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों पर तथ्य इकट्ठे कर लें। आप कहेंगे कि यूनीफाइड हाईकोर्ट का फार्मूला जो नेशनल लेविल पर इवॉल्व हुआ था उसको सारे देश में फॉलो करते तो हम भी अपनी मांग को विथड्रा करते लेकिन सारे देश में केवल राजस्थान को एक्सेप्शन बनायें और कहें कि वकीलों की मांग है तो यह दलील नहीं है, मेरिट पर बात कर लीजिए। तीन तारीख को फिर मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में जाऊंगा।

दूसरी बात, यह जो प्रॉसीक्यूशन अलग किया है इन्वेस्टीगेशन से, यह निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय कदम है इस प्रकार का सुझाव माननीय सदस्य पहले भी रख चुके हैं कि प्रॉसीक्यूशन की ब्रांच अलग होनी चाहिए और उसका प्रावधान भी किया है। अगर प्रॉसीक्यूशन लॉ डिपार्टमेंट के नीचे रख लिया तो वाजिब बात होगी और प्रॉसीक्यूशन ब्रांच को जितना इन्डिपेडेंट हम बना सकें उतना अच्छा होगा। आज चाहे हम पर कुछ वित्तीय भार पड़ सकता है लेकिन केसेज के एक्सपीडिशस डिस्पोजल के लिए कोर्ट्स की तादाद बढ़ानी चाहिए, पैंडिग वर्क कोर्ट्स में बहुत है, डिस्पोजल समय पर नहीं होता, इनका जुरिसडिक्शन छोटा-छोटा होना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज जो प्रॉसेस है उसमें बहुत देरी होती है। नया सी. आर. पी. सी. इफेक्ट में आएगी, बर्कलोड बढ़ेगा तो ज्यादा पद क्रीएट करने चाहिए और न्याय आम आदमी के बीच में हो और सस्ता और सुलभ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि 6 बजे मैच है....

कई माननीय सदस्य : मैच नहीं प्रोग्राम है।

श्री केदारनाथ : मैच भी है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : हमारी उपेक्षा की जाएगी तो कहां तक यह न्याय है ?

श्री केदारनाथ : मगर मंत्रीजी नए नहीं होते तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती । क्योंकि पांचवें चुनाव के बाद ये तीसरे मंत्री हैं पहले मसूदा साहब, फिर चंदनमल बैद । इन दो सालों में भी खास तौर से बैदजी के समय की 2-4 बातें कहनी है । हमारे सचिवालय के शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय को गाइड लाइन्स दी जाती हैं वह शायद को-ऑर्डीनेशन कमेटी के पास हुआ हो कि मौजूदा सिंडीकेट स्ट्रक्चर को बदला जाए, उसमें विधायक न हों, विद्यार्थियों की नुमाइंदी न हो, रजिस्टर्ड ग्रेजूएट्स के नुमाइन्दे भी न हों और टीचर्स का प्रतिनिधि केवल एक हो । बाकी वी. सी. के हों, चांसेलर के हों और कुछ शिक्षा मंत्री के नुमाईन्दे हों । अभी सुरेन्द्रजी बोल रहे थे हम लोग महसूस करते हैं कि हायर एजूकेशन का पैटर्न कैसे बदल पाए, अगर हम चाहते हैं कि आज के यूथ के अप्राईजिंग को अगर गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में शिक्षा पद्धति को बदल नहीं पाए तो शायद ऐसा समय आने वाला है जब यहां का यूथ कहेगा न स्कूल जाऊंगा, न कॉलेज जाऊंगा, न यूनिवर्सिटी जाऊंगा, न परीक्षा हाल में जाऊंगा । 20-25 साल के बाद उसको मजबूर होना पड़ेगा रिवॉल्ट करने के लिए । मैं गुजरात का कॉन्टेक्स्ट इसलिए देता हूं कि कुछ मेस के अन्दर जो डाइट मिलती थी उसका मेटीरियल खराब था, कीमत ज्यादा थी और मात्रा कम थी । इस समस्या को लेकर यूथ उठा और इंजनीयरिंग कॉलेज भी शामिल हुआ, फिर प्राइस स्पायरल, फिर कैबीनेट को बरखास्त करना, विधान सभा को डिजॉल्व करना ये मांगे उठी । अभी भी उनकी मांग है कि प्राइसिज को लोवर डाउन किया जाए, बिहार में भी यही ट्रेंड है । जब यूथ सोशल लाइफ से, इकानॉमिक लाइफ से, एजूकेशनल सिस्टम से तंग आकर रिवॉल्ट करे और सजेस्शन्स पेश करे पॉजिटिव, फिर भी हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार न मानें तो सिवा इसके कि वह अप्राइजिंग करे, और कोई रास्ता नहीं है । अगर आप यूथ की इनर्जीज को शामिल करना चाहते हैं तो मौजूदा सिंडीकेट, सिनेट, एकेडेमिक कौंसिल के कम्पोजीशन को बदलना पड़ेगा ऑटोनोमी को कायम रखते हुए । टीचर्स की नुमाइंदी ज्यादा हो, विद्यार्थियों की ज्यादा हो, रजिस्टर्ड ग्रेजूएट्स कीनुमाइंदी ज्यादा हो, विधायकों की भले कम कर दें । अगर यह काम्पोजीशन स्ट्रक्चर नहीं बदलते तो जो झगड़े हैं वह चलते रहेगें ।

मैं मानता हूं कि मौजूदा वाइस चांसलर के स्लेक्शन के तरीके को बदलें, राजस्थान में जो 10-15 साल से प्रोफेसर है, यहां अच्छे लेक्चरर्स भी हैं, अच्छे रीडर्स भी हैं, स्कॉलर्स हैं उनमें से सलेक्शन आपको एक दिन करना पड़ेगा । आपको लोकल जीनियस को मौका देना पड़ेगा । उदयपुर विश्वविद्यालय में 10-15 एब्सार्ब कर दिए वह अच्छा है । बाहर से जो एक्सपर्ट्स आयें, वाइस चांसलर बैठे उसका नॉमिनी बैठे जब चाहें क्राइटेरिया बदलें । जिन लेक्चरर्स की अच्छी परफॉर्मेंस हैं उनको आप प्रोमोशन न दें तो लोकल जीनियस खतम हो जाएगी । श्रीमाली कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई, मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके पास में है, तो 2-4 महीने स्टडी टीम कायम करके कॉम्प्रीहेन्सिव चेंजिज लानो हैं तो लायें

(श्री केदारनाथ)

ज्यादा इंतजार न करें। श्रीमाली कमेटी से कहिए की अपनी रिपोर्ट एक दो महीने में पेश करें। यूथ के एस्पीरेशन्स को समझते हुए समय आ गया है कि हायर एजूकेशन केवल मेरिटोरियस विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी गेट्स केवल उनके लिए खुले होने चाहिए जो मैरिट पर टॉप हो, बाकी हायर सैकेन्डरी के बद गेट्स बंद कर दें। जब तक वोकेशनल वाक्स नहीं देते, जब तक जोब ओरीटेड एजूकेशन नहीं देंगे तब तक यूथ के एक्सपीरेशन्स को पूरा नहीं कर पायेंगे। 1968 में लोक भा में नेशनल एजूकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 68 में घोषणा हुई और अब आज 74 है। आज छः साल निकल गये हैं और आप अभी तक कुछ भी तय नहीं कर पाये हैं।

(5.30 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

आखिर कितना समय लगेगा इसकी कोई सीमा तो होनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि यूथ में आज काफी आक्रोश है। आज भी समय है हमें कुछ करना चाहिये। आज की जो पीढ़ी है उसे हम तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले वह लड़के जो कि एक से लेकर 15 साल की उम्र के है, दूसरे 15 से लेकर 25 साल के लोग, तीसरे 25 से लेकर 45 के लोग। और इसके बाद में हम लोग आते हैं। तो मान्यवर एक बहुत बड़ा गैप आता है। आज आप यूथ को अच्छी तरह समझ नहीं पाये हैं जब तक आप इनके क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आयें तब तक आप उनके टैम्परेमैन्ट को नहीं समझ पायेंगे। आज आप सिर्फ एक व्यक्ति के मारफत एक डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के मारफत या एजूकेशन कमिश्नर के मारफत उनको जानना चाहते हैं तो यह सही नहीं है। इसके लिये आपको आज कितने ही संगठन हैं, कितनी ही अलग आइडियोलॉजी के संगठन आज यहां मौजूद हैं उनसे आपको कॉन्टेक्ट में रहना चाहिये इससे आपको पता लगेगा कि आखिर आज का यूथ क्या चाहता है। अगर आप यूथ से मिलेंगे तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके देख पावेंगे कि उनका मैन्टल मेक अप क्या है? उनसे बात चीत करेंगे तो ड्यूरिंग कन्वरशेशन आप देख पायेंगे कि उनका शक्ल का पास्चर क्या है? वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है? इसके लिये आपको कन्सन्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर आपको ऐसे रिफोर्म्स करने पड़ेंगे तभी उनकी सोशियल लाइफ में चेन्ज होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आज जो हम अखबारों में देखते हैं कि हाउस में घेराव कर लिया है या फलां मिनिस्टर का घेराव कर लिया है, या वी. सी का घेराव कर लिया है या किसी अधिकारी का घेराव कर लिया है तो उसे गलत नहीं समझता। क्योंकि उनमें फ्रस्ट्रेशन है। उनका घेराव करना जस्टिफाइड है। इसलिये मान्यवर मेरा यह निवेदन है कि आप इन यूथ लोगों के जो भी संगठन हैं उन्हें पनपाओ। इससे समाज में तब्दीली आयेगी।

इसके अलावा मान्यवर मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि प्राईमरी एजूकेशन को आपने फिफ्थ फाइव इयर प्लान के थर्ड इयर में रखा है। मेरा निवेदन यह है कि मान्यवर इस प्राईमरी एजूकेशन को सेन्ट्रल

(श्री केदारनाथ)

सबजेक्ट होना चाहिये। और इसे फर्स्ट ईयर में ही लेना चाहिये था। यह प्राईमरी एजूकेशन से सुधार लाना स्टेट के हाथ की बात नहीं है। आपको होल ग्रॉफ दी इण्डिया के लिये अपटू क्लास फिफ्थ एक इन्टीग्रेटेड कोर्स ग्रॉफ स्टडी होनी चाहिये। आपको पब्लिक स्कूल्स को समाप्त करना चाहिये और मगर आप उन्हें समाप्त नहीं करना चाहते है। मैं समझता हूं कि आप उन्हें क्लोज भी नहीं कर सकेंगे तो आप उनके लिये और दूसरी जितनी भी आपकी स्कूल्स हैं अपटू दी प्राईमरी एजूकेशन, एक ही कोर्स रखें, जिससे कि बच्चों के मन में एक चेन्ज आये। उन्हें एक ही डाइट दें, एक ही तरह के कपड़े दें तो इससे आप काफी सुधार कर पायेंगे। उनके मेन्टल मेक अप को बना पायेंगे। नहीं तो उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर की एक तो आपके मिनिस्टर साहब खेतसिंह का लड़का है जो अपनी कार से निकलता है वैसे यही नहीं बड़े ऑफिसरों के लड़के, बड़े कॉन्ट्रक्टरों के लड़के वहां पर नयी नयी ड्रेसेज पहन कर आते हैं। मैं उन्हें देखता हूं क्योंकि सुबह मैं जब मोरनिंग वाक से वापिस आता हूं सात बजे तो देखता हूं कि कई एम. पीज के लड़के, एम. एल. एज. के लड़के अपनी गाड़ियों में आते हैं उनके सर्वेन्ट्स भी साथ होते हैं जब वह कार से उतरते हैं तो उनके सर्वेन्ट्स कार का दरवाजा खोलते हैं तो शान से उतरते हैं और दूसरी तरफ एक लेक्चरर का लड़का जो कि अपने घर से आता है, उसके पैर में जूते तक नहीं होते मुंह उनका घुला हुआ नहीं है नगे पैर अपनी चार पांच फटी हुई पुस्तकों को अपने हाथ में लिये उनको देखता है तो उस पर क्या गुजरती होगी उसे गुस्सा आता होगा। यह साइकोलॉजी है बच्चों की आज ऐसी तादाद वाले हमारे कन्ट्री में 75 परसेंन्ट लोग हैं और इन पब्लिक स्कूल्स में पढ़ने वाले तो सिर्फ दो पर्सेन्ट लोग होंगे तो नेचूरली उनके टेम्प्रामेन्ट और उनके टेम्प्रामेन्ट में काफी फर्क होगा, होना भी चाहिये तो इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्लास फोरमेशन नहीं हो इसलिये प्राईमरी एजूकेशन का नेश्नेलाइजेशन हो जाना चाहिये। उनकी एक सी डाइट हो, एक सी पुस्तकें हों, एक सी डाइट हो तो आप उनमें कल्चरल सिन्थेसिस पैदा कर सकते हैं। उनमें इमोशनल इन्टीग्रेशन पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपने आज जो दूसरी स्कूल्स में टीचर्स रख रखे हैं वह थर्ड रेट टीचर्स रखे यह नहीं होना चाहिये। आपको मैरिटोरियस एजूकेशन वाले टीचर्स रखने चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप नेशन के साथ क्रिमिनल नेग्लीजेन्स कर रहें हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, मान्यवर, कि आपको इसमें चैन्ज करने की जरूरत है। अभी कुछ साल पहले आपने एक घोषणा की थी कि हम पंचायत लेवल पर और जिला स्तर पर कुछ स्कूल्स ऐसी रखेंगे जो मॉडल स्कूल्स हों। और जिला स्तर और स्टेट लेवल पर हम कुछ ज्यादा मॉडल स्कूल्स खोल रहे हैं पर अभी आपने नहीं खोलें हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस फिफ्थ फाइव इयर प्लान में आपको चाहिये कि आप 20 पर्सेन्ट लोग वॉकेशनल बेसिस पर तैयार करें। जैसे ही लोग अपनी एजूकेशन कम्प्लीट करलें तो उन्हें सर्विस मिल जाय। और जिन लोगों का मेकअप ठीक नहीं हो मैरिटोरियस नहीं हों उन्हें आप आगे नहीं

(श्री केदारनाथ)

पढ़ने दें। उन्हें वॉकेशनल स्टडी ही दें ताकि वह लोग अपनी आजिविका पैदा कर सकें। उन्हें सिर्फ आप सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी तक ही रखें। इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि आपकी जो पब्लिक स्कूल्स हैं उन्हें आप बंद तो कर नहीं सकते लेकिन आप उसके अन्दर ऐसा प्रॉवीजन करदें कि उसमें वनथर्ड बच्चों को अपटू सैकेण्डरी स्कूल्स तक शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को उसमें दाखिला मिल जावे। इसके लिये आप सभी पब्लिक स्कूल्स के हैडमास्टर लोगों को इकट्ठा करें और बीच मे इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स को ले लें। ऐसे ऑर्डर्स इश्यू करदें अन्डर कम्पलशन कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के वन थर्ड बच्चों को एडमिशन देना पड़ेगा उसके लिये आप वह और करिये कि उनकी डाइट एक हो, वर्दी एक हो जिससे कि उनका मेन्टल मेक अप बढ़े। और बाद में सैकेण्डरी स्कूल्स के एण्ड में आप देखलें कि किन्हें आगे स्टडी करना चाहिये। जो मेरिट में नहीं हों उन्हें वॉकेशनल ट्रेनिंग दें ताकि वह बड़े होकर बाबू नहीं बने।

इसके अलावा एक बात और मै निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि स्पोर्ट्स के बारे में आज आपने एक स्पोर्ट्स कौन्सिल भी बनायी है उसमे कुछ चेन्ज किया है कुछ एम. एल. एज. को भी लिया है और कुछ दूसरे लोगों को भी नोमीनेट किया है इसके लिये आपको चाहिये कि उसमें आप इलेक्शन करवायें। और आप जो उनके चैअरमैन और सेक्रेट्री को नोमीनेट करने की बात करते हैं वह गलत है। आपको चाहिये कि उसमें टूथर्ड बाई इलेक्शन आने चाहिये ताकि जो लोग ज्यादा स्पोर्ट्स मैन हों उन्हें इसमें चान्स मिले। अभी पंजाब में ऐसा किया है कि 5-6 स्कूल्स ऐसी खोल ली हैं जिसमें पहले बच्चे को प्राइमरी स्कूल स्टेण्डर्ड पर ही उसके लिए देख लेते हैं कि वह बच्चा कैसा है, उसकी फिजीक कैसी है उसका एप्टीट्यूड कैसा है सब देख लें। फिर अगर लड़का अच्छी हेल्थ का है तो स्पोर्ट्स के लिये भरती कर देते है। इस प्रकार आज पंजाब के अन्दर आपको काफी ऐथेलेट मिलते हैं। आप करीब 25-30 लाख रुपये खर्च करते हैं पर आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाये हैं मै चाहूंगा कि आप भी पंजाब के पैटर्न पर ऐसा सोशियल एटमोशफियर बच्चों में बनावे उनमें बच्चों को एक ही डाइट मिले एक ही कपड़े पहनने को तो उन बच्चों पर सोशियल इम्पेक्ट पड़ेगा उनकी सोशियल अवेअरनेश बढ़ेगी। अगर आप यह करते हैं तो ठीक है अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पायेंगे। यह सुझाव कौन माने? जब हम यह सुझाव देते हैं स्पोर्ट्स कौंसिल में जाते हैं, वो वहां ऐसे व्यक्ति बैठे हैं कि उन पर इन सुझावों का कोई असर ही नहीं होता।

जिस तरह से वहां स्कूल खोले हैं उसी पैटर्न पर यहां भी स्कूल खोलें तो अच्छा हो। भाई खेतसिंहजी आये हैं नयी चीज कर गये यह तो कहेंगे।

जितने प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सैकेण्डरी स्कूल हों, चाहे मिडिल स्कूल हों, आप टेक-ओवर नहीं कर सकते हैं तो वहां के लिये विद्यार्थियों को एडमिशन आपके हाथ में

(श्री केदारनाथ)

होना चाहिये। दूसरी बात यह होनी चाहिये कि मास्टरों को सस्पेण्ड, टरमिनेट तब ही जाकर करें जबकि इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स से प्रॉयर परमिशन ले लें। यह तो आपकी कॉम्पीटेन्स में है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल ने यह किये हैं। टेक ओवर करने की शक्ति आपके पास है, सब कुछ है आपके पास क्योंकि 60 से 90 पर्सेन्ट तक ग्रान्ट-इन-एड आप देते हैं। एड देते हैं वह बैंक में जमा हो जाय, फीस इकट्ठी करें वह भी बैंक में जमा हो जाय 80 पर्सेन्ट। तनख्वाहों वगैरा का चैक इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स दे। एडमिशन आपके हाथ में, टीचर्स को हटाने आदि का काम भी आपके हाथ में, उनको पे आदि देने का भी काम आपके हाथ में। वहां पर बैकवर्ड क्लास को शिडयूल्ड कास्ट्स को ले, ये तीन तरीके यदि आपने अपना लिए अपने हाथ में तो श्रीमन् चाहे आदर्श विद्या मन्दिर हो, चाहे बाल-मन्दिर हो मोती डूंगरी का, और कोई संस्था हो ये सब झगड़े मिट जावेंगे। चूंकि संस्था आपकी है। इसके साथ साथ जिन संस्थाओं की इन्क्वायरी हो रही है, उसके दौरान जिन्होंने एडमिशन दी है उनकी सर्विसेज को टरमिनेट कर देना, उनको ट्रान्सफर कर देना उनको विक्टीमाइज करना यह सब क्या है ? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के जरिये आप यह तो आदेश दे ही सकते हैं कि चाहे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हो, चाहे आदर्श विद्या मंदिर हो चाहे, बाल मन्दिर हो जहां कहीं भी संस्था में जांच हो रही है वहां पर किसी भी टीचर को सस्पेन्ड नहीं किया जायगा, उसका ट्रान्सफर नहीं किया जायगा और न ही उसको विक्टीमाइज किया जायगा। यह भी नहीं कर पायेंगे तो जितने भी मिस अफेयर्स हो रहे हैं संस्थाओं में, जितनी भी मेलेडी हो रही है कोई भी टीचर आपके पास नहीं आयेगा। मैं किसी संस्था का संचालक हूं मुझे किन्हीं खयालात की वजह से आप प्रेसेराइज करें कम से कम शिक्षा विभाग में यह चीज नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि आप तीन ये चेन्जेज प्राइवेट संस्थाओं में मौजूदा स्ट्रक्चर में लायेंगे।

एडहोक ग्रान्ट, ग्रान्ट-इन-एड आप किनको देते हैं यह मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसके लिये आप कोई न कोई ठीक सा तरीका तो अपना लें। कई शिड्यूल्ड कास्ट की संस्थायें हैं आप उनको देते नहीं आप तो पोलिटिकल प्रेशर वालों को, जोड़-तोड़ वालों या जिन्होंने समाज में येन केन प्रकारेण प्रतिष्ठा बना ली है उनको देते हो।

अन्त में एक बात कहते हुये कि शिक्षा को प्लानिंग से जोड़ना होगा और इसको एम्प्लॉयमैन्ट का बायस बनाना पड़ेगा। जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरे दिल में यह चीज आती है कि मौजूदा जो हालत है, जिस लड़के को पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिलती हैं और समाज भी इन्स्पायर नहीं करता हैं, पोलिटिकल तरीके से भी इण्डक्ट नहीं कर पाये हैं, युनिवर्सिटी में जिसको अच्छी रोशनी नहीं मिलती है, टीचर्स जिसको अच्छी रोशनी नहीं दे पाते हों तो वह आखिर कौनसा रास्ता लें। ये गुजरात में हुआ। ऑथोरिटी कहती हैं वहां डिस्टरबेन्स पैदा की आर. एस. एस. वालों ने और जन संघ वालों ने। बिला वजह आप उनको

(श्री केदारनाथ)

तारीफ में ले आये। जनसंघ की वहां बहुत कम ताकत है लेकिन बढ़ावा ऐसा दे दिया कि सारा काम जनसंघ और आर. एस. एस. का है। वहां पर यूथ का अपहिवल हुआ। उसको यह कह कर कि यह जनसंघ का है, आर. एस. एस. का है, लेफटिस्ट का है, यूथ मूवमेन्ट के साथ इन्साफ नहीं करते हैं। मुझे खेल में जाना है इसलिये इतनी ही बात कह कर मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी नई चीज लावेंगे। शिक्षा की जो सोशल नीड्स हैं, मौजूदा हालत है यूथ की, यूथ की आइडियोलॉजी के साथ इसको नई दिशा देंगे।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री मीठालाल !

श्री लूणाराम : बीकानेर और कोटा डिविजन के लोग मीटिंग में बैठें इसलिए खासतौर से उनको पहले टाइम दिया जायगा।

श्री मीठालाल : माननीय सभापति महोदय, हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में होने के मामले को कई बार इस सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा उठाया गया है और कई बार उठा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : खत्म हो गया।

श्री मीठालाल : खत्म तो कोई मामला होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको बात का सवाल बना लिया है और एक गलत तूल दे दिया है। इसको इस ढंग से ले लिया है कि हमारी बात का सवाल आ गया है।

श्री दीपंकर : आपको उठाना ही नहीं चाहिये।

श्री मीठालाल : मानवता के आधार पर इसको देखिये। इससे जोधपुर वालों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।

श्री दीपंकर : गरीबों को पीने का पानी नहीं मिलता है और लाखों रुपया खर्च करके हाईकोर्ट की बेंच को यहां लाना चाहते हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द सामरिया : कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री मीठालाल : हाईकोर्ट की बेंच आने से जोधपुर वालों को नुकसान नहीं होता है। गेहलोत साहब को धन्यवाद देता हूं कि गलत बात को भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रखा। किसी भी प्रदेश को देख लीजिये कि जहां पर हाई-कोर्ट की बेंच न हो। यू. पी. में चार बेंचें हैं वहा पर पांचवीं खोलने की तैयारी है। केरल में दो तीन बेंच हैं। राजस्थान में क्यों न हो ?

श्री मोहनराज : दूसरों की नकल क्यों करें ?

श्री मीठालाल : हजारों की तादाद में केसेज पेन्डिंग पड़े हुये हैं। फैसले नहीं होते हैं। यहां से किसान लोग जोधपुर जाते हैं, हजारों रुपया खर्च हो जाते हैं। महीने में दो तीन पत्र लड्डा जी को लिख देते हैं जवाब भी आना मुश्किल हो जाता है। बेंच हो तो एक

(श्री मीठालाल)

काम के साथ दूसरे काम भी करते जायें। आप इसको एक मानवीय दृष्टि से देख कर चलो। बात का बतंगड़ मत बनाओ। हाईकोर्ट की बेंच आप भी मानते हैं जल्दी आने वाली नहीं है। विरोध नही करेंगे तो कम से कम यह तो कहने को रहेगा कि जोधपुर वालों ने विरोध करना छोड़ दिया।

श्री दीपंकर : मन माने तरीके से बोलो। बेंच उठा लाओ तो राजधानी भी हटाओ।

श्री मीठालाल : मन माने तरीके से तीज नहीं चलती है। सरकार निर्णय ले।

श्री दीपंकर : गरीबों का नाम लेते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शंकरसिंह : दो दो मिनिट ही देना चाहिये।

श्री मीठालाल : आपकी तरफ के सदस्य बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच के लिए जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिये। जितना उलझाते जाते हो, उतना ही नुकसान होता है। उलझने से पहले ही इसको सुलझा दो। जिला सत्र और न्यायालयों के बारे में निवेदन है दौसा में स्थापित किया है। गंगापुर में भी ऐसे मामले चल रहे है वहां से जिला सत्र न्यायालय को अन्यत्र ले जाने की बात चल रही है। प्रभावशाली लोग करा लेते हैं। गंगापुर से यदि हटाया गया तो आपके सामने मुश्किलें आ जावेंगी। आन्दोलन और हड़तालें होंगी। अतः गंगापुर में जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय जो अभी है, उसको रखा जावे उसे क्रमोन्नत कर के जिला स्तर का रखा जाए।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, न्यायालयों के बारे में निवेदन करना है। चाहे किसी भी तरह के न्यायालय हों, किसान वर्ग आज दुःख पा रहा है। उसको फैसले समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। एक एक मामला दस-दस साल से पेंडिंग है। आपको अतिरिक्त न्यायाधीश लगाना पड़े तो लगाइये परन्तु फैसले जल्दी से जल्दी होने चाहिएं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा के बारे में निवेदन करना है। सारे देश में आज एक नया आन्दोलन खड़ा हो रहा है। चाहे वह किसी दल के विरुद्ध है, किसी दल का समावेश हो, कोई दल अपने ऊपर न रख कर दूसरे पर थोपे यह अच्छा नहीं है। इसको सरकार को गम्भीरता से और महत्त्व देकर सोचना चाहिये। आखिर हमारे विद्यार्थी किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक नयी परम्परा चल रही है। किसी समस्या का समाधान करने के बजाय दूसरे के माथे पर मढ़ते जा रहे हैं। किसी भी वजह से समस्या आई हो, आपको मुकाबला करना चाहिये। इसको दूसरे के माथे पर नहीं मढना चाहिए। छात्र आन्दोलन है। उनकी विचारधारा है। इस ढंग के प्रवाह में बह रहे हैं। इसको दूसरे राजनीतिक दलों पर न डाल कर आपको समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए वरना आगे आपको ही मुश्किल होगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ दिनों पहिले गुजरात

Page No 172

172

(श्री मीठालाल)

में आपने देखा, अभी बिहार में हुआ। छात्रों की समस्या के बारे में अलग से कमेटी बनावें और तत्काल निर्णय करके, छात्रों के साथ विचार करके इसका समाधान करना चाहिए। जितनी छात्रों ने मांग कर दी उसको आप मन्जूर करते जाओ यह भी सही हल नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी कमेटी हो, विचार करके जो जैसा उचित समझे समाधान करे और गंभीरता से इस प्रश्न को सोचना चाहिए। वरना जो कल गुजरात में हुआ, पटना में हुआ वह जयपुर और जोधपुर में भी हो जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पार्टी पर कोई आरोप नहीं है।

श्री मीठालाल : देश में जो तोड़-फोड करते हैं उस पर मेरी पार्टी का विश्वास नहीं है। आपकी पार्टी यही चाहती है देश डूबे कल डूबे तो आज डूबे। जब तक देश का बिगाड नहीं होगा, अव्यवस्था नहीं होगी, आपकी पार्टी को कोई पूछेगा नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके ऊपर आरोप नहीं है। आप नाराज हो गए।

श्री मीठालाल : आप जैसा तोड़ फोड में विश्वास नहीं है। नए स्कूल खोल रहे हैं। स्कूलों के बारे में कोई शिकायत नहीं है। किस तरह से खोल रहे हैं। एक तरह का मापदण्ड हो चाहे इसमें सर्वेसर्वा विधायक ही हो, किसी भी ढंग से हो। उस क्षेत्र का विधायक सर्वे-सर्वा हो परन्तु उसमें उस जिले के अधिकारी भी सहयोगी थे। परन्तु जो मापदण्ड अपनाया गया है, वह सही नहीं है। कई जगह तो ऐसा है जहां कि 450 छात्र थे वहां पर मिडिल स्कूल नहीं खोला गया और जहां 20 लड़के थे वहां पर मिडिल स्कूल खोल दिए गए हैं और एक प्रकार से वहां पर तमाशा हो रहा है। कई जगह निर्णय लिया गया कि पहले साल पंचायत समिति अध्यापक देगी। कई जगह दे दिए और कई जगह नहीं दिए गए हैं। कई स्कूलों मे 5/5 अध्यापक दे दिए गए तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया किसी ढंग का होना चाहिए। ताकि पंचायत समिति इनके लिए बाध्य हो। जितने अध्यापक होने चाहिए वह नहीं दे रही है। उन पंचायत समितियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्कूल, मिडिल स्कूल खुल जायेंगे लेकिन भवन के लिए आपने क्या किया है ? गांवों में भवन की बुरी स्थिति है। बड़े शहरों में आप कॉलेज खोल रहे हैं, लाखों रुपयों की बिल्डिंग बना रहे हैं परन्तु इसके साथ-साथ आपको गांवों के स्कूलों की तरफ भी निगाह करनी चाहिए। गांवों के 75 प्रतिशत छात्र होते हैं। वे कितने नीचे के स्तर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। इन बच्चों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। ताकि वे छाया में बैठ सकें। दरी पट्टी का इन्तजाम भी आप इनके लिए करवा दें और आने वाले वर्षों के लिए एक मापदण्ड तय कर दें। आने वाले वर्षों के लिए महाविद्यालय खोलें ताकि किसानों को फायदा हो। मेरा निवेदन है कि कस्बों और छोटे गांवों में कृषि विद्यालय खोलें, महाविद्यालय खोलें। अब आपको अधिक स्कूल, कॉलेज शहरों में नहीं खोलने चाहिए। पचास-पचास गांवों को मिला कर आपको कॉलेज खोलने चाहिए। आपको वहां पर जन सहयोग

(श्री मीठालाल)

मिलेगा। अर्थाभाव के कारण सरकार की स्थिति खराब है और गांव वाले आपकी सहायता करने को तैयार हैं। कॉलेज अब शहरों के बजाय गांव में खोलें।

सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मुझे अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना है। लालसोट में एक सनातन संस्कृत कॉलेज है। उसको 80 पर्सेन्ट सहायता दी जाती है लेकिन सभी विद्यालयों की एड अर्थाभाव के कारण 10 पर्सेन्ट कम कर दी और यह कहा गया था कि कर की पूर्ति होने पर दस पर्सेन्ट एड दे दी जाएगी। राजस्थान के कई स्कूल हैं और कुल एक लाख की यह सहायता होती है। इसलिए जो दस पर्सेन्ट काट लिया गया है वह वापिस दिया जाए। यह तीन हजार रुपया आपने रोक रखा है अभी तक आपने नहीं दिया है। इस संस्था के, संस्कृत कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनको पहले तो आपने स्वीकृति नहीं दी और काफी कोशिश के बाद आपने स्वीकृति दी। स्वीकृति आने के बाद 3254 रुपया आपने रोक रखा है। अभी तक आपने नहीं दिया है। 71-72 से आप मान्यता दे चुके हैं फिर यह रुपया रोकने की आवश्यकता क्यों कर पड़ गयी। इसलिए शीघ्र ही आप इस रुपये को लौटायें और दूसरे जो ग्रान्ट-इन-एड का 71-72 में निर्णय लिया था कि जो संस्कृत विद्यालय है उनको हम 80 परसेन्ट एड देंगे। राजस्थान में दो ही संस्कृत के महाविद्यालय हैं—एक लालसोट में और दूसरा चिड़ावा में। तो जो 80 परसेन्ट की सिफारिश है आप उसको लागू करें और 80 पर्सेन्ट ग्रान्ट उनको दिलावें ताकि ये महाविद्यालय भली प्रकार से चल सकें।

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राजनीतिक तौर पर इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। इसके लिए कोई निष्पक्ष क्राइटेरिया अपनाया जाना चाहिए।

श्री खेतसिंह : इस साल नहीं है। पांचवी योजना के अन्दर है।

श्री मीठालाल : तो मैं पंचवर्षीय योजना के लिए ही निवेदन कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि आप इसके लिए पहले से ही मापदण्ड तय करलें।

दौसा कॉलेज में पूरक परीक्षा केन्द्र खोलने के लिए माननीय सदस्य श्री मूलचन्द सामरिया ने निवेदन किया है। पूरक परीक्षा केन्द्र वहां पर खुलना चाहिए ताकि छात्रों का फायदा हो सके। पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं दौसा कॉलेज में खुलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में वहां के छात्र मन्त्री महोदय से मिले थे। इस बार भी मिले हैं। वहां कामर्स क्लासेज भी हों, यह कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। ये छोटी-छोटी मांगें हैं। क्यों ऐसी नौबत हो, मैं सत्याग्रह में विश्वास नहीं करता हूँ इसलिये मांग करता हूं जो वाजिब मांग है, पूरी करदें। आखिर में मेरा निवेदन है कि खेलों की प्राइवेट संस्थायें हैं उन प्राइवेट संस्थाओं को प्रोत्साहन मिले तो ग्रामिणों में खेलों के लिये भावना जाग सकेगी और उन्नत हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री जयकिशन !

श्री शंकरसिंह रावत : सभापति महोदय, एक मिनट ......

श्री सभापति : नहीं आप बैठिये। श्री जयकिशन !

(174)

श्री शंकरसिंह रावत : ये बोलेंगे ही नहीं उसके पहले समाप्त कर दूंगा, एक मिनिट......

श्री सभापति : नही आप बैठिये ।

एक माननीय सदस्य : पहले हाजी साहब को दे दें, इनकी तबियत खराब है ।

श्री सभापति : आपको (श्री शंकर-सिंह रावत) जल्दी है.......

श्री शंकरसिंह रावत : एक मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा ....

श्री सभापति : आपको (श्री शंकर सिंह) जाना है ? अभी क्लब की मीटिंग में जाना है.......

श्री जयकिशन !

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज । बैठ जाइये ।

एक माननीय सदस्य : दो-तीन मिनिट का टाइम लूंगा.......

श्री सभापति : नहीं, आप बैठ जाइये । श्री जय किशन !

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : आदरणीय सभापति महोदय, आज शिक्षा और न्याय प्रशासन के बारे में जो मांगे अपने सदन में प्रस्तुत की गई हैं, उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । हमारे राजस्थान क्षेत्र के अन्दर या चाहे हिन्दुस्तान के अन्दर आज शिक्षा का स्तर दिनोंदिन गिरता जा रहा है और इसका एक कारण यह है कि हम शिक्षा पद्धति को सही रूप से पहिचान नहीं पाये । किस प्रकार शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये । पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिये कक्षा के अन्दर से ही उनके जीवन की एक प्रकार की योजना बन जानी चाहिये कि अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् अपना जीवन यापन कर सकें । इसलिये सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान का तो बड़ा मसला है। यदि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की एक योजना बनाई जाय और योजना बनाने के साथ साथ उसमें जन-प्रतिनिधि भी हों और सरकार की ओर से डाइरेक्टर, ज्वाईंट डाइरेक्टर, जो अच्छी शिक्षा के अन्दर विचार रखने वाले हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया: सभापति महोदय, ये सब मांगें मंजूर हों जायगी तो हम अकेले ही यहां बोल लेंगे ।

श्री जयकिशनलाल : (व्यवधान, अश्रव्य).....एक कमेटी बना दी जाय और उस कमेटी के आधार पर उसका सर्वेक्षण किया जाय कि किस प्रकार हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर हम इन विद्यार्थियों का जीवन, जो अन्धकारमय है, उसको उज्जवल बना सकें । इस प्रकार की समिति बना दी जाय और समय समय पर वह समिति विश्वविद्यालयों में जाकर, हायर सैकेण्डरी स्कूलों में जाकर, सैकेण्डरी स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों के विचारों को देखा जाय और उसके आधार पर किस प्रकार की योजना हम उनके लिये लागू कर सकते हैं । यदि उस ढंग से बना दी जाय तो आसानी से शिक्षा में परिवर्तन हो सकता है । साथ ही साथ

(श्री जयकिशनलाल)

सभापति महोदय, एक निवेदन यह है कि आये दिन विद्यार्थी वर्ग में एक प्रकार का आक्रोश छाया हुआ है। मैं तो स्पष्ट उदाहरण देकर कहना चाहता हूँ हम उनकी भावनाओं को सही रूप से पहिचान नहीं पाते हैं।

वास्तव में आज का विद्यार्थी वर्ग क्या चाहता है ; वह केवल चाहता है भविष्य उज्ज्वल बनाना। इस प्रकार की भावना लेकर आगे बढ़ते हैं तो सुधार शिक्षा पद्धति में अवश्य आ सकता है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ दो मार्च को राजस्थान बन्द होने वाली जैसी स्थिति थी लेकिन हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से हमारे विद्यार्थी वर्ग की भावनाओं को समझा और उनके सामने सही स्थिति रख कर मांगों की पूर्ति की तो राजस्थान में जो भंयकरता आने वाली थी वह टल गई। इसलिये मेरा निवेदन है इस उदाहरण के फलस्वरूप दो मार्च की स्थिति को टालकर बहुत कुछ नहीं माने। ऐसे आन्दोलन और आने वाले हैं। जिस प्रकार आन्दोलन की परिस्थिति बने उससे पहले ही उन विद्यार्थी वर्ग की सच्ची भावनाओं को समझकर उनके पास कार्यक्रम रख दें जिससे वे अपने जीवन को उज्ज्वल बनायें तो कोई विपत्ति नहीं आयेगी और आये दिन जो डर रहता है, आये दिन विद्यार्थी वर्ग में जो असन्तोष का डर बना रहता है और जो विद्यार्थी आज बुरी तरफ जा रहा है उसको सही प्रशिक्षण और शिक्षा दी जाय तो आज का विद्यार्थी वर्ग, जो देश का बहुत बड़ा वर्ग है पूर्ण रूप से शान्त होकर बढ़ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह भी है कि आये दिन विद्यार्थीगण विभिन्न प्रकार की मांगे रखता है और मांग तब रखता है जब किसी प्रकार की कमी हो तो मेरा निवेदन है उस समिति द्वारा सरकार अपनी ओर से उस क्षेत्र में, उस विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्दर या कॉलिज क्षेत्र के अन्दर हायर सेकेण्डरी क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार की योजना बना दी जाय जिससे पहले ही मांगों की पूर्ति कर दी जाय तो हड़ताल की स्थिति और असन्तोष की स्थिति नहीं आ सकती है। इसलिये यह धारणा लेकर चलें तो जो भंयकरता आती है, वह टल सकती है।

दूसरा निवेदन आपसे यह कर दूं मेरे क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मैंने गत वर्ष भी और इस वर्ष भी चाकसू-फागी के लिये निवेदन किया था। चाकसू म्यूनिसिपैलिटि ऐरिया है और वहां पर आज तक हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है। वहां के विद्यार्थी सेकेण्डरी पास करके इधर उधर भटकते फिरते हैं। कई बच्चों के माता पिताओं की इच्छा रहती है कि उनका बच्चा आगे पढ़े लेकिन अभाव की स्थिति में उनका अगला अध्ययन, उनकी अगली शिक्षा अवरुद्ध कर दी जाती है। मेरा निवेदन है वहीं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल दी जाय तो बहुत लाभ जनता को मिल सकता है। यह मैंने पहले बजट में भी मांग रखी थी और अब भी मैं केवल एक मांग चाहता हूं। यदि हायर सेकेण्डरी स्कूल खोल दी जाय तो जनता को बहुत लाभ मिल सकता है।

दूसरे फागी में हायर सेकेण्डरी स्कूल अवश्य है लेकिन बाइलोजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री नहीं है। इस वर्ष प्रारम्भ कर दी जाय तो जो साधारण वर्ग के विद्यार्थी हैं

(श्री जयकिशनलाल)

उनका आसानी से भला हो सकता है। इसलिये मेरी मांग है पूर्ण रूप से ध्यान देकर पूरी कर दें तो बहुत अच्छा हो सकता है।

दूसरी बात आज हम स्कूलें तो अवश्य खोल देते हैं। हर वर्ष के बजट में हर योजना में कुछ न कुछ प्रावधान रख देते हैं लेकिन यदि गांवों में जाकर देखें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थान नहीं है। खुले स्थान पर बैठकर अपना अध्ययन करते हैं। जब बैठने का स्थान नहीं है तो अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। इस सारी स्थिति को आप समझते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है एक्स्ट्रा धनराशि दी जाय। सबसे पहले सर्वेक्षण कराया जाय कि राजस्थान में कौनसी पंचायत समिति में स्कूल भवन नहीं हैं और अगर कोई भवन है तो वे कितने उपयोगी हैं? इसलिये एक्स्ट्रा धनराशि दे करके सारे भवन बनवा दिये जायं तो भला हो सकता है।

दूसरा निवेदन प्रौढ़ शिक्षा की कक्षायें स्थान स्थान पर खोल दी जायं तो जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है वे दूसरों के कहने से गुमराह हो जाते हैं, वे बच सकते हैं। और जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं वे भी नहीं कर सकेंगे। हर ग्राम में, हर क्षेत्र में चाहे वहीं के नियुक्त अध्यापकों को उनको पढ़ाने के लिये नियुक्त कर दिया जाय और उनको अपनी तनख्वाह से अधिक और तनख्वाह दे दी जाय तो आसानी से यह कार्य कर सकते हैं और अशिक्षित जनता शिक्षित होकर अपना लाभ स्वयं कर सकती है। इस प्रकार के सुझाव भी मेरे पास है…

साथ ही साथ एक मेरा निवेदन यह भी है कि बाल शिक्षा की जो मॉन्टेसरी पद्धति है यदि पूण रूप से उसकी ओर ध्यान दिया जाए क्योंकि मैं स्वयं भी अध्यापक था इसलिए मुझे मालूम है कि जो मॉन्टेसरी संस्थाएं चलती हैं उसमें विद्यार्थियों के जीवन को इस ढग से विकास किया जाता है कि भविष्य में बहुत ही सभ्यता और सज्जनता को लेकर समाज के अन्दर उपस्थित होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मॉन्टेसरी स्कूल खोलकर बच्चों को सही रूप से प्रशिक्षण दिया जाय तो उनके जीवन का उत्थान हो सकता है।

सभापति महोदय, हमारे देश में करीब 20 प्रतिशत महिलायें अध्यापन कर चुकी हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूलों के प्रांगण में महिलायें अध्यापन करती दिखाई तो देती हैं लेकिन सही आंकड़े देखें तो केवल 20 प्रतिशत ही स्त्रियां अध्यापन कर पाई है…

श्रीमती निर्मलाकुमारी : 8 प्रतिशत है।

श्री जयकिशनलाल : मैं भूल गया था। 8 प्रतिशत ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही कम प्रतिशत में महिलायें शिक्षित हैं। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जिस घर में मां शिक्षित है उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। उसको सभ्यता आ जाती है, बोलना आ जाता है, और रहन सहन आ जाता है और देश के प्रति सच्ची भावना मातृत्व प्रेम से सीखी जाती है। इसलिए ऐसी संस्थाएं खोलें और महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाय तो देश का पूर्ण रूप से उद्धार हो सकता है।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कर देना चाहता हूं कि आज विद्यार्थी वर्ग जगह-जगह गावों के अन्दर अध्ययन करते हैं, लेकिन जो अध्यापक हैं उनकी कमी है। आप मेरे ही क्षेत्र में देखें कि बहुत से अध्यापक नहीं मिलते। राजस्थान में किसी भी जगह पर जायें जहां दो टीचर्स होने चाहिए वहां एक ही है और जहां चार होने चाहिए वहां भी एक ही है। इसलिए उन विद्यार्थियों को सही रूप में सही शिक्षा नहीं मिलपाती है। इसमें अध्यापकों का दोष नहीं है। अध्यापकों के ऊपर भी आदेश जारी होते हैं कि इतने प्रतिशत रिजल्ट रखेगें तभी आगे की उन्नति मिल सकेगी अन्यथा नहीं। तो बेचारे अध्यापक क्या करें ? उनके सामने भी भयंकर समस्या है। जहां चार अध्यापक होने चाहिये वहा एक ही है तो वह क्या कर सकते हैं ? पहली. दूसरी, और चौथी और पांचवी क्लास को इकट्ठी करके जैसे सभा की जा रही हो या पिकनिक की जा रही हो, इस प्रकार की स्थिति स्कूलों में होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त किए हुये विद्यार्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जाये तो यह समस्यां हल हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महादय, केवल दो ही मिनट दे दें। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आज हम देखें तो शहरों के अन्दर शिक्षा का प्रचार बहुत ज्यादा है। हर शहर के अन्दर विश्वविद्यालयें मिलेंगे, महाविद्यालय मिलेंगे, हायर सैकन्डरी और सैकण्डरी स्कूल मिलेंगे और गली गली और मोहल्लों मोहल्लों के अन्दर स्कूल मिलेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार की शिक्षा नही हैं इसलिए मेरा निवेदन हे कि राजस्थान को इस प्रकार के हिस्सों में बांटा जाये कि कौन कौनसे हिस्से के अन्दर किस विद्यालय की आवश्यकता है और कौन सी जगह किस सबजेक्ट की आवश्यकता है और उस आधार पर योजना बना कर विद्यालय स्थापित कर दिये जायें तो उस क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं न्याय प्रशासन के बारे में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। हमारा जो पूर्वी राजस्थान है यहा की जनता अधिक संख्या में है। मेरा निवेदन है कि आदमी को न्याय समान रूप से मिलना चाहिये और जब तक किसी व्यक्ति को न्याय सम्मान रूप से नहीं मिलता तब तक उसका जीवन निरर्थक है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट की बैंच यहां पर स्थापित हो। हम यह नहीं कहते कि हाई कोर्ट को जयपुर में स्थापित कर दिया जाये जोधपुर से उठाकर, हम तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जोधपुर की साइड की जनता को न्याय पूर्ण रूप से मिल रहा है ठीक उसी प्रकार का न्याय पूर्वी राजस्थान की जनता को भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप और हमारे सामने तो इस प्रकार की समस्या नही है लेकिन आप

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

साधारण किसान को देखें। कोटा में बैठा हुआ व्यक्ति अपने वकील का खर्चा देता है, खुद का खर्चा करता है और जोधपुर में जाकर अपने विचारों को रखता है। तो यह कहां का न्याय है ? इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार को भी पूर्ण रूप से निर्णय करना चाहिए और हमको स्वयं को बैठ कर तय करना चाहिए कि उसकी एक बैंच जयपुर में रख दी जाये तो उधर की जनता को भी आसानी से न्याय मिल सकता है और यहां की जनता को भी मिल सकता है और यह आपस के एक दूसरे की वैमनस्यता के विचार हैं वह पूर्ण रूप से मिट सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह हैं कि जब जब हाईकोर्ट का मामला आता है तो दीपंकर जी को इसके लिए एलर्जी लगती है। हो सकता है कि उनको मर्ज हो कि हाईकोर्ट का नाम आया और उनके बदन में फफोले उठ आते हैं। इसी क्षेत्र के हम रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र के आप रहने वाले हैं। राजस्थान में जन्म लिया है और राजस्थान में ही मरेंगे। यह सारी स्थिति हमारे सामने है। ऐसी कौनसी स्थिति है कि हम एक दूसरे के विचारों को उभारने की कोशिश करते हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय मेरा निवेदन है कि इस समस्या का इस तरह से हल किया जाये। आसानी से बैठ कर हम जन प्रतिनिधि जितने भी हैं मिल कर इस मसले को हल कर लें और रोजना इस तरह की खींचातानी से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री उम्मेदीलाल : माननीय सभापति महोदय, मुझे भी बोलने का टाइम मिलना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया बैठें। मैंने आपके दल के सदस्य को समय दिया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो इस मसले को खतम कर दो जिससे न तो वैमनस्यता की भावना और न दुश्चरित्रता की भावना हो, न पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र की भावना हो। मेरा निवेदन यह है कि या तो हम सब मिल कर ऐसा तय कर लें कि हाईकोर्ट का नाम आयन्दा के लिए लें ही नहीं और यदि ऐसा है तो मेरा निवेदन ऐसा है कि एक रोज साथ बैठ कर चाहे सरकार के नुमाइन्दे हों, चाहे विधायक हों इस हाईकोर्ट के मसले को इस तरह से हल कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो इस विधान सभा को स्थगित करके एक रोज सारे के सारे इन्दिरा जी के पास चल सकते हैं और वह जिस प्रकार से निर्णय दें और वहां हाई कमाण्ड जिस प्रकार से निर्णय दे, सुप्रीमकोर्ट जिस प्रकार से निर्णय दें उसको सब मान कर चलें तो यह मसला हल हो सकता है। मेरा यह निवेदन है कि इस झगड़े को किसी न किसी तरह तय कर लेना चाहिए।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत !

श्री उम्मेदीलाल : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपके दल के दो सदस्य बोल चुके हैं। आपको भी समय दिया जायेगा।

श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, जहां तक मेरे कटमोशन का सवाल है मैं तो शिक्षा विभाग के ऊपर

(श्री शंकरसिंह रावत)

भाषण नहीं करना चाहता सिर्फ शिक्षा विभाग को सुझाव देना चाहता हूं।

पहला तो गांवों में प्राथमिक शालायें हैं वहां सिंगल टीचर से पांच कक्षायें नहीं पढ़ाई जाती हैं। इससे बेहतर यह हो कि एक क्राइटेरिया बना लिया जाये कि पहले से तीसरी क्लास आस पास हो और उसके बीच में पांचवीं क्लासों का एक सेन्टर रख दिया जाये और पांचों क्लास के लिए पांच टीचर्स का प्रबन्ध कर दिया जाये।

दूसरे गर्मियों की छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है। हमें फसली छुट्टियों की आवश्यकता है। खेतो के सम्बन्ध में लड़के मदद दे पायेंगे इसलिए फसली छुट्टियां कर दी जायें तो यह उचित होगा।

तीसरे जब हायर सैकन्डरी पास करके एस. टी. सी. के लिए ज्वाइन करने के लिए शिक्षा विभाग बुलाता है तो उसमें एक बड़ा मतभेद है कि कॉमर्स, साइन्स और कृषि सबजेक्ट वालों को 5 अंक अतिरिक्त दिये जाते हैं यह उनके साथ अन्याय है। क्योंकि जिसके लिए ज्वाइन करते हैं वह प्राईमरी शिक्षा के लिए करते हैं तो वहां कॉमर्स की जरूरत नहीं है, साइन्स की जरूरत नहीं है। इसलिये कॉमर्स और साइन्स सबजेक्ट वालों को जो 5 अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं वह बिलकुल नहीं दिये जाने चाहिए।.......

तीसरा मेरा अर्ज यह है कि जो राष्ट्रीय अनुसंधान शाला जो नेशनल एजूकेशन रिसर्च स्कीम है जिसके द्वारा विज्ञान में में ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए लिखित में या मौखिक रूप से परीक्षा देनी पड़ती है जिसका राजस्थान में केन्द्र नहीं है। इसलिए यह जो नेशनल एजूकेशन रिसर्च स्कीम के अन्तर्गत अपने यहां पर भी सेंटर खोले जा सकते हैं, लेकिन आज तक इस प्रकार के किसी प्रबन्ध को रखने की बात शिक्षा विभाग ने नहीं की है।

इसके साथ ही ऐसी शिक्षण संस्थायें जो एडेड हैं जो कागजों में तो जरूर हैं, लेकिन मौके पर जायें तो वह संस्थायें जिनको एड दी जाती है, नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की संस्थाओं की जांच की जानी चाहिए, छानबीन का जानी चाहिए और उसके बाद ही उनको पैसा दिया जाना चाहिए। यह अनुदान, दान के बराबर है, इसलिए किसो की सिफारिश पर यह अनुदान दिया जावे, यह अनुचित है, इसको बन्द कर दिया जावे।

इसके अलावा मुझे एक बात और निवेदन करनी है कि गांवों में और शहरों में आप देख रहे हैं कि आज देश में छात्रों का आन्दोलन ज्यादा हो रहा है। वह देश जिन्दा नहीं रह सकता जिस देश के छात्र अनुशासनहीन हो जावें। इसलिए यदि आपका साथ अगर कोई देने वाले हैं तो वे गांवों के छात्र हैं, शहरों की हवा बिलकुल विपरीत है। एक प्रिंसिपल साहब ने कुछ कर दिया तो छात्र आन्दोलन हो गया। कभी चन्द्रमा पर जाने की बात नहीं करेंगे, किसी रिसर्च की बात नहीं करेंगे, लेकिन सिनेमा के कन्सेशन की मांग करेंगे। छात्र आन्दोलन में किसी अच्छाई की मांग नहीं करेंगे बल्कि मांग यह करेंगे कि हमें सिनेमा के कन्सेशन दो। अगर प्रिंसिपल साहब ने कुछ कर दिया तो उसके ट्रान्सफर के लिए भागेंगे, शिक्षा मंत्री के पास जायेंगे कि प्रिंसिपल ने यह कर दिया, वह कर दिया।

(180)

(श्री शंकरसिंह रावत)

इसी तरह से सर्विसेज के बारे में जैसा कि पहले भी कहा है कि कुछ बेरोजगार शिक्षित हैं उनको काम पर लगाने के बारे में कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए, एक प्रफोर्मा बनाना चाहिए कि इसके कितने साधन हैं, परिवार के कितने व्यक्ति हैं। जिनके साधन नहीं हैं उनको तो मिलता नहीं है लेकिन सर्विस उनको मिलेगी जिनके पास साधन हैं, जिनकी इण्डस्ट्री है, दुकान है या कोई जागीर है या अन्य कोई साधन है, उनको नौकरी मिल जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि आप फर्स्ट डिविजन; सैकिंड डिविजन की बात मत रखिए, गांवों के लोग जो गरीब हैं उनको थर्ड डिविजन भी पास हो तो भी उनको उन बेरोजगार शिक्षितों को रोजगार पर लगाइये और इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाइए।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर यही निवेदन करूंगा कि बेरोजगारों की ओर ध्यान देना चाहिए। आज मेरे पास एक बी. ए. पास लड़का आया और उसका हाथ कटा हुआ था पर मजबूरी यह है कि वह गरीब घर का है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं उसको लेकर मुख्य मंत्रीजी के पास भी गया और उसने उनसे कहा कि आप देखिए तो सही। आपके एक हाथ है तो आप मुख्य मंत्री बन गये और मेरे एक हाथ है तो मैं डांवाडोल हो रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तेरा भी प्रबन्ध किया जाएगा इसलिए जो बेरोजगार, अपंग और अशिक्षित हैं और जो शिक्षित हैं उनके लिए रोजगार का प्रबन्ध करना पड़ेगा।

अब मैं और अधिक नहीं कहते हुए यही आशा करता हूं कि इन सुझावों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जायगा।

कोर्ट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते हुए मैं यही आशा करता हूं कि आप अन्याय नहीं करेंगे।

श्री सभापति : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी : सभापति महोदय, मेरा भी....

श्री उम्मेदीलाल : मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप शांति से बिराजिए, आपको अवसर दिया जाएगा. बीच बीच में बार बार उठने की कोशिश न करें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अश्रव्य)

श्रीमती निर्मलाकुमारी : सभापति महोदय, हमारा भी नम्बर आना चाहिए कटमोशन हमारे पहले हैं।

श्री सभापति : बीकानेर और कोटा डिवीजन के सदस्यों की साढ़े सात बजे मीटिंग है और इसके अलावा क्लब की मीटिंग की वजह से सभी माननीय सदस्यों को उसी हिसाब से अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। आपको परेशानी होगी तो आप क्षमा करें।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : कोई क्रम नहीं है, बिना क्रम के ही दिया जा रहा है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जो प्रक्रिया है अपोजीशन लीडरों के बोलने की और पार्टीज के लीडर्स के बोलने की उस हिसाब से जो प्रोविजन आसन

(श्री सभापति)
की ओर से किया गया है उसी क्रम से पुकारा जा रहा है ।

श्री किशन मोटवानी : हमने भी कटौती प्रस्ताव दिए हैं । पहले यह कहा गया था ....

श्री सभापति : आपको भी बोलने का मौका मिलेगा लेकिन कुछ लोगों की विशेष स्थिति है ।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : विशेष स्थिति तो हरएक की हो सकती है ।

श्री किशन मोटवानी : पहले हमसे यह कहा गया था कि जो कटौती प्रस्ताव पहले आयेंगे उसी क्रम से लिया जाएगा, तो अब भी उसी क्रम से लेना चाहिए ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि कुछ माननीय सदस्यों की विशेष परिस्थिति की वजह से उनकी सुविधा को ध्यान में रख कर आसन की ओर से यह व्यवस्था करनी पड़ी है ।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

आॅर्डर प्लीज । आॅर्डर प्लीज ।

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मैं आपसे बारबार निवेदन कर चुका हूं कि आपके दल के लिए निर्धारित समय दिया जा चुका है । फिर भी आप से निवेदन कर रहा हूं कि आप शांति से बिराजिए, आपको समय मिलेगा ।

श्री उम्मेदीलाल : मैंने तो सभापति महोदय, इतना ही निवेदन ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप बिराजिए । श्री गोपाल जोशी !

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : सभापति महोदय, आज हमारे भारतवर्ष में एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट इतना बढ़ रहा है कि हर साल लाखों लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार इधर उधर घूमते रहते हैं । इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि हमारी शिक्षा का बेस ऐसा हो कि शिक्षित होने के बाद उनको उपयुक्त अपोइन्टमेंट, नौकरी मिलती रहे । इसलिए यहां सब लोग कहते हैं और मैं भी यह बात कहता हूं कि यह अहम मसला है, भारतवर्ष के लिए और भारतवर्ष ही नहीं यह सारे संसार के लिए अहम मसला है । सारे संसार के अन्दर एजूकेटेड अनएम्प्लायड्स की संख्या बढ़ती जा रही है और खास तौर से हमारे यहां बहुत ज्यादा है इसलिए.......

श्री केशरीमल : समाजवादी देशों में भी बेकार बहुत ज्यादा हैं ।

श्री गोपाल जोशी : क्या फरमाया आपने । इसलिए हमारा एजूकेशन सिस्टम जोब ओरियेन्टेड होना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा कि हमारी हर स्कूल में कम से कम एक वर्क शॉप की फैसेलिटि होनी चाहिए जहां उनको कुछ न कुछ बनने का, कुछ न कुछ काम करने का मौका मिले । चाहे कुर्सियां बनाने का काम हो, लेथ मशीन का काम हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो जिससे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब तक उसको उपयुक्त जोब नहीं मिले वह अपना काम चला सके । इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप जो स्लेबस बताते हैं इसमें भी थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ेगी, चेंज लाना पड़ेगा । आज जो स्लेबस बनाने वाले लोग हैं उनकी जगह कुछ वे टीचर्स, जिनका एक्स-

(श्री गोपाल जोशी)

पीरियन्स पन्द्रह-बीस साल का टीचिंग का हो गया है उन लोगों को लिया जाना चाहिए और उन लोगों को जिनकी कि किताबें कोर्सेज में प्रस्काइब होती हैं या जिनके सम्बन्धियों की या जान पहचान वालों की किताबें प्रस्काइब होती हैं उन लोगों को स्लेबस बनाने के काम में नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जब तक यह सुधार नहीं होगा वास्तव में जो चेंज हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला पायेंगे।

साइन्स सब्जेक्ट को अभी तक फॉरेन लेंग्वेज के अन्दर पढ़ाया जाता है और जब तक हम अपनी मातृभाषा में ट्रान्सलेट नहीं करेंगे, पोस्ट ग्रेज्यूएट लेवल तक नहीं पढ़ायेंगे अपनी मातृभाषा में तब तक हम वह स्तर नहीं दे पायेंगे जिसकी हमें आज जरूरत है। इसलिए यह जरूरी है कि पोस्ट ग्रेज्यूएट तक की जितनी भी पुस्तकें हैं उनका ट्रान्सलेशन हिन्दी में हो जाना चाहिए और उसके बाद पोस्ट ग्रेज्यूएशन में भी हिन्दी में ही पढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग तैयार होकर हमारे सेकण्ड्री, हायर सेकेण्ड्री लेवल के बच्चों को भी वे ठीक ढंग से पढ़ा सकें।

सभापति महोदय, मुझे यह पता नहीं चलता कि हमारे यहां जो यूनिवर्सिटिज हैं उन सब के कोर्सेज हैं, उनके स्लेबस हैं वे यूनिफार्म क्यों नहीं होते हैं। इनमें भी यूनिफार्मिटि होनी चाहिए ताकि कम से कम परिवर्तन हो। वैसे तो सारे भारतवर्ष में एक सा कोर्स और स्लेबस होना चाहिए लेकिन अगर सारे भारतवर्ष में नहीं हो सके तो कम से कम राजस्थान स्टेट में तो एक जैसा हो। सबकी सब जगह यूनिफार्मिटि होनी चाहिए, चाहे वह एग्जामिनेशन का तरीका हो, स्टेण्डर्ड ऑफ मार्किंग हो। होता क्या है कि कहीं पर कोई सिस्टम है, कहीं पर कोई सिस्टम है, कहीं सिमस्टर प्रणाली है तो कहीं दूसरी प्रणाली। इसलिए इसके अन्दर भी थोड़ी सी चेंज करने की आवश्यकता है।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो किताबें विभाग के द्वारा पब्लिश होती हैं वह बड़ी देर से पब्लिश होती हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे बच्चे सफर करते हैं। मसलन एक किताब जो अभी प्रकाशित हुई है वह बहुत पहले पब्लिश हो जानी चाहिए थी।

सभापति महोदय, पढ़ाई के अलावा हमें एक्स्ट्रा केरीकुलर एक्टीविटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं कि राजस्थान इसमें थोड़ा बहुत अधिक है। इसके साथ साथ एन.सी.सी. और एन. एस. एस. इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हमारी स्टेट बोर्डर स्टेट है और फॉरेन कन्ट्री की बोर्डर बहुत लम्बी सीमा तक हमारी स्टेट की बोर्डर से मिलती है। इसलिए एन. सी. सी. पहले कम्पलसरी थी, वह हटा ली गयी है। मेरा निवेदन है कि इसको फिर से कम्पलसरी कर देना चाहिए। ताकि भविष्य में किसी भी इवेन्चुएलिटि के लिए तैयार रहें और एक सेकेन्ड में लाइन ऑफडिफेंस तैयार कर सकें और खास तौर से यह हमें आर्टीलरी और एयरविंग में तैयार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, बीकानेर, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, मैं दावे के साथ

(श्री गोपाल जोशी)
कह सकता हूँ कि बीकानेर ने राजस्थान का नाम रखा है और कहीं कहीं तो इंडिया का नाम रखा है ...

श्री झाबरमल सुराणा : और रसगुल्ले में भी।

श्री गोपाल जोशी : इसमें भी है।

सभापति महोदय, बीकानेर में हमारे यहां एक साईकिलिंग कोर्स, इन्स्टीटयूशन भी है। इसके कारण हमारे बीकानेर का, और राजस्थान का होता है और हर साल नेशनल चेम्पीयन शिप लेकर आते हैं और लगातार पिछले चार सालों से यह चेम्पीयनशिप बीकानेर लेकर आ रहा है और जबसे यह साईकिलिस्ट कोच रखा है तबसे करीबन 100 गोल्ड मैडल जीत कर लाये हैं और इसके अलावा 150-200 ब्रास, सिल्वर के आए हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की शान बीकानेर ने बढ़ायी है और हर बार गोल्ड मैडल आते हैं। और ऑल इण्डिया बेसिस पर भी नाम होता है। तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बीकानेर में जो स्टेडियम बना हुआ है वह राजस्थान में सबसे अच्छा है बल्कि इण्डिया के जो स्टेडियम हैं उनमें भी इसका नाम आता है। इसको थोड़ा और बना दिया जाए, ताकि जो साईकिलिस्ट हैं उनको फील्ड में तो मौका मिलता है, जीत कर आते हैं परन्तु जो टीम का सवाल है, उसकी फैसिलिटी उनको नहीं है। आपकी मार्फत सभापति महोदय, मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रैक बना दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि आने वाले वर्षों में बीकानेर और राजस्थान का नाम साईकिलिस्ट में रहेगा और किसी भी स्टेट को आगे नहीं आने देगा।

इसी तरह से फुटबाल के बारे में है। फुटबाल का खिलाड़ी राजस्थान का बीकानेर के अन्दर है। उसने भारतवर्ष की शान रखी है और अपने पांव से गोल किया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फुटबाल, साईकिलिस्ट, जिम्नेजिम के अन्दर आगे बढ़कर कोशिश करते हैं और अपना राजस्थान का नाम कमाते हैं, वहां पर कोच की फैसिलिटी न हो। यह दुःख की बात है और जो फैसिलिटी प्लेयर को देना चाहिए वह भी हम नहीं दे पाते हैं। इस तरफ आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। थोड़े दिनों बाद ही यहां पर नेशनल चेम्पीयनशिप साईकिलिस्ट की हो रही है। उनको जितना ज्यादा अनुदान दे सकें दें और ट्रैक बनवा दें ताकि हजारों साईकिलिस्ट के बच्चे आपके बच्चे अपना नाम कमा सकें और राजस्थान को गौरवान्वित कर सकें।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग की सीनियोरिटी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। ऐसा मालूम हुआ है कि वर्ष 56-58 से अभी तक कोई सीनियोरिटी मुकम्मिल तैयार नहीं है और इसके अभाव में काफी ऐसा काम हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। जूनियर सीनियर बन गये, एडहॉक बेसिस पर प्रमोशन दे दिया गया है जिससे कइ लोगों की सीनियोरिटी मारी गयी है। तो हम एक प्रकार से उन लोगों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। अच्छा हो कि सीनियोरिटी मुकम्मिल तैयार करें और जिन लोगों को, जिनको वाजिब है, उनको उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से

(श्री गोपाल जोशी)

पदोन्नति हो। जो कुछ उनको मिलना चाहिए वह उनको मिलना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय मैं आपके जरिये यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहां पर डिस्पेरिटी है। यूनिवर्सिटी के लेक्चरार, रीडर्स और प्रोफेसर की पे स्केल कुछ और है और गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरार, प्रोफेसर की पे स्केल उनसे कम है। यू. जी. सी. ने जो रिकमन्डेशन दी है, जो सुझाव दिए हैं उनके अनुसार उनको पे स्केल दे दी जावे तो ठीक होगा। मेरे ख्याल से ज्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता है। उनके मन में एक विचार आता है कि यूनिवर्सिटी के लोगों को ज्यादा दिया जाता है जबकि वही काम हम भी करते हैं। इसके अतिरिक्त एक एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट हमारे वहां पर कायम की जानी चाहिए क्योंकि भविष्य में यह एरिया एग्रीकल्चर का बड़ा भारी हिस्सा बनने वाला है और भारतवर्ष को एग्रीकल्चर के अन्दर जो सेल्फ सफिशिएन्ट हम बनाना चाहते हैं, उसके अन्दर इसका भी स्थान होगा और सक्सेसफुल्ली। जो हमारा राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में रिसर्च इन्स्टीट्यूट होना चाहिए तो उचित होगा।

मैं बीकानेर में यूनिवर्सिटी के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज वहां के कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफेलियेटेड हैं वह इतनी बड़ी है कि उसका इन्तजाम नहीं हो पाता है। रिजल्ट देरी से निकलते हैं, इम्तिहान देरी से होते हैं। इसलिए इस काम का भी डिसेन्ट्रेलाईजेशन हो जाना चाहिए ताकि हम सफल हो जाएं और वह यूनिवर्सिटी बनाकर हो हो सकता है।

बीकानेर शहर के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा। यदि शिक्षा मंत्रीजी वहां पर सोशियोलोजी विषय की कक्षाएं खोल दें तो ज्यादा अच्छा होगा कोई विशेष खर्चा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक लेक्चरार ही अपाइन्ट करना होगा बाकी सारे साधन वहां पर उपलब्ध हैं।

आज जो अनरेस्ट स्टूडेन्ट में हम देख रहे हैं, तो स्टूडेन्ट का पार्टीसिपेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक होना चाहिए। सिन्डीकेट और सीनेट के अन्दर उनका रि-प्रजेन्टेशन कर देना चाहिये ताकि उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) केवल दो बात कहूंगा। न्याय प्रशासन के बारे में मैं यह बात कहना चाहूंगा वैसे हाईकोर्ट की बात है मैं समझता हूं कि अकेले हाईकोर्ट की बात नहीं है। न्याय महंगा-सस्ता की बात नहीं है। आज विधान सभा यहां पर है, सारे लोग कहेंगे एक विधान सभा की बैंच बीकानेर, जोधपुर में भी हो तो यह कैसे हो सकता है। मंत्रिमण्डल की मीटिंग्स वहां पर होनी चाहिए। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। यह हो तो मैं यह कहूंगा कि बीकानेर के केसेज को देख लिया जाए, सी. आर. पी. सी. और दूसरे किस तरह के केसेज ज्यादा हैं, और बीकानेर के आई. पी. सी. और सी. आर. पी. सी. के केसेज ज्यादा हों तो मैं यह कहूंगा एक सर्किट बैंच बीकानेर में स्थापित हो। इसी तरह से रेवेन्यू ऑथोरिटी की एक सर्किट बैंच बीकानेर में कायम की जाए।

श्री सभापति : श्री हाजी जान मोहम्मद !

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा): सदरे मोतरम मैं तंग आ गया बैठे बैठे ?

राजस्थान में 26 जिले हैं और झालावाड़ भी एक जिला है मैं तो सिर्फ अपनी बात पिड़ावा के लिए कहूंगा। पिड़ावा टोंक स्टेट का हिस्सा रहा है। आजादी के बाद वहां की जो इम्पॉरटेन्स थी वह खतम हो गयी। सब दफ्तर वहां से उठा लिए गए। लाखों इन्सान खेती बाड़ी करते हैं। वहां से झालावाड़ 40 मील के फासले पर है। बारिस के समय वहां जाने में मुसीबत हो जाती है। आज अदालतों की यह हालत है कि 8-8 साल, 4-4 साल लग जाते हैं और इन्साफ नहीं मिलता है। जनता तंग आ चुकी है। इसलिए एक ही दरखवास्त है कि वहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेटी कायम की जाए। इस छोटी सी बात, इन्साफ की बात के लिए लोग रोते हैं यह तो मैंने छोटी सी बात की, इन्साफ की, न्याय की। हाईकोर्ट का मसला भी है। झालावाड़ से जोधपुर काफी दूरी पर है इसलिए जयपुर में बैन्च मुकर्रर कर दें तो झालावाड़ की तकलीफ दूर हो जावेगी। यह वहां की जनता की मांग है।

अब रहा शिक्षा का मसला। शिक्षा के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा के अन्दर कई अडचने हैं। उर्दू जबान भी है। उनकी मन्शा यह है कि हिन्दुस्तान की हर जबान की तरक्की की जाय उर्दू जबान के बारे में बात होती है तो मुसलमानों का सवाल आता है हिन्दुस्तान के मुसलमानों की इच्छा है कि वे हिन्दुस्तान में फूले फले और तरक्की करें। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान से उर्दू जबान को गायब कर दिया गया है। पिछले दिनों में कई जगहों पर उर्दू के स्कूल खुले तो उसके लिए तो शुक्रिया। यह थोड़ा सा तंग नजरिया है कि यह कहा जाता है कि यह मुसलमानों की जबान है। यह सब की जबान है मिसाल के तौर पर मेरा लड़का वहां पर आया था लेकिन वह दाखिल नहीं हो सका क्योंकि उसका विषय उर्दू था और झालावाड़ में उर्दू नहीं थी इसलिए उसका वहां पर दाखला नहीं किया गया। एक बात और भी है कि हमारे झालावाड़ में कई जगह ऐसी हैं जहां पर उर्दू की मांग है तो गवर्नमेंट मेहरबानी करके ऐसी स्कूलें खोलें।

हमारे यहां झालावाड़ में झालरापाटन ऐसी जगह है जहां पर गवर्नमेंट ने मेहरबानी करके साइन्स की क्लासें खोली हैं। पिड़ावा की मांग थी कि वहां पर आर्ट्स के विषय है तो वहां पर भी बायोलॉजी खोली जाय लेकिन नहीं खोला तो वहां के लड़कों को कॉलेज में भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वे बायोलॉजी नहीं जानते थे। अगर बायोलॉजी नहीं जानते हैं तो दूसरे सबजेक्ट्स तो हैं उनको लेना चाहिए। लेकिन उनको भर्ती करने से इन्कार कर दिया और वह रो रहे हैं। मेहरबानी करके वहां पर हाई स्कूल को छोड़ दें या वहां पर बयालॉजी कायम की जाय इसी साल। एक तो वहां पर बायोलॉजी होना चाहिए।

उसके पहले मैंने ला मिनिस्टर साहब के लिए अर्ज किया कि वहां पर जनता ने मांग की हैं कि वहां पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी होना चाहिए। वह खोली जानी चाहिए। यह चन्द बातें मैंने अर्ज की हैं। आशा है इन पर आप गौर करेंगे।

Page No 186

(186)

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल ।

श्री ओंकारलाल (डग) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । आज शिक्षा के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है तो हम सब यह चाहते है कि शिक्षा में कोई परिवर्तन हो । इन 25 वर्षों की आजादी के बाद आज भी यह महसूस होता है कि जो नौजवान तबके की आशाएं बन्धी थीं उनकी आशाएं पूरी नहीं होती दिखाई देती हैं और इसी कारण से छात्रों में अनुशासन की कमी और इस प्रकार की गड़बड़ियां हैं, और एक असन्तोष का वातावरण जो बना हुआ है इसको हमें गम्भीरता से देखना पड़ेगा । ऐसे छात्र देश के कर्णाधार भी बन सकते हैं और देश के खेने वाले भी बन सकते हैं । सब जगहों से मांग हो रही है कि परिवर्तन होना चाहिए । मैं समझता हूं कि परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार भी सोचती है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी परिवर्तन हो उतने जल्दी करना चाहिए और आपको करना पड़ेगा । इस बात के लिए जितने कमीशन बैठाये गये हैं उनकी रिपोर्ट क्या है और उन कमीशनों की रिपोर्टों पर विचार-विमर्श में लगे रहे और कोई बुनियादी नीति नहीं बनाई तो हमारे देश का युवावर्ग पिछड़ जायगा और देश का भविष्य अन्धकारमय हो जायगा ।

प्रगति के लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा । ठीक है प्रगति हुई है । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों के सम्बन्ध में जो डिस्क्रीमनेशन है उसको हमें नहीं रखना चाहिए । हम जहां यह चाहते हैं ऊंच नीच के भेद भाव को समाप्त करें, जाति भेद को समाप्त करें, छोटे बड़े के भेद को समाप्त करें तब हम एक तरफ पब्लिक स्कूल की वकालत करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है । जो छात्र उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वे या तो बड़े अधिकारियों के लड़के या उन लोगों के लड़के हैं जो धनीमानी हैं या उन लोगों के हैं जो साधन-सम्पन्न होते हैं । इसलिए उन छात्रों के मन में जो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनमें डिस्क्रीमिनेशन पैदा होता है । वह उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं और हिकारत की दृष्टि से देखते हैं और एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिसमें तालमेल नहीं बैठता है । जिस चीज को हम मिटाना चाहते हैं उस चीज को इस तरह से पनपा रहे हैं । जब हम यह जानते हैं कि हमारी जनता गरीब है, किसानों से सम्बन्ध रखती है, मजदूरों से सम्बन्ध रखती है, और वह शोषित और पीड़ित समाज से आती है तो क्या आज के दिन हम यह गवारा कर सकते हैं इस तरह को इन्स्टीट्यूशन्स और इस तरह की संस्थाएं जो भेद-भाव पैदा करती हैं आपस में छात्रों के अन्दर ? क्या यह हमारे देश के अन्दर आपस का इन्टेग्रेशन ला सकती हैं । क्या हम उनसे इन्टेग्रेशन की स्थिति पैदा कर सकते हैं जो कि देश में आगे चल कर एक सुदृढ़ ढांचा बनाने में सहयोग दे सके । मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं और शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस ओर सोचें कि वास्तव में यह नीति हमारे देश के हित में है । अगर देश के हित में नहीं है तो कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिएं जिससे देश के युवावर्ग के लोग लाभान्वित हो सकें ।

मैं प्राइमरी एज्यूकेशन के सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं । राज्य

(श्री ओंकारलाल)

सरकार के पास वित्तीयस्थिति ऐसो नहीं है लेकिन फिर भी स्कूलें बहुत हैं। गांव गांव में स्कूलें हैं, लेकिन क्या उन स्कूलों की हालत अच्छी है ? मैं बिल्डिंग की ओर नहीं जाना चाहता, ठीक है हम पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं लेकिन क्या वहां पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक बन्धु हैं क्या वे अपना वफादारी के साथ में कर्तव्य पालन करते हैं ? वहां पर इस प्रकार की बातें हैं कि जिससे वे अपना कर्त्तव्य नहीं निभा पा सकते हैं। छात्रों का कोई दोष नहीं है। छात्रों में असन्तोष है, अनुशासन नहीं है। यह सारे का सारा नतीजा व्यवस्था का है जिससे हम उस पर काबू नहीं पा सकें। जब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो एडेड स्कूलों को अधिक सहायता देना चाहिए। और भी जो शिक्षण संस्थाएं जहां पर अच्छा कार्य होता है पढ़ाई की दृष्टि से और अनुशासन की दृष्टि से तो उनको अधिक से अधिक एड देना चाहिए और सहायता मिलना चाहिए जिससे अच्छे छात्र वे पैदा कर सकें। इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श विद्या मन्दिर के सम्बन्ध में जो आज चर्चा का विषय रहा है तो कोई भी पार्टी संस्था चला सकती है और उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन कोई संस्था जो कि देश के हित में नहीं है, जो ऐसी चीजें पैदा करें जिससे कि देश के हित में रुकावट पैदा होती है, संकीर्णता पैदा होती है, सम्प्रदायवाद पैदा होता है और ऐसे ढंग का नजरिया बनता है जो देश के हित में नहीं है, देश के प्रति वफादार नहीं है, ऐसी संस्थाओं को रोकना चाहिए और उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए और वास्तव में सही बात पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिए। उसके बारे में विक्टेमाइजेशन नहीं होना चाहिए। उन लोगों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। वह भी आपके ही अंग हैं। वास्तव में आपके और हमारे आदमी हैं। तंग हृदय से क्यों देखें ? वे जनसंघ के हों, कांग्रेस के हों या दूसरे दल के हों, वह देश के काम में लगे हुए हैं और देश की भावी पीढ़ी को बना रहे हैं। तंग नजरिया छोड़कर और उसके लिए जांच होना चाहिए और वहां पर न्याय की बात होना चाहिए।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं थोड़ा सा इन्स्टान्स देना चाहता हूं। आज एक अजीब प्रक्रिया बन गई है, माननीय सभापति जी, शिक्षा मंत्री जी, मैं समझता हूं इस ओर ध्यान देंगे, जहां कॉलेज हैं, और जिन कॉलेज में साइन्स क्लासेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटेनी जो इस प्रकार की कक्षायें हैं, उन छात्र-छात्राओं के साथ एक ट्यूशन प्रथा चल पड़ी है क्योंकि यह सब्जेक्ट इन्टरनल एक्जामिनेशन से सम्बन्धित होते हैं, वहां के मास्टर, वहां के उस्ताद, वहां के प्रोफेसर और लेक्चरार, जो इन्टरनल एक्जामिनेशन लेते हैं और उस कॉलेज में पढ़ाते हैं, वह ट्यूशन न करें और लड़के ट्यूशन न लें तो उनका भविष्य अन्धकारमय हो जाए। माननीय सभापति जी, यह अहम मसला है, इसकी ओर माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए। यह भ्रष्टाचार में आता है। एक जमाना था जब भ्रष्टाचार शब्द शिक्षण संस्थाओं के बारे में सुनने में नहीं आता था। माननीय मंत्री का मैंने इस ओर इसलिए ध्यान दिलाया है क्योंकि शिक्षण संस्थायें पवित्र मानी जाती हैं, जहां आराधना करके ज्ञानार्जन करते हैं। मैं मंत्री महोदय का

(श्री ओंकारलाल)

ध्यान दिलाऊंगा कि इस ओर देखें और इस भ्रष्टाचार की रोक करें।

मैं यह भी चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, कोटा डिवीजन एक शिकार बन गया है उपेक्षा का। इस कोटा डिवीजन में हाड़ोती जो क्षेत्र है, माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, ध्यान देने की कृपा करेंगे, हमारे देश का वह कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश का वह हिस्सा है पूरा का पूरा लेकिन पच्चीस साल के बाद भी वहां एक भी कृषि कॉलेज नहीं है। यह क्षेत्र इतना पैदा करता है, किसानों के बच्चे वहां से पढ़ कर निकलते हैं तो क्यों नहीं वहां पर एक कृषि कॉलेज खोला गया? ठीक है, आज समझते हैं कि बेकारी ज्यादा होती है, क्योंकि शिक्षा जोब ओरिएण्टेड नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा ही न दें, आप शिक्षा से मुंह मोड़ लें, बच्चे शिक्षा ग्रहण ही न करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र से काफी आय होती है, वह क्षेत्र इतना उत्पादन करके देता है लेकिन वहां न कृषि कॉलेज है, न मैडिकल कॉलेज है। आप जानते हैं कि मैडिकल कॉलेज में से जो डॉक्टर बन कर आते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, तो क्या आवश्यकता है कि वह नौकरी ही करें। वह गांवों में जायें, अगर उनमें हिम्मत है और जैसा राज्य सरकार चाहती है, वह गांवों में जाते हैं तो उनको लोन दिया जाता है। वहां प्रेक्टिस करें और लोगों की सेवा करें। आज उस क्षेत्र में मैडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर कॉलेज की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी की बात आती है तो जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य गोपाल जोशी ने कहा, बीकानेर में यूनिवर्सिटी हो। हम भी यह मांग करते हैं। उस क्षेत्र ने पूर्वी, राजस्थान ने क्या गुनाह किया है, क्या ऐसी बात की है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे, सबसे ज्यादा उत्पादन दें, यह तो हमारे क्षेत्र के अधिकार पर कुठाराघात है, उसके साथ न्याय नहीं है, और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जो उपेक्षा से सम्बन्धित है, वहां की भावनाओं को न समझा जाय। कोई लड़ाई की या ईर्ष्या की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन माननीय सभापति जी, मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि रीजनल इम्बेलेन्स जो है उसको दूर करना चाहिए और प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए प्रायोरिटी फिक्स नहीं करें और केवल पॉलिटिकल डिसीजन पर काम करें तो आपको इसे रोकना चाहिए, नहीं तो लोगों के मन में कई बातें आती हैं और ऐसी चीजें बनने लग जाती हैं कि जिनको कन्ट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां औद्योगिकरण का विकास हुआ है, काफी इण्डस्ट्री हैं, ऐसी जगह, जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, वहां कम से कम इस बात का प्रावधान होना चाहिए, जिससे वहां के छात्रों को आराम मिल सके, किसानों को आराम मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट। वन मिनिट सर। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बूंदी है, झालावाड़ है, वहां लॉ कॉलेज की आवश्यकता है। लॉ कॉलेज नहीं है। लोग परेशान रहते हैं, छात्र कहां जायं? ठीक है, वकालात करके

(श्री ओंकारलाल)

आयेंगे तो जैसी स्थिति होगी, होगी, वह कम से कम समाज में बैठ तो सकते हैं, स्टेटस तो बना सकते हैं। इसलिए बूंदी, झालावाड़ में लॉ कॉलेज खुलना चाहिए। उस क्षेत्र को यूनिवर्सिटी भी मिलनी चाहिए। बहुत सारे मसले हैं, आज समय नहीं है कि मैं उनकी डिटेल में बताऊं, लेकिन मैं इन सब तथ्यों से साबित कर सकता हूं कि उपयुक्त जगह है हर तरह से और उसके साथ न्याय होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बारां कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए। वहां अच्छी मण्डी है, काफी लड़के हैं। उस ओर ध्यान देना चाहिए। भवानी मण्डी में भी काफी कमियां हैं, वह मेरे क्षेत्र के अन्दर है, उस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ हो सकता है आगे बढ़ाने के लिए वह सुविधा उसको मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को राहत मिल रही है। मैं एक सेन्टेन्स में समाप्त करना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सामान्य प्रशासन के अन्दर एक अजीब सी बात है। क्या पूर्वी राजस्थान के लोगों को न्याय पाने का हक नहीं है? आप सब कहते हैं कि क्षेत्रीय भावनायें भड़काते हैं। हम क्षेत्रीय भावना की बात नहीं करते। जैसा दीपंकर जी ने कहा, औरों ने कहा कि इससे सस्ता और सुगम न्याय कैसे मिलेगा। आप सोचें तो सही, चार सौ मील चल कर कैसे न्याय प्राप्त कर सकता है किसान, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, वर्किंग क्लास के आदमी। जयपुर में हाईकोर्ट की बेंच हो जाय, उसमें मैं नहीं समझता हूं क्या दिक्कत आ जायगी। आप नहीं सोचते, मंत्री महोदय, जोधपुर का क्या पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था? हम इस बात को कह सकते हैं, क्या वह पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था? वह भी पॉलिटिकल डिसीजन था। आपका अधिकार है, हाईकोर्ट की सीट वहां रहे, लेकिन बेंच जयपुर में रहे तो क्या आपत्ति होती है? मैं समझता हूं, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सहज रूप से इसे स्वीकार करना चाहिए, इससे लोगों को राहत मिल सकती है, पूरे राजस्थान को राहत मिल सकती है। जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं, उनकी रिट पिटीशन हो, वह लॉ, कानून का सहारा चाहते हैं, तो हरएक आदमी को कानून का सहारा मिलना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों पर ऐसा आक्षेप न करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर पूरी गम्भीरता से, सहानुभूति से सोचना चाहिए। मैं सुगम न्याय की व्याख्या नहीं देना चाहूंगा, कैसे सुगम न्याय मिलता है। मिलता है। जयपुर में हो तो मैं समझता हूं कि काफी सस्ता और सुगम न्याय मिल सकता है। पहले मिलता था। मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा माननीय मंत्री जी बहुत उदार हैं, माननीय मंत्री हर काम में उदार हैं, तो इस उदारता का परिचय उधर भी देंगे, और पूर्वी राजस्थान की ओर भी यही दृष्टि, जो उनकी उदारता की है, वह बनी रहेगी।

इसी प्रकार भवानी मण्डी में एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर होना आवश्यक है। झालावाड़ में पिड़ावा है, चौमेला है, जो मध्यप्रदेश के बोर्डर पर है ....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सामान्य प्रशासन का आज नहीं है।

श्री सभापति : सामान्य प्रशासन कल आयेगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उसके बारे में कहेंगे तो मन्त्री उसका जवाब नहीं देंगे।

श्री ओंकारलाल : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हाई कोर्ट की बेंच आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी सहमत हैं। मैं इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूं ......

श्री सभापति : यह कह चुके हैं।

श्री ओंकारलाल : मैं गुजारिश कर दूं, इस डिस्ट्रिक्ट की ओर उदारता से देखेंगे और इन मांगों को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन में प्रगति हुई है, यह प्रगति और हो—ऐसी मेरी कामना है, और ऐसा मैं चाहता हूं।

श्री सभापति : लूणाराम !

श्री झावरमल : चूरू चूरू, हम भी बैठे हैं।

श्री सभापति : आपको भी मिलेगा मौका। कुछ परिस्थितियों के कारण कोटा और बीकानेर डिविजन के मेम्बर को मौका दिया जा रहा है ?

श्री खेतसिंह : मैं जानना चाहूंगा, कुल कितने माननीय सदस्य और बोलना चाहेंगे, और रिप्लाई कितने बजे शुरू होगा ?

श्री सभापति : जो कटौती प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनको देखकर तो नहीं कह सकता कि कितना समय लगेगा, लेकिन उपस्थित माननीय सदस्यों को देखते हुए, मैं समझता हूं, आठ बजे गवर्नमेंट रिप्लाई शुरू किया जा सकता है।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय, आज की शिक्षा व्यवस्था से हमारे गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलता है या नहीं—यह हमें देखना है। और यह भी हमें सोचना है कि प्राथमिक विद्यालयों से कितने गांव वंचित हैं, कितने छात्र वंचित हैं और वहां कब तक आप प्राथमिक विद्यालय शुरू करवा देंगे। इसी प्रकार लड़कियों की शालाओं का बहुत अभाव है। इस प्रकार से आज उन कारणों की जानकारी करनी पड़ेगी ....

7.00 म. प.

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

हमारे छात्र जो हैं वे प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। आज इस कार्य के लिए हमको चाहे कितनी शालायें खोलनी पड़े। पश्चिमी राजस्थान में दूर दूर गांव बसे हुए हैं, उस कारण से उनकी आबादी को देखते हुए शालायें नहीं खोली जाती हैं। शिक्षा मंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए जहां पर आबादी का अनुपात निर्धारित किया है कि इतनी जन संख्या पर एक प्राथमिक शाला खोली जाएगी उसी प्रकार जहां पर दो तीन मील का एरिया मानकर, यदि तीन मील से अधिक फासला हो चाहे आबादी कुछ भी हो ऐसे गांवों से जहां अधिक आबादी हो, उनसे मिलाकर प्राथमिक शालायें खोली जायं। आज हमारे गांवों में मारवाड़ी शिक्षा के लिए आप 1500 या 2000 की जन संख्या निर्धारित करें

(श्री सूणाराम)

और बड़े गांवों में भी कम से कम मारवाड़ी शालाओं की स्थापना की जाए।

इसके अलावा कुछ प्राथमिक शालाओं को पंचायत समितियों को सुपुर्द करना चाहिए ताकि उनका संचालन सही ढंग से उनके द्वारा किया जा सके और दोहरा अनुशासन हो जाए।

जिन सहायता प्राप्त शालाओं को सरकार द्वारा एड देकर चलाया जा रहा हैं, उनमें धन का दुरुपयोग होता है इनमें अधिकांश शालायें ऐसी हैं जहां पर लड़कों से फीस ली जाती है और सरकारी धन का दुरुपयोग दूसरे तरीके से किया जाता है और जो मजबूरी के कारण सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते हैं उनमे भूठे दस्तखत करवाकर आधे पैसे दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता प्राप्त शालाओं में धन देने बजाय अच्छा होगा कि ऐसी शालाओं को स्वयं चलाएं ताकि धन का दुरुपयोग न हो।

मान्यता प्राप्त शालाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं उदाहरण के लिए बीकानेर में गुमानपुरा की शाला है। आज भी बड़े आदमी जो कई सालों से संचालन करते हों जो इन्कम टैक्स पेयर हों, जिनका हिसाब सही हो तो फिर दिक्कत नहीं है।

नगरपालिकायें अगर किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त शालायें खुलवाना चाहें तो खुलवायें। ऐसे भी आदमी हैं जो अपने आप शाला का संचालन करते हैं, जिनका धन्धा है सरकारी पैसे को हड़पना, ऐसी शालाओं की जांच होनी चाहिए और उसके बदले में सरकार को खुद शालायें चलानी चाहिएं।

आज इसी प्रकार से दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह है पाठ्य पुस्तकों के बारे में। मैं इतना निवेदन करूंगा कि हमारी पाठ्य पुस्तकें जो भी हैं उनके अन्दर सामाजिक व धार्मिक विचार होने चाहिएं जिससे हमारे बच्चों पर हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए कई ऐसी पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं जैसे कि अभी मेरे पास हैं उसके अन्दर पशुओं के बारे में विचार दिए हैं, फलां पशु किस नस्ल का है। हमारे यहाँ स्कूलों के अन्दर 7वीं क्लास में भूगोल की किताब है पृष्ठ संख्या 132 उसमें पशुओं का विवरण दिया गया है उसमें हरियाणा की भैंस बताई गई है। ऐसी गलत बातें छात्र पढेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा ? यह सोचने की बात है।

इसके साथ साथ अध्यापकों को अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं जिनको सुलझाने की कार्यवाही नहीं होती है, उदाहरण के लिए 13-4-73 को हमारे यहां रतनगढ़ में एक अध्यापक है, उसका संचालन करते थे सत्यनारायण। उस अध्यापक ने अपने त्याग-पत्र में लिखा कि मैं त्यागपत्र देता हूं या तो इस भ्रष्टाचार की जांच की जाए। मैं इसलिए कागज पेश करता हूं कि प्रशासन ने बिना किसी प्रकार के जांच किए, उनका हवाला बिना देखे त्याग-पत्र मंजूर कर लिया। उसके बाद शिक्षा विभाग में शिकायत आई, इन्सपेक्टर जिला चूरू ने उसकी जांच की और वास्तव में पाया कि अध्यापक के साथ अन्याय हुआ है। कोई जांच नहीं की गई, कोई चार्जशीट नहीं, बिना जांच के स्तीफा मंजूर करना न्याय संगत नहीं। आज भी वह शायद चल रहा है, कागज सचिवालय में मौजूद हैं, एक कापी मुझे भी दी है, मैं

(श्री लूणाराम)
शिक्षा मंत्री की सेवा में पेश करता हूं कि इस पर पूर्ण न्याय दिलायें ।

इसी प्रकार रतनगढ़ में बालिका विद्यालय है वहां नारायणसिंह अध्यापक यू. पी. के रहने वाले हैं वह 1971 में रिटायर हुए, अभी तक उसके कागजात ज्यों के त्यों पड़े हैं । वह कागज भी शिक्षा मंत्री महोदय से पेश करूंगा उस विचार किया जाए ।

दूसरी जो बात है वह है पौषाहार की । गांवों के अन्दर जो पौषाहार का कार्यक्रम चल रहा है उसकी व्यवस्था न होने के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं, उस पर नियंत्रण किया जाए । यह कार्यक्रम चलाने वाली शालाओं के अन्दर बनाने वाले का इंतजाम नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सरकार जब इतना बड़ा कार्यक्रम चला रही है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अध्यापकों का समय बरबाद न हो और पढ़ाई का कार्य भी ठीक ढंग से चल सके ।

हमारे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनमें बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें शायद एक बाकी दो दो अध्यापक सभी में हैं । मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे प्राइमरी स्कूल्स के अन्दर ऐसे उद्योग स्थापित कराए जायं, ऐसे टीचर्स लगाए जायं जिससे हमारे बच्चे भविष्य में बेरोजगार न हों ।

आज गांवों में जो प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाते हैं उनके लिए अनुदान की व्यवस्था है वह काफी जटिल है । एक हिस्सा सरकार देती है और दो हिस्से गांव वालों को देना पड़ता है । कम से कम इस अनुदान में आधा आधा हिस्सा हो या दो भाग सरकार दे और एक भाग गांव वाले दें ।

छात्रवृत्ति की बात है वह बच्चो को दी जाती है । हम जानते हैं कि छात्रवृत्ति एक तरफ होश्यार समझकर दी जाती है लेकिन गांवों में ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नहीं पढ़ते हैं उनके सामने मजबूरियां होती हैं तो इसमें जो होश्यार और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हों दोनों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ।

आज गांवों में प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं उनके साथ छात्रावास की व्यवस्था नहीं है उसके कारण से दूसरे गांवों से आने वाले छात्रों को रहने की असुविधा पैदा होती है । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि कम से कम हर गांव में जहां माध्यमिक शालायें हैं वहां पर उनके लिए छात्रावास तो हों ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए । ताकि जो लोग बहार से आते हैं आसपास के गांवों से उन्हें असुविधा नहीं हो ।

(घन्टी)

इसके अलावा मैं आपके मार्फत जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे यहां पर जो सेकेन्डरी और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं उनमें पूरे विषय नहीं है ।

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है अब स्थान ग्रहण करें ।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय मैं समाप्त कर ही रहा हूं थाड़े ही देर में ।

श्री सभापति : आपका समय दस मिनिट समाप्त हो गया है । और भी सदस्य हैं ।

श्री लूणाराम : सभापति महोदय मैं एक दो मिनिट में हीं समाप्त कर रहा हूं ।

(श्री लूणाराम)

एक दो बात बस। तो आज गांवों में जो स्कूलें हैं उनमें पूरे विषय नहीं होने से लोग दूसरी जगह जाकर पढ़ते है आज हमारे यहां पर साइन्स और कॉमर्स वगैरहा के क्लासेज नहीं होने से हालांकि तीन हायर सेकेन्डरी स्कूल होने के बाद भी एक स्कूल में थों लड़के बहुत कम हैं दूसरी स्कूल ऐसी है कि वहां पर साइन्स और कॉमर्स सबजेक्टस हैं। वहां पर बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। वहां पर अधिक बच्चे इकट्ठे हो रहे है। उसके लिए मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पर पूरे सबजेक्ट हों। इसके अलावा जो हमारे यहां पर सेकेण्डरी स्कूल्स हैं उनको भी क्रमोन्नत करके हायर सेकेण्डरी स्कूल्स में परिवर्तन किया जाय। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह है अध्यापकों के बारे में सभापति महोदय आज गांवों के अन्दर अध्यापक जाना नहीं चाहते है वह शहरों में रहना चाहते हैं। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे नियम बनाये जायं कि जिस प्रकार एक डॉक्टर के लिए यह अनिवार्य है कि वह पांच साल गांव में नौकरी करेगा उसी प्रकार अध्यापक के लिए भी यह जरूरी किया जाय वह कि उसके लिये पांच साल तक गांवों में नौकरी करना अनिवार्य होगा। आज अध्यापक शहरों में रहना पसन्द करते हैं और वहां पर रह कर पढ़ना चाहते है।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री लूणाराम : बस एक ही मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : एक मिनट बस ज्यादा नहीं।

श्री लूणाराम : कुछ तो मैं यूं छोड़ हूं इस प्रकार से हमारे ग्राम में प्राथमिक शालायें जो पंचायत समितियां द्वारा चलायी जा रही है उसी तरह प्राथमिक शालाएं जो शहरों में हों उन्हें नगरपालिका को दे दिया जाये। उनका खर्च उन्हीं को वहन करना चाहिये। और उनका संचालन भी उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज गांवों में शालाओं के पास और शहरों में शालाओं के पास में मदिरा की दूकानें और मांस की दूकानें बनी हुई हैं उन्हें तो कम से कम हटाना चाहिये। सभापति महोदय बिलकुल शालाओं के पास ही है। तो मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप विभागीय नियम ऐसे बनावें या नियमों में ऐसे संशोधन करें कि शालाओं के पास ऐसी घृणित चीजों की दूकानें नहीं होनी चाहिये।

श्री सभापति : अब तो आप समाप्त करें।

श्री लूणाराम : बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। एक न्यायपालिका और कार्यपालिका आप अलग करने जा रहे हैं तो न्यायपालिका के लिये आप जिनमें हमारे गांवों में राजस्व के मामले हों उनके लिये पैरवी के लिये आप गांवों की जनता के लिये वकील तो मुकर्रर करावो। आज आप जब न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग एक-चार 74 से कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था तो करावें कि हर तहसील हैडक्वार्टर पर एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में

(श्री लूणाराम)

विश्वविद्यालय की कमी है वहां अगली योजना में आप विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करें। जहां हाई स्कूल्स है वहां पर आप कॉलेज खोलने की व्यवस्था करावें। इसके अलावा आपको मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप हाईकोर्ट की बैन्च के बारे में खोलने की सोचें तो आप इसके लिये आप सिर्फ जयपुर का ही नहीं सोचें बल्कि बीकानेर का भी ध्यान रखें। बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री उम्मेदलाल : सभापति महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

(7.17 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति पदासीन)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : सभापति महोदय, आज सदन में शिक्षा और न्याय प्रशासन की मांगों के बारे में चर्चा चल रही है उसके लिये मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज हमारे देश को आजाद होने के बाद में हमने शिक्षा में काफी प्रगति की है लेकिन फिर भी हमने जो घोषणा की थी कि हम 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देंगे उस घोषणा को पूरी तरह लागू नहीं कर सके हैं। आज दो सालों में हम लगातार शिक्षा के प्रचार के लिये काफी प्राथमिक और मिडिल स्कूल खोले हैं। हमने करीब 2500 मिडिल स्कूल खोले हैं और करीब 9 हजार के करीब प्राईमरी स्कूल्स खोले हैं लेकिन इससे क्या हो सकता है। हमारे यहां पर जो खास कमी है वह टेक्नीकल एजूकेशन की है सिर्फ शिक्षित लोग पैदा करना ही बात नहीं है। आज हमारा राज्य काफी पिछड़ा हुआ है उसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें सामाजिक और भौगोलिक कारण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ स्कूलें खोलने से ही काम नहीं चलेगा। आज दूसरे प्रान्तों से तुलना हम करते हैं तो हम काफी पिछड़े हुए है। आज हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनका स्टेण्डर्ड अच्छा नहीं है, हमारी शालाओं में आपको पूरा साज और सामान नहीं मिलेगा। जो कि होना चाहिए तो मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि गांवों के स्कूलों में जो कि पिछड़े इलाके हैं उन्हें राज्य सरकार को चाहिये कि अनुदान दे। इसके अलावा सभापति महोदय जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है हालांकि हमने काफी कॉलेज खोले हैं लेकिन दूसरे प्रान्तों की तुलना में वह भी कम है। आज कालेजों से शिक्षित लोग पढ़कर निकलते हैं तो उनके सामने नई समस्यायें होती हैं। आज हमने लोगों को कॉलेज खोलकर शिक्षित कर दिया लेकिन आज वह बेकार घूम रहे हैं। सिर्फ आपने उनको डिग्री ही दी है इससे उनको न तो कोई रोजगार हैं और न ही उन्हें कोई फायदा ही हो रहा है। आज पढ़े लिखे नौजवानों में असन्तोष है और इन बदलती परिस्थितियों में हमको ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जिससे कि उनको जाब मिल सके। आज इसमें दो राय नहीं है कि भारत सरकार ने शिक्षा के अन्दर परिवर्तन क्या होने चाहियें उसके लिये कोठारी कमीशन का गठन किया, मेहता कमेटी का गठन राजस्थान सरकार ने किया और श्रीमाली कमेटी का गठन भी किया है जिसके कि अभी रिकमन्डेशन्स राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। आज हमारी प्रधान मंत्री यह कहती है कि शिक्षा में हमें आमूल चूल

(श्री ज्ञानसिंह)

परिवर्तन करने की आवश्यकता है । तो सभी यह महसूस करते हैं कि शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें जॉब ऑरियेन्टेशन हो । लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे यहां जॉबओरिन्टेशन की पद्धति वाली शिक्षा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है । अभी हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप हमने देखा उसमें ऐसा है कि शिक्षा के बारे में उचित ध्यान रखा जावेगा इसका उल्लेख किया गया है । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी जो हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना के पहले साल में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । हमारे यहां पर उसके लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं । दूसरी ओर हम देखते हैं कि दूसरे प्रान्तों में काफी संशोधन हुए हैं । लेकिन फिर भी दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमें यहां पर बेरोजगारी कुछ कम है इसका एक कारण यह है कि हमारा राजस्थान ओवर पॉपुलेटेड नहीं है और आज यहां पर जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं वह दूसरे, प्रान्तों की बजाय ज्यादा अनुशासन में रहने वाले हैं । इसके लिये मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो मौजूदा बेरोजगारों की स्थिति है उसमें कमी की जाय । अन्यथा यह दूसरे प्रान्तों में जिस तरह से आग फैली है आगे यहां पर भी फ़ैल जायेगी । इसके लिये राज्य सरकार से मेरा यह सुझाव है कि हमें हाई स्कूल के बाद ऐसी एजूकेशन दी जाय जिससे वह लिखकर जब निकले तो अपने गांव में जाकर अपना धन्धा खोल सके । चाहे तो खेती कर सके या खाती का काम चाहे तो वह कर सके । ऐसा नहीं कि वह नौकरी ही ढूंढे । इसलिये आज इसके लिये एजूकेशन को चैनलाइज करने की आवश्यकता है । आज शिक्षित बेरोजगारों के पास इतना समय नहीं है कि वह चार साल तक आपकी राय देखे । आज जमाना बदल गया है और हम आज देख रहे हैं कि शिक्षित बेरोजगारों में इतना आक्रोश है कि अगर इसे समाप्त नहीं किया गया अगर हमने इन सामाजिक परिस्थितियों को नहीं बदला । इस शिक्षा पद्धति को नहीं बदला तो अब लोगों सरकार पर विश्वास उठ जायगा । आज के छात्रों में यह भावना है कि शिक्षा में सरकार तो परिवर्तन नहीं कर रही है तो फिर हमें ही नयी व्यवस्था करनी होगी ऐसी भावना छात्रों की है ।

इसलिए इस भावना को समझना चाहिए । लेकिन आज तक सरकार ने इन 25 वर्षों में कोई भी कदम नहीं उठाया है और इसीलिए इतना छात्र असंतोष सामने उभर कर आया है ।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृषि शिक्षा की बहुत कमी है । आज हमारे देश में इसकी बहुत ही आवश्यकता है । कृषि में एडवान्स टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता है । यह ग्राम विकास में ज्यादा से ज्यादा योग दान कर सकती है । जहां कृषि शिक्षा का सवाल आता है आज हम देखते हैं कि केवल 2 प्रतिशत छात्र ही कृषि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । कृषि शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए । छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वे शिक्षा पूरी कर सकें, कृषि में काम कर सकें, खेतों में काम कर सकें ।

राजस्थान में पिछले सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें हुई हैं और कार्यक्रम तैयार हुए हैं । पहली घोषणा तो यह हुई थी कि छात्रों को सीनेट और सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व दिया जायगा ।

(श्री ज्ञानसिंह)
सीनेट में छात्रों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया है किन्तु अभी सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व देना शेष है। अभी वहां नहीं दिया गया है। मेरी शिक्षा मंत्रीजी से यह मांग है कि छात्रों को मेरिट के हिसाब से सिडीन्केट में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। युवकों पर पूरी जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तब तक वे जिम्मेदारी भी महसूस नहीं करेंगे और न ही आपको उनका प्रशासन में सहयोग मिल सकेगा।

राजस्थान में पिछले कुछ सालों में अकादमीज और स्पोर्ट्स कौंसिल में सुधार हुआ है। स्पोर्ट्स कौंसिल ने तरक्की की और अच्छे लड़के उभर कर आये हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान और विश्व में आपका नाम कमाया है। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी इस ओर रुचि लेकर इनके कार्यक्रमों को देखें तो आगे भी अच्छे खिलाड़ी निकल आवेंगे।

दस लाख रुपये की आपने बजट में व्यवस्था की है यह भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो आपका सराहनीय कदम है। इस पैसे को उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाय जहां कि छात्रों को खेलने के लिए न तो पूरा सामान मिलता है और जो उपेक्षित हैं। आप स्पोर्ट्स वगैरा को कायम कर रहे हैं लेकिन देहात के छात्रों को वह वातावरण नहीं मिल पाता है जो कि शहरी छात्रों को मिलता है।

राजस्थान में वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाय। राजस्थान को जॉब ओरिएन्टेड शिक्षा बना कर सब प्रान्तों में अग्रणी होना चाहिये क्योंकि कई मामलों में राजस्थान ने प्रगतिशील कदम उठा कर अग्रणी स्थान अर्जित किया है।

इसके साथ साथ राजस्थान को यह भी निर्णय ले लेना चाहिये कि युनिवर्सिटी शिक्षा के लिये और रिसर्च के लिये मेरिट को ही प्राथमिकता न दी जाय किन्तु योग्य छात्रों को इसके लिए अवश्य लिया जाय वरना बेरोजगारी और बढ़ जायगी। छात्रों को टेक्नीकल एजूकेशन देकर, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज लगाना चाहिए ताकि युवक लोग जीविकोपार्जन कर सकें।

इन सब बातों की ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान दिलाते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह : माननीय सभापति महोदय, जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने राजस्थान का पिछड़ापन, उसकी पृष्ठभूमि, उसका इतिहास, उसकी भौगोलिक स्थिति यह सब बातें हमें बताती हैं कि दूसरे प्रान्त राजस्थान के मुकाबले में कितने आगे बढ़े हुए हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा।

साधारण शिक्षा की ओर जब हम ध्यान देते हैं, प्राइमरी शिक्षा लेकर कॉलिज तक खोलते हैं और उसके बाद भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रकार की शिक्षा की योजना नहीं बनाई थी कि जो जॉब ओरियेन्टेड हो। जॉब ओरियेन्टेड बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पाश्चात्य तरीके पर बड़ी बड़ी योजनायें बनायें और उनके तरीके पर कार्य करें। यदि सरकार जॉब ओरियेन्टेड शिक्षा देना चाहती है और पैसे की प्रोब्लम है तो चन्दे के रूप में लोगों से ग्रहण कर सकती है।

(श्री मोहरसिंह)

आपको साधारण शिक्षा के लिए भी आई. टी. आई. खोलने पड़ते हैं। ये तो वहां गांवों में थोड़े खर्च में चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार पोलिटेक्निक की शिक्षा है तो इसके लिए यदि आप साधन उपलब्ध कराने के लिए तयार हैं तो शिक्षक दे दीजिये यह कार्य भी थोड़े खर्च में ही गांवों में कराये जा सकते हैं और काफी कम खर्च में छात्रों को यह शिक्षा उपलब्ध हो सकती है जिससे कि छात्रों को काम भी मिलेगा और रोजी भी वे कमा सकेंगे।

शिक्षा मंत्रीजी प्राइमरी स्कूल में टीचर रखते हैं, प्रशिक्षित होना चाहिए। इतने नम्बर होने चाहिएं कानून और कायदे अलग हैं। दो साल की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एम. ए. वगैरा लेते हैं उसके लिये कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं। सीनियर टीचर के लिए एम. एड. होना चाहिए। ग्रेजुएट प्रशिक्षत हों तब ही सीनियर टीचर बनाया जा सकता है। एम. ए. और एम. एस. सी. को पढ़ाने के लिये इसकी जरूरत नहीं है। नये शिक्षकों को भेज देते हैं लड़के उनकी रेगिंग करते हैं। आपको एक युनिफोर्म पॉलिसी अपनाना चाहिए और जो आप प्राइमरी एजूकेशन के लिए सोचते हैं वह ही हायर एजूकेशन के लिए सोचना चाहिए।

अलग अलग युनिवर्सिटी में अलग अलग स्टेन्डर्ड और पाठयक्रम भी अलग अलग हैं। मैं एक एम. ए. इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें लिखा था काली गंगा। प्रागैतिहासिक युग की जो प्राप्ति है उसके लिए उस पुस्तक में लिखा है बीकानेर के बाद भादरा में काली गंगा। भादरा 200 मील दूर है बीकानेर से। यह है आपके एम. ए. के लिए पाठयक्रम। गजेटीयर प्रकाशित हो तो देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। किसी भी जिले को उठा कर देख लीजिये उसको पढ़ने के बाद इतने अज्ञानी हो जावेंगे कि पता ही नहीं लगेगा। टैक्स्ट बुक्स की तो बात ही क्या कहनी। इस प्रकार देश में लोगों को डिग्रियां मिलती हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। ऊल जलूल इधर उधर की किताबों में से इक्टठा कर लेते है और फिर सिफारिश के आधार पर डॉक्टरेट मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से सारा काम नहीं करेंगे तो एक किताब की गलती निकालने से कुछ नहीं होता है. जब तक नये तरीके से नहीं सोचेंगे। जो आता है भाषण देता है। शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये। क्या परिवर्तन होना चाहिये, दो और दो तो चार होंगे ही इसलिए जो अपुष्ट है उससे काम नहीं चलता है। आज जो हमारे इन्जीनियर हैं वह कहते हैं नौकरी दीजिये, आज हमारे जो डॉक्टर हैं वे कहते हैं हमें नौकरी दीजिये। इस प्रकार की पढ़ाई देने से क्या फायदा। शिक्षा की वृद्धि की जाय, इससे कोई फायदा नहीं है। शिक्षा विभाग में हजारों के प्रार्थना-पत्र पड़े हैं।

कोई दानदाता 50 परसेन्ट खर्च करे, दूसरे सेन्ट पर्सेन्ट खर्च करें जो पसा पब्लिक देती है वह विभाग ले नहीं सकता और अगर लेता है तो 50 तरह के अड़गे लगा देते हैं। आज राजस्थान में 200 दानदाता मौजूद हैं और उनसे 10 करोड़ रुपया ले सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन कर

(श्री मोहरसिंह)

सकते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, सीमित समय आपने दिया है। मेरी आपसे पुरजोर अपील है शिक्षा के बारे में नये सिरे से विचार किया जाना चाहिये और जो हमारी धरती के अनुकूल है, जिले का भूगोल आप उसे नहीं पढ़ायेंगे, तहसील का भूगोल नहीं पढ़ायेंगे। इस प्रकार की अन्धी पढ़ाई पढ़ाने से क्या फायदा। किसी राजस्थान के जिले का या तहसील का आप भूगोल पढ़ाते हैं? 6ठीं, व 7वीं कक्षा में बड़ी बड़ी पुस्तकें रख दीं जिन्हें बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। छोटी छोटी कक्षाओं में महाराणा प्रताप, शिवाजी का इतिहास है। इस प्रकार का जो इतिहास लिखा जाता है क्या तो लड़के पढते हैं और क्या आगे चलकर इससे भला कर सकते हैं। अन्धाधुन्ध विषय रख दिये जाते हैं। ये सब कम किये जायें।

आपके एडल्ट एज्यूकेशन का पता नहीं। आपने 60-70 करोड़ खर्च किया था फिर भी निरक्षरों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है....

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (नोखा) : मैं ज्यादा समय नही लूंगा....

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय, मुझे कब समय मिलेगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये आपको भी समय मिलेगा, कुछ समय प्रतीक्षा करिये।

एक माननीय सदस्य : नाम ही उम्मेदीलाल हैं। उम्मीद रखेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापति महोदय, मैं अधिक समय न लेकर सदन में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं भी कुछ सुझाव माननीय शिक्षा मन्त्री जी को दूंगा। माननीय शिक्षा मन्त्री जी मैं बीकानेर जिले के बारे में निवेदन करूंगा। बीकानेर जिले में युनिवर्सिटी के बारे में जो जनता की और विद्यार्थियों की मांग है, उसके महत्व को देखते हुये राजस्थान के शिक्षा मन्त्री जी को चाहिये उस मांग को तुरन्त मन्जूर कर लेनी चाहिये।

उसके बाद सभापति महोदय, मैं चाहूंगा नोखा जो कस्बा है, वहाँ सेठ मांगीलाल बागड़ी ने 11 लाख रुपया लगाकर एक कॉलेज का निर्माण करवाया था। मैं चाहूंगा एक कॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार सभापति महोदय, मैं चाहूंगा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम जसरासर जिसकी जनसंख्या 10 हजार है, वहां के मिडिल स्कूल को हायर सेकेण्डरी में परिणित करना चाहिये, इसी प्रकार ग्राम पाचू है उसकी आबादी 10 हजार है मैं चाहूंगा कि उस मिडिल स्कूल को भी हायर सेकेन्डरी में परिणित कर देना चाहिये। कुछ छोटे मोटे मुद्दे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इन मिडिल स्कूलों को हायर सेकेन्डरी में परिवर्तन कर देना चाहिये। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में थावरिया ग्राम है। पिछले साल वहां स्कूल खुली थी लेकिन मास्टर का कोई इन्तजाम नहीं है। इसी तरह ग्राम कासूली है वहां भी स्कूल है लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

की व्यवस्था नहीं है, किलासर में मिडिल स्कूल है मास्टर की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, धरनोद गांव है वहां भी स्कूल खुला है लेकिन मास्टर की आज तक व्यवस्था नहीं है। मास्टरों के अभाव में स्कूल बन्द पड़े हैं। इसी प्रकार सई वाला गांव है, मास्टर की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। ग्राम सांखिला, कूंचू गानोर है जिनमें मास्टरों की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। मैं चाहूंगा सभापति महोदय मैं अधिक समय न लेकर मेरा स्थान ग्रहण करूंगा परन्तु राजस्थान के शिक्षा मंत्री से चाहूंगा बीकानेर जिले में हो रही अव्यवस्था को ठीक कर व्यवस्था कायम करने की कृपा करें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय यह कहूं कि मैं शिक्षा के आमूल-चूल परिवर्तन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं तो मैं शायद भारतवर्ष के शिक्षा विदों को कुछ कहना चाहता हूं। यह मेरा क्षेत्र नहीं है सदन में बहुत बड़े प्रस्ताव आते है राजनैतिक प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जी मंजूर कर लेते। हाई स्कूल खोलनी है, हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलनी है तो रीति और नीति का सम्बन्ध और जहां तक आपकी कॉन्स्टीट्यून्सी का भूले भटके सवाल है....

7. 35 मा नं.

(श्री भानुकुमार शास्त्री) सभापति पदासीन)

वहा किसी हद तक दूरा हो सकते हैं लेकिन कई महत्वपूर्ण मसले इस सदन की चैर-दिवारी के अन्दर घुटकर जाते हैं। शिक्षा विदों के पास नहीं पहुंचते और न उन पर ध्यान दिया जाता है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा सामन्त युग से हम आये और हजारों वर्ष की गुलामी के बाद आज हमने एक कान्स्टीट्यशन बनाया। वह संविधान पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का मूल स्वरूप है। इस सदन में बैठने वाले कितने ही माननीय सदस्य आये और चले गये उनमें असन्तोष की भावना रही। मैं अर्ज करना चाहता हूं स्टुडेन्ट्स के अन्दर, युनिवर्सिटि के अन्दर जो आपका पालिटिकल स्फीयर है, उसको बनाकर इस शिक्षा को स्पाइल करने जा रहे हैं। विश्व के इतने संविधान हैं जितने कन्ट्री हैं उनके स्ट्रक्चर को देखते हुये परिवर्तन करने की मांग आनी चाहिये। आज जो ग्रामीण तबका है पालियामेंट्री डेमोक्रेसी में वह विश्वास नहीं करता। एक और भी दल है साम्यवादी जो पालियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का लाभ इसलिये लेता है कि उनकी भावना फैले। इसके अलावा और, दल हैं फिर क्या शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कहूंगा। कितनी राजनैति स्वतन्त्रता विद्यार्थियों को देदीं। हमने छात्र परिषद, छात्र फेडरेशन और न मालूम क्या क्या जितने इन्वोल्व होना चाहिये थे, किये और इसका शिकार विहार भी होगा, गुजरात भी होगा, राजस्थान भी किसी वक्त नक्शे में आयेगा। क्या इस आमूल-चूल परिवर्तन के लिये आवश्यक नहीं है? मैं चाहूं तो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में कुछ कहूं लेकिन इस सदन में मेरे जैसा बेवकूफ नहीं होगा जो इतने बड़े बड़े शिक्षाविदों के बारे में विचार रखूं। मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है एक बात निवेदन करना चाहता हूं ये सब युनिवर्सिटि से पास हुये छात्रों की कोई कीमत नहीं है।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

एम. ए. पास हो गये तो नौकरी में आने के लिये एक टैस्ट और होगा, मेडीकल में जायेंगे तो टैस्ट होगा

7.40 म. प

(श्री रामसिंह, यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस तरह मेरा निवेदन है अगर यह चलता रहा तो यूनिवर्सिटी की कीमत खत्म हो जायगी।

मैं नहीं कहना चाहता। अनुभूति आप लोगों के पास है लेकिन एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि क्या फैकल्टीवाइज यूनीवर्सिटीज चाहते हैं? कोटा भी मांगता है, बीकानेर भी मांगता है और अजमेर तो मांग ही रहा है और जब मसूदा राव साहब मिनिस्टर थे तो बड़े जोरों से थे कि अजमेर में तो खुल ही गयी। खैर, जो भी हो लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर यूनीवर्सिटी का स्टेन्डर्ड ऐसा है कि सारे लड़के फर्स्ट क्लास आते हैं, जोधपुर यूनीवर्सिटी में सेकिण्ड क्लास आते हैं और राजस्थान यूनीवर्सिटी में कठोरता होने की वजह से कुछ सेकिण्ड क्लास और लिमिटेड फर्स्ट क्लास आते हैं। क्या मैं यह कहना पसन्द करूंगा कि गौर खोलते हैं तो फैकल्टीवाइज यूनीवर्सिटी हो। टीचर्स की तरफ जायें तो थर्ड ग्रेड के टीचर्स, सेकिण्ड ग्रेड टीचर्स, उसके बाद सीनियर टीचर्स, लेक्चरार, ट्यूटर, लेक्चरार, प्रोफेसर और प्रिन्सिपल। और शिक्षा की यह हालत है कि जिसकी क्लर्क बनाने की क्षमता है। जो फर्स्ट क्लास एम. ए. में आ जायें वह या तो सीनियर टीचर या लेक्चरार और अगर कोई नहीं आया तो फिर टीचर। वहां विद्यार्थियों से क्या आशा करेंगे कि वह क्या करेंगे? आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भगवान बनाना तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। महापुरुष बन कर निकलें, यह भी नहीं है। लेकिन उसकी हमारी कल्पना क्या है? रोटी खाने को मिल जाये, पढ़ लिख कर होशियार हो जाये और कुटुम्ब को पाल ले। इतना तो करेंगे ही। फिर गांवों में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल खुल रहे हैं। आप बतायें कितने काश्तकारों के लड़के पढ़े और कितनों ने खेती का काम शुरू किया। यह वैज्ञानिक युग है। ट्रेक्टर गांवों में पहुंच गये, बिजली लग रही है और मशीनीकरण हो रहा है कृषि का। मैं आपको भीलवाड़ा जिले की ही कहानी कह दूं कि 20 मील दूर बैठा हुआ आदमी है उसकी मोटर जल जाये तो वह क्या कर सकता है। क्या आप एग्रीकल्चर बेस इस तरह का नहीं कर सकते कि जहां ट्रेक्टर का सुधार हो सके। मोटर के सम्बन्ध में शिक्षा दी जा सके, पेस्टीसाइड्स की भी शिक्षा दी जा सके, बीज की भी शिक्षा दी जा सके और फर्टीलाइजर का क्या उपयोग है उसकी भी शिक्षा दी जा सके। वह टेरेलिन का सूट पहन कर बिजली का बटन दबा दे। यह कह दूं तो शायद गलती कर रहा हूं कि टीचर क्या सोचता होगा। टीचर्स में एक अजीब सी चीज आ रही है। हायर सेकेन्डरी स्कूल का डाइरेक्टर शिक्षा विभाग का आदमी नहीं बनेगा। आई. ए. एस. के लोग शायद डरते होंगे कि एजुकेशन उन्होंने किस को सौंप रखी है। शिक्षा विभाग की हाइएस्ट ऑथारिटी वह है लेकिन जो छोटे लोग हैं टीचर्स उनकी काबलियत देखने के लिए है आई. ए. एस. अधिकारी।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

ज्वाइन्ट डाइरेक्टर बेचारा तरसता है कि वह डाइरेक्टर नहीं हो सकता। अजीब चीज है, समझ में नहीं आता। यह आप निर्णय करें मंत्री महोदय या आपके बैठने वाले जितने अधिकारी हैं वह करें। इसलिए क्या मैं आमूल-चूल परिवर्तन की बात कहूं और तो कहां तक ठीक होगा मेरा कहना? जहां टीचर्स का ऐसा है, यूनीवर्सिटीज की परीक्षाओं का कोई परिणाम नहीं है। अगर एम. ए. में फर्स्ट क्लास आ गया तो सीनियर टीचर बनेगा या कालेज में लेक्चरार बनेगा। थर्ड क्लास हुआ तो एस. टी. सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और टीचर बनेगा। एक अजीव श्रेणी पैदा कर रखी है। विद्यार्थियों में और टीचर्स में असन्तोष पैदा कर रखा है। इसलिए मैं सजेशन देना चाहता हूं कि यह गरीब देश है। एजुकेशन का विस्तार करना है। पब्लिक स्कूल की जरूरत पड़ती है। बुद्धिमान और सम्पन्न परिवार के लिए पब्लिक स्कूल की जरूरत पड़ती है। जो आज एम. ए. का फर्स्ट क्लास टीचर या लेक्चरार उसको पढ़ाने के लिए जाता है। सम्पन्न परिवार के चौथी क्लास के बच्चे को और उस गरीब को कोई जरूरत नहीं है जो कि गांवड़े में रह रहा है। जो केवल अक्षर ज्ञान करना चाहता है।

मैं एक निवेदन और करूंगा। यद्यपि समय होने जा रहा है, आपके सामने न्याय प्रशासन का सवाल है। सन 67 से एक प्रश्न सदन में चलता आया है। आप समाजवाद का हमेशा नाम लेते हैं। वह कहां है? मुझे नहीं मालूम। कहीं भूले भटके हमारी जुबान से निकल गया तो समाजवाद आ जायेगा? सारे देश में डिस्ट्रिब्यूशन सारी चीजों का पूंजी के आधार पर होगा। 500 रुपये वाले केसेज तो स्माल काज कोर्ट्स में जायेंगे, 10 हजार तक के केसेज मुन्सिफ के यहां और उससे ऊपर के सेशन्स जज के पास। माननीय मंत्री महोदय ने भी शायद वकालत का धंधा भूले भटके किया होगा जो कि पांच हजार के सूट में ला पाइन्ट इनवाल्व होता है वही एक हजार वाले में भी होता है। लेकिन यह श्रेणियां कब तक चलती रहेंगी? मैं यह प्रश्न सन् 67 से उठा रहा हूं। 54 वीं ला कमीशन की रिपोर्ट है कि हां इसको खतम कर देना चाहिए लेकिन इसका दूसरा ही असर हुआ। कान्सटीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट कर दिया। सुप्रिम कोर्ट में लाखों केसेज पैन्डिग हैं और हाई कोर्ट्स में भी लाखों केसेज पैन्डिग हैं। मैंने 62 में भी केसवाइज कहा था। मैं कुछ केसेज में वकील हूं और 62 के अभी तक चल रहे हैं। उनके बाप दादा तो मर जायेंगे तब तक निर्णय होगा तो उसको भोगने वाला कौन मिलेगा? यह कैसा न्याय है? इसलिए मैंने कहा था कि मुन्सिफ कोर्ट्स आप कायम कर दें और उनको सब अधिकार दे दें। क्या नुकसान हो रहा है आपका? समझ में नहीं आता। 500 का दावा करने वाला बहुत गरीब आदमी होगा। उसको अपील का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट में कौन सुनता है। सुप्रीम कोर्ट में कान्सटीट्यूशन में अमेन्डमैन्ट करा दिया कि लिमिट को हटा दें। क्या पांच सौ वाला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? क्या हजार वाला जा सकता है? क्या दस हजार वाला जा सकता है, असम्भव बात है। वहां का एक वकील खड़ा होता है 1100 रुपया एक पेशी का लेता

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

है। वहां पार्लियामेन्ट में समाजवाद लाने के लिए कान्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट किया गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को छोड़ दीजिए फण्डामेन्टल राइट्स के लिए और सब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मरडर केस को छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर न्याय मन्त्री महोदय कम से कम हमारे यहां एक्ट है, अभी तो आर्डीनेन्स ही हैं, 1949 में बनाया था पुरान सामन्ती युग से निकलकर आज तक परिवर्तन नहीं हुआ है तो प्रभु के नाम पर, देश के नाम पर और समाजवाद के नाम पर कम से कम यह परिवर्तन लाइये। मैं मानता हूं कि उसके द्वारा न्याय मिल सकेगा।

हाई कोर्ट के बैंच की बात करते हैं। हम भीलवाड़ा वाले तो दोनों के ही बीच में हैं। हाई कोर्ट कहां बने कहां नहीं यह अलग बात है हम भी मांग कर सकते हैं, शाहपुर में हमारे वहां हाई कोर्ट थी छोटी सा, भीलवाड़ा वाले क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। इसका मैं भी समर्थन कर सकता हूं लेकिन मैं यह मानता हूं कि किसी गरीब को हाई कोर्ट जाना नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि यह सब वकीलों का खेल है तो अनुचित नहीं होगा। इसके साथ वकीलों की आजीविका का प्रश्न है मैं आपसे कहता हूं कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच चाहते हैं तो भी जनता के नाम पर अपने आपको कोसिए मत। यदि आपको न्याय सस्ता ही करना है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है उससे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकता है इसलिए जो करना है यह डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार दे दीजिए एक्सेप्ट मर्डर केसेज, बाकी सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए ताकि सस्ता न्याय लोगों को मिल सके। 3500 रुपये एक हाई कोर्ट के जज को देते हैं उसके पीछे सात मुंसिफ मिल जायेंगे। क्यों व्यर्थ का चर्चा कराते हो, समझ में नहीं आता है। एक मन्त्री महोदय मिल गए उनसे यों ही बात हुई तो कहने लगे कि पांच सौ रुपये लेकर एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मुकदमे में निर्णय बदल लिया। उसको बाद में चार्ज शीट मिली और जो कुछ होना था वह हुआ। लेकिन यह व्यक्तिगत दोष हो सकता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि सही रूप में आपको जनता को सस्ता न्याय दिलाना है तो डिस्ट्रिक्ट जज को पूरा अधिकार दे दीजिए सिविल और क्रिमिनल राइट के एक्सेप्ट मर्डर केसेज बाकी जो फण्डामटल-राइट्स की बातें हैं उनको हाई कोर्ट में वकीलों को लड़ने दीजिए और दूसरे जो अमीर लोग हैं उनको करने दीजिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

गरीबों को इससे कोई सस्ता न्याय नहीं मिलेगा। किसी गरीब को ग्यारह सौ रुपये देकर कौन वकील मिलेगा। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भोपालसिंह !

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं शिक्षा के बारे में जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर से प्राईमरी शिक्षा के बारे में जो हमारे कांस्टीट्यूशन के निर्देश हैं उसको अभी तक जो कि सन 1960 में उसकी पालना करनी चाहिए थी, आज तक नहीं कर पाये हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो हमारा परसेंटेज

(श्री भोपालसिंह)

है वह देश के दूसरे प्रान्तों से सिवाय जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सबसे पीछे है। इसी तरह से लड़के और लड़कियों के अन्दर जो शिक्षा का अनुपात है वह 5:1 का है और इस तरह से वहां पर भी असंतुलन है। इसी तरह से क्षेत्र के आधार पर पश्चिमी भाग में शिक्षा कम है और पूर्वी भाग में कुछ ठीक है और इस तरह से असंतुलन बना हुआ है, इसको बराबर करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारी जो पांचवीं योजना के अन्त तक हमारा जो लक्ष्य है कि डेढ़ किलोमीटर में प्राईमरी स्कूल मिलनी चाहिए और पांच मिलोमीटर के अन्दर मिडिल स्कूल मिलनी चाहिए, यह जो हमारा लक्ष्य है, वह तो हमारे जैसे जैसलमेर जिलों में और दूसरे जिलों में पूर्ण करने में काफी कोशिश करनी पड़ेगी। आज स्थिति यह है कि बीस मील के अन्दर भी एक प्राईमरी स्कूल की स्थिति नहीं है।

जहां तक शिक्षा के किस्म की बात है, जो अभी पद्धति चल रही है, उसके अन्दर leave must be desired. उसमें बड़ी तब्दीली लाने की जरूरत है। इस समय जो शिक्षा पद्धति बनाई गई है— — उद्देश्य के लिए वह हमारे लिए मुफीद नहीं है और इसके अन्दर बड़ी क्रान्ति आनी चाहिए। पहले जिसकी धरोहर चली आ रही है वह शिक्षा केवल म्यूनिसिपल, अरबन एरियाज की जो अपर क्लास हैं उसके उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ग्राम्य जीवन से बहुत कम ताल्लुक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रूरल एजूकेशन के बारे में सोचना चाहिए और जहां पर हमारा प्रदेश, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय और और बातें हैं वहां पर कोई भी शिक्षा हो उसको ग्राम्य जीवन से जोड़ना होगा और रूरल ......

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है यह तो स्वयं मंत्री जी ने भी माना है। इसको कैसे दूर करें यह बात कहिए आप।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे खुद भी सुधार करना चाहते हैं।

श्री भोपालसिंह : मैं भी अपने विचार कहने को स्वतन्त्र हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य यही कह रहे हैं कि शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है। सभी यही यह कह रहे हैं आप कोई इसका हल बताइये।

श्री भोपालसिंह : इसको मेरे द्वारा कहने में कोई एतराज है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप फरमाइये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : शिक्षा को जीवनके साथ जोड़ा जाय तो अपने आप सुधार हो जाएगा।

श्री भोपालसिंह : मैं इस बात पर एम्फेसिस देना चाहता हूं कि जहां हमारी 80 प्रतिशत जनता रूरल एरिया में बसती है और जितनी भी अभी शिक्षा दी जा रही है वह केवल अरबन ओरियेन्टेड है। इसलिए यह जरूरी है कि हमें रूरल एजूकेशन के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे व्यवसायों के बारे में उसके अन्दर प्रावधान होना चाहिए जो वहां पर आवें उनको जोब मिल सके। वैसे अमेरिका के अन्दर करीब 90 प्रतिशत वहां पर लेंड ग्रान्ट युनिवर्सिटि का मूवमेंट चला था। उस समय वहां की पोपुलेशन का पैटर्न 50 प्रतिशत अरबन

(श्री भोपालसिंह)

और 50 प्रतिशत रूरल एरिया में रहता था। इन लैंड ग्राण्ट यूनिवर्सिटी ने कृषि के क्षेत्र में इतनी तरक्की की कि आज जब कि उसका पैटर्न यह हो गया है कि दस प्रतिशत केवल पॉपुलेशन अमेरिका की रूरल एरिया में रहती है। उसके बावजूद भी वहां पर कृषि इतनी तरक्की कर चुकी है कि वहां पर दस प्रतिशत लोग वह काम करते हुए इतना अन्न पैदा करते हैं कि वह अपनी जरूरतों को तो पूरा करते ही हैं लेकिन दूसरे देशों को भी अन्न भेजते हैं। इसी तरह से हमारी यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और वहां पर ही गरीबी हटाओ की बात भी है। इसलिए हमारी एजूकेशन के अन्दर अगर वह भावना न हो जो उनसे सम्बन्ध न जोड़ सके तो वह किसी काम की नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी हमारी एजूकेशन के अन्दर तब्दीली हो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इसी तरह से हमारे जो जिले में वहां पशुपालन का बहुत कार्य हैं। मैं चाहता हूं कि मिडिल क्लास के बाद में मैट्रिक तक जैसे ऑप्शनल विषय रखे जाते हैं, ड्राईंग हैं या संस्कृत है इसी प्रकार वहां पर पशुपालन का विषय होना चाहिए जिसके बारे में सामान्य ज्ञान वहां के लोगों को हो जाय। आगे चल कर उनके पास इतने तो साधन नहीं है कि ज्यादा पढ़ सकें, फिर भी इन छोटे 2 मामलों में साधारण तौर से सामान्य ज्ञान हो जावे कि ग्रास लैंड को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, पशु किस तरह के होते है, कितनी नस्लें होती हैं, किस तरह से उनसे सुधार किया जा सकता है, कैसे लैंड का डवलपमेंट किस तरह से हो सकता है। जिस तरह से ड्राईंग का आप्शनल होता था उस तरह से बहुत सी स्कूलों में इतनी पढ़ाई होती रही है। चौपासनी स्कूल है जिसमें यह विषय पढ़ाया जाता रहा है, आज भी पढ़ाया जाता है और हम भी पढ़े हैं, इस तरह से सब जगह होना चाहिए। जहां कृषि प्रधान एरिया है, जैसे कोटा है, गंगानगर है वहां कृषि का विषय होना चाहिए और हमारे वहां पशुपालन की बाहुलता है तो वहां पशुपालन का विषय होना चाहिए। मै समझता हूं कि इस तरह से तब्दीली बहुत जल्दी ला सकते हैं। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा एक ध्यान मैं मन्त्री महोदय का इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो एग्जामिनेशन के बारे में प्रावधान है, उसके बारे में यह है कि पहले यह प्रावधान था कि एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट और दो बाहर से टीचर्स आते थे जो एग्जामिनर होते थे लेकिन बाद में एक एक्जीक्यूटीव ऑर्डर द्वारा वहां पर कुछ संशोधन कर दिया गया है और अब हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की जगह वाइस चांसलर के द्वारा यह कहा गया है कि Any man nominated by him. He or any man nominated by him. इस तरह से जो वाइस चांसलर की पोजीशन है उसके बारे में बड़ा रिफ्लेक्शन है और वहां पर इनडिसिप्लिन क्रियेट होता है और इस तरह से गुटबन्दी की भी बात बनती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जो ऑर्डर है यह अनवारेन्टेड है, रूल्स के खिलाफ है और हो सके तो इसको संशोधित किया जाना चाहिए।

(श्री भोपालसिंह)

दो बात न्याय के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, बार बार यहां पर कहा जाता है कि हाईकोर्ट की बेंच यहां पर लाई जाए। हम इस बात के हामी हैं कि हाई कोर्ट यूनिफाइड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में मेरे विचार इस तरह के हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : सभी प्रदेशों में करा दो।

श्री भोपाल सिंह : आप मेरी बात को सुन लीजिए। हमारा जो पेंटर्न ज्यूडिशियरी का, जैसा हमारा फ्रेम वर्क है, अगर हम उसको देखें तो ज्यूडिशियरी इण्डिपेन्डेन्ट रखा गया है। क्यों रखा गया है इसलिए रखा गया है कि हमारा न्याय शुद्ध होना चाहिए और उसकी क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए। इस तरफ हमारा ज्यादा जोर है। इस तरह मुंसिफ कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज और उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि There is race for seeking the favour of the Vice Chancellor. हर तरह से इलीमेंट कर के शुद्ध न्याय मिल सके। इसी तरह से अपील का प्राविजन है, रिव्यू का प्राविजन है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारा प्रयास इस बात की तरफ है कि शुद्ध न्याय मिलना चाहिए। सस्ते न्याय की बात है तो आप जानते हैं पंचायत स्तर पर हमारे यहां पर न्याय पंचायतें हैं परन्तु जिसका किसी ने भी उपयोग नहीं किया है। अगर हम यह सोचें कि इन्सान केवल न्याय चाहता है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, तो यह मैं मानकर नहीं चलता है। न्याय ऐसा चाहते है जो कि शुद्ध हो और उसके लिए हमारी ज्यूडिशियरी का फ्रेम वर्क है, उसका एक सेटअप है। उसमें इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि न्याय शुद्ध होना चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। इस नाप से, इस पैमाने से हम इसको समझें तो जब यह बेंच अलग हो जाएगी तो उसके अन्दर जैसा कि पहले अर्ज किया गया है कन्फ्लेक्टेड जजमेंट होने की सम्भावना रह सकती है। यह इस हाई कोर्ट का तजुर्बा है। इसको मद्देनजर रखते हुए बाद के अन्दर तब्दीली की गई है।

एक माननीय सदस्य : दूसरी स्टेट्स में क्यों है। वहां बन्द करवा दीजिए।

श्री भोपालसिंह : यह मेरे पावर में नहीं है। वहां गलत बात हो रही है तो यह जरूरी नहीं है कि हम भी उसकी तरफ जाएं और उसको करें। कनफ्लिक्टिंग जजमेन्ट There is terror of judgment. आॅफ सूट होती है। कानून का पता नहीं रहता हैं और हजारों केसेज दायर हो जाते हैं इस उम्मीद मे कि एक फैसले का सहारा लेकर जीतना चाहता है और दूसरा उस फैसले का सहारा लेकर जीतना चाहता है। इस तरह की अनसरटेन्टी होती है। इसका खर्चा लगावें तो बहुत ज्यादा होता है। यह थोड़ी भी दूरी पूरे कोर्ट को उलझन में डाल देती है और उसके मुकाबले में ज्यादा खर्चा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट यूनिफाइड होनी चाहिए और इसके बारे में हमारी पूरे जोर से मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय समय 8 बजे तक है रिप्लाई शुरु करने का सभापति महोदय ने पहले यह आदेश दिया था ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है भूरारामजी के बारे में । माननीय सदस्य का यहां पर अपमान हुआ है और उस समय आपने फर्माया था कि इसके बारे में जानकारी करके अवगत करवायेंगे । मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस बारे में क्या आसन ने जानकारी प्राप्त कर ली है । यदि हां तो उससे हमको अवगत कराया जाये ।

श्री किशन मोटवानी : इन्तजार में बोलने की बारी नहीं आ रही है । इसलिए जो कटमोशन हमने दिये हैं, कृपया, मन्त्री महोदय को कहें कि उनका जवाब अवश्य होना चाहिए ।

श्री खेतसिंह : अवश्य दूंगा ।

श्री भूराराम : उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके बारे में ही कहना चाहता हूं.... स्थान ग्रहण करें ।

श्री भूराराम : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बजकर दस मिनिट के ऊपर वहां पास बनाने पहुंचा । एक आदमी को साथ लेकर वहां गया । फार्म भरकर वहां देने के लिए गया । वहां पर एक आदमी ने धक्का लगाया । उसका नाम भूल गया । मैंने कहा एम. एल. ए. को धक्का लगा रहे हो । एम. एल. ए. (XXX) कौन आया है ? मैंने माफी मांगी । फिर धक्का दिया भींत से टकरा गया । बाद में टिकिट बांटने वाले ने हाथ पकड़ कर शान्त रखा । वह एक दम लपका । क्या यह एक एम.एल.ए. की इज्जत है । यह मैं कहना चाहता हूं ... (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आप मेरे को सुन लीजिए ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मेरे को सुन लीजिए ।

इसके बारे में ऐसा था आज सदस्य क्लब का समारोह था मैं वहां भाग लेने चला गया था । ऐसा बतलाया गया है कि अध्यक्ष जी ने जांच शुरू करवा दी है और अब यह मामला ऐट दी स्टेज ऑफ इन्क्वायरी है । कल आपको पूर्ण तरह से अवगत करवा दिया जाएगा ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह खेद का विषय है ।

श्री बनवारी लाल : जांच करने से पहले उस कर्मचारी को सस्पेन्ड किया जाए उसके बाद जांच हो ।

श्री भानुकुमार शास्त्री । यह खेद का का विषय है कि किसी एम. एल. ए. के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जो जांच हो रही है वह जांच हो जाएगी । परन्तु माननीय सदस्य ने जो रिपीटीशन किया, जो उच्चारण किया था वह प्रोसिडिंग्स से हटा दिया जाए । वास्तव में यह खेद का विषय है, खेद की

XXX ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से हटाये गए ।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
बात है। परन्तु इनका रिपीटिशन प्रोसिडिंग्स में न आवे।

श्री शंकरलाल : ये तो वे शब्द जो उनके लिए कहे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भूरारा म : मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

(शोरगुल)

श्री भूराराम : ऐसा है हुक्म, अध्यक्ष महोदय, न्याय मिलना चाहिए। आप 184 आदमी हैं-किसी को भी कहा सुना हो। मुख्य मंत्री, मंत्री भी आप लोग हो, राजस्थान के विधान सभा के सदस्य हो। अगर इसका फैसला नही होगा तो मैं इस्तीफा देकर कल का ही कल मेरे घर जाऊंगा। मुझे सदस्यता की भूख नहीं है। यह इज्जत का सवाल है, आप सब की इज्जत का सवाल है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि यह मामला आज काफी पहले दोपहर को आपके नोटिस में आ गया था और उपाध्यक्ष महोदय सदन के माननीय सदय लगभग 4-5 घण्टे से जिनके साथ यह अशोभनीय दुर्व्यवहार हुआ इस बात का प्रयास करते रहे कि कोई न कोई कार्यवाही भावी रूप से की जाय और उन्होने आपके सम्मुख घटना का विवरण भी सुनाया। उसके साथ में जो यह भावना प्रकट की कि यह अपमान मेरा नहीं है, सभी सदस्यों का है, सारे सदन का है, सारे मंत्रीगणों का है, आसन पर विराजमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का है। यह घटना होने के बाद विधान सभा अधिवेशन में है माननीय सदस्य यहां पर हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, धक्का देकर बाहर फैंक दिया जाए और उसके बाद इसको कागजी कार्यवाही में डाल दें। जांच होती रहेगी, जांच के बाद जवाब आयेगा मेरे ख्याल से यह बहुत अधिक नरम एप्रोच हो जाएगा। मेरा तो आपसे निवेदन है कि चूंकि जिस भाषा में, जिस भावना के साथ अपने आपको माननीय सदस्य ने एक्सप्रेस किया है लगता ही नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गुन्जाइश हो। सस्पेन्शन हो, अधिक इसके बारे में छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। फाईनल पनिशमेन्ट बाद में भी हो सकती है। कम से कम जो इनके हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट है जो भी इंचार्ज है उनको कह कर कम से कम सस्पेन्ड करवा दिया जाए और फिर उसके बाद ऐक्शन हो। आप प्रभावी कदम उठा रहे हैं उसकी कल आप घोषणा कर दें। यह नहीं होता है तो इसको कोल्ड स्टोरेज में डालना है जो कि अशोभनीय होगा केवल यह कहे कर कि इसकी जांच हो रही है :

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य को जो पीड़ा हुई है और जिस तरह से यहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे यह साफ जाहिर है कि उन्होंने कोई बात मिलाई नहीं है और जो बात गुजरी है वही हालत कही है। ऐसी हालत में किसी को भी उनकी बात में संशय नहीं हो सकता है। इसलिए मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि जिसने भी यह किया है

(श्री खेतसिंह)
उसको सस्पेंड तो तुरन्त किया जाना चाहिए और उसके बाद में एन्क्वायरी कराई जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी····

श्री रामसिंह कुड़ी : जिस व्यक्ति ने यह जुर्म किया है उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुवा है वह सामान्य तरीके से एन्क्वायरी का मामला नहीं है। यह इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल है, और इस तरह का व्यवहार तो आम जनता से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ में हो वह किसी भी रूप में बरदाश्त करने के लायक नहीं है। इसलिए सामान्य एन्क्वायरी की तरह से इसको न करके यह जो सजेशन शिक्षा मंत्रीजी की ओर से दिया गया है मुख्य सचेतक की हैसियत से दिया हो या अपने दल के इस समय जो भी लोग हैं उनके नेता के रूप में दिया हो, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस रूप में जो भी इसके लिए दोषी हों उनको इमीजियेटली सस्पेण्ड किया जाना चाहिए, और कल इस हाउस में माननीय अध्यक्ष की तरफ से इस पर पूर्ण व्यवस्था आनी चाहिए।

8-10 रात्रि

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : क्या बात फर्मा रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भूरारामजी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके बारे में निवेदन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो शाहपुरा से आये हैं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार की बात मुझे बताई गई है यहां पर किसी कर्मचारी के द्वारा, और यहां पर जो दर्दनाक जबान में बात आई है उस पर इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जो तथ्य उन्होंने कहे हैं वह सही होंगे। उसमें जांच करने की बात नहीं है, लेकिन उस पर कार्यवाही करने से पहले आखिर में इतना तो करना ही पड़ेगा कि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे पूछना तो पड़ेगा ही। मैंने स्टेटमेंट रेकार्ड करने के लिए कह दिया है और स्टेटमेंट रेकार्ड हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि कल जो है इसके ऊपर ···

श्री श्रीराम गोटेवाला : सस्पेंड तो कर दीजिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्राइमा फेसी।

श्री अध्यक्ष : कल इस सम्बन्ध में निर्णय दूंगा। सस्पेन्शन वाली बात कही है तो वह स्पीकर नहीं कर सकता है। It is an executive action which can be taken by the Government. It is only the Government which can take action. स्टेमेन्ट जो हुए हैं, वह मौजूद हैं। मुझको उन लोगों से पूछना पड़ेगा। सस्पेन्शन की प्रोसेस एक्जीक्यूटिव द्वारा लिया जायगा। वह स्पीकर नहीं ले सकता है। इसलिए वह कार्यवाही जल्दी से जल्दी····

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : वारन्ट तो इश्यू कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नो।

आप इसमें किसी प्रकार की ऐसी गुन्जायश न समझें कि मैं उनके खिलाफ राय रखता हूं या कोई उनका जो अपमान हुआ है उसकी कम अहमियत लगा रहा हूं, लेकिन जो प्रॉसीजर है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा। सस्पेन्शन के ऑर्डर्स देने के लिए जो प्रॉसीजर होगा उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। कल मैं इस मामले के ऊपर आपको फैसला दूंगा और क्या करना और क्या सजा उसमें होगी वह करना होगा। इसलिए इसको अब अधिक प्रेस नहीं करना चाहिए।

There is no executive power with the Speaker under which Speaker could take action. I shall have a talk with the Government by which action can be taken. And I will do that.

श्री गुमानमल लोढ़ा : राज्य सरकार कर दे उसमें क्या है।

श्री अध्यक्ष : देट इज व्हाट आई से। कल सुनाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य सचेतक, जो कि मन्त्री भी हैं और मन्त्री-मण्डल के सदस्य भी हैं उन्होंने जो राय जाहिर की है कि जो कर्मचारी दोषी है उसको सस्पैण्ड किया जाना चाहिए तो उसको गवर्नमेन्ट का व्यू मानकर यह मान लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट की बात सुनी है। मैं अपना फैसला अपने तरीके से दूंगा। गवर्नमेन्ट ने बात सुनी है तो वह एक्शन ले। जहां तक मेरे फैसला देने का ताल्लुक है तो सस्पेन्शन का ऑर्डर भी रूल के अन्दर ही दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : आसन को यह कहां पावर है कि उसके तहत काम करें। गवर्नमेंट की राय मैं रेफर कर लूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं ?

हू इज दी नेक्स्ट स्पीकर ? माननीय शिक्षा मन्त्रीजी !

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर ने कह दिया तो अण्डर कन्सीडरेशन क्या है ?

श्री अध्यक्ष : वह अपने तरीके से करेंगे एन्क्वायरी और मैं अपने तरीके से करूंगा। It is not a matter of difference of opinion but I shall have to take decision according to law.

8.15 बजे

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रीराम गोटेवाला : चतुर्भुज जो बोल रहे थे। उनको बोलने के लिए माननीय उपाध्यक्ष द्वारा आदेश दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह बोलें। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको बोलने दें।

श्री चतुर्भुज : मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री चतुर्भुज)

शिक्षा के बारे में आम जनता को सन्तोष है। हमारे यहां पर शिक्षण संस्थाओं का विस्तार काफी हुआ है, लेकिन उसके साथ में कमी रही है कि गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूलों का एलॉटमेंट नहीं किया गया है। तो मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि बच्चों के साथ-साथ गर्ल्स को भी पढ़ने के लिए पूरे अधिकार दिये जाने चाहियें। प्राइमरी स्कूल देहातों के अन्दर खोले जाते हैं तो बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं बच्चों के साथ में तो वह ठीक नहीं है आज के युग में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गर्ल्स स्कूल ग्राम देहातों में खोलने की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि देहातों में लड़कियां भी पढ़ना चाहती हैं और वहां पर उनका बच्चों के साथ में पढ़ना असम्भव सा है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 8 मार्च और 16 मार्च तक मास्टरों को तनख्वाहें नहीं बंटी है। एक लाख रुपया हर साल हमारी पंचायत समिति से जाता है इसलिए 16 मार्च तक तो तनख्वाह मिल जाय इसके लिए वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कम से कम उनको बजट दें। हमने उसके आधार पर शिक्षा कर लगाया था और पंचायत समिति के क्षेत्र में शिक्षा की धनराशि 40 हजार है, लेकिन सारी व्यवस्था जो शिक्षा भवन की है वह एक लाख की व्यवस्था है। एक ही मूल में शिक्षा भवन बनाया जाय यह था। हमने इसके लिए 3 रुपये मूण्ड शिक्षा कर लगाया था। वह धन भी चूंकि बजट नहीं दिया इसलिए वह मास्टरों के वेतन में गया। शिक्षा विभाग का पैसा है। पंचायत समिति की निजी आय मानकर लम्प-सम बजट शिक्षा की धनराशि नहीं चलेगी। इसलिए मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति का बजट वह दें। शिक्षा भवन का धन उसी स्थान पर जाना चाहिए। वह जनता का धन है। उसकी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। वह सब धन बजट में रखा था, लेकिन आपने अध्यापकों का वेतन नहीं भेजा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मन्त्री महोदय इस दर्ख्वास्त के ऊपर ध्यान देंगे और सारा धन, 1968 से लेकर आज तक का वेतन का बजट है, वह पंचायत समिति को विकास विभाग की तरफ से अलॉट करायेंगे। इस शिक्षा के रुपये से वहां पर भवन निर्माण का कार्य चालू किया जा सकेगा।

दूसरा निवेदन है, हमारे देवली क्षेत्र में कॉलेज का निर्णय होना चाहिए। चार लाख, पांच लाख की वहां बिल्डिंग बना रखी है एक सेठ ने और कॉलेज के लिए सौंप रखी है और वहां की जनता ने 72 हजार रुपये नियमों के अनुसार सहयोग के तरीके से गवर्नमेंट को सौंप दिये हैं और सारा इन्तजाम कर दिया है। केवल आपकी मंजूरी मांगते हैं। देवली जैसा स्थान, जहां पर सी. आर. पी. मौजूद है, 1970 से वहां पर छः हजार बंगाली पड़े हुए हैं, यह ऐसा क्षेत्र है कि जब भी भारत पर संकट आया है, देवली ही काम आया है, वह हर समय काम में आता है, वहां की यह मानवीय स्थिति है, इसको सरकार पूरा करे क्योंकि वहां एक दानदाता ने चार लाख रुपये देकर, बिल्डिंग बनाकर दे दी और 70 हजार की नियमों के हिसाब से देवली की जनता ने और सेठों ने मिलकर पूर्ति कर दी है। मैं

(श्री चतुर्भुज)
आशा करता हूं कि हमारे देवली के अन्दर आप प्राइवेट कॉलेज की मंजूरी देंगे। उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, वह जनता ने पूरी करदी है। (समय समाप्ति सूचक घन्टी) मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी विश्वास दिलायेंगे कि प्राइवेट कॉलिज की वहां के लिए स्वीकृति दे दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला!

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा और न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। समय काफी हो चुका है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं केवल दो तीन बातों पर विशेष जोर देना चाहूंगा। सबसे प्रथम तो यह है, हमारे सामने सारी बातें आ चुकी हैं। मैं केवल ग्राण्ट-इन-एड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 1963 के अन्दर ग्रान्ट इन एड रूल्स बने थे, इन ग्राण्ट-इन एड रूल्स को पूरा फॉलो करवाया जाय, इनके अनुसार कार्यवाही हो तो मैं समझता हूं निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में जो कहा जाता है कि वहां पर शिक्षकों की सेवायें सुरक्षित नहीं हैं, जब चाहें तब उनको निकाल देते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के एक्शन होते हैं, जो आदर्श विद्या मंदिर आदि के प्रश्न उठाये, मैं समझता हूं कि ग्राण्ट-इन-एड रूल्स में प्रोविजन किया गया है कि इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ऐसी शिक्षण संस्थाओं की एक्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर होता है, उसकी मौजूदगी में सब फैसले होंगे। इस बात को डिपार्टमैंटली बाधित रूप में करवायें तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करके चलता हूं कि बहुत सारी बातें, जो आज विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है, उनमें कमी आ सकती है। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कैटेगराइजेशन के बारे में। मेरी समझ में नहीं आता है, 1966 के अन्दर कैटेगराइजेशन का एक फार्मूला डिसाइड किया गया था, अब 1974 आ गया, आज जिस शिक्षण संस्था का रिजल्ट 83 पर्सेन्ट है उसको ग्राण्ड-इन-एड देते हैं 60 पर्सेन्ट और जिसका रिजल्ट 60 पर्सेन्ट है उसको ग्राण्ट-इन-एड देते हैं 72 पर्सेन्ट। आखिर मैं जानना चाहता हूं, इस सारी स्थिति में आप क्या करना चाहते हैं? किस प्रकार किन संस्थाओं को अब किस प्रकार से ग्राण्ट-इन-एड देना चाहते हैं। इस बारे में पुनः विचार करेंगे, क्योंकि यह कैटेगराइजेशन का फार्मूला, जो अभी तक है, 1966 में डिसाइड किया था। मैं निवेदन करूंगा कि कैटेगराइजेशन के इश्यू पर दुबारा गौर करें....

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौनसी संस्था के लिए कह रहे हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करूं, मेरी एक आध संस्था में दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी है, जब मैं विधान सभा में बात कहता हूं, तो राजस्थान की सारी शिक्षण संस्थाओं के लिए बात कहता हूं। आज यह हो रहा है कि ग्रान्ट-इन-एड कमेटी के जो मेम्बर हैं, वह अपने क्षेत्र की संस्थाओं को 90 पर्सेन्ट दिलवाते हैं और बाकी शिक्षण संस्थाओं को कहीं 50 पर्सेन्ट भी नहीं, 60 पर्सेन्ट भी नहीं मिलता है। यह स्थिति खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रान्ट-इन-एड के बारे में और कैटेगराइजेशन के बारे में पुनर्विचार करें...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उदाहरण बतायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शिक्षा मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उदाहरण दे दूंगा। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को जानता हूं जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं अदब से निवेदन करूंगा, उनका भाषण मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं बहुत संक्षेप में बोलने वाला हूं। मेरा अनुरोध है, वह शांति रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य मेरे बुजुर्ग हैं, और उनका शिक्षा के बारे में तजुर्बा है, उनकी एक पुस्तक है, विद्यालयों ने कहा। उसमें जो उन्होंने भूमिका लिखी, वह उन्होंने सदन में प्रस्तुत की थी। और शिक्षा में परिवर्तन की बात, शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की बात शिक्षा मंत्री जी बराबर कहते रहे हैं। उनके बारे में कहा था, शिक्षा से मेरा दूर का सम्बन्ध नहीं है, मैं खुद भी स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात इस सम्बन्ध में अवश्य है, उस बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में दो मार्च को आन्दोलन होने वाला था, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां भी गुजरात, बिहार जैसी स्थितियां पैदा करेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को, यहां के विश्वविद्यालय छात्र संघ से, छात्र प्रतिनिधियों से सही ढंग से बात कर इस प्रश्न को हल किया और उस प्रकार की स्थिति पैदा यहां नहीं हुई। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं जो भी विश्वविद्यालय छात्र संघ की मांगे थीं, उन मांगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी सदन को जानकारी दी जाय और उन निर्णयों की क्रियान्विति हुई या नहीं यह जानकारी मैं चाहूंगा ताकि सदन को कम से कम इस बात की जानकारी मिले कि हमारे शिक्षा मंत्री ने किस प्रकार इस सारे काम को किया। मैं अनुरोध कर रहा था, शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की बात राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक कहते हैं, लेकिन परिवर्तन करने का काम है, उसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री और मैं एक फंक्शन में गये थे, शिक्षा मंत्री ने कल्याण का एक किस्सा छात्रों को सुनाया था, मैं पुनः सारा किस्सा कहने में समय नहीं लूंगा, लेकिन किस्से के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी, आपको सुन्दर मौका मिला है। हो सकता है, जैसा मावली से आने वाले सम्माननीय सदस्य कह रहे थे, आपके हाथ से यह विभाग चला जायगा, यह विभाग आपके हाथ से जाता है या नहीं इसकी चिन्ता, मैं मान कर चलता हूं, शिक्षा मंत्री जी, आपको नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को चिन्ता करनी चाहिए, हमारे यहां हालत वही न हो जाय, और नौजवान बेकारी की स्थिति के कारण उन स्थितियों में न आ जायं जो हमारे पड़ौसी राज्य में पैदा हुई हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री को एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति अपनानी चाहिए। जोब ओरियेन्टेड प्रोग्राम के लिए सब लोग कहते हैं राष्ट्रपति ने भी सुझाव दिया था, इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा था, हायर सैकेण्डरी के बाद बहुत ही ब्रिलीयेन्ट लड़के हों, उनको ही पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और बाकी के लड़कों के लिए हायर सैकेण्डरी कोर्स तक ही ऐसी व्यवस्था को

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जानी चाहिए कि हायर सैकेण्डरी से निकलते ही रोजगार में लग जाय। इस कार्यवाही को करने का काम जिम्मेदारी से करते हैं; जिम्मेदारी आपके ऊपर है और मैं मान कर चलता हूं कि यह बहुत बड़ा काम है, उसे करने की हिम्मत आपको जनता ने दी है, जनता ने इसबात के लिए कहा है और जनता ने यह दायित्व दिया है, जनता ने आपको 144 की संख्या में जिता कर इस सदन में भेजा है। जो कहें, वह आप करें और करने के अन्दर आपके सामने बाधायें नहीं हैं। बाधायें हैं तो केवल मात्र मन की कमजोरी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कमजोरी को निकालें ताकि एक बहुत बड़ा काम इस बारे में कर सकें।

जहाँ तक इस विभाग के ट्रान्सफर की बात है, मुझे थोड़ा सा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है। छोटे छोटे अध्यापकों का ट्रान्सफर किया गया, और ऐसी जगह किया, जहां 80 मील की रूट है, या 100 मील की रूट है और टीचर्स को सेशन के बीच में भेज दिया। हमने उस समय कहा, जो अपंग हैं, ऐसे बीमार हैं जिनकी चिकित्सा गांवों में नहीं हो सकती है, उनके ट्रान्सफर पर पुनर्विचार किया जाये। जिन शिक्षा आयुक्त ने यह सारा काम किया था, उनका स्थानान्तरण हो गया था, बीकानेर के बोर्ड पर, कमिश्नर, बोर्डर सीक्योरिटी फोर्स, उन्होंने एडी से चोटी तक का जोर लगा कर वापिस बीकानेर से जयपुर में ट्रान्सफर करवाया कमिश्नर ट्रान्सपोर्ट के पद पर ऐसे बड़े ऑफिसर को बीकानेर जाने में तकलीफ हो गई है और छोटे छोटे अध्यापक पर जुल्म करने; मैं निवेदन करना चाहूंगा; तक कि सारी यह चीजें की जाती हैं। आप शिक्षा पद्धति को लेकर, प्राईमरी एजूकेशन को लेकर, सारी शिक्षा पद्धति को लेकर परिवर्तन लाना चाहते हैं और जिन अध्यापकों के माध्यम से यह करना चाहते हैं, उन अध्यापकों के लिए आप इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते? क्योंकि वह बहुत बड़े अधिकारी हैं; इसलिए उनकी सुविधा का आपने ध्यान रख लिया, मैंने फारुक हसन साहब, आपके सामने एक लंगड़े अध्यापक को पेश किया, एक हर्ट पेसेन्ट अध्यापक को पेश किया लेकिन उनका ट्रान्सफर कैंसिल नहीं हुआ। आखिर हमारा क्राइटेरिया इसके लिए क्या है? आपने अगर यह तय कर लिया हो कि हमको इस प्रकार छोटे-छोटे लोगों को तकलीफ देनी है तो यह वाजिब नहीं है। सारा फार्मूला आपने लागू करने की बात कही तो मैं चार-पांच नाम गिना रहा हूं, जो आपकी नाक के नीचे ही हैं पर उनके ऊपर आपने अपने फार्मूले को लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। जो 15 सालों से डाइरेक्टोरेट में अपने स्थानों से चिपके हुए हैं। सम्भव है वे आपके मुंह लगे हों।

एक हैं विजय, सूद, अग्रवाल, विगरह कोटि। जिनके बारे से मेरे पास शिकायतें हैं। अब वह कहां तक सही है कहां तक गलत है नहीं कह सकता। पर अच्छे अच्छे जिम्मेदार आदमियों के माध्यम से सूचनाएं मुझे मिली हैं इसलिए यकायक तो गलत होने की बात मैं नहीं कहूंगा। तो वह जानकारी यह है कि ये लोग ग्रान्ट इन एड के मामलों में डिले करते हैं, रोड़े अटकाते हैं और इस तरह से पैसा वसूल करते हैं। राज्य मन्त्री कहां विराजे हैं? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी करके इस ढांचे में जो ऐसे लोग बैठे हैं जो सम्भव है

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

आपके मेहरबान हों, संचालक जी के हों वे तो रह जावें और दूसरे जिनकी जेनुइन डिफिकल्टीज हैं उनके बारे में खुली घोषणा करने के बाद भी अपंग हैं, दिल के बीमार हैं अन्य जेनुइन कठिनाइयां हैं वे बाहर धकेल दिये जाव यह अत्यन्त अनुचित है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप खुले रूप से इन बातों पर निर्णय लें और जिन लोगों के बारे में मैंने इशारा किया है उन लोगों के बारे में देखें कि यह क्यों कर हुआ कौन इसके पीछे है ?

एक बात और। पांच लाख की पुस्तकें खरीदी गई और वे किस मद में खरीदी गई ? एस. टी. सी. के हिसाब में जहां से 100 रुपया प्रति स्टूडेण्ट स्टिपेण्ड के रूप में दिया जाता है उस मद में से खरीदी गई। स्टिपेण्ड आपने देना उचित नहीं समझा। अब इस बात का भी जवाब मिलना चाहिए कि इन पुस्तकों की खरीद के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति ली गई या नहीं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन पुस्तकों की खरीद के लिये ओपन टेण्डर लिये और वे किसी दैनिक पत्र में प्रकाशित हुए। और यह भी जानना चाहूंगा कि किस किस पुस्तक प्रकाशक ने इन पुस्तकों के लिये टेण्डर दिये। ये कहां से खरीदी गई और किस अधिकार से किस अधिकारी ने खरीदी ? अब छोटे मोटे क्लर्क की बात मैं नहीं करूंगा उनके खिलाफ एक्शन लेने में आपको देर नहीं लगती। पर इस मामले में बड़े अधिकारी इन्वाल्व्ड हैं। अब जिस अधिकारी ने इस तरह से इन पांच लाख रुपयों की राशि का दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा सदन में मन्त्री जी करें यह मैं चाहूंगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। गंगानगर से आने वाले माननीय केदारजी ने अच्छे शब्दों में हमारे यहां की उन स्कूलों का जिक्र किया जिनमें बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढते हैं और दुर्भाग्य या सौभाग्य से जिन बच्चों में से आगे चल कर आर. ए. एस., आई. पी. एस., आई. ए. एस. आदि अधिकारी बनते हैं। सेण्ट जेवीयर हो या अन्य कोई ऐसी संस्था हो जिनमें केवल मात्र उन्हीं के बच्चे पढ़ सकते हैं जो तीन सौ, दो सौ रुपया प्रति माह एक बच्चे का खर्चा बर्दाश्त करते हैं। इस स्थिति को बनाये रख कर आप समाजवाद की बात करना चाहते हैं। समान सुविधाओं की बात करते हैं। संविधान के अधिकारों की बात करते हैं। शिक्षा का अपना दायित्व पूरा करने की बात करते हैं। इन शिक्षा के महलों को बन्द करिये। आप उन बच्चों के मानस को देखिये जो तीव्र बुद्धिशाली हैं। पर गरीब हैं। पहनने को पूरे कपड़े नहीं हैं, मां बाप की स्थिति नहीं है कि वे इतना खर्चा बर्दाश्त कर सकें। यहां हमारी प्रतिभा मुर्झा कर रह जाती है पैसे के अभाव में। इस सदन में मैंने और मेरे दूसरे साथियों ने आवाज उठाई थी आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में। कई अभिभावक आते हैं और कहते हैं आपने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और उसका परिणाम हमें भोगना पड़ रहा है। आज उन्होंने फीसें बढ़ा दीं। 75), 48) और 40) मासिक की फीसें लगा दी हैं। हमने आवाज उठाई थी कि इस संस्था के हिसाब में घोटाले हैं। गड़-बड़ियां हैं। आप से एश्योरेन्स मांगते हैं। शिक्षा मन्त्री जी कहते हैं कि ग्रान्ट इन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एड के रूल्स में प्रोवीजन करने पर हम आगे कुछ कर सकेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रशासक नियुक्त कर दीजिये। वह जांच कर लेगा। वरना तो आज इन लोगों ने इस प्रकार का वातावरण पैदा कर रखा है कि जिसमें कुछ होना सम्भव नहीं लगता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आपने जांच क ने की बात कही थी। उसकी रिपोर्ट आई या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष. इस विषय पर काफी कुछ कहा जा चुका है। आप फिर कह कर म य को नष्ट न करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो यह भी कहता हूं कि मुझे खुशी हुई कि जनसंघ के नेताओं ने आर. एस. एस. को अपना अंग माना है। पहले हमेशा ये कहते रहे थे कि जनसंघ राजनैतिक संगठन है और आर. एस. एस. तो अराजनैतिक है। यह तो सांस्कृतिक संगठन है। हो सकता है मेरे विचार दूसरे हों। जिस तरह से मुस्लिम लीग पर जिम्मेदारी है देश के विभाजन की उसी तरह से ये कट्टर साम्प्रदायिक संस्था भी जिम्मेदार हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बिलकुल गलत है। सफेद झूठ है। देश के बंटवारे की पूरी जिमेदारी मुस्लिम लीग और कांग्रेस पर है। कांग्रेस की हमेशा की मुस्लिम परस्ती नीति ने यह गुल खिलाया है। मुस्लिम अपीजमेन्ट की कांग्रेस की अत्यन्त खतरनाक पॉलिसी ने यह सब कुछ किया है। इतिहास साक्षी है इसका। आर. ए. एस. के संगठन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसने तो देश के आड़े समय में अपना खून दिया है। कांग्रेस के पापों का प्रायश्चित अगर किसी ने किया है तो इस संगठन ने किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब यह साम्प्रदायिकता चाहे मुस्लिम लीग की हो, चाहे आर. एस. एस. की हो मैं दोनों की साम्प्रदायिकता की पॉलिसी को देश के लिये खतरनाक मानता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपने मुंह से यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात कह रहे हैं। आर. एस. एस. का लीग से आप जैसे लोग ही मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी तटस्थ और बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं कर सकता। इतिहास साक्षी है। कांग्रेस की मुस्लिमपरस्ती नीति आज भी कायम है। खतरा आप पैदा कर रहे हैं फिर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तो उपाध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं के बारे में मेरी मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बहुत कम बोल रहे थे।

श्री श्रीराम गोटेलाल : तीन मिनिट में समाप्त कर दूंगा :

मेरा निवेदन है कि इस संस्था में प्रशासक की नियुक्ति की जावे।

राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि विद्यार्थियों की जो मांगें आपने मानी हैं और जो समझौता किया है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। छात्रों ने और युवकों ने 2 मार्च को आपकी बहुत मदद की। मैंने इसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव इनको देने की बात कही थी। यूथ बोर्ड की बात भी कही थी। आप उसके गठन की घोषणा सदन के प्रांगण पर करें। मैं इस सम्बन्ध में एक निश्चित तिथि आपसे जानना चाहता हूं कि किस तिथि तक आप इस की गठन की घोषणा कर देंगे।

सिंडीकेट में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने की बात का जहां तक सवाल है विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष चौधरी बता रहे थे कि चार पांच साल से अटका हुआ यह मामला है। इसकी घोषणा आप सदन में करें।

एक बात न्याय और प्रशासन की व्यवस्था के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हाई कोर्ट बैंच के बारे में सभी ने काफी कहा। अभी गोपालसिंह जी जिस प्रकार की बात कह रहे थे उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि विधि आयोग भारत सरकार ने बताया था कि बैंच की स्थापना करना उचित है। पर राजनैतिक कारणों से उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। राव आयोग, पटेल कमेटी बनी। उनकी अनुकूल रिपोर्टों के बावजूद दस साल से हाई कोर्ट की बैंच यहां नहीं आ पाई है। तो जब यहां यह हाल हैं तो न्याय की क्या व्यवस्था होगी? यसवन्तसिंह जी नाहर साहब फरमा रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का मामला संविधान में संशोधन करें उस समय देख लेंगे पर आज जो स्थितियां हैं और इस प्रश्न से जयपुर की जन भावनाएं जिस तरह से जुड़ी हुई हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि 57 के बाद में जब से 58 से हाईकोर्ट की बैंच यहां से गई उस बात के बाद में इस डिविजन के अन्दर प्रगतिशीलता की क्या स्थिति रही इसका अन्दाज लगा लें। साफ हो जावेगा। यह केवल मात्र वकीलों की ही मांग नहीं है। यहां की जनता की मांग है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि जनता की मांग पर हमें न्याय मिलेगा। जिन पर जिम्मेदारी हैं वे एक तरफ तो सस्ता न्याय देने की बात करते हैं दूसरी तरफ जनता मांग करती है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उनको बड़ा मानते हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इसमें पूर्वाग्रहों को छोड़कर दोनों पक्षों को एक जगह बिठाकर फैसला किया जावे। आप जोधपुर के विकास के लिए जो भी वे चाहें उनकी मांग पूरी करें। हम भी यह मांग करते रहे हैं। वहां के विकास के लिए कल कारखानों का जाल वहां पर डालें। उद्योगीकरण के लिए जो भी सम्भव हो किया जाय। इसके लिए यह हिस्सा राजस्थान का पीछे रहे यह हम भी नहीं चाहते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

तो इस बारे में हमारी जेनुइन डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए इस बात के बारे में भी सदन में आप घोषणा करेंगे ऐसी आशा है।

मैं नैशनलाइज्ड ड्रग्स के बारे में निवेदन करूं कि आज स्थिति यह

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

है कि हमारे छात्रों को बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, 8वीं क्लास की खास शिकायत है कि हमारी व्यवस्था के सामने चैलेंज है, हमने जो राष्ट्रीयकरण किया है, उसको सफल करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि यह सत्र तो जा चुका अब जो नया सत्र आ रहा है उसमें इस बात को स्वयं देखें कि उस समय छात्रों को बुक्स अवेलेबुल हो जायें।

यही बातें निवेदन करते हुए मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं उनके बारे में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल सूंडा।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा और न्याय प्रशासन के बारे में मुझे शिकायत है उस बारे में अपनी बात कहूंगा। पहले जो मुझे खास शिकायत है उसकी बात कर लूं। एक साधारण सदस्य के साथ साथ मैं अपनी पार्टी का नेता भी हूं। जब कभी मैं थोड़े से समय के लिए बोलना चाहता हूं तो मेरी अपेक्षाओं का ध्यान नहीं रखा जाता 5 मिनट बोलने के लिए 6 घन्टों तक इन्तजार करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरी अपेक्षा को भी आप ध्यान में रखें।

शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहना है क्योंकि जब इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी वह समय निकल चुका है। अनपढ़ लोगों को तकलीफ थी, पढ़ने वालों को तकलीफ थी कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। किसकी क्या मजबूरी रही भगवान जाने लेकिन हम एक बात समझ गए कि विद्यार्थियों को आप नहीं पढ़ा सके लेकिन विद्यार्थी आपको पढ़ायेंगे। यह चैप्टर गुजरात से शुरू हो गया है, इसलिए कौन किसको, पढ़ायेगा आने वाला समय ही बताएगा। उर्दू का एक शेर है कि एक उल्लू काफी है बरबाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा है अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शिक्षा मन्त्री काफी हैं।

श्री झाबरमल सूंडा : शिक्षा मन्त्री को दोष नहीं देना चाहता, अकेले के बूते की बात नहीं है। हमारी शिक्षा में न व्यक्ति की न समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, यही कारण है कि बेरोजगारी फैल गई, वह इन्जीनियर, जिसकी समाज को जरूरत नहीं, आपने बनाकर छोड़ दिए तो अब आपको विद्यार्थी पढ़ायेंगे।

दूसरी बात न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। लोगों ने जिद् कर दी कि जैब तक हाई कोर्ट बैंच लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार यहां कायम नहीं होगी तब तक मेरी मांग लगातार चलती रहेगी चाहे एक शब्द में चाहे बड़े-बड़े भाषणों में। मैं यह भी सरकार से चाहता हूं कि लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट बैंच कब स्थापित कर सकेंगे? मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी किया जाए और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जोधपुर वालों पर है। अब विधि मंत्री आगे आकर इस बात का फैसला करें तभी यह समस्या सुलझेगी नहीं तो बैलेंस बनाने के लिए लड़ाई

(श्री भाबरमल सूंडा)

चलती रहेगी, तो इसका हल जोधपुर वाले हीं निकालेंगे और सौभाग्य से विधि मन्त्री जोधपुर के ही हैं, वह आगे आकर कुछ करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

पिछले दिनों विधि मन्त्री सीकर गए थे और वहां की बार एसोसिएशन की तरफ से आपको ज्ञापन दिया गया था उसमें यह बात है कि सीकर में सेशन्स कोर्ट स्थापित करें। मैं इसके लिए कहना चाहता हूं कि पहले 16 सेशन्स जज थे उसमें सीकर भी एक था। लेकिन 1952 में कोई सरक्यूलर सरकार का है उसके तहत 2 जनवरी 1953 से उठा लिया गया और 16 की जगह 15 कर दिया गया उसमें झुन्झुनू चला गया। अब नए सिरे से जबकि तीन नए सेशन्स जजों के दफ्तर खोलने हैं तो सीकर को प्रायोरटी दी जाए। केसेज के हिसाब से और रिकमेन्डेशन के हिसाब से भी। चीफ जस्टिस ने भी नंबर 1 पर रिकमेंड किया है। अब पता लगा है कि सीकर का नाम काटा जा रहा है। झुन्झुनू और सीकर में जो केसेज़ हैं वे दुगुने हैं। झुन्झुनू से सीकर बड़ा जिला है, दो लाख जनसंख्या....

श्री खेतसिंह (न्याय मन्त्री) : आप क्यों परेशान हो रहे हैं, सीकर को नहीं काटा जा रहा है।

श्री भाबरमल : धन्यवाद।

श्री मीठालाल : ऐसे जवाब दिया करें तो समय की बचत हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : शिक्षा के बारे में मुझे निवेदन करना है कि 25 साल की अवधि हो गई है। राजस्थान में 26 जिले हैं उनमें से एक सवाई माधोपुर भी जिला है लेकिन इन 26 सालों में राजस्थान में क्या हुआ है और सवाई माधोपुर में क्या किया है, यह भी आपके सामने है। जब मध्यावधि चुनाव हुए थे उस समय कहा था कि हम कॉलेज खोलेंगे, आप लोगों को शिक्षा दे दूंगा, आप लोग हिम्मत और हौंसले के साथ कांग्रेस को जितायें और उस जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह वह जिला है जहां 64 प्रतिशत एस. सी. और एस. टी. के लोग हैं, उस जिले में मेरी कॉन्स्टीट्यून्सी हिंडौन है जहां एस. सी. और एस. टी. के लोग 68 प्रतिशत हैं और वे मजदूर, अछूत और आदिवासी काफी समय से सोच रहे हैं कि अगर हिंडौन में कॉलेज हो जाए तो हमारे बच्चे भी उच्च विद्या प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अभी भी उनको अंधकार में रखा है। लोगों ने कॉलेज की बिल्डिंग की पूर्ति की है और इन्सपेक्टर महोदय और जिलाधीश महोदय ने आपको कहा कि हिंडौन में कॉलेज की मांग सही है लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। जबसे राजस्थान बना उस समय से आज तक राजस्थान सरकार से हिंडौन की जनता बार बार प्रार्थना करती रही कि कॉलेज खोला जाए। अब जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं उनसे पूर्ण आशा है कि वहां की जनता की तरफ पूर्ण ध्यान देकर मंत्री महोदय सदन के सामने घोषणा करेंगे कि हिंडौन में कॉलेज खुले और वहां गरीब लोग उच्च विद्या प्राप्त कर सकें। शिक्षा के बारे में इतना ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा न्याय प्रशासन की मांगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री उम्मेदीलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट की बैंच के बारे में एक बहुत लम्बे अर्से से उसकी बैंच जयपुर में हो उसकी मांग चली आ रही है। या तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब है कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में काफी फर्क है लेकिन अगर आप जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना करदें, जो कि सेन्टर में पड़ता है तो पूर्वी राजस्थान की जनता के छोटे छोटे किसान और वहां की गरीब जनता को न्याय मिल सके। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की दो करोड़ और 60 लाख की जनता को अगर सस्ता न्याय मिले तो बहुत उचित होगा कि आप जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना करदें। आज जो लोग लाल किताब की बात करते हैं और यह कहते हैं कि यह एक खामख्वाह का आन्दोलन है या कुछ चन्द लोग ही यह मांग कर रहे हैं यह बात गलत है। मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह चन्द लोगों की मांग नहीं है बल्कि राजस्थान की जनता की मांग है। इसलिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में हो उसके लिये आप शीघ्र ही सदन में घोषणा करें तो पूर्वी राजस्थान की जनता को काफी सन्तोष मिलेगा और गरीबों के साथ न्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सावरमल मोर।

श्री सावरमल मोर : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा और न्याय प्रशासन की मांगों के बारे में चर्चा चल रही है उसमें मैंने भी कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। चूंकि काफी समय हो गया है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेकर संक्षेप में ही निवेदन करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आप दो दो फायदा नहीं लि सकते। आप पार्टी के समय भी बोलें और बाद में भी बोलें।

श्री सांवरमल मोर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं राज्य सरकार को जब हमने बजट भाषण को देखा तो उसमें ऐसा था कि इस साल कुछ प्राथमिक और मिडिल स्कूल खोली जायेंगी और करीब 100 मिडिल स्कूलों के सेकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत की जायेगी। मैं यह मानता हूं की अर्थ की कमी हो सकती है लेकिन जिस समय हमारे नये शिक्षा मन्त्री जी जब शिक्षा मंत्री बने थे तो काफी जोश के साथ आये थे और हमें भी तमन्ना थी कि इस साल हमारे यहां भी मिडिल स्कूल खोले जायेंगे और जो मिडिल स्कूल हैं उन्हें सेकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया जायेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि इस साल के बजट में कोई प्रावधान हमारे सीकर जिले के लिये नहीं है। आज करीब तीन साल से हम लगातार यह चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे यहां मिडिल स्कूल्स को सेकेन्डरी और हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित किया जाय। आज हमारे यहां पर जो मिडिल स्कूल हैं उनमें करीब हजार 800 लड़के पढ़ रहे हैं कम से उन स्कूलों को तो अपग्रेड किया जाना चाहिये ताकि वे बच्चे आगे पढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि एक भोगलो गांव है काफी पिछड़ा हुआ इलाका है वहां पर करीब 800 लड़के मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। आ हम करीब 7-8 साल से लगातार

(श्री सांवरमल मोर)

यह कोशिश कर रहे हैं और हमारी यह तमन्ना है कि वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल खोला जाय लेकिन बार बार अर्ज करने पर भी वहां पर हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस बारे में गम्भीरता से सोचें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले साल भी इस बारे में निवेदन किया था कि हमारे सीकर जिले में लड़कियों के लिए कोई हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है सिर्फ सेकेण्डरी स्कूल ही है। पिछले साल हमने वहां पर एक पन्नालाल स्कूल है उसमें करीब 40 लड़कियों को भर्ती किया और उन्होंने एक संस्कृत का विषय खोलने की व्यवस्था की। इसमें काफी दिक्कतें आयीं। हमने वहां से एक अर्जी संस्कृत का विषय खोलने के लिये मंत्री महोदय को दी। यह सही है कि हमने वह एप्लीकेशन डाइरेक्टर साहब को सम्बोधित न करके शिक्षा मंत्री को सम्बोधित कर दिया। अब सुना है कि उसके लिये उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है। मैंने कह दिया कि भाई एक्शन लेने की क्या जरूरत है वहां पर हैडमास्टर और उप निरीक्षक के जबाब तलब किये जा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि आखिर शिक्षा मंत्री जी को ही सम्बोधित किया है कोई सबोर्डीनेट को तो नहीं किया फिर मन्त्री महोदय से उसकी सैंक्शन हो गई। वहां पर मन्त्री महोदय ने संस्कृत की क्लास खोलने की हां करदी। अब हमारा यह निवेदन है कि वह संस्कृत की क्लासेज वहां पर चालू रहनी चाहिये ताकि वहां के बच्चे पढ़ सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जब लालबहादुर शास्त्री हिन्दुस्तान के प्राईमिनिस्टर थे तब सीकर जिले में कुम्हारों का बास गांव में वे पधारे थे। तब उन्होंने वहां पर एक महिला विद्यालय का आधार शिला रखा था। उस वक्त वहां पर कई लोग आये थे और राजस्थान सरकार की पूरी कैबीनेट भी वहां पर आयी थी। उनकी मौजूदगी में वहां पर पत्थर रखा गया था लेकिन उनके जाने के बाद वहां पर उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री एक महिला विद्यालय के लिये आधार शिला रखे और उस आधार शिला पर बिल्डिंग नहीं बने यह एक बहुत ही खेद का विषय है। मैंने पिछले साल भी इस बारे में जब सदन में शिक्षा की डिमान्ड चल रही थी तो भी इसका उल्लेख किया था पर आज तक वह पत्थर वैसा का वैसा खड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर जिले में काफी उद्योगपति हैं जो कि बाहर कमाते हैं और यहां आकर काफी शिक्षण सस्थायें खोलते हैं और वहां पर आज स्कूलों में लोग पढ़ कर जाते हैं और प्रायः हिन्दुस्तान के हर कोने से लोग पढ़ने आते हैं। मैं इसमें राजनीति की बात नहीं डालना चाहता हूं लेकिन उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि जो प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं हमारे यहां पर उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जावे। कुछ तो हमारे यहां के उद्योगपति मदद करते हैं और मकान वगैरहा बना देते हैं फिर भी आर्थिक सहायता की जरूरत रहती है। तो मेरा निवेदन है कि उन संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता दी जायेगी आखिर वह लोग भी दूसरे प्रान्तों से कमाते हैं और हमारे यहां पर आकर पैसा लगाते हैं वह इसलिए करते हैं कि यहां उनकी जन्म-भूमि है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से

(श्री सांवरमल मोर)
मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स को प्रोत्साहन दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज आपने जो शिक्षा के बजट में एक प्रावधान नहीं रखा। उसके लिये मेरा निवेदन है कि आपके बजट में लाईब्रेरी को बढ़ावा देना चाहिये। पुस्तकालय ज्यादा से ज्यादा खोले जायं जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े। इस साल आपको वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दो सौ लाईब्रेरी खोलनी चाहिये इससे जनता का विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब कुछ न्याय प्रशासन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उसके लिये भी मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में आपने हाई कोर्ट रखा कोई बात नहीं लेकिन हमारे जयपुर की जनता के लिये व पूर्वी राजस्थान की जनता के लिये अगर आप उनकी मन्शा पूरी करदें और यहां पर हाई कोर्ट की बैन्च की स्थापना करदें तो राजस्थान की पूर्वी जनता आपकी बहुत ही आभारी होगी। हम तो आपको आग्रह ही कर रहे हैं कोई दुराग्रह तो कर नहीं रहे हैं उसे आप स्वीकार करके जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च खोल कर हमारी इस मांग को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि टोटल एण्ड ड्रास्टिक रिओरियेन्टेशन इन एजुकेशन एण्ड जोब ओरियेन्टेड एजुकेशनल सिस्टम के बारे में आज से काफी वर्ष पहले उत्पन्न हुई। ये दो वाक्य मेकाले एजुकेशन सिस्टम से निजाद पाने के लिए कहे गये थे और अपनाये गये थे और मेरी मान्यता है कि जिस समय यह पौलिसी एडोप्ट करने की बात की गई तो उसको ईमानदारी से क्रियान्वित करने के लिये प्रयास किये गये थे।

उस समय कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई जगहों पर आई. टी. आईज खोले गये थे, पौलिटेक्निक्स खोले गये थे और आपको यह भी ध्यान होगा कि उनके खोलने के कुछ अर्से के बाद उनकी प्रगति में गतिरोध आ गया। जब इन जाब ओरियेन्टेड पोलिसीज को क्रियान्वित किया गया या उस समय प्लान में उनके जोब्स के लिये प्रावधान किया गया था और गतिरोध आया क्योंकि प्लान्स बने तो उन प्लान्स में इन जॉब्स के लिये प्रावधान नहीं रखा गया उसके भी कई कारण हैं कि हमारे देश प्रदेश के प्लानिग में जॉब ओरियेन्टेड प्लान्स हैं जो क्रियेट करने वाले प्लान्स थे उनमें गतिरोध क्यों आया उसके भी कई कारण हैं।

कुल मिलाकर निवेदन यह है कि जॉब ओरियेन्टेड एजुकेशन तब लागू कर सकते हैं जब प्लान्स के साथ पूर्णतया उनका सामन्जस्य होगा और देश प्रदेश के प्लानिंग्स भी उसी लेवल पर बनाये जायेंगे। तब ही जाकर टारगेट्स का ध्यान कर पायेंगे। आज हम गत दो वर्ष से देखते आ रहे हैं कि हमारे यहां प्राईमरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स को पदोन्नत करने को प्रावधान काफी

(श्री किशन मोटवानी)
मिकदार में रखे गये जिससे हम एक टारगेट को तो अचीव कर पायेंगे। हमारी यह पोलसी है कि हर 14 वर्ष तक के बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिये, एजुकेटेड होना चाहिये उसको हम जल्दी तो नहीं कर पायेंगे परन्तु कुछ अर्से में हमारा उस तरफ प्रयास है परन्तु जॉब ओरियेन्टेड एजुकेशन के जो प्रयास हैं वे तो खत्म हो जावेंगे।

ब्रीफ में गुजारिश यह है कि आज आवश्यकता है सही प्लानिंग की देश और प्रदेश में जिससे जॉब्स क्रीयेट करें और जॉब्स के लिये सही मात्रा में सही तरीके के नवयुवक पैदा करें। यही इस समय देश में हर चीज के लिये इनवोल्वमेन्ट का एक नारा आगया और जिसमें यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि स्टूडेन्टस इन्वोल्वमेन्ट अति आवश्यक है यूनिवर्सिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं मानता हूं कि यह अति आवश्यक चीज है। होनी चाहिये। परन्तु उसके लिए एक निर्धारित बेरियर होना चाहिए। आज जिस किस्म की पार्टी पोलिटिक्स हमारी यूनिवर्सिटीज और इन्स्टीट्यूशन्स में घुस गयी है, दिल्ली में ही इसका उदाहरण देख लीजिये। दिल्ली में चुनाव स्टूडेन्टस नहीं लड़ते हैं परन्तु पोलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। जयपुर में भी इस साल इस किस्म की चीज उत्पन्न हुई और पार्टी पोलिटिक्स का उसमें असर पड़ा। स्टूडेन्ट्स का इन्वोल्वमेन्ट अति आवश्यक है। हर क्षेत्र में इन्वोल्वमेन्ट होना चाहिये स्टूडेन्ट्स का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वोल्वमेन्ट अति आवश्यक है। उनमें कौनसे स्टूडेन्टस आने चाहियें? वे, नहीं कि जो पोलिटिकली वेक्ड हो किन्तु वे आने चाहियें जो पढ़ने में सक्षम हैं, डिवीजन लाते हैं और जो पार्टी पोलिटिक्स में किसी हालत में इन्वोल्व नहीं हुए हैं और उनको लागू करने में आपको दिक्कत नहीं है। उसको लागू करने से एक प्रणाली बन जावेगी कि जो लड़का फर्स्ट क्लास फर्स्ट आवेगा वह उसमें आवेगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस सुझाव को मन्त्री महोदय मानेंगे और निर्देश देंगे ताकि जो पार्टी पोलिटिक्स घुस गयी है वह खत्म हो सके।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ दिक्कतों के विषय में निवेदन करूंगा। वह आज व्यक्तिगत या एक व्यक्ति की न होकर एक क्लास की दिक्कतें हो गयी हैं। यहां पर लास्ट ईयर यह घोषणा की गई थी कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटिज के लिए इन्स्टीट्यूशन खोली जावेंगी। उसमें यह भी घोषणा की गई थी कि लिंग्विस्टिक माइनोरिटीज के लिये एस. टी. सी. कॉलेज खोला जावेगा। वह भी खोल दिया गया। हम उसके लिए आपके आभारी हैं। उसकी व्यवस्था पर आप ध्यान दें। बिल्डिंग की, स्टाफ की उचित व्यवस्था नहीं है। जो इन्स्ट्रूमेन्टस काम में आने वाले हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं है।

मेरे क्षेत्र में पाकिस्तान से आये हुए टीचर्स की बहुतायत है। उनकी सर्विस कन्डीशन्स में एक दिक्कत है। मैंने मन्त्री महोदय से भी निवेदन किया था। यहां भी निवेदन कर दूं कि उनकी वहां की सर्विस नहीं काटी गयी थी जो पाकिस्तान में थे इसलिए उनके लिए व्यवस्था की गयी थी कि उनको 58 साल तक सर्विस में

(श्री किशन मोटवानी)

लगाया जायेगा, उनको ब्रेक करके दो साल और रिएम्पलोयमेन्ट उनको दिया जावेगा। इसलिये कि पेन्शन और ग्रेचुऐटी में फर्क आये। दो साल के ब्रेक से उनको काफी नुकसान पड़ता है। अन्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और नजदीक के प्रदेशों में यह कलाबाजी नहीं है। उनमें उनकी सर्विस 60 साल की कन्टीन्यूअस मानी गयी है ताकि ग्रेचुएटी और पेन्शन सही मात्रा में आज के युग में बन सके।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री किशन मोटवानी : एक मिनिट।

ट्रान्सफर्स के बारे में निवेदन करूंगा। इसमें छोटीसी व्यवस्था की जरूरत है। ट्रान्सफर्स हो उसमें दो राय नहीं है दस साल की प्रणाली लागू की गई है वह बुरी नहीं है परन्तु उस प्रणाली के लागू करने से हम जिन चीजों से वचनबद्ध है उनकी अवहेलना हम न करें। पर्टीकुलर्ली लिंगविस्टिक माइनोरिटी के स्कूल्स हैं जिनके लिए और कोई टीचर्स उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा सकते तो वहां पर उन्हीं को लगा देने में क्या हर्ज है। उसमें नुकसान न हो। आंख मीचकर यह नहीं करना चाहिये। आंख मीच कर करने से उसमें कितना नुकसान हुआ है यह भी ध्यान में रखना चाहिये।

साथ ही हमारे दूसरे माननीय सदस्य श्रीरामजी गोटेवाला ने कहा कि जो अपंग हैं, बीमार हैं, बीमारी से पीड़ित है उनके केसेज को देखा नहीं गया है। मैं भी निवेदन करूंगा कि ऐसे केसेज को व्यापक रूप से, खुले रूप से देखना चाहिये।

हाई कोर्ट की बेंच की बात, मैं समझता हूं कि एक फार्मलिटी हो गयी है कि हर सेशन में इसकी चर्चा उठती है। मैं समझता हूं कि जिस सरकार की मान्यता है कि यह पोलिटिकल डिसिजन्स हुए हैं कि जोधपुर में हाई कोर्ट रहे, अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड रहे और जयपुर में केपिटल रहे। उसको हम खत्म नहीं करना चाहते हैं। वैसे आपने व्यवस्था खत्म की रेवेन्यु बोर्ड की सर्किट बेन्चेज खोलकर अन्य जगह पर। जयपुर में लगायी। और जगह की मांग है और सरकार एक्सीड करने के मूड में है जब सरकार ने उसको माना तो बेंच की प्रणाली को भी मानना चाहिये। उसको भी अपनाना चाहिये।

जहां तक प्रदेश का सवाल है। इसको खुला रखना चाहिये। जयपुर वालों को भी और प्लेसेज वालों को भी खुला रखना चाहिये। उसके लिये बंधना क्यों चाहिये। किस जगह बेंच लग सकती है इसको खुला रखना चाहिये इस निर्णय के साथ हाई कोर्ट की बेंच पर विचार करना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर सरकार पूरी तरह से ध्यान देगी।

श्री बनवारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में आज सुबह से ही बहस चल रही है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की बात भी कही जा रही है। स्वतन्त्रता के बाद से ही यह नारा लगाया जाता रहा है। कमेटियां बैठती हैं, रिपोर्ट आती हैं। पर फिर भी आज 25 सालों से हम वहीं के वहां हैं। आप कुछ ऐसी पद्धति अपनाइये कि विद्यार्थी जैसे ही पढ़ लिखकर कालेजों से अथवा स्कूलों से

(श्री बनवारीलाल)
निकलें बेरोजगार न रहें। वे काम में लग जावें। उनको रोजगार मिल जावे।

अब जो शिक्षा विभाग का हाल है उस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसमें प्रशासन के अधिकारी हावी हैं। वे मिनिस्टर साहब तक की बात नहीं मानते। मिनिस्टर को विभाग तक छोड़ना पड़ा। पर खेतसिंहजी को दाद दूंगा कि उन्होंने प्रशासन को अपने काबू में किया है। इसमें आपकी दाद को मान गया। उन अधिकारियों को झाड़ू लगाकर आपने साफ कर दिया और ऐसी धाक जमा दी कि आज विभाग मानने लगा है कि हमारे पर भी कोई है। मन्त्री भी कुछ होता है। वह सभी अधिकारियों से ऊपर है, उनका भी अधिकारी है वह। हम आपकी राठौड़ी मानते हैं। आपकी क्षमता को समझने लग गये हैं। दो मार्च के आन्दोलन में डर था कि विद्यार्थियों के इसमें भाग लेने पर यह आन्दोलन अत्यन्त खतरनाक स्थिति में पहुंच जावेगा। पर आपने बड़ी चतुरता से उन बच्चों को समझा बुझाकर मनाकर आन्दोलन में भाग लेने से उनको रोक लिया। इस आपकी सूझबूझ पर आशा है कि आप इस विभाग में कुछ परिवर्तन ला पावेंगे।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि बी.एड. में बड़ा करप्शन विभाग में प्रशासन वाले कर रहे हैं। दो दो हजार रुपया एडमीशन के नाम पर ले लेते हैं। ऐसी संस्थाओं को या तो आप बन्द करिये या उनको चैक करिये।

धौलपुर का कालेज है पर विद्यार्थियों के रुचि के विषय वहां नहीं होने से उनको आस-पास के राज्यों में यू. पी. में या मध्य-प्रदेश में जाना पड़ता है। विद्यार्थी वहां काफी हैं, मेधावी भी हैं, पर गरीब हैं। धौलपुर कॉलेज को 10-12 साल का अर्सा भी हो गया है। वहां आप पोस्ट ग्रेजुएट और लॉ की क्लासें भी खोल देंगे तो इन गरीब लड़कों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

इसके साथ साथ न्याय के बारे में निवेदन करूंगा। हाईकोर्ट के बारे में काफी दिनों से मांग चली आ रही है। न्याय सबको सुलभ हो इसमें आपको कौनसी दिक्कत है। जनता की दिक्कतों के सामने आप पोलिटिकल या क्षेत्रीय भावना से निर्णय न करें। अब जोधपुर से भी जो माननीय सदस्य यहां आये हैं उनसे अलग से बात करते हैं तो वे भी इस मांग का समर्थन करते हैं। पर विधान सभा में आकर इनकार कर जाते हैं। मन्त्री जी से भी अलग से बात करते हैं तो समर्थन करते हैं। पर सदन में वे भी पीछे रह जाते हैं। मैं बताऊं बेंच के जयपुर में आने से जोधपुर का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर किसी का थोड़ा बहुत नुकसान होने वाला है तो वह छोटे तबके के लोग हैं होटल वाले हैं ढाबे वाले हैं, रसोईये हैं उनका होता है। लोग जाते हैं तो होटलों में ठहरते हैं और भोजन करते हैं। तो क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर जनता की मांग को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट की बेंच जयपुर में स्थापित करें यह मेरा निवेदन है।

श्री उम्मेदालाल : आप जोधपुर में उनके कुरते फड़वाएंगे क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे तो शेरगढ़ के हैं। ये तो कपड़े दूसरों के फाड़ते हैं। ये अपना नहीं फड़वाएंगे।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में ही मैं कुछ मुद्दों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। सन्तोष की बात है कि शिक्षा जगत में छात्रों के असन्तोष के कारण राजस्थान में गुजरात और बिहार की तरह आन्दोलन नहीं हो रहे हैं। इसके लिये सरकार और शिक्षा मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं।

सन्तोष करके ही हमें नहीं बैठ जाना है। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में भी यहां इसी तरह शान्ति रहेगी या नहीं। आज देश भर में युवकों में आक्रोश और असन्तोष है। यह सही है जो लगातार कहा जाता रहा है कि शिक्षा पद्धति में बेसिकली खामी है। इसमें सुधार होना चाहिये। अनुशासन का आधार चरित्र है। चरित्र निर्माण हमें करना होगा। शिक्षा से मानव का निर्माण होता है और मानव से राष्ट्र का और संसार का।

उपाध्यक्ष महोदय, चरित्र निर्माण की बात आती है तो आज के वे लोग जिनके हाथ में सत्ता है अधिकार है जो बपौती समझ कर सत्ता और अधिकारों के नशे में हैं और समझे बैठे हैं कि वे हमेशा हमेशा के लिये दुनिया भर को मूर्ख बनाते रहेंगे वे भले ही इस बात की हंसी उड़ाएं। मैं कहूंगा कि वे भविष्य की लिखावट को पढ़ें, समझें। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर हमें आगामी हमारी पीढ़ी को बचाना है तो हमें बच्चों के चरित्र का निर्माण करना होगा। हमें इन पुरुषों को सिनेमा जगत की भट्टी में झुलसने से बचाना होगा। आज इन सिनेमाओं से इनमें प्रदर्शित होने वाले विनाशकारी चित्रों के प्रदर्शन से चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप इन पर क्यों नहीं रोक लगा देते हैं। आज की कामुक चित्रों की इस वीभत्स प्रदर्शिनी का इन सुकुमार बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। आज इन चित्रों को देखकर वे गलत बातें सीखते हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से और केन्द्र सरकार से भी कि इन पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिये।

इतना ही नहीं, आज अनुशासन की बात कही जाती है हम जब पहले पढ़ते थे स्काउटिंग के माध्यम से अनुशासन का पाठ पढ़ते थे। आर एस. एस. की बात कही गई। बच्चों के चरित्र निर्माण में इसका रोल भी स्काउटिंग से बढ़कर है। इसकी राजनैतिक दृष्टि से अच्छाई बुराई में मैं पड़ना नहीं चाहता। पर जहां तक बच्चों के चारित्रिक विकास का प्रश्न है आज यह एक उत्तम माध्यम है।

हमें स्काउटिंग के माध्यम को फिर से ठीक करना चाहिये। आज स्काउटिंग के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं है। एन. सी. सी. एक अच्छा माध्यम है पर इसकी प्रगति में भी ह्रास आ रहा है। 72-73 के आंकड़े देखने से पता लगा कि जहां पहले वर्ष यह संख्या 1437 थी वहां अगले वर्ष यह 1032 ही रह गई। जहां कि पहले वर्ष के अनुपात में बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। शारीरिक शिक्षा के विकास में चरित्र निर्माण भी निहित है। यह आवश्यक है। इससे अनुशासन आता है।

अब प्राइमरी शिक्षा का जहां तक प्रश्न है हमें इसका पूरी तरह से नेशनेलाइजेशन करना होगा। सारे देश में एक सरीखा

(श्री शंकरलाल)

पाठ्यक्रम हमें बनाना होगा। राजस्थान में इसका काम पंचायत समितियों और पंचायतों को दिया गया है। हमारा स्तर इस शिक्षा का इन पंचायत समितियों के पास जाने के बाद गिरा है। यह स्पष्ट है। और गांवों की पंचायत समितियों का केवल इसलिये कि मास्टर की तनख्वाह बट जाय। वहां के सरपंच, मास्टर राजनीति में पड़े, लड़कों को पढ़ाये नहीं इसलिये जो प्राथमिक शिक्षा चलती है, पंचायत समितियों के जरिये, उपाध्यक्ष महोदय मेरा अनुभव है ठीक नहीं चल रही है ये प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से ले लीजिए। पंचायत समितियों को केवल उत्पादन के कार्यक्रम में लगाये। गांवों का विकास हो, ऐसे कार्यक्रमों में लगाइये। शिक्षा का स्तर पंचायत समितियों के माध्यम से गिरा है। आमूल-चूल परिवर्तन कैसे हो, इसका क्या रूप हो। रूप हो सकता है अगर आप वास्तव में करना चाहते हैं।

आने वाली 1 जुलाई से शिक्षा का नक्शा जो आपके प्रान्त में है, अगर आप करना चाहते हैं वास्तव में परिवर्तन आ सकता है। युनिवर्सिटी में आपके जो अधिकार हैं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वे केन्द्र सरकार से हों लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय एक युनिवर्सिटी के अन्दर जहां 36,238 बालक बालिकायें हैं। हमारे जो आंकड़े बताये गये हैं 36,238 छात्र-छात्रायें राजस्थान युनिवर्सिटि में पढ़ रही हैं उन पर क्या असर पड़ता है। जब हम इस बात को सुनते हैं कि वहां के युनिवर्सिटी के पेपर्स और युनिवर्सिटी की किताबें वह किसी रद्दी वाले के यहां मिलती हैं। 25 जुलाई, सन् 1973 के अखबार में मैंने पढ़ा था राजस्थान युनिवर्सिटी की पुस्तकें रोल नं, 9666-67-68 जो कि फर्स्ट इयर का पेपर था—जूलोजी की जो एग्जामिनेशन की किताबें थीं वह एक रद्दी वाले के यहां मिलीं—सांगानेरी गेट पर। ऊंची कक्षाओं की पुस्तकें एक छोटे दुकान वाले की रद्दी की टोकरी में मिले तो हम वहां के शिक्षा के बारे में क्या कह सकते हैं। मुझे मालूम हुआ वहां के एग्जामिनर श्री एस. सी. गुप्ता जून के पहले मई में यह इतला दे दी थी कि तीन किताबें मेरे पास नहीं आई हैं। अब ये पुस्तकें कैसे गई, क्यों गई और कहां गई? यह हालत है युनिवर्सिटी की। यह माना जाता है कि युनिवर्सिटी एक आटोनॉमस बॉडी है और इसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देना चाहिये। मैं यह कहना चाहूंगा, युनिवर्सिटी की जो हालत है, युनिवर्सिटी के जो कारनामें हैं उन पर सरकार को पुनः विचार करना होगा और वहां की आटोनॉमी के बारे में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा था शिक्षा के मामले में निवेदन कर दूं, सदन में घोषणा हुई थी। हम एक यूथ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। दो साल पहले की घोषणा थी। उनकी एनर्जी को डाइवर्ट करके और यह सही है पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। आपने केन्द्रीय योजना के अनुसार चार हजार मास्टरों को खपाया, आपने एस.टी.सी के 100 अध्यापकों को खपाया लेकिन यूथ की जो एनर्जी है उसके लिए आप क्या प्लान बनाते हैं। जो गठन

(श्री शंकरलाल)
सरकार ने घोषित किया था उसको जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, न्याय के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा । यहां यह बात बहुत कही गई कि न्याय सस्ता और सुलभ दिलाने के लिए हाई कोर्ट की बेंच लाना चाहिये । लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कोई भी गरीब आदमी न्याय लेने जाता है तो क्या उसे बिना पैसे मिलता है न्याय मिलता नहीं है बल्कि न्याय मिलता है । अगर न्याय लेना है तो अदालतों में जाने के लिये आपको अच्छे वकील करने पड़ते हैं, अच्छी फीस देनी पड़ती है । कितने गरीब आते हैं और कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है । वे कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है खाने को भी फिर अदालतों में कहां जायं । इसलिये पैसे के अभाव में अदालतों में जा नहीं सकते हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बहुत संक्षेप में कह रहा हूं । सरकार को चाहिये कि गवर्नमैंट एडवोकेट है । आपने एक बार शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वकीलों का प्रावधाव रखा था । जो गरीब लोग होंगे, जमीनों के मामले होंगे, इजेक्टमेंट के मामले होंगे, सरकारी वकील मदद करेगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कितने ऐसे लोगों को फायदा मिला । कुछ नहीं मिला उपाध्यक्ष महोदय । इसलिए सरकार न्याय दिलाना चाहती है तो अपने गवर्नमैन्ट एडवोकेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर ऐसे गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसे का काफी अभाव है, प्रावधान करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र बाली, देसूरी और वहां का सिविल जूरिसडिक्शन सिरोही में है । पहले यह जूरिसडिक्शन इसलिये लिया गया था कि सिरोही का जो क्षेत्र आता है वह आबू का हिस्सा है वह बम्बई प्रोविन्स में चला गया । उस सिरोही का महत्व बढ़ाने के लिए बाद में रख दिया गया लेकिन जब सिरोही का वापिस चला गया तो बाली, देसूरी जो पाली के अंग हैं उनको न्याय के लिए सिरोही भेजा जाय, न्याय न मिले और न्याय मिलने में कठिनाई हो तो मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय ध्यान देंगे । इस मांग के लिए स्पष्ट शब्द कहने की कृपा करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट के लिए यह कहना चाहूंगा दोनों तरफ की बातें हैं । एक तरफ 15 साल पहिले फैसला हो चुका है । दो हाई पावर कमेटी बिठा दी गई और उसको 15 साल हो गए । इसके बाद फिर सवाल उठाया जाय और यह कहा जाय हाई कोर्ट की बैन्च वापिस आनी चाहिये । बीकानेर वाले भी कहते हैं और भी डिविजन वालों की मांग हो सकती है । कहीं न कहीं तो इसका अन्त होगा । जब एक निर्णय हो चुका है और मैं कहता हूं इसके लिए आन्दोलन भी हो चुका....

(समय समाप्ति सूचक दीर्घ घण्टी)

(श्री शंकरलाल)

उसको बार बार उठाना उचित नहीं है। आप गरीब को न्याय दिलाने की बात करते नहीं हैं, आप हाई कोर्ट की बात करते हैं जहां सीमित आदमियों से सम्बन्धित बात है और मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस मांग को बार बार उठाना....

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री शंकरलाल : इसीलिए मैं कह रहा हूं इस हाई कोर्ट के प्रश्न को बार बार न उठाया जाय और उठाने की बात कही जाय तो केपिटल की बात वापिस उठती है। इसलिए निवेदन करूंगा कि वह मामला जिसका निर्णय हो चुका है, उसको न उठाया जाय।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं एजूकेशन के संबन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह जो यूनीवर्सल एजुकेशन का प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है उसमें राजस्थान को भी अपना कर्त्तव्य निभाना है इसके लिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में 6 से 11 साल के बच्चों को और 11 से 14 साल के बच्चों को उनकी संख्या के अनुपात में जो प्रतिशत प्राप्त करना चाहिए था वह आपने प्राप्त नहीं किया है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जो आपने वार्षिक प्रगति विवरण दिया है उसमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। आपने जो 81 प्रतिशत की बात कही थी उसमें 81 प्रतिशत का जो आब्जेक्ट था वह प्राप्त कर लिया है या नहीं इसके ऊपर प्रगति विवरण बिल्कुल मौन है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप इससे बहुत दूर हैं इसलिए इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर मौन है लेकिन आज बोलेंगे।

श्री प्रतापसिंह : इसके लिए मैं निवेदन करूं कि जब उनके पास आंकड़े नहीं हैं तो बोलना सम्भव नहीं होगा। खैर, मैं इसके लिए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर बहुत कुछ कमियां रही हैं और उन कमियों की तरफ जब मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं तो पंचायत समितियों की जो शिक्षा पद्धति है उसके लिए कुछ उल्लेख करना चाहूंगा और वह यह है कि पंचायत समितियों को जो प्राथमिक शिक्षा दी गयी है वहां पर बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार होता है विभाग का और पंचायत समितियों का पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा देकर विभाग यह समझ लेता है कि यहां के जो शिक्षक हैं उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है, वहां की जो पाठ्य सामग्री है उससे उनका कोई वास्ता नहीं है, अध्ययन के लिए जो उपकरण उपलब्ध होने चाहिए उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है और सारी जिम्मेदारी पंचायत समितियों पर डाल दी है जब कि पंचायत समितियों के पास इसके लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। वस्तुतः स्थिति यह होनी चाहिए कि विभाग की जो विचारधारा बनी हुई है कि सारी पंचायत समितियों की जिम्मेदारी है और प्राथमिक शिक्षा से विभाग का कोई लेना देना नहीं है। जब कि स्थिति यह है कि विभाग के बिहाफ पर पंचायत समितियां काम करती हैं और पंचायत समितियों का जितना सहयोग प्राप्त कर सकें वह करें। पंचायत समितियों का सीधा

(श्री प्रतापसिंह)

सम्पर्क जनता से रहता है और जहां तक शिक्षकों का प्रश्न रहता है वह सरपंच का सहयोग लेकर अटेन्डेन्स मैन्टेन करने के लिए जरूर सहयोग लिया जाय। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे ढांचे का भार ही पंचायत समितियों के ऊपर डाल दिया जाये और उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाये। वहां अच्छे अध्यापक उपलब्ध नहीं कराके उसमें जो जनता का विश्वास है कम कर दिया जाये। जनता का विश्वास अध्यापकों में नहीं रहता है और निम्न श्रेणी के अध्यापक जाते हैं तो जनता अपने आप ही उससे दूर हट जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, या तो मुझे समय ही नहीं देते और दिया है तो मुझे पूरी बात कहने का अवसर दिया जाये। तो जनता का विश्वास नहीं रहता है तो यह कैसे मानकर चल सकते हैं कि बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे जहां अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो सके। अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें हमारी जो शिक्षा का स्तर है उसकी तरफ भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केवल हम क्वान्टिटी की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन जो शिक्षा की क्वालिटी है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अच्छे स्तर की शिक्षा दिलाने के लिए हायरसैकेन्डरी लेवल तक के लिए सोचना होगा और यह तय करना होगा कि किस तरह की शिक्षा वहां पर उपलब्ध करा सकें। जैसा अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने सेंट जेवियर और अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं उनका उल्लेख किया कि वहां का निकला हुआ छात्र आई. पी. एस., आई. ए. एस. और आई. एफ. एस. की प्रतियोगिता में आ जाता है और जो ग्रामीण स्तर की शिक्षा है उसका जो छात्र है या शिड्यूल्ड कास्ट के छात्र हैं वह वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा है उसका जो स्तर होना चाहिये वह स्तर नहीं है। तो उसके लिए सरकार को यह चाहिए कि जिन शिक्षण संस्थाओं का यहां उल्लेख किया गया है वहां ऐसी कौन सी शिक्षा है या वहां ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण से वहां के छात्र तो कम्पीटीशन में बैठकर अपने आपको सक्षम साबित कर देते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा हैं वहां के जो छात्र हैं उन बेचारों को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर को समान बनाया जाये और इस ओर पूरी तरह से सरकार अग्रसर होकर जो ग्रामीण स्तर की शिक्षा है उसको आकर्षक बनाकर जो आपका लक्ष्य है इसको पूरा करें। इस संबन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरे जहां पंचायत समिति का उल्लेख किया है वहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अनेक पंचायत समितियों ने इसमें काफी अच्छी रुचि ली है। शिक्षा कर लगाया गया है और उसके लिए कुछ उपकरण और भवन बनाने के लिए पंचायत समितियों ने अपने स्तर पर प्रयास किया है जिसके लिए राज्य सरकार ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां शिक्षा कर अपने स्तर पर लगाया है वहां उनको प्रोत्साहन देने के लिए जब शिक्षा के मद से राशि आवंटन करें तो उसको ध्यान में रख

(श्री प्रतापसिंह)
कर विशेष राशि का प्रावधान उन पंचायत समितियों में आप अवश्य करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी प्रकार मैं किशनगढ़ कॉलेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। किशनगढ़ कॉलिज में जो 7-2-74 को घटना हुई उसके लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि किशनगढ़ कॉलेज को काफी लम्बे अर्से से उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया और विभाग जिम्मेदार है कि वहां पर छात्रों में असन्तोष फैला और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 7-2-74 को किशनगढ़ बन्द किया और उसके संबन्ध में माननीय मंत्री महोदय पूरी तरह से अवगत हैं। मैं इस संबन्ध में केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो मांगे प्रस्तुत की हैं वह मंत्री महोदय तक पहुंच गयी हैं। उनको स्वीकार कराने के लिए मैं पुरजोर शब्दों में आग्रह करूंगा और इन मांगों के अतिरिक्त जो एक विशेष मांग है और जिसके लिए मंत्री महोदय ने छात्रों को विश्वास में लिया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा। और यही आग्रह करूंगा कि जो छात्रों का विश्वास है उसको बनाये रखें और उस मांग को पूरा करने में अधिक विलम्ब नहीं करते हुए वहां की जो कॉलिज से सम्बन्धित मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए मंत्री महोदय से निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा निवेदन करना चाहता था कि आज जो सदन में सदन के माननीय सदस्य श्री भूराराम के साथ दुर्व्यवहार हुआ और अभद्रता बरती गयी और जिसके बारे में अभी कुछ समय पहले सदन के सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे और हमने निवेदन किया था कि आसन की ओर से उचित आज्ञा कल हो जांच के पश्चात् इस बीच स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कम से कम उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ सस्पेन्शन की कार्यवाही की जाये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की भावना को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय व माननीय सचेतक महोदय इसके बारे में कुछ न कुछ घोषणा अवश्य करें ताकि सदन की मान मर्यादा के बारे में विश्वास पैदा हो सके।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैंने पूर्व में भी सदन के सामने यह निवेदन किया था कि माननीय सदस्यों ने जो यहां पर भाषण दिया है और जो उन्होंने विचार व्यक्त किए उससे मेरी और सभी माननीय सदस्यों की एक सी विचारधारा थी। सभी यह चाहते थे कि उनके साथ में न्याय किया जावे और उनके साथ में जिस किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से टेलीफोन पर बातचीत की और उनकी परमीशन ले ली है और मैंने आई. जी. को भी टेलीफोन कर दिया है कि उस व्यक्ति को तुरन्त सस्पेंड कर दिया जावे।

(करतल ध्वनि)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि आज कुल मिला

(श्री खेतसिंह)

कर करीब 9 घण्टे तक इन दोनों मांगों पर विचार विमर्श हुआ और 32 माननीय सदस्यों ने अलग 2 मांगों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कुल मिला कर न्याय प्रशासन में 63 और शिक्षा की मद पर 267 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक न्याय प्रशासन का ताल्लुक है माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह बतलाया कि न्याय सस्ता, सुलभ और समय पर मिल जावे। न्याय निष्पक्ष हो, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कम हो और इसी प्रकार के सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये। मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि कुल मिला कर न्यायपालिका के बारे में माननीय सदस्यों की राय अच्छी थी और सभी ने और खास तौर से जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे हाई कोर्ट का स्टेंडर्ड अच्छा है। हमारे न्यायाधीश योग्य हैं और न्यायपालिका में काम करने वाले अधिकांश डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों की और मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की काफी अच्छी पैठ और रेपुटेशन है। मुझे इस बात पर संतोष है लेकिन फिर भी यदा कदा इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं और जनता में इस बारे में यह चर्चा होती रहती है कि न्याय प्रशासन में भ्रष्टाचार आ गया है। इस बारे में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से परामर्श किया और हम यह चाहते हैं कि हम अलग से एक विजिलेंस रजिस्ट्रार इसी सर्विसेज के लिए मुकर्रर कर दें कि जिनके पास में आमतौर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों के बारे में इस प्रकार की शिकायतें आवें तो वे मौके पर जावें और जांच करें और यदि किसी भी अधिकारी को दोषी पाया जावे तो एक्शन लिया जावे।

हमने इस बात का भी प्रावधान किया है कि हर जिले के अन्दर हम यह प्रयत्न करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के अधीन हम एक प्रकार की विजिलेंस कमेटी बनावें और उस कमेटी के अन्दर मैं माननीय न्यायाधीश को लिख रहा हूं कि जहां तक सम्भव हो सके वहां के स्थानीय विधायक महोदय को भी शामिल किया जावे और यदि किसी भी स्थान पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट की इस प्रकार की शिकायत आवे तो उनकी जांच करली जावे ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 1 अप्रेल से हम जाप्ता फौजदारी के जो संशोधन हुए हैं उसके अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग सेपरेट करने जा रहे हैं और उससे कुल मिला कर 1 लाख, 10 हजार केसेज जो हमारे एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास हैं वह ट्रांसफर होकर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चले जायेंगे। और यह भी सही है कि इनके कारण हमको बहुत काफी रद्दोबदल करनी पड़ेगी। कई नए कार्यालय तय करने पड़ेंगे, कई नए पदों का सृजन करना होगा। मैं इस मौके पर यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब बिल्कुल सेपरेशन हो जाएगा ज्यूडिशियरी का तो उस वक्त में लोगों में जो यह बात रही है कि एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से दवाव डाल कर फैसले करा लिए जाते हैं, यह बिल्कुल मिट जाएगा और

(श्री खेतसिंह)

निष्पक्ष न्याय हर राजस्थान की जनता और हर व्यक्ति को मिल सकेगा। इस मान्यता के आधार पर यह न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग की जा रही है। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कार्यपालिका के पास में सिर्फ लॉ एण्ड आॅर्डर का ही कार्य और खासतौर से दफा 107, 133, 145, 147 की कार्यवाही ही रहेगी। इसके अलावा आमतौर पर सारे के सारे केसेज यह ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में ट्रांसफर कर दिये जावें जिससे माननीय सदस्य काफी हद तक जो चाहते थे और हमने जो संविधान बनाते वक्त में हमारी भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया था कि हम मूल में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर देंगे ताकि हर इन्सान को न्याय मिल सके और सच्चा और निष्पक्ष न्याय मिल सके। उसी आधार पर हम यह कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करता हूं कि अभी कुल मिला कर 137 मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं और हाईकोर्ट ने 202-नए कोर्ट की मांग की है। अब इसमें धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए तय करना होगा कि कितना कब कर सकते हैं। अभी शुरूआत में 20 नए कोर्ट कायम करने पड़ेंगे ताकि यह जो केसेज ट्रांसफर हों वह उन मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स के पास में चले जायं और वे न्याय दे सकें।

इसी प्रकार से 27 चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट कायम करने जा रहे हैं और हर जिले के हैड क्वार्टर पर एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा। जसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य काफी परेशान थे कि जैसलमेर में चीफ ज्यू. मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा या नहीं, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि हर जिले के हैड क्वार्टर पर चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी और एक अधिक जो हम कायम कर रहे हैं, 27 कायम कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि जयपुर जिले में दो चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट हों, एक शहर के लिए और एक देहात के लिए। इस आधार पर यह किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के अन्दर कुल मिला करके आठ परमानेंट जजेज का स्थान हुआ करता है जिनमें से छः स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति काय कर रहे हैं और दो वेकेंट पोस्ट हैं जिनमें से एक पर मजिस्ट्रेट गट्टानी का कन्फर्मेशन होना था लेकिन इसी बीच वे रिटायर हो गए। उन्होंने स्तीफा दे दिया है। इसलिए अब यह मुद्दा वापस राज्य सरकार के सामने आ रहा है और जस्टिस जे. पी. जैन और एम. एम. जोशी जो राजस्थान हाई कोर्ट में बाकी हैं उनके बारे में विचार होने के बाद कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद नए जजों को जहां तक और सलेक्ट करने का ताल्लुक है, एडीशनल जजों के तौर पर तय किया जाएगा। यह सवाल भी जल्दी से जल्दी तय हो जाय ताकि हाई कोर्ट के अन्दर पूरी स्ट्रेंग्थ होकर जल्दी केसेज फैसल हो सकें इस ओर भी राज्य सरकार तत्पर है और हम प्रयत्नशील हैं कि इस मामले का जल्दी से जल्दी फैसला हो जाय ताकि इस प्रकार की दिक्कत न रहे।

(श्री खेतसिंह)

राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट और सैशनकोर्ट भी कुछ स्थानों पर बढ़ायेंगे। वह कहां कहां होंगे यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं इस मौके पर आपको नहीं बता सकता कि कौन कौन से स्थान पर डिस्ट्रिक्ट सैशनकोर्ट कायम होंगे लेकिन निश्चित तौर पर जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो रही है, कुछ कोर्ट इस प्रकार की कायम करनी होंगी और इसी आधार पर हम इस ओर विचार कर रहे हैं।

अन्त में मैं खास तौर से माननीय सदस्यों से हाईकोर्ट के बैंच जयपुर में कायम हो, इसके बारे में काफी जोरों से बातें कही गई और दूसरी ओर जोधपुर डिविजन से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट वहीं रहेगी। क्योंकि यह मसला काफी पुराना है, माननीय सदस्य इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और यह जो डिसीजन लिया गया यह बड़ा पोलिटिकल डिसिजन था और उस वक्त में जिस वक्त कि देशी रजवाड़ों का इण्टीग्रेशन होकर राजस्थान बना था उस वक्त में यदि आप देखें, आज से 27 साल पहले जबकि मारवाड़ की एक अलग स्टेट थी और जयपुर एक अलग स्टेट थी, उस वक्त इन दोनों शहरों की क्या आबादी थी। उन दिनों जोधपुर शहर की आबादी 2 लाख 20 हजार थी और जयपुर की आबादी 2 लाख 30 हजार थी। कैपिटल होने से आज जयपुर की आबादी साढ़े सात लाख पहुंच गई और जोधपुर की आबादी साढ़े तीन लाख की ही रह गई। और माननीय सदस्यों से ये हालत भी छुपे हुए नहीं हैं कि अलग अलग रियासतों को मिला कर कुछ रियासतों की हालत को देखते हुए कहीं कैपिटल रखी गई तो कहीं पर हाईकोर्ट कायम किया गया तो कहीं पर रेवेन्यू बोर्ड दिया गया। लेकिन यह बात सही है कि प्रजातंत्र के अन्दर कोई सवाल हमेशा के लिए क्लोज नहीं हुआ करता और इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न के ऊपर विचार करने से पहले एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना होगा। यह आपका और हमारा सब का दायित्व है कि जोधपुर के लोगों को इस प्रकार से उनको तैयार किया जा सके जिससे जोधपुर की जनता को, जोधपुर के लोगों को खुशी हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी कन्सेन्ट से किया जावे।

श्री खेतसिंह : यह सारी परिस्थितियां हैं जिसके लिए बहुत ठण्डे दिमाग के साथ में बहुत ही विचार करके निर्णय हो सकता हैं, आसानी से उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(करतल ध्वनि)

(व्यावधान-अश्रव्य)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह इतना आसान मुद्दा नहीं है कि आप टेबल बजा कर अभी मुझसे फैसला करवा लें। सारे लोगों की भावनाओं को देखना पड़ेगा, इसके बाद में ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है। मैं इस मौके पर ज्यादा कन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता हूं। मेरी भावनाओं को आप जानते हैं और मैं आपसे निश्चित तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य का न्याय मंत्री होने के नाते मैं संकुचित विचारधारा का व्यक्ति नहीं

(श्री खेतसिंह)

हूं। मैं यह जरूर चाहता हूं कि सब के साथ न्याय होना चाहिये लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आखिर जोधपुर राजस्थान का भाग है। उसको अपना हक मिलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में न्यायपालिका के बारे में जो कुछ कहना चाहता था, मैंने निवेदन किया।

एडवोकेट जनरल के बारे में माननीय सदस्य अलवर से आने वाले ने यहां पर प्रश्न उठाया था कि एडवोकेट जनरल का ऑफिस दिल्ली में ही क्यों रख रहे हैं। क्या राज्य सरकार को और दूसरे एडवोकेट जनरल नहीं मिलते हैं। वे दिल्ली में ऑफिस रखते हैं, जयपुर में क्यों नहीं रखते हैं। एडवोकेट जनरल आमतौर पर केसेज में हाजिर नहीं होते हैं, एडजोर्नमेन्ट लेना पड़ता है और सरकार को खर्चा भुगतना पड़ता है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बात नहीं है। इस बात की जांच की है, हमने जांच की है और मालूम किया है कि एडवोकेट जनरल पर जो खर्चा कर रहे हैं, वह जो भूतपूर्व एडवोकेट जनरल पर खर्चा किया जा रहा था आया उससे ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। वर्तमान एडवोकेट जनरल पर कम खर्च कर रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहा है। यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक उनकी वकालत की एफीशियेन्सी का सवाल है जो उनकी रेपुटेशन है, उस हिसाब से वे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लायर हैं और वे बार एसोसियेशन के प्रेसीडेन्ट हैं। उस हैसियत का व्यक्ति राजस्थान का एडवोकेट जनरल हो, यह खुशी की बात है। किसी का दुर्भाग्य नहीं है। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उनको कोई अलाउन्स नहीं दे रहे हैं। एक फ्री हाउस दे रखा है। यह गवर्नमेन्ट का हाउस है जिसका पुराना किराया 157/- रुपया मासिक है। वह मकान एडवोकेट जनरल को दे रखा है जिसके अन्दर वे तशरीफ रख रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनकी स्वयं की लाइब्रेरी है जिससे वे अपना काम चलाते हैं। सुप्रीमकोर्ट के वे एडवोकेट हैं, उनकी बड़ी अच्छी प्रेक्टिस है इसलिए उन्होंने यह जरूर अनुरोध किया कि वे दिल्ली में ही रहना चाहेंगे और वहीं कार्यालय रखेंगे। आमतौर पर जब कभी भी हाईकोर्ट में केसेज होते हैं वे आते जाते रहे हैं और हमें यह पूरी उम्मीद है कि जिन केसेज के अन्दर एडवोकेट जनरल अपीयर होंगे वहां पर कामयाबी मिलेगी और आप सोचते हैं कि इससे स्टेट को घाटा होगा, वह घाटा नहीं होगा। वे एक अच्छे वकील हैं और इसमें कोई फर्क नहीं है जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो स्वयं राजस्थान बार के लीडिंग एडवोकेट हैं, उन्होंने भी यह राय दी है और हमारे विभाग की भी यह राय है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एफीशियेन्सी, उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से देखें तो हमारे एडवोकेट जनरल अच्छे हैं। उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, हाईकोर्ट के अन्दर पैठ है, इन्हीं विचारों के साथ मैं न्यायपालिका की जो मेरी डिमान्ड है, उसको खतम करता हूं।

इसके बाद में आप पूछना चाहें तो पूछ लें ताकि मैं आगे चलूं। आज आप भी काफी थके हुए हैं।

अब मैं आपके सामने मांग संख्या 24-25, शिक्षा के बारे में निवेदन करने

(श्री खेतसिंह)

के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा के विषय में माननीय सदस्यों ने बहुत ही माकूल, समयानुकूल सुझाव दिए हैं जिसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि शिक्षा में हमने आजादी के बाद में काफी प्रगति की है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वहीं पर हैं, प्रगति नहीं की है। मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर यह प्रयत्न करूंगा कि हम काफी आगे बढ़े हैं। प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से सन् 50-51 में कुल मिला कर विद्यालयों की संख्या 4,336 थी जो 73-74 में 19,381 हो गई है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक शालाएं 50-51 में 732 थी जो अब 4,837 हैं। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शालाएं 175 थीं आज वे 1,348 हैं। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर 50-51 में 5,243 शालाएं थीं जिसकी जगह आज 25 हजार 566 शालाएं हैं। यह जाहिर करता है कि हमने इस ओर प्रगति की है।

कॉलेज शिक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे कि कुल कालेज 24 थे जिनका नम्बर बढ़ कर 90 हो गया है। और इसी प्रकार से अध्यापकों की संख्या 50-51 में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक इन सबको मिला कर अध्यापक कुल 18 हजार 586 थे और आज 1 लाख 2 हजार 735 हो गये हैं। इसी प्रकार से छात्र छात्राओं की संख्या लाखों में देखेंगे। सन् 50-51 में प्राथमिक शालाओं में 3 लाख 30 हजार थे और आज 74-75 में इनकी संख्या करीब 22 लाख हो जाएगी। उच्च प्राथमिक शालाओं में उस वक्त 61 हजार थे और आज हमारा लक्ष्य है 6 लाख 40 हजार का। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं में 18 हजार थे और इस वर्ष हमारा लक्ष्य है 2 लाख 60 हजार का। उस वक्त में कुल मिलाकर 4 लाख 9 हजार ही छात्र छात्राएं थीं और आज 31 लाख के करीब होने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के अन्दर काफी ज्यादा प्रगति हुई है। इसी प्रकार से विद्यालयों में जाने वाले छात्र छात्राओं का प्रतिशत 50-51 में प्राथमिक का 16.6 प्रतिशत था। और आज 74-75 में यह 55 प्रतिशत होने जा रहा है। उच्च प्राथमिक शालाओं के अन्दर उस वक्त 5.4 प्रतिशत था और आज यह 30 प्रतिशत होने जा रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 1.8 प्रतिशत था और अब वह 14 प्रतिशत होने जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमने इस ओर प्रगति की है लेकिन इस प्रगति से संतोष नहीं होना चाहिए। फिर भी यह जरूर निवेदन करूंगा कि कुल मिलाकर के इस प्रगति को देखेंगे और जो हम इस वक्त शिक्षा पर कुल व्यय करेंगे, उसको अनुपात में देखेंगे तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि काफी तरक्की की है। 55-56 में शिक्षा के मद पर कुल मिलाकर 3 करोड़ 70 लाख का खर्च होता था जो आज कुल मिला कर 63 करोड़ 15 लाख का खर्च कर रहे हैं। यह सारा आंकड़ा इसलिए रख रहा हूं जिससे आपको मालूम होगा हमने प्रगति की है। शिक्षा की दृष्टि से जो बजट का हम खर्च कर रहे हैं वह और प्रान्तों से अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि उनसे यह खर्च कम है। बजट का कुल शिक्षा के मद पर प्रावधान जो इस वर्ष है वह 336 करोड़ 44 लाख का है और उसमें से 63 करोड़ 15 लाख का शिक्षा के मद पर हम व्यय कर रहे हैं।

236

(श्री खेतसिंह)

यह जो हमारा प्रतिशत है वह अन्य राज्यों से ज्यादा है—जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालेन्ड, उड़ीसा, मणीपुर, त्रिपुरा और हरियाणा से। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे, सशक्त राज्यों से हम शिक्षा के मद पर ज्यादा खर्च कर रहे है। तो यह साबित करता है कि शिक्षा पर राज्य सरकार काफी अच्छा बजट का हिस्सा खर्च कर रही है, शिक्षा का जो बजट का प्रावधान है उसमें राज्य सरकार की यह मंशा है कि शिक्षा राजस्थान में दिन प्रतिदिन वढ़े। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे पुरानी स्टेट के लिहाज से ऐसी स्टेट मर्ज हुई हैं जहां कि एक दो स्कूलें ही थीं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात के साक्षी होंगे कि उस रियासत के अन्दर एक स्कूल थी जहां पर आज हजारों प्राइमरी, सैकेण्ड्री, मिडिल स्कूल खोल दिये गये हैं। हम शुरू से ही बहुत पिछड़े हुए थे। पिछड़े हुए रहने के कारण दूसरे राज्यों के मुकाबले में हम शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाये। अनिवार्य शिक्षा लागू करना चाहते थे, उसमें सफल नहीं हुए। जो परसेन्टेज रखा है उससे कहना होता है कि राज्य सरकार की इस बात के लिए इच्छा है कि शिक्षा की दृष्टि से लोगों में ज्यादा प्रसार करें, ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा हमारे बच्चे स्कूलों में जाएं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले वर्ष प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में 4,000 अध्यापक रखे और आने वाले वर्ष में हम करीब 4,000 और नये अध्यापक और 1,000 जो रिटायर हो जाएगे, इस प्रकार 5,000 अध्यापक नियुक्त करेंगे। राज्य सरकार इस ओर जागरूक है। चाहती है कि शिक्षा के अन्दर प्रगति हो और हर बच्चा जो गांव में रहता है, उसको शिक्षा मिल सके। आज हम यह कहने की परिस्थिति में हैं कि 500 से कम की आबादी वाले गांवों में भी हमने प्राथमिक शालायें खोल दी हैं, और अगले वर्ष 100 स्कूल ऐसे रखे हैं जो कि ऐसे इलाके रह गये हैं जिनके अन्दर जरूरत है तो उनके वहां पर इस वर्ष और खोल देंगे।

बाद में जो हमारा लक्ष्य है वह भी मैं आपको निवेदन करूंगा। 74-75 में कुल मिलाकर हम यह नई बातें करने वाले हैं जो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। 5,000 नये अध्यापक भर्ती किये जायेंगे। कुल मिलाकर 60 नये विषय विभिन्न स्कूलों के अन्दर हम खोलेंगे।

कुछ बातें माननीय सदस्यों ने आमतौर पर पंचायत समिति के स्तर पर चलने वाली स्कूलों के बारे में बड़ी शिकायतें की हैं, और उन्होंने यह जाहिर किया है कि देहाती स्कूलों का ठीक तौर से सुपरवीजन नहीं होने के फलस्वरूप वहां का स्तर बहुत गिर रहा है। यह भी बतलाया गया है कि अध्यापक राजनीति में फंस गये हैं और पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देते हैं। इसके लिए हमने तय किया है कि हायर सैकेण्डरी स्कूल के हैड मास्टर के स्तर के व्यक्ति जो कि सीनियर हैं और डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की ग्रेड के हैं उनका चयन करने जा रहे हैं और 27 नये पद हर जिले के अन्दर कम करने के लिए कर रहे हैं। उनका यह काम होगा कि पंचायत समितियों में चलने वाले स्कूलों का इन्सपेक्शन करें। उनको इन्सपेक्शन करने का पूरा अधिकार

(श्री खेतसिंह)
होगा और वह पूरा सुपरवीजन रखेंगे जिससे पंचायत समिति के अन्दर जो स्तर गिर रहा है उसमें कुछ सुधार आए ।

हमने यह भी प्रयास किया है इस साल 74-75 में प्राथमिक शिक्षा पर 43.42 लाख, माध्यमिक शिक्षा पर 16.25 लाख, उच्च शिक्षा पर 6.10 लाख, तकनीकी शिक्षा पर 69 लाख, संस्कृत शिक्षा पर 50 लाख, खेल-कूद पर 78 लाख और अन्य पर 49 लाख। योजना में विश्वविद्यालय पर 3.67 लाख खर्च करने जा रहे हैं, और कुल मिलाकर 63.15 लाख शिक्षा के मद पर खर्च करेंगे·······

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह सारा 3.13 लाख ही है। 63 करोड़ की योजना में 3 लाख ही करेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : 3 करोड़ है साहब।

श्री खेतसिंह : 3 पाइंट का मतलब 3 करोड़ 67 लाख है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सीधे से बोलिये।

श्री खेतसिंह : आपकी समझ में नहीं आया।

मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर कुल मिलाकर प्लान के तहत और नॉन प्लान के तहत जो खर्चा इस साल होगा वह 62 लाख का होगा और अगले साल और बढ़ जायगा। कुछ प्लान में भी आ जायेगा। लेकिन पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो हम करने जा रहे हैं उसका लक्ष्य मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूं। प्राथमिक स्कूल जो खोल रहे हैं वह 100 इस वर्ष और अगले वर्ष के अन्दर खोले जायेंगे। इस प्रकार नई उच्च प्राथमिक शालाएं 500, नये सैकेण्डरी स्कूल 200, नये हायर सैकेण्डरी स्कूल 50, कॉलेज 7। सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल में नये विषय खोलने के लिए साइन्स बायोलॉजी 60, कॉमर्स 60, कृषि 30, अन्य विषय 30 हायर सैकेण्डरी स्कूलों में और अन्य विषय 30 और अध्यापक नये लगायेंगे करीब 9,000। कहने का मतलब यह है कि हम अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर कॉलिजेज, हायर सैकेण्डरी स्कूलों और सैकेण्डरी स्कूलों की तरफ भी राज्य सरकार का ध्यान है। हम चाहते यह हैं कि, शुरू में प्राथमिक शालायें और उच्च प्राथमिक शालायें कई खोल दी जायं और मैं चाहता हूं, कि हर गांव के लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े और बच्चों की शिक्षा उनको वहीं पर मिल जाय। यह वर्ष शिक्षा के मद में बढ़ोतरी का नहीं होगा। इस वर्ष हम यही कोशिश करेंगे कि जहां पर कमी रही है उसको पूरा किया जाय। आमतौर पर माननीय सदस्यों की यह राय रही है, और उनका यह ऐतराज भी रहा है कि उनके यहां पर गत वर्ष जो पाठशालाएं खोली गई हैं उनमें पूरे अध्यापक नहीं हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि प्रथम वर्ष में जहां कहीं भी प्राइमरी शाला को अपर प्राइमरी स्कूल किया है वहां पर प्राइमरी स्कूल में स्टाफ पंचायत समिति का ही रहा है। हमने एक हैडमास्टर ही वहां पर

(श्री खेतसिंह)
बैठाया है। अगले वर्ष में ज्योंहि स्कूल की बिल्डिंग शिक्षा विभाग के तहत में आ जायेगी तो हम यही प्रयत्न करेंगे कि पूरा स्टाफ उन स्कूलों में लगाया जाय। इस प्रकार 4 हजार नये टीचर्स हम भर्ती करने जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग देने के बाद या और कहीं कमी होगी उसकी पूर्ति करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब अपर प्राइमरी स्कूलों के अन्दर स्टाफ पूरा हो जायगा उसके बाद में यह सोचना आवश्यक हो जायगा कि अब हमको दूसरे वर्ष में जब एट्थ के लड़के नाइन्थ में आयेंगे तो सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी खोलना लाजमी हो जायगा। उन वर्षों के अन्दर सैकेण्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूल भी खोले जायेंगे। यह मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूंगा।

अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सैकेण्डरी स्कूल किया है उसको हायर सैकेण्डरी स्कूल करना चाहिए। लालसोट में हायर सैकेण्डरी स्कूल को कॉलेज बना दें। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस वर्ष न तो नये कॉलेज खोलने जा रही है, न सैकेण्डरी स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने जा रही है। महज जो स्कूल जो राजस्थान कैनाल के एरिया में नई मण्डियां बनाने जा रहे हैं उनके यहां पर प्राइमरी स्कूल और 2 माध्यमिक स्कूल खोलेंगे। इसके सिवाय कहीं नये स्कूल नहीं खोले जायेंगे। इस वर्ष प्रयत्न यह रहेगा कि स्टाफ को पूरा करें। 100 प्राइमरी स्कूल और 100 मिडिल स्कूल रखे हैं तो जहां पर अत्यन्त आवश्यकता है जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य और जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डेजर्ट का एरिया है या हिल्ली एरियाज हैं जहां पर अत्यन्त आवश्यकता है वहां पर खोले जायेंगे। और किसी क्षेत्र में स्कूल की बात नहीं है। जहां पर अत्यन्त आवश्यकता है और स्कूल पहले से नहीं हैं वहां पर प्राथमिकता दी जायगी और बचे हुए स्कूल्स वहां पर खोले जायगे जहां कि सबसे ज्यादा जरूरत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगले पांच वर्षों में आप युनिवर्सल प्राइमरी एजूकेशन का लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे जो कि ऑल इंडिया की पॉलिसी है।

श्री जयकिशन : आप तीन स्कूलें खोल रहे हैं तो उनकी गिनती 250 के अन्दर है या अलग से खोली जायेंगी।

श्री खेतसिंह : यह पंचवर्षीय योजना के तहत है। राजस्थान कैनाल का प्रावधान अलग रखा है। उसी के अन्दर यह है।

श्री जयकिशन : तीन तो पूरी होंगी।

श्री भीठालाल : बीच में टोका टाकी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निवेदन यह है कि प्राथमिक स्कूल जो जरूरी हैं वह उन विधायक क्षेत्रों में जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं उनके लिए प्रावधान रखें तो फायदा होगा।

श्री खेतसिंह : आपके सुझाव पर अवश्य गौर किया जायगा।

अब मैं युनिवर्सिटी शिक्षा पर चलता हूं। युनिवर्सिटी शिक्षा पर आमतौर पर माननीय सदस्यों ने कोई ज्यादा बहस नहीं की। यह बात जरूर कही है कि आज युनिवर्सिटी....

श्री जयकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। नये सब-जेक्ट्स जो खोले जा रहे हैं वह इसी वर्ष खुलेंगे या पंचवर्षीय योजना में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पांच तारीख के लिए छोड़ दिया है।

श्री खेतसिंह : युनिवर्सिटी के बारे में खास तौर से माननीय सदस्यों के सुझाव रहे कि छात्रों को सिन्डीकेट और सीनेट में रिप्रेजेंटेशन देने के कारण क्या मत हैं, क्या सोचते हैं। वनीपार्क से आने वाले, नहीं, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपके और छात्रों के बीच में जो बात हुई, और आपने कुछ आश्वासन दिये और उनकी जो कुछ मांगें थीं उनके बारे में क्या निर्णय लिया। मैं इस सदन को उन निर्णयों की जानकारी देना अत्यावश्यक समझता हूं। और एक एक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

एक मांग यह थी, लॉ ग्रेजुएट हैं, इम्तिहान पास करने के बाद आम तौर पर कई ऐसे लड़के गरीब होते हैं, जिनकी हैसियत किताबें खरीदने की नहीं होती है और वह बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, लेकिन लाइब्रेरी न होने के फलस्वरूप वह वकालत करने से महरूम रह जाते हैं। विश्वविद्यालय छात्र संघ की मांग थी, जो ऋण जिस प्रकार से डाक्टरों को दे रहे हैं, उसी प्रकार से लाईब्रेरी की किताब खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था करें। राज्य सरकार ने इस मांग को मान लिया है हम इसी वर्ष से इस प्रकार के छात्र, जो लॉ पास होंगे, और जो अपना रजिस्ट्रेशन बार कौंसिल में करवा लेंगे, और जिनके माता पिता इन्कम टैक्स पेअर नहीं होंगे, उन लड़कों को इस प्रकार लोन देने का प्रावधान करेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल :
श्री भानुकुमार शास्त्री : } कितना लोन?

श्री खेतसिंह : नौ हजार रुपये तक का।

दूसरी डिमांड यह थी, सीनेट के अन्दर राजस्थान युनिवर्सिटी के छात्रों की डिमांड है, दस मेम्बर हैं और ग्यारहवां हमारा प्रेसीडेंट एक्स ऑफिसियो सीनेट का मेम्बर होना चाहिए। हमने इस बारे में राजस्थान विश्वविद्यालय को लिखा और राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर ने हमें लेटर भेज दिया है कि हमने अपनी सिण्डीकेट के अन्दर इस बात पर विचार विमर्श कर लिया है। उन्होंने सिफारिश की है, एक्स ऑफिसियो मेम्बर यूनियन के प्रसीडेंट को रख लिया जाय। यह बात मान ली है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए ही क्यों रखा है ?

श्री खेतसिंह : सारी के लिए बोल रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारी के लिए रखें।

श्री खेतसिंह : सारी के लिए बोल रहा हूं।

इसी प्रकार सिण्डीकेट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। छात्रों की डिमाण्ड थी कि हमारे तीन रिप्रेजेंटेटिव सिण्डीकेट में होने चाहिए, दो यूनिवर्सिटी कैम्पस और एफ-लियेटेड कॉलेज के और तीसरा प्रेसीडेन्ट।

(श्री खेतसिंह)
इस डिमाण्ड पर भी विचार-विमर्श के बाद तय हुआ है, इनके दो रिप्रेजेंटेटिव सिण्डीकेट में ले लिये जाने चाहिए और इस प्रकार की वाइस चान्सलर ने हमारे पास सिफारिश भेजी है, उसी प्रकार से अब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट लाने का सोच रहे हैं, वह अमेंडमेंट लाते ही दो लड़कों का सिण्डीकेट में जाना शुरू हो जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सारे विश्वविद्यालयों के लिए है ?

श्री खेतसिंह : मैं प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी अमेंडमेंट आ जाय। यह तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए लाना है।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुनिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसी सत्र में आ जायगा।

श्री खेतसिंह : मैं दूसरी दोनों यूनिवर्सिटी को पत्र लिख रहा हूं, उनका जवाब आते ही तीनों यूनिवर्सिटी एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान रख कर अमेंडमेंट ले आयेंगे। मान लीजिये, इसमें देरी होती है तो हम ऑर्डिनेन्स ले आयेंगे और लड़कों को रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से दे देगें।

एकेडेमिक कौंसिल के बारे में छात्रों का रिप्रेजेंटेशन था, इसमें भी प्रतिनिधित्व दिया जाय। उनका बोर्ड ऑफ स्टेडीज में ही रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए छात्र भी मान गये हैं, यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि उसमें आवश्यकता नहीं है।

जहां तक होस्टल में सुविधा देने का प्रश्न है। राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। इसमें यह है कि दो होस्टल जो अभी बन रहे हैं, उनको मुकम्मिल तौर पर तैयार करवा दिया जायगा और उनके बनने में देरी होगी तो किराये के होस्टल हैं वह अगले सत्र में भी चलाये जायेंगे और लड़कों को किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं रहेगी और प्रवेश का उनको अवसर मिलेगा।

उनकी एक मांग यह भी थी कि यूनीवर्सिटी के पास एक राशन की दुकान, दो राशन की दुकान खोली जानी चाहिए। इस बात के लिए हमारे खाद्य मंत्री महोदय से निवेदन किया है, उन्होंने वैसे इस बात को स्वीकार कर लिया और वहां पर दुकानें खोलने की व्यवस्था कर दी जायगी।

इसी प्रकार से छात्रों की एक मांग यह थी, बसों में इधर उधर जाने के लिए पास की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि शहर के बाहर रोडवेज में यात्रा करें, तो एक जगह से दूसरी जगह, जहां पर रोडवेज का मैनेजर रहे, वहां तक उनको पास की दिक्कत न रहे और रिन्यू होने में आसानी हो, ताकि परेशानी नहीं हो। इसके लिए चेअरमैन रोडवेज को लिख दिया है। मैं समझता हूं, बहुत ही जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जायगा और बसेज में इधर उधर जाने में दिक्कत है, वह दिक्कत मिटा दी जायगी।

एक डिमाण्ड यह थी, अंग्रेजी की अनिवार्यता के बारे में, जो आर. ए. एस. एक्जामिनेशन होते हैं उनमें अंग्रेजी का कम्पलसरी

(श्री खेतसिंह)

पेपर होता है। उनकी डिमाण्ड थी, आई. ए. एस. में कम्पलशन नहीं है तो आर. ए. एस. में क्यों रखें। हमने मान लिया है, आई. ए. एस. के लिए जो प्रावधान है, वही आर. ए. एस. में कर दिया जायगा।

एक यह था कि शहर में छवि गृह में कन्सेशन चाहते हैं सात दिन के बाद। इसके बारे में जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि उनका सिनेमाओं में जाना बन्द करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा उनका इस डिमाण्ड पर आग्रह था कि यह डिमाण्ड सबसे पहले मानी जानी चाहिए....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपके वित्त मंत्री महोदय ने बॉबी का शौक फर्माया, बॉबी का उद्घाटन करके शौक फर्माया तो छात्र क्या करेंगे ?

श्री खेतसिंह : इस बारे में मैं समझता हूं कि कुछ सप्ताह के अन्दर निर्णय ले लेगें। मैंने आज ही गृह आयुक्त से बात की है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि इस सप्ताह के अन्दर हम निर्णय ले लेंगे।

जहां तक क्रीड़ा परिषद् में प्रतिनिधित्व देने का प्रश्न है हमने इस पर विचार-विमर्श किया है। हमने तय किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे स्पोर्ट्समैन, जिसका नाम यूनिवर्सिटी अथोरिटी हमारे पास भेजेगी, को हम स्पार्ट्स कमेटी में नॉमीनेटेड मेम्बर रख देंगे।

एक डिमाण्ड छात्रों की यह थी, हमारे लिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कुछ बैड्स सुरक्षित रखे जाने चाहिएं, हमारे लड़कों के लिए बीमारी के समय के लिए शैय्याएं होनी चाहिए। हमने उनके लिए पांच शैय्याओं की व्यवस्था कर दी है, वह रिजर्व रहेंगी।

इसी प्रकार उनका यह कहना था कि पी. एम. टी. में अगले सत्र में कितनी सीट रहेंगी। उनका आग्रह था छः सौ सीट की जायं। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति बतला कर हमने यह कहा कि इतनी हो नहीं सकेंगी। आखिर में जाकर तय हुआ कि 505 सीट हैं जो इस सत्र में, उतनी ही सीट अगले सत्र में रखी जायंगी, इनमें कमी नहीं की जायगी।

एक डिमाण्ड यह थी, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र जो फीस देते हैं, वह सब छात्रों को एक सी देनी पड़ेगी। अण्डर ग्रेजुएट छात्र हैं जिनके पैरेन्ट इन्कम टैक्स पे नहीं करते है, उनकी फीस आधी है, दूसरे छात्र हैं जो इन्कम टैक्स पेयी के पुत्र हैं, उनकी फीस ज्यादा है, डबल है। उनका कहना था कि यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है जब पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं, उनमें वही फीस लेते हैं। हमने यह डिमाण्ड मान ली है, अण्डर ग्रेजुएट क्लासेज में पढ़ने वाले छात्र हैं, और जिनके माता पिता इन्कम टैक्स पेयी नहीं हैं, उनसे फीस, जो दूसरे छात्र हैं, जिनके पैरेन्ट इन्कम टैक्स पेयी हैं, उनसे जो ली जाती है, उससे आधी ली जायगी और इससे जो भी भार सरकार पर पड़ने वाला है, उसका आधा सरकार ओढ़ेगी और आधा, जो इन्कम टैक्स पे करने वाले लोगों के छात्र हैं, उन पर आयेगा। इस प्रकार का निर्णय हमने भी माना है और तय कर लिया है।

(श्री खेतसिंह)

सैनिकों पर आश्रित छात्रों को सुविधा देने के बारे में यूनिवर्सिटी ने स्वयं निर्णय ले लिया है और हमने उनके निर्णय को मन्जूर कर लिया है।

उनकी एक डिमाण्ड थी, रेलवे में हमको पासेज मिलने चाहिएं। हमने कहा, रेलवे बोर्ड ओटोनोमस है, हमारा अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, पत्र व्यवहार तो कीजिये। इस पर हमने कहा है कि हम जरूर पत्र लिख देंगे और होना करना तो आल इण्डिया बेसिस पर है, हमारे हाथ की बात नहीं है।

दूसरा यह कहा कि सन् 1974 के प्रवेश हों, उस समय लड़कों को प्रवेश में दिक्कत नहीं आये। हमने आश्वासन दिया है कि हम प्रयत्न करेंगे और जिन कॉलेजेज् में डबल शिफ्ट चलने की गुंजाइश है, वहां डबल शिफ्ट चला कर लड़कों को एडमिशन देंगे, ताकि लड़के जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको दिक्कत न आवे।

एक डिमाण्ड यह है कि रोजगार प्रधान शिक्षा व्यवस्था की जाय। इस पर माननीय सदस्यों ने भी जोर दिया है। इस डिमाण्ड के लिए हमने विचार विमर्श किया है और हमने छात्र संघ से भी निवेदन किया है कि वह भी अपनी तरफ से सुझाव दे कि किस प्रकार क्या हम वोकेशनल कोर्सेज खोलें, जिसके अन्दर ज्यादा लड़के जाना पसन्द करेंगे और आगे जाकर किसी व्यवसाय में लग जायेंगे। वह सुझाव दें। छात्र संघ ने कहा है कि हम अपनी योजना देंगे, हमने यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी से भी कहा है कि इस प्रकार की योजना बनाये। हम प्रयत्न करेंगे कि अगले सत्र में, अधिक नहीं तो कुछ स्थानों पर इस प्रकार की योजना लागू करें जिसका कुछ निष्कर्ष निकल सके। आप जानते हैं, एक वर्ष में सारी योजना बनाकर सारे राजस्थान में शुरू करें तो सारा बजट इसी में खर्च हो जायगा और हमारे पास कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सारे राष्ट्र की नीति पर निर्भर करता है, राजस्थान हमारा अलग नहीं है। तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है, हम सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग सारे स्कूलों में शुरू कर दें, उसके लिए जितने फण्ड की आवश्यकता होगी उतना फण्ड है नहीं....

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य सांवरमल ने कहा कि कई स्थानों पर कोई चन्दा देकर वोकेशनल ट्रेनिंग खोलना चाहें तो उसमें हमें आपत्ति नहीं होगी, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम उन स्कूलों में कोर्सेज खोलेंगे लेकिन राज्य सरकार इच्छुक होते हुए भी उनकी लिमिटेशन्स हैं। कई बार तो हमें यह भी मुश्किल होती थी कि सारे टीचर्स के पे बिल्स और मैडीकल बिल्स का समय पर न देने से मुश्किलातें आ जाती हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मैं एक साथ यहां कह दूं हमारे लिए फिलहाल सम्भव नहीं है, मैं इसके लिए कोई कमिटमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं। हमने विद्यार्थी संघ से कह दिया था कि आप हमें योजना दें ताकि कुछ शुरूआत करा दें और उसका नतीजा देखने पर धीरे धीरे जो फण्ड्स होंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।

यहां एक बात रखी गई कि मताधिकार की आयु 18 कर दी जाए। इस पर हमने उनसे कहा कि यह भारत सरकार का

(श्री खेतसिंह)

डाइरेक्ट प्रश्न है, 2-3 दिन पहले रेडियो पर आया था कि भारत सरकार विचार कर रही है और जो निर्णय भारत सरकार लेगी, वह सारे देश पर लागू हो जाएगा। इसके अलावा मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा इस मामले में खुला है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो युवा वर्ग है उसमें पूरे देश के अन्दर कितना क्षोभ है, उनकी आकांक्षायें कितनी बढ़ गई हैं वह किसी से छिपी हुई नहीं, राज्य सरकार से तो छिपी रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि राजस्थान का विद्यार्थी जिसकी एक परम्परा है, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार के छात्रों की तरह बिहेव नहीं करेंगे। राज्य सरकार उनकी हर वाजिब मांग को सुनने के लिए तैयार है और अपने वित्तीय साधनों को देखते हुए जो भी हल कर सकेगी, हर समय करने के लिए तैयार है, इसके लिए इन्कार कभी नहीं होगा। हमने पहले भी, विद्यार्थियों के जो प्रतिनिधि मुझसे या मुख्य मन्त्री महोदय से मिले हैं, उनसे हमेशा दिल खोल कर बात की है, उन्होंने भी अपनी समस्यायें हमारे सामने रखी हैं, हमने भी उनसे निवेदन किया है कि आप हमारे सामने छात्रों की समस्यायें लेकर आयें, लेकिन किसी भी पोलिटीकल पार्टी से गाइड न हों या उनके बहकावे में न आयें चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्यूनिस्ट हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो हम छात्रों को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप उनको राजनीतिमें न लायें तो अच्छा है। छात्रों को पूरी तरह से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सारा जीवन उनके आगे है जिसमें वे अच्छे से अच्छा राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। मैं इस मौके पर यह कह सकता हूं कि हमने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ से ही यही नहीं किया है, मैं जब जोधपुर गया तो वहां छात्र संघ के प्रतिनिधि मुझसे मिले तो उनसे भी मैंने यही निवेदन किया था कि आपकी हर मांग को सहानुभूति से विचार करेंगे और जोधपुर यूनिवर्सिटी और उदयपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों की मांगें वही थी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने रखी हैं, उन पर भी उतनी लागू होती हैं जो कि यहां पर लागू होंगी जो सुविधायें राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलेंगी वह उन दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों को भी बराबर मिलेंगी।

इसके अलावा जोधपुर और उदयपुर की एक खास बात छात्रों ने रखी कि उन पर कुछ क्रिमिनल केसेज हैं उन पर राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इस विषय पर मैंने विस्तार से पत्र मुख्य मंत्री महोदय को भेज दिया है और मेरी निश्चित धारणा है कि वह इस पर सहानुभूति से विचार करेंगे और जल्दी निर्णय लेंगे ताकि छात्रों के दिमाग में इस प्रकार की कोई उलझन न रहे।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के बारे में कुछ एलीगेशन्स लगाए उनके दिमाग में मध्य प्रदेश के कुछ केसेज थे, उनकी जांच हो, उनके खिलाफ करप्शन की बात कही लेकिन ये सारे मुद्दे अलवर से आने वाले और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रखे हैं जिसके लिए मुझे कॉल एटेन्शन मोशन पर अलग से जवाब देना होगा इसलिए क्योंकि समय 10.30 हो

(श्री खेतसिंह)

गया है, इस विषय पर आपको कॉल अटेन्शन में जवाब दे दूंगा तब तक के लिये धैर्य रखें।

माननीय सदस्यों ने ट्रान्सफर्स के बारे में भी कई मुद्दे उठाए हैं, खास तौर से अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि आपके यहां धांधली हुई है और आपने अंधाधुन्ध ट्रान्सफर्स की हैं, ट्रांसफर्स करते समय राजनैतिक भावना से द्वेष के वातावरण में लोगों को ट्रान्सफर किया है। मैं नहीं जानता कि किसी का ट्रान्सफर द्वेष से किया है। जोधपुर और सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने सदन के सामने इस बात का प्रयास किया कि वहां की विजीलेन्स कमेटियों ने सबसे पहले निर्णय लिया कि जिन अध्यापकों को 10 साल सैकेण्ड ग्रेड में हो गए या 15 साल थर्ड ग्रेड शहर में हो गए उनके ट्रान्सफर्स शहर के बाहर होनी चाहिये। आखिर ऐसी भी क्या बात है कि मैं और आप एक ही साथ में अध्यापक बने, आपकी तो पोस्टिंग शहर में हुई, मैं देहात में लग गया और डेजर्ट में लग गया जहां आवागमन के साधन नहीं, जिंदगी के सारे वर्ष गांव में गुजारे और आपकी क्योंकि पहले पोस्टिंग शहर में हो गई और आप शहर की एमेनिटीज का हर समय लाभ उठायें तो मेरे साथ अन्याय होगा। राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया कि 10 साल से ज्यादा जो अध्यापक शहर में रह चुका है उसको देहात में जाना चाहिए क्योंकि देहात में भी आपके ही बच्चे पढ़ते हैं। इसी प्रकार गांव में जो अध्यापक रहता है उसको कुछ समय के लिए शहर की अमेनिटीज मिलनी चाहिए, इसी आधार पर सारे ट्रांसफर्स किए गये थे। आज माननीय सदस्यों ने आमतौर पर इस बात पर संतोष व्यक्त किया और आम धारणा यह रही कि यह पद्धति अच्छी है। इस पद्धति को पिछले सत्र में 6 शहरों में अपनाया गया, अब हमारी मान्यता है कि सारे जिला हैडक्वाटर्स पर इस पद्धति को अपनायें। इसके पीछे एक बात यह है कि आमतौर पर अध्यापक अगर ज्यादा समय तक एक सी जगह पर रह जाते हैं तो उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हो जाते हैं। गांव के अन्दर रहता है तो खेती की जमीन ले ली, खेती शुरू कर दी, शहर में है तो दुकान शुरू कर दी, इसलिए उनके ट्रांसफर्स अगर इधर उधर हो जाते हैं तो उनका समय और ध्यान शिक्षा देने में ही रहेगा और इसी भावना से राज्य सरकार ने इस बात को सोचा था। मुझे विश्वास है कि आप सबकी यह मानसिक स्थिति बनती होगी कि उन अध्यापकों को जो जिला हैडक्वाटर्स पर लगे हुए हैं उनके अगले सत्र में हम जिनको 10 साल जिला हैडक्वाटर्स पर हो गए हैं उनको हम गांवों में लगायें और गांव के अध्यापक को शहर में आने दें जिससे उनको भी मौका मिले और वह भी शहर की अमेनिटीज का लाभ उठाए और गांव में उनके वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हों तो वे दूर हो जायें।

श्री दिनेशराय डांगी : आप जरा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के टीचर्स के लिये थोड़ी रियायत दें तो ठीक रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वैसा हमारा सिद्धान्तिक तौर पर इसके लिये कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसमें डिसक्रिमिनेशन होता है वह नहीं होना चाहिये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इसके लिये कोई सिद्धान्त तय कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री खेतसिंह : इसके लिये हमने कुछ प्रिन्सिपल रखे हैं जैसे कि कोई टीचर हार्ट पेशेन्ट हो, कैन्सर का पेशेन्ट हो, कोई टीचर को टी० बी० हो गयी है या किसी टीचर का भाई फौज में नौकर हो और वह दूसरा एक ही भाई हो तो उसके लिये हमें सोचना पड़ता है। तो यह हम सारी परिस्थितियों को ह्यूमनीटेरियन ग्राउन्ड्स पर कुछ तो एक्सप्शन रखना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन इन सभी को आप डिफाइन करादें।

श्री खेतसिंह : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और उसके साथ में उन्हें विश्वास भी दिलाना चाहता हूं इसके लिये कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं रखा जायेगा और जल्दी ही इसके लिये रूल्स डिफाइन कर दिये जायेंगे। लेकिन इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि फिर आप लोग भी मुझे परेशान नहीं करेंगे इसके लिये कि आप इनकी ट्रान्सफर यहां कर दो और उसकी केन्सल करदो। वैसे हम इसके लिये ट्रान्सफर्स के बारे में जो टीचर्स की शिविरा निकलती है उस मैगजीन में रूल्स डिफाइन कर देंगे ताकि उन्हें भी दिक्कत नहीं रहे। और उन्हें भी आपत्ति नहीं रहे। आपको भी इसमें हमें समर्थन देना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इससे आपको भी काफी राहत मिलेगी और हमारा आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा। मैं तो यह कहूंगा कि आपकी 90 प्रतिशत दिक्कत का हल हो जायेगा। वरना आप जल्दी जल्दी ट्रान्सफर्स कर देते हैं उससे आपको राहत मिलेगी, टीचर्स को भी राहत मिलेगी।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने मन्त्री महोदय से यह निवेदन किया था कि इसके लिये शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के टीचर्स को थोड़ी इसमें रियायत दें। उसके बारे में जवाब चाहूंगा।

श्री खेतसिंह : इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी बात बतला देता हूं कि हम जिन टीचर्स को ट्रान्सफर करेंगे उन्हें कम से कम दो साल तक वहां से नहीं हटायेंगे। इसके अलावा जिन अध्यापकों का प्रमोशन होगा उन्हें उस स्थान से दूसरे स्थान पर जरूर ट्रान्सफर किया जायेगा। उन्हें दो फायदे नहीं मिल सकेंगे कि वह प्रमोशन भी लें और शहर में भी रहें। आप डबल एडवान्टेज थोड़ी ले सकते हैं। इस प्रकार मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे अध्यापकों को भी सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। मैं माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में करीब एक लाख से भी ऊपर टीचर्स हैं और अगर हम रोजाना उनकी ट्रान्सफर्स के बारे में ही इधर उधर करने में सारा समय नष्ट कर देंगे तो कुछ भी काम नहीं कर पायेंगे। दूसरे काम भी बहुत हैं वह सब पड़े रह जायेंगे। इसलिये इसके लिये हमने एक कमेटी बनायी थी और उसमें टीचर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी रखे थे पर उसकी मीटिंग नहीं हो सकी थी लेकिन अब इसके लिये उचित निर्णय लिया जावेगा। इसके अलावा अब मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे शिक्षक

Page No 246

(246)

(श्री खेतसिंह)
संघ दो हो गये हैं जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इसमें दो गुट हैं एक तो श्री विशन-सिंह शेखावत व श्री भंवरसिंह शेखावत वाली यूनियन है और दूसरा श्री नानक कुन्दनानी और श्री सनाढ्य साहब वाली यूनियन है। अब किसको रिकागनाइज किया जाय यह प्रश्न विचारणीय है। दोनों ही यूनियनें अपना अपना ज्यादा रिप्रजेन्टेशन ज्यादा बता रहे हैं अध्यापकों में। इसके लिये हमने डाइ-रेक्टर संस्कृत एजूकेशन की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित कर दी है जो कि इसकी इन्क्वायरी करके सारी रिपोर्ट देगी और बतायेंगे कि कौनसी यूनियन ज्यादा रिप्रजेन्टे-शन रखती है ताकि उसे ही मान्यता दी जाय। और बाद में जो दूसरी यूनियन रहेगी उनसे अर्ज किया जावेगा कि वह जिसके सदस्य ज्यादा हों उनमें मर्ज हो जावें। इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि पिछले सत्र में यहां पर श्री हरिदेव जोशी जी ने इसी सदन के अन्दर यह नहीं कहा था कि अभी तक तो एक शिक्षक संघ मान्यता प्राप्त है और वह है श्री विशनसिंह शेखावत वाला संघ। अभी तक तो उसे ही रिप्रजेन्टेशन दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं अभी जब भीलवाड़ा में अध्यापकों का सम्मेलन हुआ था तब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब वहां टीचर्स के पदाधिकारियों को बुलाया तो उसमें श्री विशनसिंह शेखावत वाली यूनियन को ही बुलाया था। अभी तक गवर्नमैन्ट की निगाहों में वही स्टैण्ड करती है। उनका ही रिप्रजेन्टेशन ज्यादा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या यह सही है मन्त्री महोदय कि इसके लिये अभी तक कुछ भी तय नहीं है कौनसे संघ का रिप्रजेन्टेशन ज्यादा है। क्योंकि इसके लिये आपने एक कमेटी बिठा रखी है। उसकी रिपोर्ट आने पर ही सही निर्णय हो पायेगा। पर अभी आपके जो कमेटी बिठाने की बात कही है उसके लिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वही कमेटी है जो पहले सदन में कही गयी थी या कोई आपने अब नयी कमेटी का गठन किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय जब हरिदेव जोशी डिप्टी लीडर थे उस समय उन्होंने कहा था कि श्री विशनसिंह शेखावत वाली यूनियन ही टीचर्स में ज्यादा रिप्रजेन्टेशन रखती है। वह यूनियन ही रिकोगनाइज है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दोनों ही यूनियन रिकोगनाइज हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तथ्यों के अनुसार तो जितनी भी राज्य सरकार की कमेटीज होती हैं उसके लिये श्री विशनसिंह शेखावत को ही बुलाया जाता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दोनों ही को बुलाया जाता है अभी तक यह तय नहीं है कि कौन से गुट का ज्यादा रिप्रजेन्टेशन है।

श्री खेतसिंह : आप दोनों ही सही हैं। दोनों को ही बुलाया जाता है। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके लिए मैंने कह रखा है कि एक कमेटी बैठा रखी है उसकी रिपोर्ट आने

(श्री खेतसिंह)

पर पता चलेगा। वैसे जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी श्री हरदेव जोशी जो कि उस वक्त डिप्टी लीडर थे उन्होंने सदन के प्रांगण में कहा था कि श्री बिशनसिंह शेखावत वाला संघ ही ज्यादा रिप्रजेन्टेशन टीचर्स में रखता है। पर अभी चूंकि इसके लिये डाईरेक्टर संस्कृत एजूकेशन की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी है उसकी रिपोर्ट आने पर ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा माननीय सदस्यों को पाठ्य पुस्तकों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पहले सदन में कई बार आमतौर पर यही शिकायत आयी कि काफी समय बीत जाता है और बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने इसके लिये एक बोर्ड का गठन कर दिया है। एक ऑटोनोमस बोर्ड बना दिया है उसके सदस्य भी नोमीनेट कर दिये हैं और सैक्रेट्री इसके लिए एपोइन्ट कर दिया है। पुस्तकों की छपाई के लिए बैंक से लोन की व्यवस्था की कार्यवाही की गयी है। अब इस साल बच्चों को जुलाई के फर्स्ट वीक तक पुस्तकें उपलब्ध बाजार में हो जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक पुस्तक के बारे में आपसे निवेदन किया था जो कि एन्टी नेशनल थी उसमें यह तथ्य थे कि हमारी प्रधान मन्त्री संसद के ऊपर है और प्रधान मन्त्री हमारे देश की संसद को उंगलियों पर नचाती है। और भी कई एन्टी नेशनल बातें थीं।

श्री खेतसिंह : मैंने उस बुक को बेन कर दिया। आपने जो तथ्य बताये वह सही पाये गये। अतः हमने उस बुक को ब्लेक लिस्ट कर दिया है, उसको कोर्स से हटा दिया गया है। इसके लिए तो अब आप बधाई दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके लिये तो बधाई दे देता हूं लेकिन जिन लोगों ने इस एन्टी नेशनल बुक को एप्रूव किया और उसके कारण लेप्सेज हुए उनके खिलाफ में आपने क्या एक्शन लिया उसके बारे में थोड़ा बता दें तो ठीक रहेगा।

श्री खेतसिंह : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि हमने उन लोगों के एक्सप्लेनेशन्स पूछे हैं और उनका जवाब तलब किया है उनका जवाब आने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या बात थी उस पुस्तक में क्या वह काबिले ऐतराज थी। जो आपने कोर्स से हटा दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई प्रेमालाप नहीं हो रहा था।

श्री खेतसिंह : नागरिक शास्त्र की वह पुस्तक थी। उसमें काफी बातें ऐसी लिखी थीं जो कि एन्टी नेशनल थी। पर अभी वह पुस्तक मेरे पास नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कोई बात नहीं बाद में बतला देना फिर कभी।

श्री खेतसिंह : इसमें पिछले सत्र में बात आई थी। उसमें संसदीय प्रणाली के विपरीत बातें थीं। प्रजातन्त्र की धाराओं के खिलाफ थी। उसमें था कि प्रधान मन्त्री

(श्री खेतसिंह)

संसद से भी ऊपर है, संसद उसके ऊपर है वह और उसके इशारों पर संसद नाचती है कुछ ऐसी और बातें थीं जो कि नेशन के हित में अच्छी नहीं कही जा सकती। उस सारी पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ा गया, देखा गया, समझा गया और बाद में उसे कोर्स से हटा दिया गया।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि कृपापूर्वक आप ज्यादा फ्रेश दलीलों में न पड़ें। समय गुजर गया है काफी और पुनः गर्मी में आयें तो काफी समय लग जावेगा।

लालबहादुर कॉलेज के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर बात कही। मैं इस बात को मानता हूं कि कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट आयी है उसमें काफी अनियमितनायें बतायी गयी हैं। कक्कर कमेटी मुकर्रर की और कक्कर सहाब की रिपोर्ट के लिये परसों ही आदेश दिये हैं कि काफी समय गुजर गया है कक्कर सहाब को निवेदन किया जाय कि जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि कॉलेज के बारे में आगे कार्यवाही की जा सके। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

दूसरी बात रखी थी एक माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में रखा था जिसमें अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिये थे कि शिक्षा पर बहस हो तो इसको भी ले लिया जाय। वह टोडा रायसिंह के बारे में था। म्युनिसिपल कस्बा उसको घोषित किया गया वहां के प्राईमरी स्कूल शिक्षा विभाग के तहत आ जाने चाहिये थे पहले पंचायत समिति के तहत काम कर रहे थे। पंचायत समिति ने हैंड ओवर नहीं किये इसलिये यह स्थिति हुई। अब हम आशा करते हैं कि दोनों स्कूल एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के नीचे आ जावेंगे। उनमें सुचारु रूप से काम होगा।

एक मसला आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में था। इस इन्स्टीट्यूशन के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। यह इन्स्टीट्यूशन, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा इस इन्स्टीट्यूशन में काफी गड़बड़ी रही। हमने भी रिपोर्ट मंगायी उसमें यह जाहिर होता है कि राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया उसका सदुपयोग नहीं किया गया। कुछ दुरुपयोग और गबन धनराशि का किया गया। इस वजह से इस इन्स्टीट्यूशन को ग्रान्ट-इन-एड पिछले वर्ष बन्द कर दी गई। अब यह ग्रान्ट-इन-एड की लिस्ट पर नहीं है। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ग्रान्ट-इन-एड कोई चाहे या न चाहे किन्तु मान्यता प्रान्त इन्स्टीट्यूशन है उसकी मान्यता को ही खत्म क्यों नहीं कर देते। हमने नियम देखे हैं। राज्य सरकार जब तक एजुकेशन एक्ट पास न हो जाय तब तक किसी इन्स्टीट्यूशन की मान्यता खत्म नहीं कर सकती। इस बात को मैं मानता हूं कि उस इन्स्टीट्यूशन में आर. एस. एस. की शाखा लगती है जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको अच्छा कहा है। बच्चे शिक्षा के लिये आते हैं। चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, चाहे जन संघ हो या और कोई पार्टी हो उनकी राजनैतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये बच्चे वहां शामिल नहीं होते हैं। बच्चों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिये। आपने कहा कि वहां पर शिवाजी, महाराणा प्रताप के वीरत्व आदि का पाठ पढ़ाते हैं।

(श्री खेतसिंह)

यह अच्छी बात है। आप यह शिक्षा देते हैं यह मैं सदन के सामने मानता हूं। अच्छी शिक्षा देते हैं तो बहस की दलील की आवश्यकता नहीं है। इस बात को छोड़िये मैं इस मौके पर आप से निवेदन करूंगा कि उस इन्स्टीट्यूशन की ग्राण्ट-इन-एड बन्द की गयी। उनके प्रधानाध्यापक ने लिख कर दिया है कि हमको ग्राण्ट-इन-एड की जरूरत नहीं है लेकिन दखल को बन्द कीजिये। शिक्षा का कानून पास नहीं हो जाता, एज्युकेशन एक्ट पास नहीं हो जाता तब तक हम इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। जहां तक एज्युकेशनल बिल का प्रश्न है हमने उसको तैयार कर लिया है। विधि विभाग को भेज दिया है। ज्योंही वह तैयार हो जायगा हम कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में विधान सभा के सामने लाकर रखें ताकि पारित होने के बाद इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स में ग्रुप्स बने मिलते हैं जिनके कारण ग्राण्ट-इन-एड का सदुपयोग नहीं होता है, तनख्वाह कम देते है टीचर्स को, आदि अनेक विषय हैं उन पर कार्यवाही कर सकें। अनेक मुद्दों पर इस बिल को ला रहे हैं इसके पास होने पर सारी समस्याओं का निदान हो सकेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो रिपोर्ट आपने बतायी क्या उसको सदन के पटल पर रखने का प्रयास करेंगे ? क्योंकि हमारी यह इन्फोर्मेशन है कि जितनी इन्क्वायरीज हुई हैं उन सब में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और निश्चित रूप से सारे आरोप विवादास्पद हैं। क्या उस रिपोर्ट को आप सदन के सामने रखेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिन शिक्षकों को विक्टिमाइज किया है और आदेशों की अवहेलना की गयी ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : ऐसा कोई उदाहरण हो तो रखिये।

रामानन्द अग्रवाल : उनको राहत नहीं दे पायेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक भी ऐसा उदाहरण रिपोर्ट में आया है कि किसी शिक्षक को विक्टिमाइज किया गया है या किसी शिक्षक के खिलाफ गबन के आरोप साबित हुए हैं या कोई रिपोर्ट में इस प्रकार के प्रमाण हों तो क्या आप उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या माननीय मंत्री महोदय उत्तर देने की कृपा करेंगे यह जो आपका आदर्श विद्या मंदिर के बारे में निर्णय है गबन के केस पाये गये मैं यह चाहूंगा कि जितनी भी आपके पास इन्फोर्मेशन इस संस्था के बारे में है तो क्या उसको आप सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? कुछ दिन पूर्व शिक्षा के विषय में पूछा था और मैंने महिला विद्यालय उदयपुर के सम्बन्ध की रिपोर्ट रखी थी। 75 हजार रुपये विद्यार्थी फण्ड के लोग खा गये। गबन हो गया। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। मेरा यह कहना है कि गवर्नमेन्ट की ऑडिट रिपोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि उसमें प्रोविडेन्ट फण्ड की रकम गबन की गयी, ग्रान्ट-इन-एड दी उसका गबन हुआ, स्वीमिंग पूल के लिये पैसा दिया उसमें गबन हुआ, बिल्डिंग का पैसा दिया उसमें गबन हुआ, आप ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर भी एक्शन लेने के

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि वह कांग्रेस की इन्स्टीट्यूशन है .। इसलिये राजनैतिक आधार पर इस प्रकार के निर्णय न लिये जायं। यदि आदर्श विद्या मंदिर के अन्दर गबन पाया जाता है तो आप दुरुस्त कीजिये। कांग्रेस की संस्था के अन्दर गबन पाया जाता है तो उसको ठीक कीजिए। लेकिन राजनैतिक दलों के आधार पर ही निर्णय लिया गया तो यह पक्षपातपूर्ण रवैया होगा और पक्षपातपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने चाहियें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान महिला विद्यालय का मामला हमने ही उठाया था और हमने ही पेश किया था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कम्युनिस्ट पार्टी की जहां शिक्षा दी जाती है उनको आप बन्द कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की शिक्षा दी जाती है उनके खिलाफ आपने कार्यवाही नहीं की और केवल झूंठी बातों के आधार पर आप किसी इन्स्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सांवरमल मौर : जो आवश्यक कार्यवाही हो की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यह क्या तरीका है।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन मामले उठाये थे। एडेड कॉलिज को गत वर्ष 10 परसेंन्ट अनुदान कम दिया गया था इस कारण कि अर्थाभाव था। अब उसको वापिस रेस्टोर किया जाय। अब स्थिति ठीक हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री मीठालाल : आप समय दे रहे हैं सबको।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब तो देने दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष : नोट अलाउड।

श्री गुमाननमल लोढ़ा : आदर्श विद्या मन्दिर ...

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि ...

श्री मीठालाल : ऑन ए पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर सर। प्रश्न पूछें माननीय सदस्य और मन्त्री जी उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री मीठालाल : मौका दीजिए यही निवेदन है।

श्री खेतसिंह : अन्त में चूंकि ज्यादा समय हो गया है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। उदयपुर से आने वाले

(श्री खेतसिंह)

माननीय सदस्य ने यह बात कही और आरोप लगाने का प्रयत्न किया कि कांग्रेस की संस्थाओं को तो आप बचाना चाहते हैं और दूसरी संस्थाओं को आप लांछित करते हो। न तो ऐसा हमारा दृष्टिकोण पहले था, न अब है और न आगे भी रहेगा यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। चाहे वह उदयपुर की राजस्थान महिला विद्यालय हो, चाहे आदर्श विद्या मन्दिर हो और जहां पर धन राशि का दुरुपयोग किया गया है, उनकी इन्क्वायरी की जावेगी, वसूल की जावेगी और जो कानूनी कार्यवाही राज्य सरकार कर सकती है वह करने में नहीं हिचकिचायेगी।

मैं आपसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके इन्स्टीट्यूशन्स के गबन और घोटाले के केस हैं, उनकी भी जांच होगी। आपको इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिये।

अन्त में सभी महानुभावों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मेरी सारी बातों को शान्ति से सुना। मेरी ये तीन मांगे जो मैंने प्रस्तुत की हैं संख्या 24, 25 और 6 इनको अब आप कृपापूर्वक पारित करने का कष्ट करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मेरा युवक बोर्ड वाला मामला। उस बारे में आपने कुछ नहीं बताया।

श्री उपाध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,46,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 6 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 62,51,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 24 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 25 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20 मार्च, 1974 को प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(रात्रि को 10.55 पर आज की बैठक समाप्त होकर अगले दिन 20 मार्च, 1974 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Page No 252

(252)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची)

वर्ष 1973-74 में स्वीकृत जल प्रदाय योजनायें

क्र. सं.	योजना का नाम	जिला	अनुमानित लागत
1.	बाहेरा	अजमेर	1.36
2.	नाकोड़ा	बारमेर	3.20
3.	खामेरा	बांसवाड़ा	1.13
4.	नन्दराई	भीलवाड़ा	1.66
5.	शंकरगढ़	,,	1.30
6.	लाछोर	,,	1.32
7.	रानी खेरा	चित्तौड़गढ़	1.62
8.	कनीज नाहरगढ़	,,	2.07
9.	देपालसर	चूरू	0.27
10.	बीरमसर की पहारी	,,	0.64
11.	नीनान	गंगानगर	0.73
12.	सालीवाली	,,	1.53
13.	नीथराना	,,	3.165
14.	लीलावाली	,,	1.79
15.	जसरासर	बीकानेर	3.13
16.	पदमपुरा	जयपुर	5.85
17.	फागी	,,	3.50
18.	राजनोता	,,	2.51
19.	सिकन्दरा	,,	2.13
20.	जमवा रामगढ़	,,	2.25
21.	बकानो	झालावाड़	4.86
22.	लोयल मानोता	झुंझुनूं	2.176
23.	चेचट	कोटा	2.31
24.	खेरावाद	,,	1.50
25.	दुलेट	,,	1.08
26.	सुकेत	,,	1.485
27.	राजपुरा	,,	2.29
28.	खींवसर	नागौर	1.50
29.	कंटालिया	पाली	3.74
30.	भगवतगढ़	सवाई माधोपुर	2.64
31.	इसान्दा	,,	1.70
32.	खीदन	सीकर	1.17
33.	चारामिया-कैदपोर	उदयपुर	2.22
34.	खामोर	,,	2.36

Page No 253

परिशिष्ट 2

(स्थगित प्रश्न संख्या 42 की सूची)

सूची उन व्यक्तियों की जिनके विरुद्ध पंचायत कार्यवाही कर रही है.

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	आराजी नं.	रकबा वर्ग गजों में
1.	रामकुमार टी. टी.	238	290
2.	गिरवरसिंह राजपूत	238	336
3.	किशनसिंह राजपूत	238	207
4.	रामलाल धोबी	238	112
5.	जगन्नाथ धोबी	238	86
6.	लालुराम सुनार	238	322
7.	बरदीसिंह राजपूत	238	140

सूची उन व्यक्तियों की जिनके विरुद्ध तहसील में कार्यवाही चल रही है.

1.	श्री मम्बालाल महाजन	637। मि.	3 बिस्वा तकरीबन 2 वर्ष से
2.	श्री कन्हैयालाल खंडवा	238 मि.	1 बिस्वा सं. 2029 से
3.	श्री मीठालाल महाजन	638	1 बिस्वा सं 2028 से

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम असनावर का शफाखाना

289. रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर (जिला झालावाड़) के मवेशी शफाखाने के लिए धर्मशाला का मकान मिला हुआ है ? यदि हाँ, तो कब से और कितने किराये पर ?

(2) क्या यह सही है इस मकान का अगस्त, 65 से फरवरी, 68 तक का 31 माह का 620) रु. किराया अब तक भी बकाया चला आ रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ। दिनांक 27-7-65 से 20) रुपया प्रति माह की दर से।

(2) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त समय का किराया निर्धारण प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण। उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही।

नगरपालिका उनियारा की चरागाह की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे

290. श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नगरपालिका, उनियारा की चरागाह की भूमि पर अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं और अब कोई चरागाह की भूमि पालिका के पास नहीं है ? यदि हां, तो चरागाह की भूमि कितनी थी तथा उसमें से कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

कस्बा उनियारा में चारागाह भूमि का कुल रकबा 1630 बीघा 3 बिस्वा है। इसमें से करीब 200 बीघा पर अनाधिकृत कब्जे हो रहे हैं।

नगरपालिका द्वारा अनाधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

नाजायज शराब के मामले

291. श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले के किन-किन ग्रामों में आबकारी विभाग द्वारा नाजायज शराब के मामले जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक पकड़े गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फागी तथा चाकसू तहसीलों में वर्ष 1973 में किस-किस माह में आबकारी विभाग द्वारा शराब पकड़ने के लिए छापे मारे गये तथा कितने मामले पकड़े गये ?

(श्री जयकिशन लाल)

(3) क्या यह सही है कि फागी तथा चाकसू तहसील में काफी तादाद में नाजायज शराब निकाली जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1973 में फागी एवं चाकसू में माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जौलाई व दिसम्बर, 1973 में आबकारी विभाग द्वारा छापे मारे गये। तहसील फागी में 32 व चाकसू में 15 अभियोग बनें।

(3) तहसील फागी और चाकसू की कोई विशेष स्थिति नहीं है। राज्य के सभी क्षेत्रों में ऐसे अभियोग बने हैं। जहां भी सूचना मिलती है वहां छापे मार कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

जयपुर जिले के ग्रामों में आबकारी विभाग द्वारा 1 जनवरी, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक मारे गये छापों की सूची व पकड़े गये केसों का विवरण।

क्रमांक	नाम ग्राम जहां छापा मारा गया	अभियोगों की संख्या
1	2	3
1.	पड़ासोली	1
2.	बिडोली	1
3.	माधोगढ़	1
4.	घूमडी	4
5.	ढाणी डोबलाई	3
6.	सीताराम पुरा	2
7.	बिसाग	1
8.	ढाणी दालपुरा	2
9.	समेत	1
10.	दरसा	15
11.	बडवा	1
12.	हरीपुरा	2
13.	विरायना	1

Page No 256

256

1	2	3
4.	सराना	1
15.	भावली, रायपुर	3
16.	ढोडा की ढाणी, काली पहली	3
17.	बाढ घाकला	1
18.	लालसोठ	8
19.	चांवडिया, नांगल	7
20.	जोजाला, ढाणी टोडा	4
21.	रामबास, डुडली	7
22.	तवाणा, रामाली	3
23.	कोलीवाड़ा, ढाणी काकरिया	5
24.	गोकुलपुरा, सहजपुरा	3
25.	बिडोली, सरिया	10
26.	नांगल बोरा	8
27.	ढाणी बारा, खानपुर	6
28.	लवाण, रामसागर	8
29.	काली घडी की ढाणी, खरगडा	2
30.	बसोता, आबास	8
31.	विडली, बिहारीपुरा	3
32.	सूरतपुरा, भांडारेज	3
33.	पनवारा, गुड़लाई	8
34.	गीजगढ़, मानपुरा	8
35.	बांदीकुई	12
36.	राणवास, मडियास	7
37.	भावनी, कालेड़ा	3
38.	जयसिंहपुरा, कालवान की ढाणी	7
39.	बराड़ा, रानी का बास	6
40.	करनावात	5

1	2	3
41.	गुढ़ा कटला, सिकराय	2
42.	बिवाई, मऊखेड़ा	4
43.	बीदरवाड़ा, उदपुरा	12
44.	रघुनाथ मीना की ढाणी	3
45.	डिगरिया सिकन्दरा, मानपुर	4
46.	मनोहरपुरा, पंडितपुरा	3
47.	टसकोना, चन्दाली, गौनेड़ा	7
48.	करवास, नेवढी	5
49.	मेड़, अजीतपुरा	9
50.	शाहपुरा	2
51.	द्वारकपुरा, मठ पनियाल	6
52.	छापरकलां, ठिकरिया	6
53.	बैराठ	3
54.	कोटपूतली	12
55.	नारायण सागर, पावड़ी	4
56.	दांतल, सुजातनगर, नायला	9
57.	बडवासी, मानपुरा	10
58.	अचरोल, बनाड़ा	4
59.	चौमूं	5
60.	नांगल, निवाना, कोलू का बास	4
61.	छापोली	4
62.	श्यामपुर	4
63.	रामपुर,	1
64.	दूदू	3
65.	बिजैताव, बगु	4
66.	पांगी	6
67.	लदाना, मोजमाबाद, पखाच	7
68.	रायल, मांकराठा, टीलाला	4

258

1	2	3
69.	मनरोछ बिसाबू	3
70.	सुलतानिया, कीरतपुरा	3
71.	ममाना, चांदमां, सतपुरा	4
72.	पीपला, दांतरी	4
73.	रायथल, नरेना	7
74.	मांकरोडा, डावच, कालवाड	6
75.	माधोराजपुरा मौजामाबाद	3
76.	सीरसी, दांतरी, राखून	5
77.	साली, नहलां	4
78.	राजेडी, हरसोली, थवपुरिया	9
79.	जोबनेर, जुणामा, इटावा	3
80.	आलाकावास, कोठी मेगनाथ	9
81.	मुडवाड़ा, कुलैरा	3
82.	मराना, बासड़ी, रेनवाल	8
83.	प्रतापपुरा, बोवास	4
84.	सांभर, लुणियास	3
85.	रेनवाल, गुढ़ा, खेड़ी काजीपुरा	8
86.	डूंगरी कलां, गोदीकावास	4
87.	मंढ़ा, मादवा, भदाल	3
88.	सांगानेर	8
89.	श्योदासपुरा	3
90.	धूनी मंगलदास	2
91.	भगवानपुरा	1
92.	भदारु, कानोता	6
93.	विजयपुरं, मौनाड़ा	5
94.	खेजड़ी, दांतल	2
95.	फालाना, चन्दलाई, कत्पा,	13
96.	खातीपुरा	11

1	2	3
97.	समेल, सिरसी, टीलोला	6
98.	जयसिंहपुरा, बगरियावास	4
99.	दूसी, नीमराज का बाग, सिवाड़	7
100.	मंदोला, गीनेर, लालपुरा	12
101.	किशनपुरा, नेवटा, पीपला	9
102.	बस्सी, उदयपुरिया	2
103.	चाकसू, भर, मीणावाला	3
104.	कलूपुरा, सांगानेर, दांतरी, सोनाणेरियान	7
105.	हरमाड़ा	5
106.	नींदड़	5
107.	चौमूं	5
108.	सींगोद	4
109.	कलाड	4
110.	रघुनाथपुरी	4
111.	कालाडेरा	2
112.	आकेड़ा	1
113.	नायला	3
114.	खोरा श्यामदास	18
115.	दौलतपुरा	2
116.	मीपरिया	2
117.	घाटा जलदारी	2
118.	बिलाले चौड	1
119.	जगन्नाथपुरा	1
120.	जसलिया	1
121.	उदयपुरिया	2
122.	मायला ग्राम	2
123.	बीदयंडी, आकेड़ा	9
124.	आबरोल	3
125.	बिलोड़ा	4
126.	सरतन	1
127.	माउवाली	1

योग : 590

वकीलों की नियुक्ति

292. श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

देवस्थान विभाग के मुकदमे की पैरवी करने के लिये राजस्थान स्तर पर कुल कितने वकील नियुक्त किये गए हैं ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर मय नाम, वेतन एवं समयावधि के प्रस्तुत करें।

उत्तर

देवस्थान विभाग के मुकदमों की पैरवी के लिए राजस्थान स्तर पर (न्यायालयों में) पैरवी करने के लिए कोई वकील नियुक्त नहीं है।

सीमेंट का कोटा

293. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रीजनल सीमेंट ऑफिसर, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को राजस्थान की चार सीमेंट फैक्टरीज से आवंटित कोटे के प्राप्त करने के लिए, उस कोटे के मूल्य को अग्रिम भेजना अनिवार्य है ? यदि हां, तो किस अधिनियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रकार से अनिवार्य तौर पर मूल्य प्राप्त करने वाली सीमेंट फैक्टरीज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

(2) क्या उपरोक्त आवंटित कोटे को उपभोक्ता को भेजना सीमेंट फैक्टरीज के प्रबन्धकों की स्वेच्छा पर निर्भर है या कोई नियम है ?

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फैक्टरी में सीमेंट भिजवाने में भयंकर पक्षपात एवं भ्रष्टाचार होता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे समाप्त करने में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) अनिवार्य नहीं है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) जी नहीं। सीमेंट कन्ट्रोल ऑर्डर 67 के अन्तर्गत भारत सरकार सीमेंट के मूल्य तथा वितरण की व्यवस्था को नियन्त्रित करती है।

(3) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

बाड़मेर जिले में पास बुकों का वितरण

294. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बाड़मेर में काश्तकारों को अब तक पूरी पास बुकें वितरित नहीं की जा सकी हैं ? अगर हां, तो अब तक कुल कितनी पास बुकें तहसील वार बांटी जा चुकी हैं एवं कितनी वितरण करना बाकी है ?

(2) जिला बाड़मेर में सब खातेदारों में पूरी पास बुकें कब तक बांट दी जायेंगी ?

(3) पास बुकें रिकार्ड ऑफ राइट्स के लिये क्या कानूनी वेल्यू रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलवार ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) यथा सम्भव शीघ्र ही बांटने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) पास बुकें भी एक रिकार्ड ऑफ राइट हैं।

सूची

पास बुकों के वितरण की स्थिति जिला बाड़मेर

क्रमांक	नाम जिला	राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त पास बुकों की संख्या	तहसीलों को वितरित पास बुकों की संख्या		पटवारियों के द्वारा वितरित पास बुकों की संख्या	पटवारियों द्वारा काश्तकारों को वितरित पास बुकों की संख्या	वितरण हेतु शेष पास बुकों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	बाड़मेर	77,860	तहसील बाड़मेर	36,560	36,560	32,386	4,174	
			तहसील शिव	6,830	6,830	5,938	892	
			तहसील चौहटन	10,250	10,250	8,766	1,484	
			तहसील सिवाना	10,380	10,380	8,207	2,173	
			योग	77,860	77,860	66,586	11,274	

(262)

अनाज रखने की छूट

295. श्री राजेन्द्र भारतीया (बून्दी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य के व्यापारियों को राज्य सरकार ने मोटा अनाज रखने की छूट 150 क्विन्टल से 500 क्विन्टल कर दी ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

बाजार में खाद्यान्न की आवक कम तथा भाव पूर्व अपेक्षा अधिक चढ़े हुये देख कर उपभोक्ता को खाद्यान्न सुलभ तरीके से उपलब्ध हो इस दृष्टिकोण से व्यापारी के लिये सभी खाद्यान्न एक समय में संग्रह करने की सीमा 150 क्विन्टल से बढ़ाकर 500 क्विन्टल कर दी गई।

जलदाय योजना के लिये सामान की खरीद

296. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांतारामगढ़ पंचायत समिति के व लोसल पंचायत समिति क्षेत्र की जलदाय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कुछ राशि दिनांक 4-12-71 को स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो वह कितनी राशि थी और उसमें से उस योजना को पूरा करने के लिये अभी तक कितना व्यय किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत वहां लगभग एक लाख रुपये का सामान खरीद कर लोसल गांव में पड़ा हुआ है और उसकी निगरानी करने के लिये चौकीदार नियुक्त किया है ?

(3) क्या यह सही है कि उस कार्य में अब तक वहां कोई प्रगति नहीं हुई है ? यदि नहीं हुई तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम लोसल की जल प्रदाय योजना दिनांक 30-12-71 को 6,37,500 रु. की लागत की स्वीकृत की गई थी। इस योजना पर अब तक 1.30 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है।

(2) यहां पर लगभग 1.30 लाख रु. का पाइप खरीद कर रखा गया है व उसकी निगरानी के लिये एक चौकीदार नियुक्त है।

(3) पाइप प्राप्त करने के अतिरिक्त योजना पर अभी कोई कार्य नहीं किया गया। इस योजना पर कार्य वहां चल रहे निजी जल प्रदाय योजना के संचालकों की आपत्ति पर जांच करने के लिये स्थगित कर दिया गया था।

ग्राम थावरिया में भूमि पर जबरन कब्जा

297. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम थावरिया तहसील नोखा में सार्वजनिक तलाई, पाइथन की भूमि को कुछ व्यक्तियों ने जबरन काश्त करली है ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त नाजायज काश्त की गई भूमि का कब्जा छुड़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

जिला गंगानगर की मंडियों में नाजायज रूप से वसूल की गई रकम

298. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1974 में राजस्थान में विशेषकर जिला गंगानगर की मण्डियों में किसानों के द्वारा जो मण्डियों में अनाज बेचा गया था उस पर से आढ़त-तुलाई आदि किसानों से वसूल की गई और कुछ हालातों में वह रकम बोली की दर से विक्रय पर्चा के खाना नम्बर 6 में भाव से कम करके कम भाव लिखा गया, उदाहरणार्थ मण्डी पदमपुर में ता. 29-1-74 को दुकान जेठमल हरिकिशन पर श्री जोगेन्द्रसिंह, नामकोट ने अपनी लम्बे रेशे की कपास बेची जिसकी बोली 345 रुपये प्रति क्विन्टल हुई बोली पर्चा (विक्रय पर्चा) में 339 रुपये 50 पैसे अंकित की गई । इस तरह किसानों के साथ माह जनवरी में लाखों रुपये का हेर फेर हुआ जबकि लम्बे रेशे की कपास की खरीददारी का अधिकार भारत सरकार की कपास निगम (कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) को था ?

(ख) क्या सरकार ऐसी हालत में उपरोक्त किसानों से नाजायज तौर पर वसूल की गई रकम किसानों को वापिस दिलायेगी और यह भी बतलाया जावे कि राजस्थान की मण्डियों में से प्रत्येक मण्डी में से कितनी रकम किसानों से वसूल की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे और बतलाया जावे की उपरोक्त रकम कब तक किसानों को वापिस दिलाई जावेगी ?

उत्तर

(क) जी नहीं । जिस भाव पर मंडी में माल बिका है उसी भाव का इन्द्राज नीलाम पंजिका में किया गया है । और उसी के अनुसार विक्रय पर्चा में इन्द्राज किया है । मंडी पदमपुर में श्री योगेन्द्रसिंह का कपास जेठमल हरिकिशन की दुकान पर नहीं बिका बल्कि यह गंगाविशन राम कुमार की दुकान पर बिका है । उसकी बिक्री 345.00 प्रति क्वि. नहीं बल्कि भारतीय कपास निगम को 339.50 प्रति क्वि. के हिसाब से हुई है उसी भाव का इन्द्राज नीलाम रजिस्टर में अंकित है अतः यह कहना कि लाखों रुपयों का हेर फेर हुआ निराधार है ।

(ख) जब कोई हेर फेर नहीं हुआ है तो वसूली का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है ।

बूंदी जिले के रजत जयन्ति ग्राम

299. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में कौन कौनसी पंचायत समितियों में रजत जयन्ति गांव घोषित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन गांवों में सड़कें, बिजली, ग्रामीण, नल योजना तथा स्कूल आदि बनाये गये ? यदि हां, तो कौन कौन से ग्राम में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 100/सह. मं. से सम्बन्धित सूचना

क्रम संख्या	नाम पंचायत समिति	नाम ग्राम जो रजत जयन्ति में चुने गये	नाम कार्य
1	2	3	4
1.	तालेड़ा	1. नौताड़ा भोपत 2. ब्यावदा	1. खैरोली—नौताड़ा सड़क निर्माण कार्य। 2. स्कूल भवन निर्माण कार्य। 3. पानी के कुओं का निर्माण। 4. जिला उत्पादन समिति की बैठक दिनांक 28-4-73 द्वारा उक्त ग्रामों में विद्युतिकरण के लिए प्राथमिकता निर्धारित की जा चुकी है।
2.	नैनवां	1. कलमिया	1. ग्राम कलमिया में प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य चालू है।
		2. खानपुरा	2. ग्राम खानपुरा में शाला भवन निर्माण कार्य चालू है। 3. अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को गृह निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग से 12,000) रु. का आवंटन होने पर 6 गृह भवन जून, 74 तक बन जावेंगे।
3.	केशोरायपाटन	1. लेसरदा 2, जलोदा	ग्राम लेसरदा 1. प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाकर दो नवीन कमरों का निर्माण किया गया। 2. केशोरायपाटन से खटकड़ ग्राम तक लगभग 14 मील लम्बी पक्की सड़क बनाई जा रही है, जो इस ग्राम से होकर गुजरती है।

1	2	3
		3. विद्युतीकरण के लिए सर्वे हो चुका है, जो शीघ्र ही लगाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
		4. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा 7,000) रु. स्वीकृत किये जा चुके हैं।
		5. बीज गोदाम बनाये जा रहे हैं।
		ग्राम जलोदा
		1. प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है।
		2. एक पक्का कमरा बनाया जा चुका है।
		3. ग्राम अनरेठा से जलोदा तक लगभग 4 मील लम्बी सड़क बना दी गई है।
		4. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए मकान बनाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा 6,000) रु. स्वीकृत हो चुके हैं।
		5. विद्युतिकरण के लिए विभाग से कार्यवाही चालू है
		ग्राम चेता
4. हिण्डोली	1. चेता	1. पाठशाला भवन का निर्माण हो चुका है।
		ग्राम पगारा
	2. पगारा	1. उमर से पगारा तक सड़क निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है, परन्तु अभी कार्य पूर्ण नहीं हुवा है। समाज कल्याण विभाग से 6,000) रु. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वीकृत हुए हैं।

चित्तौड़गढ़ एवं भदेसर तहसील का हाईड्रोलोजिकल सर्वे

300. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चित्तौड़गढ़ तहसील का हाईड्रोलोजिकल (भूतल जल) सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) निकट भविष्य में अब कब तक इन तहसीलों के सर्वेक्षण की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अगले साल का कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है।

भू-राजस्व एवं अन्य ऋणों की वसूली

301. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में इस वर्ष भू-राजस्व एवं अन्य कई प्रकार के ऋणों की एक साथ वसूलियां काश्तकारों से की जा रही हैं ? अगर हां, तो कितने सालों की वसूली काश्तकारों से एक साथ की जाने की सरकार की नीति रहेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले कई सालों की बकाया ऋण व राजस्व वसूलियां एक साथ की जाने से काश्तकारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जावेगी ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार बकाया वसूलियों के लिए क्या नीति निर्धारित करना उचित समझेगी ? ऐसा निर्णय सरकार द्वारा कब तक ले लिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में कई वर्षों तक लगातार अकाल की स्थिति विद्यमान थी ? अगर हां, तो जिला जालोर में लगातार तीन साल तक अकाल प्रभावित कौनसे गांव हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। उक्त गांवों के काश्तकारों की भू-राजस्व की सस्पेण्डेड राशि कितने अंश तक माफ कब तक नियमानुसार कर दी जावेगी ? माफ करने वाली कुल रकम का तखमीना बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, वसूली नियमानुसार की जा रही है। राज्य सरकार ने नीति निर्धारित कर वसूली सम्बन्धी प्रक्रिया संलग्न परि-पत्र के अनुसार निश्चित की है।

(2) सूचना प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में सम्मिलित है।

(3) इस जिले में कई वर्षों तक लगातार अकाल की स्थिति विद्यमान नहीं रही है। तहसील आहोर में संलग्न सूची के अनुसार आठ ग्राम लगातार तीन वर्ष (सम्वत 2019, 2020 व 2021) में अकाल ग्रस्त रहने से रुपये 88,466-40 की राशि की छूट दी जा चुकी है।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 7 (59) राज./ग्रुप-2/72 जयपुर, दिनांक 17 फरवरी, 1973.

आदेश

राज्य सरकार ने भू-राजस्व, तकावी आदि की वसूली हेतु इस वर्ष निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है :—

(1) सहायता विभाग द्वारा घोषित अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में :—

(1) (क) भू-राजस्व की वसूली स्थगित रहेगी।

(ख) सभी प्रकार के कृषि ऋण, (दीर्घ, मध्यम एवं अल्प कालीन) राज्य तथा पंचायत समिति के तकावी की मांग की वसूली भी स्थगित रहेगी परन्तु कुएं बनाने हेतु दिये गये ऋण की किश्तें और उसके ब्याज की वसूली जारी रहेगी, बशर्ते कि उन कुओं से इस वर्ष खरीफ की फसल में सिचाई हुई हो।

(ग) ट्रैक्टरों एवं पम्पिंग सैट्स हेतु दिये गये ऋणों की किश्तें एवं ब्याज की वसूली जारी रहेगी।

(घ) उक्त दोनों अवस्था में भी एक समय केवल दो किश्तें ही वसूल की जावेगी जिसमें एक हाल की एवं एक बकाया की होगी।

(2) उक्त स्थगित वसूली सहायता विभाग द्वारा धारा 126 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित आदेशों में अंकित अवधि तक ही स्थगित रहेगी।

(3) खनिज एवं उद्योग ऋणों की किश्त एवं उसकी ब्याज की वसूली जारी रहेगी।

(4) सहकारी समिति की मांग की वसूली सहकारिता विभाग के नियमानुसार जारी रहेगी। सहकारिता विभाग के नियमों में अभावग्रस्त स्थिति में अल्पकालीन ऋण को मध्यम कालीन ऋण में परिवर्तन करने के प्रावधान हैं।

(2) ऐसे क्षेत्रों में जो पूर्व में तो अभाव ग्रस्त घोषित हुये पर इस वर्ष अभाव ग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं :—

(1) किसी भी कृषक से दो किश्तों से अधिक का लगान एक साथ वसूल नहीं होगा।

(2) राज्य में कई क्षेत्रों में लगान की वसूली हेतु वर्ष में एक ही किश्त निर्धारित है एवं कुछ क्षेत्रों में वसूली दो किश्तों में होती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ दोनों फसल होने पर भी वसूली एक ही किश्त में की जाती है। इस सम्बन्ध में ऐसे क्षेत्रों की वसूली निम्न प्रकार की जावेगी :—

(क) वह क्षेत्र जहाँ एक ही फसल खरीफ होती है और वसूली एक ही किश्त में की जाती है उसमें काश्तकार से हाल के वर्ष की किश्त एवं गत वर्ष की एक किश्त की वसूली की जावेगी।

(ख) वह क्षेत्र जहां वसूली एक किश्त में की जाती है परन्तु खरीफ के अलावा रबी की फसल भी होती है उसमें वसूली एक साथ हाल की किश्त एवं गत वर्ष की आधी किश्त खरीफ की वसूली के समय की जावेगी एवं शेष आधी किश्त की वसूली, दूसरे क्षेत्रों में रबी की वसूली हेतु निर्धारित समय में की जावेगी।

(ग) वह क्षेत्र जहां वसूली दो किश्तों में होती है इस वर्ष खरीफ की वसूली के साथ साथ गत वर्ष की खरीफ की किश्त वसूल की जावेगी एवं रबी की वसूली के समय रबी की वसूली के साथ साथ गत वर्ष की रबी की किश्त वसूल की जावेगी।

(3) पंचायत समिति के एवं अन्य ऋण :—

(1) दीर्घ एवं मध्यम कालीन ऋणों की वसूली यदि दो छः माही किश्तों में होती हो तो इस खरीफ के साथ इस वर्ष की एक किश्त व पिछले वर्ष की दोनों किश्त वसूल की जावेगी। इस वर्ष की रबी की किश्त जून, जुलाई में वसूल की जावेगी। यदि वसूली एक सालाना किश्त में होती हो तो इस समय एक किश्त चालू वर्ष की व एक किश्त पिछले वर्ष की वसूल की जावे।

(2) अल्प कालीन ऋण (खाद बीज हेतु) :—ऐसे ऋणों की वसूली इस वर्ष इस प्रकार की जावेगी कि वसूली के समय में हाल की मांग साधारण ब्याज सहित एवं इतनी ही पिछले वर्षों की एक साल की मांग साधारण ब्याज सहित वसूल की जावेगी।

(3) ट्रैक्टरों एवं पम्पिंग सेट्स क्रय किये जाने हेतु दिये गये ऋणों को छोड़ कर बाकी सभी ऋणों पर आज तक का देय दण्डिक ब्याज अपलेखन किया जाता है। अतः इस दण्डिक ब्याज को मांग में सम्मिलित नहीं किया जावे और वसूल नहीं किया जावे।

इस वर्ष वसूली हेतु साधारणतया मांग-पत्र वितरित किये जा चुके हैं। यदि वितरित मांग-पत्र ऊपर लिखित प्रक्रिया अनुसार ठीक पाये जावें तो वसूली निर्धारित समय में की जावे अन्यथा उक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधित मांग-पत्र तैयार कर वितरित किया जावे लेकिन चूंकि इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने में समय लगना स्वाभाविक है अतः यह आदेश दिये जाते हैं कि हर वर्ष की मांग के बराबर ही गत वर्ष की मांग मान कर वसूली जारी रखी जावे लेकिन इस मांग में से दण्डिक ब्याज जहां कहीं लगाया हो कम कर लिया जावे।

हस्ताक्षर
आर. के. शास्त्री,
शासन सचिव।

मानचित्र लगातार तीन साल अकाल से प्रभावित जालौर जिले के ग्रामों का मय माफ की गई राशि

नाम गांव	राशि जो माफ की गई		
	2019	2020	2021
1. गोइन्दला	3792.00	7873.74	2993.50
2. सेलड़ी	4703.35	9649.44	3625.37
3. भाद्रा जून	7231.40	7450.50	5815.53
4. कुआरड़ा	2521.36	5043.29	1882.34
5. नौखा	3020.92	6041.84	1086.50
6. मालगढ़	2999.02	5998.04	2016.66
7. मोरी टोकरीया	555.91	1111.82	370.60
8. कुण्डली	731.82	1463.64	487.81
	25555.78	44632.31	18278.31

कुल योग 88,466.40

आवश्यक स्तुवओं के बढ़ते हुये भाव

302. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भाव न बढ़ने देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गये और उसमें कहां तक कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

उत्तर

आवश्यक वस्तुओं के भाव न बढ़ने देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तालिका संलग्न है।

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 51/कृ. मं./द्वारा श्री शंकरलाल (पाली) सदस्य, विधान सभा के उत्तर में आवश्यक वस्तुओं के भाव न बढ़ने देने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की तालिका

आवश्यक वस्तुओं के भाव न बढ़ने देने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये:—

1. निजी क्षेत्र में गेहूं का थोक व्यापार समाप्त कर गेहूं का थोक व्यापार राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया इस आदेश के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ क्रय कर केन्द्रीय पूल में जमा करवाने की व्यवस्था की ताकि इसे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हेतु संग्रह कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित कराया जा सके।

2. खाद्यान्न की अनाधिकृत जमाखोरी को रोकने के लिये, राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) आदेश, 1973 प्रसारित कर व्यापारी वर्ग पर समस्त खाद्यान्न 500 क्विन्टल से अधिक रखने पर प्रतिबन्ध लगाया। उत्पादक व उपभोक्ताओं पर भी क्रमश: 45 व 25 क्विन्टल से अधिक खाद्यान्न रखने पर सम्बन्धित अधिकारियों को घोषणा-पत्र देने हेतु पाबन्द किया गया है।

3. बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये दिनांक 29-8-73 को समस्त जिलाधीशों को तार जारी कर लिखा गया कि नागरिक समितियां गठित कर तथा व्यापारी वर्ग से सम्पर्क कर उन्हें भाव कम करने हेतु प्रोत्साहित करें।

4. खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये गेहूं व ज्वार, बाजरा तथा मक्का के विभिन्न जिलों के लिये निर्मित विभिन्न जोन समाप्त कर इसको राज्य के अन्दर आवागमन पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया।

5. राजस्थान (आवश्यक वस्तु भाव एवं स्टाक प्रदर्शन) आदेश, 1966 के अन्तर्गत आइल एवं आईल सीड के भाव एवं स्टोक की सूची व्यापारी वर्ग द्वारा प्रदर्शित

Page No 271

(271)

करने की व्यवस्था करने हेतु समस्त जिलाधीशों को दिनांक 14-2-74 को सेविग्राम भेजा गया।

6. खाद्यान्न की राज्य से बाहर होने वाली अवैधानिक तस्करी को रोकने के लिये 171 चैक पोस्ट कायम की गई। प्रत्येक चैक पोस्ट पर एक-एक प्रवर्तन निरीक्षक व एक एक हैड कॉन्सटेबिल तथा तीन तीन कॉन्सटेबिल नियुक्त किये गये हैं।

7. केन्द्रीय सरकार से अधिकाधिक खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

8. प्राप्त खाद्यान्न का उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रति माह नियमित रूप से वितरित करवाने की व्यवस्था की गई।

9. जमाखोरों व काला बाजारियों के विरुद्ध छापे मारने के आदेश दिये गये। इस अभियान के फलस्वरूप निम्नांकित उपलब्धियां प्राप्त हुई :—

(1) 87717 क्विन्टल खाद्यान्न जप्त किया गया।

(2) 644 व्यक्ति गिरफ्तार किये।

(3) 304 व्यापारियों के लाईसेन्स निरस्त व कैन्सिल किये।

(4) 81564/- जमानत राशि जब्त हुई।

(5) 3479 केसेज चालान किये गये।

(6) 93 व्यक्तियों को दण्डित किया गया।

10. केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्न जमा करवाने के लिये कृषकों पर खरीफ खाद्यान्न की लेवी लगाई ताकि उक्त खाद्यान्न को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से विक्रय कराया जा सके।

गृह निर्माण सहकारी समिति भगवानपुरा

303. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भगवानपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति के कागजात रजिस्ट्रेशन के लिए सहायक रजिस्ट्रार बारां, जिला कोटा के कार्यालय में प्रस्तुत किए गए थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उपरोक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ? यदि हां, तो कब ? और नहीं, तो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और विलम्ब जिस अधिकारी की लापरवाही के कारण

हुआ उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ। पत्रादि प्रथम बार दिनांक 9-4-73 को प्रस्तुत किये गये थे।

(2) जी नहीं। पत्रादि में आक्षेप होने के कारण आक्षेप निवारण हेतु दिनांक 4-5-73 को लौटा दिये गये थे। जो पुनः आक्षेप पूर्ति पत्रादि दिनांक 29-6-73 को प्राप्त हुये थे। किन्तु राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण इसकी रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 8 (2) में निर्धारित समयान्तर्गत नहीं की जा सकी। अब मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आदिवासी क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था

304. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ से आदिवासी पहाड़ी एरिया में कुल कितने ग्राम हैं तथा यहाँ रहने वाले गरीब आदिवासियों के पीने के लिये शुद्ध पानी की क्या व्यवस्था है ?

(2) यदि उक्त क्षेत्र में कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में पीने के पानी के लिये कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

तहसील प्रतापगढ़ में कुल 480 आबादी युक्त ग्राम हैं इनमें से 2 ग्राम में जल प्रदाय योजना चल रही है व 4 अन्य ग्रामों में जल प्रदाय योजनायें निर्माणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में पीने के पानी के लिये कूओं इत्यादि पर ही जनता निर्भर है। धन की उपलब्धि के अनुसार अन्य ग्रामों में भी आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

शीतलहर से रबी की फसल को क्षति

305. श्री शंकरलाल जाट (कपासन), श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में फरवरी, 1974 में शीत लहर से रबी की फसल को नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन्स गिरदावरी पहले हो चुकी है और पाला बाद में पड़ा है जिससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार गिरदावरी पुनः कराने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) जी हाँ, सही अनुमान का गश्त के बाद पता चल सकेगा।

(2) आदेश जारी किये जा चुके हैं।

ग्राम सेवक को अवकाश

306. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री बंशीलाल बालदिया, प्रधान पंचायत समिति, सुमेरपुर

(श्री सज्जनसिंह)
ने श्री लक्ष्मीनारायण ग्राम सेवक जो उन्हीं के ग्राम तखतगढ़ में कार्यरत थे, को पिछले दो वर्ष से अनाधिकृत अवकाश दे रखा है ?

उत्तर

यह सही नहीं है कि श्री बंशीलाल बालदिया, प्रधान पंचायत समिति, सुमेरपुर ने श्री लक्ष्मीनारायण ग्राम सेवक जो ग्राम तखतगढ़ में कार्यरत था, को पिछले दो वर्ष से अनाधिकृत अवकाश दे रखा है। पंचायत समितियों के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण पंचायत समिति का होता है।

श्री लक्ष्मीनारायण ग्राम सेवक निरन्तर गत दो वर्ष से कार्यालय से अनुपस्थित है एवं इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति, सुमेरपुर द्वारा उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कोटा जिले में वर्षा से गेहूं को क्षति

307. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में गत फसल में गेहूं का कितना प्रोक्योरमेंट किया गया ? तथा किस किस सेंटर पर बारिश से भीग कर कितना गेहूं इस जिले में नष्ट हो गया ?

(2) क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच में कौन कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में गत फसल में 2,30,695 क्विन्टल गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया गया। किसी भी सेन्टर में गेहूं के बारिश से भीग कर नष्ट होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) भाग एक के उत्तर की स्थिति में जांच कराने का प्रश्न ही नहीं होता।

पंचायत समिति का सचिव

308. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (गुढ़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक ही व्यक्ति तीन चार पंचायतों में सचिव का कार्य कर सकता है ? यदि हां तो किस धारा के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो ग्राम पंचायत हिन्डोली का सचिव न्याय पंचायत हिन्डोली, ग्राम पंचायत बूंदी का व ग्राम पंचायत, जालोद के सचिव पद का कार्य किस नियम के आधार पर कर रहा है ?

(2) क्या ग्राम पंचायत हिन्डोली के सचिव रामधन के विरुद्ध सहायक विकास अधिकारी, बूंदी के पास कोई शिकायत की इन्क्वायरी चल रही है ? यदि हां, तो यह शिकायत किसने की तथा किस विषय के बारे में थी ? इस इन्क्वायरी में क्या प्रगति हुई है ? जांच रिपोर्ट सदन की पटल पर रखें ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, हिन्डोली के रिकोर्ड्स में काफी हेरा

फेरी होती आई है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त शिकायत किस आधार पर हुई ? यदि हां, तो क्या पंचायत राज मंत्री उपरोक्त पंचायत के डोक्यूमेन्ट्स को तत्काल अधिपत्य में लेकर किसी अधिकारी को नियुक्त कर जांच करवायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि हिन्डोली न्याय पंचायत का मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नैनवां द्वारा निरीक्षण किया गया था। यदि हां, तो उसमें क्या क्या अनियमिततायें पाई गईं ? सूची सदन की पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। दो या अधिक पंचायतों में सचिव का कार्य एक ही व्यक्ति से पंचायत की सहमति होने पर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 33 के अनुसार लिया जा सकता है, लेकिन एक न्याय पंचायत और एक ग्राम पंचायत में कार्य करने वाला व्यक्ति अन्य पंचायतों में कार्य नहीं कर सकता है। ग्राम पंचायत हिन्डोली का सचिव न्याय पंचायत हिन्डोली व ग्राम पंचायत अलोद के पद पर कार्य कर रहा है जहां से उन्हें पृथक् करवाये जाने की कार्यवाही अलहदा से की जा रही है।

(2) सहायक विकास अधिकारी, बूंदी का कोई पद सृजित किया हुआ नहीं है। अतः किसी प्रकार की जांच अधिकारी के पास चलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) ग्राम पंचायत, हिन्डोली के रिकार्ड में हेरा फेरी की कोई जानकारी नहीं है।

(4) जी हां। दिनांक 9/10-2-74 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, नैनवा द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर ही अनियमितताओं के बारे में जानकारी हो सकेगी।

अनाज की खरीद

309. श्री रामकिशन (भरतपुर) **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रबी की फसल में राज्य सरकार ने खाद्य निगम द्वारा कितना अनाज खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया था ?

(2) क्या राज्य सरकार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अनाज खरीद सकी ? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की पटल पर रखें ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

रबी की फसल में गेहूं प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य 3,00,000 लाख टन निर्धारित था।

निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के साधारणतया निम्नांकित कारण थे :—

(1) व्यापारियों द्वारा उत्पादकों को गेहूं सरकार को नहीं बेचने को उकसाया गया।

(2) बरसात होने से क्रय केन्द्र के रास्ते बन्द होने तथा बाढ़ आने के कारण भी कहीं कहीं पर कृषक अपना गेहूं राज्य सरकार को नहीं बेच सके।

जिलेवार लक्ष्य व खरीद की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 60/क्र. मं. द्वारा श्री रामकिशन (भरतपुर) व श्री केदारनाथ (गंगानगर) के भाग दो की सूची

क्रमांक	नाम जिला	लक्ष्य	गेहूं की वसूली खाद्य निगम	भण्डार व्यवस्था निगम	कुल खरीद
1.	अलवर	40,000	6470	4630	11100
2.	बूंदी	20,000	7788	330	8118
3.	भरतपुर	11,000	6008	2480	8488
4.	भीलवाड़ा	3,000	210	1	211
5.	चित्तौड़गढ़	5,000	2116	1706	3022
6.	श्री गंगानगर	95,000	42229	39223	81452
7.	जयपुर	5,000	176	152	320
8.	जालोर	5,000	1657	—	1657
9.	झालावाड़	8,000	215	—	215
10.	कोटा	80,000	3156	19596	22752
11.	पाली	5,000	119	169	288
12.	सवाई माधोपुर	17,500	1882	5356	7238
13.	सिरोही	3,000	79	31	110
14.	टोंक	2,500	135	306	521
		3,00,000	72240	74060	146300

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 219 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

बिक्री कर मद के अन्तर्गत राजस्व की जिले वार स्थिति बतलाते हुये विवरण

रु. लाखों में

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 70-71	71-72	72-73
1.	झालावाड़	28-84	37-39	34-77
2.	जयपुर	998-80	1,170-23	1,359-27
3.	सीकर	34-85	35-65	43-40
4.	झुंझुनू	33-61	35-43	33-91
5.	अलवर	140-31	166-67	133-01
6.	भरतपुर	91-94	108-59	109-17
7.	अजमेर	157-15	178-18	170-22
8.	बीकानेर	53-52	62-80	84-99
9.	चूरू	31-87	40-25	44-98
10.	गंगानगर	211-82	249-42	302-12
11.	जोधपुर	149-35	169-01	187-55
12.	जैसलमेर	1-51	1-24	1-50
13.	बाड़मेर	78-58	25-93	26-57
14.	पाली	27-53	92-32	99-88
15.	सीरोही	11-96	30-34	33-17
16.	जालोर	21-97	15-14	19-72
17.	नागौर	49-76	59-50	55-42
18.	सवाई माधोपुर	78-32	90-32	79-14
19.	टोंक	16-95	19-50	24-95
20.	कोटा	270-52	345-79	404-74
21.	बूंदी	10-71	12-97	19-69
22.	उदयपुर	123-96	172-14	210-19
23.	डूंगरपुर	8-30	11-33	12-08
24.	भीलवाड़ा	66-70	64-49	74-82
25.	चित्तौड़गढ़	56-93	83-06	111-24
26.	बांसवाड़ा	15-81	22-18	24-96
27.	समायोजन द्वारा	25-21	9-28	3-63
	कुल योग ...	2,925-00	3,200-00	3,705-11

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न-संख्या 234 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 178/अ. ता. के भाग (1) से संबंधित सूचना।

क्रमांक 1	नाम पंचायत समिति 2	नाम ग्राम 3
1.	सिवाना	1—गुढ़ानाल 2—देवन्दी
2.	शिव	1—शिव 2—गूंगा
3.	बालोतरा	1—उमरलाई 2—जानीयाना
4.	धोरीमन्ना	1—धोरीमन्ना 2—गुढ़ामालानी
5.	बाड़मेर	1—महावार 2—आलोपा
6.	सिणधरी	1—दांखा 2—कुड़ला
7.	बायतू	1—माड़पुरा बरवाला 2—कपास
8.	चौहटन	1—चौहटन 2—धनाऊ

अतारांकित प्रश्न 178/अ. ता. के भाग (2) से संबन्धित सूचना
रजत जयन्ति में चयनित ग्रामों में विकास कार्य की प्रगति

क्रम सं. 1	पंचायत समिति 2	ग्राम का नाम 3	पीने के पानी की व्यवस्था 4	भवन निर्माण 5	शाला भवन निर्माण 6	नालियों का निर्माण 7	सड़कें 8	विद्युतिकरण 9
1.	सिवाना	1. गुढानाल	—	इन ग्रामों के अनुसूचित जाति	3,000	—	कच्ची सड़क सहायता कार्य के अन्तर्गत बनी हुई है।	—
		2. देवन्दी	जल प्रदाय हेतु पंचायत ने स्वीकृति दे दी है। अतः तखमीना तैयार करने हेतु लिखा गया है।	के परिवारों को गृह निर्माण हेतु राशि निदेशक समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ./9/प./स/सक/73-74/5748 दिनांक 25-1-1974 द्वारा आवंटित की गई है। इस राशि का व्यय कर यह सुविधा प्रदान की जा सकेगी।	पक्का भवन है	—	सिवाना देवन्दी सड़क क्रेश योजना में बनी है।	बिजली की सुविधा उपलब्ध है।
2.	शिव	1. शिव	—	,,	—	—	पक्की सड़क	—
		2. गूंगा	—	,,	—	—	पक्की सड़क	—
3.	बालोतरा	1. उमरलाई	—	,,	3,000	—	—	—
		2. जानियाना	—	,,	—	—	रेल्वे स्टेशन	—
4.	धोरीमन्ना	1. धोरीमन्ना	नल योजना है	,,	3,000 सैकेण्डरी	—	पक्की सड़क	—
		2. गुढ़ामालानी	—	,,	3,000 प्राथमिक	—	कच्ची सड़क	—

5. बाड़मेर	1. माहवार	जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गई थी, मगर कार्य नहीं हुआ।	"	—		कच्ची सड़क	—
	2. जालीपा	पेय जल उपलब्ध है	"	—	—	पक्की सड़क	—
6. सिणधरी	1. दांखा	—	"	2,500	—	कच्ची सड़क	—
	2. कुड़ला	पाइप लाइन डली हुई है।	"	—	—	पक्की सड़क	—
7. बायतू	1. माढ़पुरा	दो कुए व छः टाँकों का निर्माण हुआ है।	"	2,500		कच्ची सड़क	
	2. कवास	नल योजना की सुविधा है।	"	2,500	—	पक्की सड़क	नई लाइन डाली जा रही है।
8. चौहटन	1. चौहटन	ट्यूबवैल शुरू किया गया है।	"	क्रेश योजना के अन्तंगत प्राथमिक शाला भवन में चार कमरे बनाये	—	पक्की सड़क	"
	2. धनाऊ	ट्यूबवैल	"	3,000	—	पक्की सड़क	—

ह. अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, बाड़मेर।

सूची 'स'

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची)

चित्तौडगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., चित्तौड़गढ़ द्वारा तहसील बडी सादड़ी के गावों के व्यक्तियों को ऋण दिया गया, की सूची

क्र. सं.	नाम समिति	दिनांक बैंक द्वारा ऋण देने की	सदस्यों के नाम जिन्हें ऋण दिया गया			दिनांक अग्रिम
			नाम सदस्य मय वल्दियत, जाति	ग्राम	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	जरखाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., जरखाना पंचायत समिति डूंगला	13-9-68	1. श्री नवला पिता मोती मेघवाल	भूरलिया कलां	480.00	19-9-68
			2. श्री मेघा पिता दयाराम भील	,,	480.00	19-9-68
			3. श्री किशना पिता जेता खारोल	,,	480.00	19-9-68
			4. श्री जेता कुंशाल खारोल	,,	480.00	19-9-68
			5. श्री लखमा पिता मोडा मोई	,,	480.00	19-9-68
			6. श्री जगन्नाथ पिता घासी खारोल	,,	480.00	19-9-68
			7. श्री उदयराम पिता नवलाराम साधू	,,	480.00	19-9-68
			8. श्री भैंरा पिता खुमा मेघवाल	,,	480.00	19-9-68
			9. श्री गणेश पिता वरदा मोई	,,	480.00	19-9-68
			10. श्री उंकार पिता घासी खारोल	,,	480.00	19-9-68
			11. श्री प्यारा पिता भैरा बलायी	,,	480.00	19-9-68

12. श्री खेमा पिता भैरा बलाई	„	480.00	19-9-68
13. बाबरू पिता बरदा भोई	„	480.00	19-9-68
14. जगन्नाथ पिता गौतम भोई	„	480.00	19-9-68
15. बरदा पिता नन्दा खारोल	„	480.00	19-9-68
16. श्री आशा पिता लखमा चमार	„	480.00	19-9-68
17. श्री मगना पिता चतुरभुज भोई	„	320.00	19-9-68
18. श्री प्यारा भैमा	„	480.00	14-9-68
19. श्री गंगा पिता खूमा	„	480 00	19-9-68
1. श्री किशना पिता पैमा चमार	चारण खेड़ी	480.00	19-9-68
2. श्री पीपल्या पिता उदा रावत	„	480.00	14-9-68
3. श्री भोमिया पिता ऊंकार रावत	„	480.00	14-9-68
4. श्री गोटू पिता रामचन्द्र चमार	„	480.00	14-9-68
5. श्री भैरा पिता लालूराम रावत	„	480.00	14-9-68
6. श्री नारायणदास पिता सीताराम दास साधू	„	480.00	14-9-68
7. श्री जालम पिता भैरा मेघवाल	„	480.00	14-9-68
8. श्री रामा पिता कालू चमार	„	480.00	14-9-68
9. श्री नारायण पिता भैरा चमार	„	480.00	14-9-68
10. श्री भागीरथ पिता प्यारा चमार	„	480.00	14-9-68
11. श्री आवरदान पिता प्रभूदान	„	480.00	14-9-68
12. श्री सवा पिता भैरा मेघवाल	„	480.00	14-9-68
13. श्री बाबरू पिता नवला मेघवाल	„	480.00	14-9-68
14. श्री मथरा पिता पीथा चमार	„	480.00	14-9-68

1	2	3	4	5	6	7
			15. श्री नाथू पिता नवला मेघवाल	,,	480.00	14-9-68
				योग:—	7200.00	
			1. श्री कैला पिता जगन्नाथ मेघवाल	नाहर जी का खेड़ा	480.00	19-9-68
			2. श्री भागा पिता नन्दा रावत	,,	480.00	19-9-68
			3. श्री सवा पिता कामा मेघवाल	,,	240.00	19-9-68
			4. श्री परथा पिता रतना रावत	,,	400.00	19-9-68
			5. श्री छगनसिंह पिता उदयसिंह	,,	480.00	14-9-68
			6. श्री भेरूसिंह पिता उदयसिंह	,,	480.00	14-9-68
			7. श्रीमति रतनकुंवर बेवा गिरधारीसिंह	,,	480.00	14-9-68
				योग:—	3040.00	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 43/कृ. मं. के भाग (2) से सम्बन्धित सूचना

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	वर्ष वार किये गये व्यय का विवरण		
		1971-72 (लाखों में)	1972-73 (लाखों में)	1973-74 (लाखों में)
1.	पिसांगन	2.26	7.39	2.76
2.	श्रीनगर	1.27	2.32	0.83
3.	जवाजा	1.89	4.16	1.08
4.	मसूदा	1.83	3.81	3.09
5.	भिनाय	1.24	1.56	0.67
6.	केकड़ी	1.06	0.97	0.14
7.	भराई	1.33	2.18	0.90
8.	किशनगढ़	1.68	1.67	0.87
	योग :—	12.56	24.06	10.34

तारांकित प्रश्न संख्या 43/क्र. सं. के भाग (4) से सम्बन्धित सूचना

Districts	1971-72 Allo-cation	1971-72 Expen-diture	1972-73 Allo-cation	1972-73 Expen-cation	1973-74 Allo-diture	1973-74 Expen-diture	Remarks
1. Ajmer	12.50	12.56	23.50	24.12	17.84	10.93	
2. Alwar	12.50	0.64	9.50	9.46	10.98	9.34	
3. Banswara	12.50	1.24	15.50	15.50	10.98	4.75	
4. Barmer	12.50	0.49	12.45	12.41	10.98	4.44	
5. Bharatpur	12.50	1.05	6.90	6.94	7.98	3.89	
6. Bhilwara	12.50	10.95	12.50	12.41	9.16	6.06	
7. Bikaner	10.50	1.01	11.50	11.63	11.98	6.82	
8. Bundi	12.50	2.26	11.15	11.92	11.68	10.68	
9. Chittorgarh	12.50	3.65	15.50	15.97	10.98	8.47	
10. Churu	12.50	3.25	14.50	14.51	8.48	6.26	
11. Dungarpur	12.50	12.52	16.50	16.54	7.50	4.50	
12. Ganganagar	12.50	4.40	9.50	9.26	Nil	Nil	
13. Jaipur	12.50	4.64	27.50	28.02	18.98	11.73	
14. Jaisalmer	12.50	2.62	8.50	8.44	5.03	2.78	
15. Jalore	12.50	5.70	11.75	11.70	11.98	8·12	
16. Jhalawar	12.50	2.24	7.50	7.52	10.50	7.85	
17. Jhunjhunu	12.50	0.83	6.50	6.07	8.00	7.0)	
18. Jodhpur	12.50	6.57	17.50	17.85	14.55	10.26	
19. Kota	12.50	1.39	9.50	9.54	10.98	7.70	
20. Nagaur	12.50	0.17	12.50	12.53	8.63	4.48	
21. Pali	12.50	3.49	12.50	10.39	8.98	5.18	
22. Sawai-Madhopur	12.50	2.28	10.50	11.26	12.50	10.20	
23. Sikar	10.50	2.38	11.75	12.17	10.98	7.91	
24. Sirohi	12.50	5.43	12.50	12.25	10.15	5.60	
25. Tonk	12.50	6.59	18.50	18.45	14.98	9.11	
26. Udaipur	16.50	16.29	29.00	28.88	20.72	12.75	
Total:—	325.00	114.64	355.00	355.83	285.50	186.79	

285

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची)

(स्थगित)

तहसील सांचोर में बाढ़ से भेड़ बकरी मरा, उसकी सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	भेड	बकरियां
1.	खेजडियाली	—	140
2.	भवातडा	—	60
3.	जोरादर	—	50
4.	पिंगपुरा	—	40
5.	आकोडिया	—	10
6.	नलदरा	—	100
7.	भाटकी	—	40
8.	वालेरा	—	20
9.	भाटवास	10	10
10.	मरठवा	10	20
11.	मेडा	20	30
12.	केसरी	—	50
13.	पीवटा	20	40
14.	खासरवी	10	20
15.	साकरिया	10	15
16.	बरनवा	20	20
17.	सुथडी	20	30
18.	दुठवा	10	40
19.	सूराचन्द	10	30
20.	होती गांव	50	100
21.	रतोडा	30	10
22.	सिलोसन	10	10
23.	चितलामा	50	40
24.	रणोदर	20	30
		300	965

(286)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची)

(स्थगित)

परिशिष्ट 'क'

खातेदारों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक से शेष तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है

1.	करणपुर	35
2.	टीबी	41
3.	अनूपगढ़	6
4.	हनूमानगढ़	18
5.	सूरतगढ़	6
6.	सार्दुलशहर	32
7.	पदमपुर	निल
8.	गंगानगर	निल
9.	रायसिंहनगर	निल
10.	संगरिया	सूचना एकत्रित की जा रही है।
11.	भादरा	सूचना एकत्रित की जा रही है।
12.	नोहर	सूचना एकत्रित की जा रही है।

(287)

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
7	ऊपर से 4	जिने	भेजने
8	नीचे से 8	वर्ग	वर्ष
16	ऊपर से 14	सते	सकते
17	नीचे से 12	उपखडों	उपखण्डों
19	ऊपर से 15	0	श्री
19	नीचे से 9	ा	श्री
20	,, 14	गलहोत	गहलोत
38	ऊपर से 2	ती	तीन
141	नीचे से 12	चच्च	उच्च
203	,,	उद्विखन	उद्विग्न
219	,,	तह	यह
226	ऊपर से 1	खातोसर	खासतौर
278	नीचे से 12	शुलभ	सुलभ
289	ऊपर से 12	सभापित	सभापति
292	,, 13	आर्दश	आदर्श
292	,, 14	आर्दश	आदर्श
294	,, 2	आर्दश	आदर्श
308	नीचे से 8	विश्वसिद्यालयों	विश्वविद्यालयों
311	ऊपर से 3	प्रस्वाव	प्रस्ताव
321	नीचे से 9	हैसित	हैसियत
345	,, 6	संस्त्रत	संस्कृत
346	ऊपर से 1	सभापत्ति	सभापति
346	नीचे से 5	सभापत्ति	सभापति
347	ऊपर से 4	सभापत्ति	सभापति
349	नीचे से 6	प्रशिक्षिण	प्रशिक्षण
406	ऊपर से 3	पद्दित	पद्धति
418	,, 3	एकशण	एकशन
436	,, 3	क्षिक्षा	शिक्षा
474	,, 16	पचवर्षीय	पंचवर्षीय
494	नीचे से 3	संस्दीय	संसदीय
500	ऊपर से 16	गुमाननमल	गुमानमल
521	,, 1	स्तुवर्तो	वस्तुओं